Dr. K.L. Tandekar

SHODH CHETNA – YEAR-7 (JAN. TO JUN., 2021) VOL. 1&2 ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal
SJIF - 4.076

छत्तीसगढ़ में श्रम पलायन : कारण, समस्या एवं समाधान

❑ डॉ. के.एल. टाण्डेकर*
❑ श्रीमती ज्योति साहू**

शोध सारांश

पलायन विकास एवं विस्तार की चाहत में स्थानांतरण की स्वभाविक प्रक्रिया है, इससे विकास के साथ–साथ बढ़ता रोजगार एवं आय की परिकल्पना साकार होती है, पलायन से गांवों की दशा बदल रही है, वही अब गांवो में शहरी वातावरण की झलक दृष्टिगोचर हो रही है, तीव्र गति से पलायन के कारण सामाजिक विसंगतियों का जन्म हो रहा है, शिक्षा रोजगार एवं बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाकर पलायन की गति को कम किया जा सकता है, पलायन के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार के परिणाम स्वरूप उन पर ऋण का बोझ कम हुआ है फिर भी पलायन को रोकना सरकार पर निर्भर है।

प्रस्तावना :–

परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो पलायन मनुष्य की परिस्थिति जन्य आवश्यकता है, भले ही पलायन अल्पकालीन हो, दीर्घकालीन या जीवनपर्यन्त, पलायन के प्रायोजन व स्वरूप भी भिन्न–भिन्न होते हैं, एकल प्रवास परिवार सहित प्रवास अथवा सामूहिक प्रवास इसी तरह देश काल परिस्थिति घटित घटनाएं भी मनुष्य को पलायनवादी बना देती है, वर्तमान परिवेश में ज्यादातर लोग सामान्य तौर पर जीवकोपार्जन, रोजगार प्राप्त करने, जीवन को बेहतर बनाने या अन्य किसी उद्देश्य से पलायन करते है, वैश्विकरण के इस दौर में मनुष्यों का पलायनवादी होना वर्तमान शताब्दी की एक बड़ी विशेषता बन गई है, भारत में पलायन की प्रवृत्ति गांवों से नगरों की ओर रही है, वर्ष 1911 से वर्ष 1961 तक के जनसंख्या का पलायन शहरों की ओर बना हुआ है, स्वतंत्रता के बाद पलायन की प्रवृत्ति में और वृद्धि देखी गई, वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का 82.7 प्रतिशत भाग गांवो में रहता था जबकि सिर्फ 17.3 प्रतिशत भाग ही शहरों में निवास करता था , यदि 1961 से 1991 तक के 80 वर्षो मे देखे तो स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के बाद पलायन को अत्यंत प्रोत्साहन मिला है, वर्ष 1911 से 1941 तक कुल 30 वर्षो में पलायन सिर्फ 27 प्रतिशत की थी जबकि 50 वर्षो में (1951 से 2001 तक) करीब 13 प्रतिशत जनसंख्या गांव से शहरों की ओर स्थानांतरित हुई है, पलायन के अनेक कारण हो सकते है, इन कारणों में भारत में जो अधिक महत्वपूर्ण है, जनसंख्या में वृद्धि, कुटीर उद्योगों का पतन, भूमिहीन कृषक, ऋणग्रस्तता, तथा सामाजिक अयोग्यताएं है।

* प्राचार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)
** अतिथि व्याख्याता, वाणिज्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, राजनांदगांव (छ.ग.)

निष्कर्ष - छ.ग. राज्य एक विकासोन्मुखी राज्य है जहाँ की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की विशेष भूमिका है राज्य में समस्त प्रकार के पर्यटन स्थल प्रचुर मात्रा में है लेकिन अव्यवस्थित स्वरूप होने के कारण इनके विकास और विस्तार की आवश्यकता है छ.ग. राज्य मे पर्यटन विकास के लिए राज्य निर्माण के बाद बहुत तेजी से काम हुए है यह राज्य अपने पर्यटन के क्षेत्र में समृद्धि की ओर बढता हुआ प्रदेश है। छ.ग. न केवल प्राकृतिक सौन्दर्य बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतेहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी समृद्ध है, छ.ग. के नयनाभि राम प्राकृतिक सौन्दर्य आकर्षित पर्वतमाला और नैसर्गिक वनांचल सैलानियो को काफी आर्कर्षित करते है यहा की कल और संस्कृति अभिव्यक्तियो में जीवन का सौंदर्य प्रकट होता है। इन सभी के समन्वय से छ.ग. में पर्यटन उद्योग के विकास की व्यापक संभावनाएँ है, छ.ग. में पर्यटन के विकास को बढावा देने के लिए छ.ग. पर्यटन मण्डल कृत संकल्पित कार्य कर रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. योजना 1995 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. पर्यटन विभाग प्रशासकीय प्रतिवेदन 2018-19 छ.ग. शासन पर्यटन विभाग रायपुर।
3. छ.ग. स्वप्न से यर्थात की ओर 2006 देशबंधु विशेषांक रायपुर।
4. छ.ग. पर्यटन 2001 दैनिक भास्कर प्रेस काम्पलेक्स रजबंधा मैदान जी.ई.रोड. रायपुर।
5. छ.ग. पर्यटन मण्डल उद्योग भवन रायपुर।
6. सबका विकास सबका विश्वास, छ.ग. जनसंपर्क विभाग, रायपुर (छ.ग.)।

अभ्यारण (वन्य पशु विहार)

क्रं	अभ्यारण	जिला	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी में	समीप का रेल्वे स्टेशन	मुख्य वन्यजीव
1	उदंती अभ्यारण (वन भैंसा प्राजेक्ट)	रायपुर	247.59	रायपुर	शेर, तेंदुआ, चीतल वनभैंस
2	वार नवापारा अभ्यारण	रापपुर	245.00	रायपुर	शेर, नीलगाय, भलू, जंगली भैंसा
3	सीतानदी अभ्यारण	रायपुर, धमतरी	557.00	रायपुर	शेर, तेंदुआ,गौर, सांभर, चीतल, भालू, वन भैंसा
4	पामेड अभ्यारण(वन भैंसा प्राजेक्ट)	दंतेवाडा	442.00	जगदलपुर	वन भैंसा, शेर, चीतल
5	भैरमगढ़ अभ्यारण	दंतेवाडा,	139.00	जगदलपुर जगदलपुर	तेंदुआ, वन भैंसा, शेर, चीतल, सांभर
6	अचानकमार अभ्यारण	बिलासपुर	551.52	बिलासपुर पेड्ररोड कोटा	शेर तेंदुआ चीतल नीलगाय
7	गोमरदा अभ्यारण	रायगढ	277.82	रायगढ़	शेर, तुेदुआ, नीलगाय, भालू, सांभर, गौर
8	बदलखोर अभ्यारण	जशपुर	225.00	रायगढ़	शेर तेंदुआ सांभर चीतल नीलगाय
9	तमोर पिंगल अभ्यारण	सरगुजा	608.32	विश्रामपुर	शेर तेंदुआ चीतल बारहसिंगा
10	सेमर स्त्रोत अभ्यारण	सरगुजा	430.36	विश्रामपुर	शेर तेंदुआ गौर चीतल नीलगाय

राष्ट्रीय उद्यान

क्रं	राष्ट्रीय उद्यान	जिला	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी में	समीप का रेल्वे स्टेशन	मुख्य वन्यजीव
1	कांकेर घाटी	जगदलपुर	200.00	रायपुर से जगदलपुर होकर	शेर चीतल तुेदुआ सांभर गाने वाली मैना (बस्तर मैना) जंगली भैंसा
2	कुटरू राष्ट्रीय उद्यान	दंतेवाडा	-	-	जंगली भैंसा
3	इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान	दंतेवाडा	1258.00	रायपुर से जगदलपुर होकर	शेंर जंगली भैंसा तुंदुआ सांभर चीतल मोर बाघ बारहसिंगा आद्वि
4	गुरूघासीदास (संजम) राष्ट्रीय उद्यान	कोरिया	1938.00	-	शेर तेंदुआ चीतल बाघ नीलगाय आदि

स्त्रोत - छ.ग. पर्यटन 2001 दैनिक भास्कर रायपुर

****

DSS Divya Shodh Samiksha (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2394-3807, E-ISSN 2394-3513, Impact Factor - 5.190 (2017) Oct. to Dec. 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXII

छ.ग. राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास में छ.ग. पर्यटन मण्डल की भूमिका

डॉ.के.एल. टाण्डेकर* डॉ. श्रीमती ई.व्ही.रेवती**
डॉ. श्रीमती आशा चौधरी*** डॉ. मुन्नालाल नंदेश्वर ****

प्रस्तावना – विश्व के प्राय: सभी देशो में पर्यटन एक प्रमुख मनोरंजन व्यवसाय है भारत मे भी पर्यटन को द्रुतगति से विस्तार मिल रहा है भारत के पर्यटन मानचित्र पर छ.ग. एक उभरता हुआ राज्य हैं, भारत के ह्रदय में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य समृद्ध, सांस्कृतिक, विरासत एवं आर्कषक प्राकृतिक विविधता से सम्पन्न है, राज्य में प्राचीन स्मारक, लुप्तप्राय वन्य प्राणी प्रजातिया, नक्काशीदार मंदिर, बौद्धस्थल महल, जलप्रपात, गुफाऍं एवं पहाडी पठारो का बाहुल्य है, छत्तीसगढ़ राज्य अपने आप में ऐतिहासिक, पुरातात्विक,धार्मिक एवं पाकृतिक पर्यटन स्थल है, यहॉं राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारणों के साथ-साथ गौरवशाली प्राचीन लोक सांस्कृतिक का अद्वितीय उदाहरण भी है प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र, महापाषाणीय शवाधान स्मारक स्थल तथा ऐतिहासिक काल के भव्य मंदिर, बौद्ध बिहार, प्राकृतिक सघन वन एवं दुलर्भ प्राणीयो के व्यापक आर्कषक पर्यटन का केन्द्र बिन्दु है, छ.ग. प्रदेश का लगभग 44 सघन भू-भाग वनो से आच्छादित है यहॉं राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी अभ्यारण्यो के साथ-साथ जनजातीय संस्कृति के नृत्य संगीत तथा शिल्पकला की विविधताओ से राज्य सम्पन्नता लिए हुए है, महाप्रभु वल्लभाचार्य, संत गुरूघासीदास, संत धरमदास साहेब के पुण्य स्थल यहॉं सत्य अहिंसा और समानता को उद्घोषित करते है तथा यहॉं उनके असंख्य अनुयायियों को पर्यटन के लिए उत्प्रेरित करते है। छ.ग. के धार्मिक केन्द्र राष्ट्रीय एकता व अभिमता के संवाहक है।

छ.ग. के मुख्य पर्यटन स्थल/राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य – छ.ग. पकृति की गोद में बसा हुआ है, इस कारण छ.ग. प्राकृतिक सुंदरता से भरा पडा है यह राज्य देश के ह्रदय स्थल होने के कारण यह अनेक ऐतिहासिक धार्मिक एवं प्राकृतिक दर्शनीय स्थलो में परिपूर्ण है, यहॉं अनेक धर्म संप्रदायो की उत्पत्ति हुई है एवं उनकी प्रचार स्थली है पर्यटन की दृष्टि से छ.ग. राज्य के छोटे-बडे लगभग 139 पर्यटन स्थलो को चिन्हांकित किया गया है। पर्यटन के बहुआयामी क्षेत्र में विशेषकर जनजातीय अचलो में स्थित पर्यटन स्थलों को चिन्हांकित कर प्रचार प्रसार एवं मूलभूत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, छ.ग. में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, तीर्थस्थल, पुरातत्व महत्व के ढेर सारे दर्शनीय स्थल है जो वन्य प्रेमी एवं शैलानियो के आर्कषण का केन्द्र बिन्दु माने जा सकते है छ.ग. के प्रमुख पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण का विवरण निम्नानुसार है

छ.ग. के प्रमुख पर्यटन स्थल

क्रं		पर्यटन स्थल	दूरी
1	डोंगरगढ़	मॉ बम्लेश्वरी मंदिर	राजनांदगांव से लगभग 39 कि.मी.
2	भोरमदेव	शिव मंदिर, मिथुन मूर्तिया	कर्वधा से 20 कि.मी.
3	बारसूर	प्राचीन मंदिर मनोरब वन	जगदलपुर से 80 कि.मी.
4	केशकाल	घुमावदार घाटी मनोरब वन	कांकेर से 30 कि.मी.
5	दंतेवाडा	मॉ दंतेश्वरी मंदिर	जगदलपुर से 84 कि.मी.
6	बैलाडीला	घनीवादियॉं लौह अयस्क भंडार	दंतेवाडा से 40 कि.मी.
7	चित्रकोट जलप्रपात	इंद्रावती नदी पर	जगदलपुर से 40 कि.मी.
8	जगदलपुर	मंदिर , राजमहल, दशहरा	रायपुर से 308 कि.मी.
9	सिरपुर	लक्ष्मण मंदिर, प्राचीन राजधानी	रायपुर से 84 कि.मी.
10	आरंग	मंदिरो की नगमी	रायपुर से 36 कि.मी.
11	चम्पारण	भगवान वल्लभाचार्य की जन्मस्थली	रायपुर से 60 कि.मी.
12	भिलाई	इस्पात संयंत्र मैत्री बाग	रायपुर से 30 कि.मी.
13	ललागांव	रौद्र शिव की प्रतिमा शैवमंदिर	बिलासपुर से 30 कि.मी.
14	शिवरी नारायण	महानदी के किनारे नारायण मंदिर	बिलासपुर से 64 कि.मी.
15	जांजगीर	भगवान विष्णु मंदिर	बिलासपुर से 60 कि.मी.
16	मल्हार	पातेश्वर मंदिर, डिडनेश्वरी मंदिर	बिलासपुर से 35 कि.मी.
17	रतनपुर	रामटेकरी, महामाया मंदिर	बिलासपुर से 25 कि.मी.

* प्राचार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
*** सहायक प्राध्यापक, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
**** क्रीडाधिकारी, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) भारत

के. वी. आई. सी. के प्रति वचनबद्ध है। ग्रामोद्योग में कुछ उद्योगो को छोडकर अन्य सभी ग्रामोद्योग को वृहत आकार के उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओ से प्रतियोगिता का सामना करना पडता है सूक्ष्म लघु, और मध्यम उद्यम (एम. एस. एम ई) देश के आर्थिक विकास मे सहभागी बन लाखो उद्योगो को आधार और रोजगार के कई अवसर और इसमें,हथकरघा उद्योग एक महत्वपूर्ण कडी हैं जिसके माध्यम से उन छुटे पहलुओ व उन कमियों को भी दूर किया जा सकता है। जिसकी वजह से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश के आर्थिक विकास में पूर्ण रूप से सहभागी नही बन पाए। भारत एक विकासशील देश है यहा पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग बन चुके है इसके माध्यम से ग्रामीण एंव अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों मे बढती बेरोजगारी एव निर्धनता जैसी कई समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है वर्तमान समय मे उद्योग अपने विकास की उच्चतम अवस्था में है इनका उत्पादन अतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ग्रामीण एवं घरेलु स्तर पर किया जा रहा है।

उद्देश्य:–

1. हथकरघा उद्योग मे आधुनिक तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाना।
2. हथकरघा बुनकरों को सतत् रोजगार देकर इस उद्योग से संबद्ध कर बेरोजगारी निवारण का प्रयास करना।
3. बुनकर सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करते हुए उनके तकनीकी एंव आर्थिक उन्नयन के लिए प्रयास करना।

शोध परिकल्पना:–

1. जिले में हथकरघा उद्योग के कार्यक्रमों से ग्रामीणो का आर्थिक विकास हुआ है।
2. जिले में हथकरघा उद्योग की अपार सभावनाए विद्यमान है।

शोध प्रविधि:–

शोध अध्ययन का क्षेत्र आर्थिक सामाजिक या वैज्ञानिक समस्याओ से संबंधित उसकी पूर्व योजना प्रारंभ से ही बना ली जाती है। ताकि विस्तृत अध्ययन के पश्चात् स्पष्ट महत्वपूर्ण निर्णय प्राप्त हो सकें। प्राथमिक आकडो के संग्रहण हेतु प्रश्नावली, वर्गीकरण, सारणीयन,साक्षात्कार द्वारा आकडो का संग्रहण किया जाता है। व द्वितीयक संमक के संग्रहण हेतु प्रकाशित पत्र पत्रिकाओ, समाचार पत्र, शोध पत्र दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाए,रोजगार नियोजन, योजना पत्रिका, कुरुक्षेत्र पत्रिका,उद्यमिता पत्रिका आदि का उपयोग किया जाता है। इस शोध पत्र के लिए द्वितीयक समंक का प्रयोग किया गया है।

हथकरघा विभाग द्वारा संचालित योजनाएं:–

हथकरघा विभाग के माध्यम से हथकरघा एवं हस्तशिल्प के कारीगरों को स्वरोजगार स्थापित किये जाने के उद्देश्य से बहुत सी योजनाए चलायी जा रही है। जिसमे नवीन बुनकर प्रशिक्षण,अधोसंरचना निर्माण हेतु, बुनकर आवास योजना, उन्नत करघे एव सहायक उपकरण, रिवाल्विंग फण्ड योजना, डिजाइन विकास योजना, अनुसधान विकास योजना, स्व. श्री बिसाहूदास महंत पुरस्कार योजना, कबीर बुनकर प्रोत्साहन योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना आदि है, जिसके माध्यम से ग्रामीण उद्योगो के आर्थिक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विशेषकर जिले मे इससे जुडे हुए हितग्राहियो की स्थिति में सुधार आया है।

सहकारी समितियों के उत्पादन / बिक्री की स्थिति (रु. मे)

वर्ष	स्वय का	अपेक्षा का	कुल	स्वय का	अपेक्षा का	कुल	व्यापारिक लाभ हानि (–/+)	शुद्ध लाभ
2013-14	86.68	1620.39	1707.07	80.92	1482.00	1562.00	140.65	115.97
2014-15	86.66	1620.38	1707.01	80.92	1482.00	1562.00	140.65	115.97
2015-16	86.06	1737.53	1823.59	78.02	1650	1729	155.55	104.67

स्त्रोत- जिला हथकरघा कार्यालय राजनांदगांव

Scanned by CamScanner

Volume 6 | Issue 2 | April- June | 2018
ISSN- 2347-5145

IJRRSS

International Journal of Reviews and Research in Social Sciences

An International Peer- reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

Scanned by CamScanner

जागरूक होना दिखाई देता है। इसके पश्चात् पिछड़ा वर्ग में वसूली का प्रतिशत 52.35 प्रतिशत जनजाति में 50.95 प्रतिशत, अल्पसंख्यक वर्ग में 30.29 प्रतिशत तथा सबसे कम सफाई कामगार 17.55 प्रतिशत है।

ऋण का प्रतिशत कम होने से जिले में निगम की राशि विभिन्न राष्ट्रीय निगमों को समय पर नही लौटाने में कठिनाई होती है व आने वाले वर्षों में ये लक्ष्य प्राप्त करने में विलंब तथा भविष्य में वितरण करने में कठिनाई होती है जिले में कुल वसूली का प्रतिशत 47.88 है, जो अन्य जिलों की तुलना में अच्छा है। आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सभी वर्गो का आर्थिक विकास हुआ है।

योजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों के आर्थिक विकास की स्थिति संबंधी आंकड़े

क्र.	आर्थिक सुधार की स्थिति	जिला राजनांदगांव	
		आवृति	प्रतिशत
1.	हाँ	107	71.33
2.	नही	22	14.67
3.	तटस्थ	21	14.00
योग		150	100

उपर्युक्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि, जिले में निगम की योजनाओं से हितग्राहियों की आर्थिक विकास की स्थिति में सुधार हुआ है। प्राप्त समंको में 71.33 प्रतिशत हितग्राहियों ने हाँ में उत्तर दिया ये ऐसे हितग्राही है, जिन्होने विभाग की योजनाओं से जुड़कर व्यवसाय कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए हैं। इसमें महिलाएँ भी शमिल है। इसी प्रकार 14.67 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया तथा 14 प्रतिशत ने तटस्थ में उत्तर दिया ये ऐसे हितग्राही जिसमें से कुछ ने ऋण तो लिया पर उसका उपयोग पूँजी निर्माण में नहीं किया, इसका कारण इनमें अशिक्षा एवं आत्मविश्वास की कमी है। इन समूहो के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि जिले में छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित की योजनाओं ने लक्षित वर्गो के आर्थिक विकास में अपनी महती भूमिका निभायी है। हितग्राहियों के आय में वृद्धि हुई है, हितग्राही निगम द्वारा ऋण लेकर विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार से जुड़े हैं। इसके अलावा ऋण राशि का उपयोग अन्य कार्यो में भी किया जा रहा है। निगम द्वारा ऋण के रूप में प्राप्त राशि ऋण उद्देश्य हेतु पर्याप्त है। हितग्राही निगम की विभिन्न सेवाओं से संतुष्ट है। निगम ने वित्तीय सहायता के अलावा हितग्राहियों को प्रशिक्षण भी देने का प्रयास किया है, जो उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करती है। निष्कर्ष में हमने यह भी पाया कि वितरित राशि का लगभग 50 प्रतिशत वसूली हो पायी है तथा निगम ऋण वसूली के प्रति उदार है। निगम के सफल क्रियान्वयन के पश्चात् भी कुछ कमी या समस्याएँ दृष्टिगोचर होती है, जिसके लिए सुझाव प्रस्तुत है।

सुझाव :

(1) निगम की ऋण लेने की औपचारिकताओं को कम करने की आवश्यकता है, जिससे उन्हे समय रहते सरलता से ऋण प्राप्त हो सके।

(2) निगम द्वारा ऋण राशि पर लिये जाने वाले ब्याज की दर को कम किया जाना चाहिए, जिससे उन्हे आर्थिक भार कम पड़े।

(3) विभाग की योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे अंतिम हितग्राही इन योजनाओं का लाभ उठा सके।

(4) ऋण वितरण, वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।

(5) लघु एवं मध्यम वित्त पोषण योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए।

(6) कालातित ऋण की वसूली किया जाना चाहिए।

संदर्भ :

(1) जिला अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम राजनांदगांव द्वारा प्रकाशित पुस्तिका।

(2) आर्थिक विकास की योजना मार्गदर्शिका छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम मर्या. रायपुर।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं निगम की उपविधि।

(4) शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना सफलता की कहानी 2012.

(5) मिनीमाता स्वालंबन योजना सफलता की कहानी 2012 छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम मर्या रायपुर।

(6) मार्गदर्शिका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली।

(7) खुदशाह, संजीव : सफाई कामगार समुदाय, रामकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली।

(8) बघेल, डॉ. डी. एस. (2007) : भारतीय समाज, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।

(9) नायडू, पी. आर. (2002) : भारत के आदिवासी विकास की समस्या, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

UGC -
APPROVED - JOURNAL

UGC Journal Details

Name of the Journal : Research Link
ISSN Number : 09731628
e-ISSN Number :
Source : UNIV
Subject : Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all)
Publisher : Research Link
Country of Publication : India
Broad Subject Category : Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science

अध्ययन क्षेत्र :

प्रस्तुत अध्ययन हेतु राजनांदगांव जिले का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित के आर्थिक विकास योजनाओं के मूल्यांकन का अध्ययन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र का चयन जिले में निगम द्वारा लक्षित वर्गो को दी जा रही ऋण एवं आर्थिक सहायता का विश्लेषण करना है, जिसके लिए राजनांदगांव जिले के नौ विकासखण्डों, राजनांदगांव, डोंगरगांव, चौकी, छुरिया, मोहला, मानपुर, खैरागढ़, छुईखदान, डोंगरगढ़ को शामिल किया गया है, ताकि जिले में निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लक्षित वर्गो के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जा सके।

जिले में लक्षित वर्ग के लिए संचालित योजनाएँ :

(अ) अनुसूचित जाति के लिए :

(1) महिला समृद्धि योजना : महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के महिलाओं को दुकान की साज सज्जा एवं समान के लिए कार्यशील पूँजी लगाने के लिए 30,000–50,000 रूपये तक की वितीय सहायता 5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता है।

(2) माइक्रो क्रेडिट योजना : माइक्रो क्रेडिट योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की महिला या पुरूष दोनो वर्गो को लघु व्यवसाय हेतु 30,000–50,000 रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाती है।

(3) मिनीमाता स्वालंबन योजना : इस योजना के अंतर्गत व्यवसाय के इच्छुक हितग्राहियों को 1.50 लाख (1.00 लाख दुकान निर्माण एवं 0.50 लाख कार्यशील पूँजी) प्रदान किया जाता है।

(4) अन्य योजनाएँ : ट्रेक्टर ट्राली योजना, आटो पैसेंजर, लघु व्यवसाय, शिक्षा ऋण आदि। योजनाएं भी संचालित की जाती है।

(ब) अनुसूचित जनजाति के लिए :

(1) महिला सशक्तिकरण योजना : इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को 50,000 रूपये तक का ऋण 5 वर्ष के लिए 6 प्रतिशत ब्याज की दर से प्रदान किया जाता है।

(2) गुड्स कैरियर योजना : इस योजना के तहत इस वर्ग के लोगो को परिवहन वाहन क्रय करने के लिए 4,25,000 रूपये तक का ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है।

(3) शहीद वीर नारायण सिंह स्वालंबन योजना : इसमें इस वर्ग के हितग्राहियों को बगैर गारंटी अनुबंध के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जाता है। इस योजना में इकाई लागत राशि 1,50000 रूपये हितग्राहियों को दिया जाता है।

(4) अन्य योजनाएँ : शिक्षा ऋण योजना, स्माल बिजनेस योजना, आदिवासी स्वरोजगार योजना, गुड्स केरियर योजनाएँ भी इस वर्ग के लिए संचालित की जा रही हैं।

(स) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :

(1) माइक्रोक्रेडिट योजना : इस योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को 25,000 रूपये 6 प्रतिशत ब्याज की दर पर दिया जाता है।

(2) नई स्वर्णिमा योजना : पिछड़ा वर्ग की केवल महिला हितग्राहियों को 1,00,000 रूपये तक का ऋण 5 वर्ष के लिए 6 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है इससे महिला हितग्राही अपना छोटा व्यवसाय कर स्वयं का रोजगार प्राप्त कर सकती है।

(3) शिक्षा ऋण योजना : इस योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को 5,00,000 रूपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

(4) सामान्य ऋण : इस योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को व्यक्तिगत रूप से 1,00,000 रूपये तक का ऋण किसी भी व्यवसाय के लिए 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के साथ 5 वर्ष के लिए दिया जाता है।

(द) अल्पसंख्यक वर्ग के लिए :

(1) मध्यम ऋण योजना : इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगो को स्वयं का लघु व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 50,000 रूपये तक का ऋण 5 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है।

(2) अल्पसंख्यक बड़ी ऋण योजना : इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों को बड़े ऋण के रूप में 1,00,000 रूपये तक का ऋण 5 वर्ष के लिए दिया जाता है।

(3) शिक्षा ऋण : इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के लिए 2,50,000 रूपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

(ई) सफाई कामगार के लिए :

(1) माइक्रोक्रेडिट योजना : इस योजना के तहत् 30,000 रूपये तक का ऋण 3 वर्ष के लिए 4 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है।

(2) महिला अधिकारिता योजना : महिला अधिकारिता योजना के अंतर्गत सफाई कामगार वर्ग की महिलाओं को 50,000 रूपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

(3) महिला समृद्धि योजना : महिलाओं को व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए 30,000 रूपये तक का ऋण 3 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है।

जिला अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित राजनांदगांव के वर्गवार योजनाओं के आँकड़े (वर्ष 2000 से जून 2016 तक) (राशि लाख में)

क्र.	विवरण	वितरित राशि	वसूल की गई राशि	बकाया राशि	वसूली का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	32767840	18598430	14169410	56.75
2.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	50337405	25650839	24686566	50.95
3.	सफाई कामगार	12851766	2256663	10596103	17.55
4.	पिछड़ा वर्ग	7304968	3823932	3481036	52.35
5.	अल्पसंख्यक वर्ग	5003145	1515493	3487652	30.29
	योग	108265124	51844357	56420767	47.88

उपर्युक्त तालिका जिले में वर्गवार अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्या. के आंकड़ों को दर्शाया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग में वसूली का प्रतिशत 56.75 है, जो अन्य वर्गो की तुलना में सर्वाधिक है। इसका कारण इन वर्गो का शिक्षित एवं

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Commerce
Research Link - 168, Vol - XVII (1), March - 2018, Page No. 26-28
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम के आर्थिक विकास में योजनाओं का मूल्यांकन (राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में राजनांदगांव जिले के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के आर्थिक विकास में योजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। निगम के द्वारा लक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सफाई कामगार) के आर्थिक विकास में क्या भूमिका रही, इसका पता लगाना रहा है। इस हेतु इनकी विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित आंकड़ों को दर्शाया गया है तथा निगम द्वारा लक्षित वर्ग के लोगों को उनके द्वारा चयनित व्यवसाय/उद्योग के लिए प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रुप से स्वावलम्बी बनाकर समाज की मुख्यधारा में जोड़ना तथा उनके अंदर स्वरोजगार हेतु मानसिकता विकसित करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। इनके लिए लघु एवं मध्यम ऋण की सुविधा एवं विभाग द्वारा ऋण वितरण एवं उसकी वसूली का भी विश्लेषण किया गया है। साथ ही निगम इन लक्षित वर्गों के आर्थिक विकास में कहाँ तक सफल रहा है, इसका भी विश्लेषण किया गया है।

युगेश्वरी साहू* एवं डॉ.के.एल.टाण्डेकर**

प्रस्तावना :

भारतीय समाज में लक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सफाई कामगार वर्ग) की महत्वपूर्ण भूमिका है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में अनुसूचित जाति 12.82 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 30.62 प्रतिशत है। किसी भी देश, राज्य तथा जिले का सम्पूर्ण विकास न हो जाए। इन लक्षित वर्गो के पास योग्यता तो होती है किन्तु वे अपनी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण स्वयं का रोज़गार प्रारम्भ नही कर पाते। यदि इन लक्षित वर्गो को पर्याप्त मात्रा में आर्थिक एवं वित्तीय सहायता प्राप्त हो, तो वे स्वयं का रोजगार स्थापित कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त एवं विकसित हो सकेंगे।

लक्षित वर्ग के लोगो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का गठन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (पुनर्गठन और निर्माण) अध्यादेश क्रमांक – 2000 (मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक – 04 सन् 2000) के अंतर्गत किया गया है। यह निगम अनुसूचित जाति वर्ग के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सफाई कामगार वर्ग के आर्थिक विकास के दायित्व का निर्वहन कर रहा है।

निगम का मुख्य उद्देश्य यहाँ निवासरत लक्षित वर्ग के लोगों को उनके द्वारा चयनित व्यवसाय/उद्योग हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाकर व्यवसाय की मुख्यधारा से जोड़ने एवं बेरोजगार युवकों में व्यवसायिक मानसिकता विकसित होने से वे व्यवसाय कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे है।

उद्देश्य :

(1) अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का लक्षित वर्ग के जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

(2) निगम की योजनाएं लक्षित वर्ग के सामाजिक, आर्थिक विकास में कितनी सहायक सिद्ध हुई का विश्लेषण करना।

(3) निगम की योजनाओं से लक्षित वर्ग के स्वरोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

(1) छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाएँ सुचारू रूप से क्रियान्वित हो रही है। (2) निगम की योजनाओं का लक्षित वर्ग के आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव रहा है।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत अध्ययन में इससे संबंधित द्वितीयक समंक छत्तीसगढ़ अत्यावसायी सहकार वित्त एवं विकास निगम में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों तथा प्राथमिक समंक हितग्राहियों से साक्षात्कार एवं अनुसूची के माध्यम से एकत्रित किए गए हैं। आर्थिक विकास की स्थिति जानने के लिए निगम से प्राप्त हितग्राहियों की सूची में से 150 हितग्राहियों का चयन किया गया है।

द्वितीयक समंकों के संकलन में प्रकाशित पुस्तकों, प्रतिवेदनों, समाचार पत्रों एवं पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकालय में सुरक्षित पूर्ववर्ती शोध–प्रबंध आदि की सहायता ली गई। योजना से संबंधित जानकारी निगम द्वारा प्रकाशित लेखों व प्रतिवेदनों से प्राप्त की गई तथा गत छः वर्षो के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है।

**शोधछात्रा, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)*
***शोध-निर्देशक एवं प्राचार्य, शासकीय डॉ.भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव-राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)*

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) Jan. To March 2018 E-Journal, VOl. IV, Issue XXI

चर्म उद्योग मे मानव प्रबंधन स्थिति एवं सम्भावनाएं (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

डॉ. ई.व्ही.रेवती* डॉ. के.एल.टाण्डेकर**

प्रस्तावना – भारतीय अर्थव्यवस्था में चमड़ा क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पर्याप्त निर्यात, रोजगार की अनुकूलतम संभावनाओं के साथ निर्यात वृद्धि के लिए भी वर्तमान स्थितियां अनुकूल रही है। सभी स्तरो पर उचित रूप से प्रशिक्षित और कुशल मानव प्रबंधन की आवश्यकता भी महसुस की जाती रही है।

आधुनिक व्यावसायिक जगत मे दो प्रमुख तत्वो ने विकास को प्रभावित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है –

1. मानव प्रबंधन
2. तकनीकी समस्या

जिसमे तकनीकी विकास को जिस गति से प्राप्त किया गया है उस गति से मानव प्रबंधन का विकास संभव नही हो सका है, जिन राष्ट्रो में तकनीकी विकास के साथ-साथ मानव प्रबंधन को विकसित कर लिया, वे आज आर्थिक मामलो में विश्व का नेतृत्व कर रहे है। जापान इसका स्पष्ट उदाहरण है किंतु जहाँ दोनो में से किसी भी एक तत्व की स्थिति कमजोर जनक रही, वहां विकास को पूर्णतया प्राप्त करना सम्भव नही हो पाया। इन दोनों तत्वों में यदि प्रमुखता के रूप मे देखा जाए तो मानव प्रबंधन बेहतर स्थिति में माना जाता है क्योंकि यदि मानव प्रबंधन उचित है तो तकनीकी विकास स्वमेव आसानी से हो सकता है।

बदलते आर्थिक परिवेश के संदर्भ में देखे तो यह बात मुख्यता स्पष्ट होती है कि भारत मे चर्म उद्योग की स्थिति आशाजनक है, क्योंकि इस क्षेत्र मे नई खुली आर्थिक नीति के लागू होने से चमड़ा उद्योग मे कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां आने आ रही है, जिससे चमडा उद्योग के विकास की सम्भावनाएं बढ़ी है। इसी सम्भावनाओ को देखते हुऐं अंर्तराष्ट्रीय बाजार मे भारत कि 3.5 प्रतिशत की वर्तमान स्थिति को यदि पर्याप्त तकनीकी एवं संरचनात्मक परिवर्तनो के साथ इस क्षेत्र में कुशल मानव प्रबंधन की सहायता ली गई तो मूर्ति समिति उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के रिपोर्ट के अनुसार सन् 2013 तक अंतराष्ट्रीय बाजार में चर्म उद्योग की भागीदारी 16 प्रतिशत तक हो जावेगी किंतु इस 16 प्रतिशत के सह-भागिता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि प्रतियोगी देशों की क्षमता को पहचानकर सही रणनीति अपनाई जाये।

भारत वर्ष के लिए सही रणनीति यह होगी की भारत जहां कच्चे चमडे के उत्पादन में विश्व में प्रमुख स्थान रखता है वही निर्मित चर्म सामग्री में यह चौथे क्रम पर हे जो स्पष्ट करता है कि यदि भारत को चर्म निर्मित सामग्री में प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो चर्म उद्योग की वर्तमान तकनीकी क्षमता के विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में मानव प्रबंधन को प्रमुखता प्रदान करनी होगी। विशेषकर छत्तीसगढ़ क्षेत्र जहां इस क्षेत्र में लगा हुआ मानव श्रम पूर्णयता असंगठित, अशिक्षित एवं जातिगत तथा विरादरी पंचायतों के घोर विरोध के साथ-साथ घृणित एवं अपमानित व्यवसाय का कर्मी माना जा रहा है। परिणामत: इस क्षेत्र के चर्म शिल्पि व्यवसायिक परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहे है, ऐसी स्थिति में यदि रोजगार, उत्पादन, निर्यात में वृद्धि करने का लक्ष्य प्राप्त करना है तो छत्तीसगढ़ में ही नहीं वरन् प्रदेश एवं भारत वर्ष में चर्म उद्योग के क्षेत्र में मानव प्रबंधन को विकसित एवं सुव्यवस्थित करना अनिवार्य होगा क्योंकि यह क्षेत्र वर्तमान में जहां देश के कुल 11.4 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है उसमें सन् 2013 तक 9.2 लाख लोगों को अधिक रोगजार मुहैय्या कराने की संभावना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी अधिकाधिक मात्रा में रोजगार मुहैय्या हो सकेगा। यद्यपि समय परिवर्तन के साथ-साथ इस उद्योग में नई तकनीकी की व्यवस्था की जा रही है किन्तु तकनीकी को व्यवहारिक रूप देने वाला प्रमुख साधन मानव संसाधन आज भी अपनी परम्परागत स्थिति में बना हुआ है, जिससे उसके लिए वह व्यवसाय पर्याप्त विकास की क्षमता रखने के बावजूद भी (जैसा कि सातवी पंचवर्षीय योजना में इसकी विकास दर 25 प्रतिशत रही) छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विशेष कर यह उद्योग उतना अधिक विकास नहीं कर पाया क्योंकि इस क्षेत्र में मानव प्रबंधन पर जोर नहीं दिया गया। मानव प्रबंधन का मूल उद्देश्य तभी पूर्ण हो पाता है जबकि मानव संसाधन का विकास किया जाए, यहां देश की तुलना में मानव संसाधन निम्न कोटि का है, क्योंकि उसकी पौष्टिक आहार प्राप्त करने की क्षमता शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य पर व्यय आदि मानक तुलनात्मक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में न्यूनतम बिन्दु पर है अत: छत्तीसगढ़ में इन मापदण्डों के विकास के साथ-साथ जहां मानव संसाधन का विकास होगा, वही दूसरी ओर इस उद्योग में असंगठित रूप से फैले हुऐ मानव संसाधन को सुव्यवस्थित व संगठित कर पर्याप्त प्रशिक्षण, रोजगार, उत्पादन प्राप्त कर कृषि पर हो रहे दबाव को कम किया जा सकता है और छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष होने वाले कुल जनसंख्या के 30 प्रतिशत भाग के पलायन को रोका जा सकेगा और स्थानीय विकास में इसका भरपूर उपयोग किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चर्म उद्योग में लगे कामगार की संख्या विभिन्न प्रदेश की तुलना में बहुत कम है, इससे भी स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास नहीं हो पाया है।

छत्तीसगढ में चर्म उद्योग में सबसे कम मानव श्रम का निवेश किया गया है

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ (छ.ग.) भारत
** प्राचार्य, शासकीय डॉ. बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.) भारत

मार्च 2018

January to March 2018
E-Jouenal, Volume IV, Issue XXI
U.G.C. Journal No. 64728

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 5.110 (2017)

Naveen Shodh Sansar

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)
(U.G.C. Approved Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com

तालिका 1 – हाथकरघा क्षेत्र द्वारा वस्त्र का उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर)

वर्ष	कारखाना	हाथकरघा	पावरलूम	कुल कपडा उत्पादन (स्क्वेयर मीटर में)
2010-11	61761	6907	11.18	1:5.5
2011-12	59605	6901	11.57	1:5.42
2012-13	61949	6952	11.22	1:5.47
2013-14	62624	7104	11.34	1:5.18
2014-15	64332	7203	11.19	1:5.24
2015-16	64584	7638	11.82	1:4.82
2016-17	63480	8007	12.61	1:4:45
2017-18	43520	5134	11.8	1:4.92
नवंबर 2017 तक	अनंतिम	अनंतिम		

तालिका 2

क्रं.	राज्य	स्वीकृत क्लस्टरों की संख्या	जारी राशि (लाख रू. में) 31.12.2017 तक	शामिल किये गए लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्रप्रदेश	3	141.27	665
2	बिहार	2	100.91	701
3	छत्तीसगढ	2	52.40	529
4	हिमाचल प्रदेश	1	31.20	200
5	केरल	1	35.20	450
6	मध्यप्रदेश	1	156.44	9603
7	जम्मू व कश्मीर	1	39.10	205
8	कर्नाटक	1	28.13	386
9	तमिलनाडु	4	128.86	1473
10	उत्तर प्रदेश	4	133.49	952
	कुल (समान्य)	20	847.00	15164
पूर्वोत्तर				
11	अरूणाचल प्रदेश	2	69.50	1154
12	असम	21	1370.95	19022
	कुल	23	1440.45	20176
	कुल योग	43	2287.45	35300

****

प्रतिशत का योगदान देता है और निर्मित आय में भी सहायता करता है, विश्व में हाथ से बुने हुए 95 प्रतिशत कपड़े भारत के ही होते है।

प्रधानमंत्री ने 1905 में आरम्भ स्वदेशी आंदोलन की याद में 07 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस घोषित किया तथा ग्राहको का विश्वास जीतने के लिए सामाजिक एवं पर्यावरण अनुकुलता के अतिरिक्त कच्चामाल, प्रसंसकरण, बुनावट एवं अन्य मानदंडो के लिहाज से उत्पादों की गुणवत्ता के समर्थन के लिए 07 अगस्त 2015 को 'भारत हथकरथा ब्राण्ड' (IHB) भी लांच किया। आईएचबी ने उच्च गुणवत्ता हथकरघा उत्पादों को बढावा देने के लिए ग्राहाको के बीच जागरूकता निर्माण करने एवं इसके लिए एक विशिष्ट पहचान बनाने में सहायता देने के लिए शीघ्र ही सोशल मिडिया पर ग्राहकों, विशेष रूप से युवाओं के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी।

ब्लाक स्तरीय क्लस्टर एप्रोच - राष्ट्रीय हथकरथा विकास कार्यक्रम (एन.एच.डी.पी.) के एक घटक क्लस्टर विकास कार्यक्रम के स्थान पर जून 2015 में ब्लाक राष्ट्रीय क्लसटर एप्रोच आरंभ किया गया और इसके दिशा-निर्देश राज्य सरकारों, बुनकर सेवा केन्द्रो आदि को भेज दिए गये है। ब्लाक स्तरीय क्लसटर एप्रोच की जरूरतों के अनुकुल अधिक सुकर है और इसमें भारत सरकार से अधिक वित्त पोषण राज्य के वित्तीय अंशदान की समाप्ति, कार्यान्वयन एजेंसियो को सीधे धनराशि जारी करना, लाभार्थियों को ईसीएस के माध्यम से बैंक खाते मे धनराशि अंतरित करना है। इसके अलावा ब्लाक में एक कलस्टर, सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना (सामान्य सेवा केन्द्र सहित) वस्त्र डिजाईनर एवं विपणन कार्यकारी की नियुक्ति,वर्क शेड का निर्माण, क्लस्टर विकास कार्यकारी की नियुक्ति, प्रोद्योगिकी उन्नयन, कौशल उन्नयन इत्यादि जैसे विभिन्न हस्तक्षेपो के लिए 200 करोड रू. तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए है। इसके साथ ही जिला स्तर पर डाई हाउस की स्थापना के लिए 50 लाख रू. तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। वर्ष 2017-18 के दौरान (31 दिसम्बर 2017 तक) निम्नलिखित राज्यों के लिए 43 ब्लाक स्तरीय क्लस्टर स्वीकृत किए गये है। जिसका विवरण निम्नांकित है।

तालिका 2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

आधुनिक युग में निर्मित वस्त्रों की अपेक्षा हाथ द्धारा उत्पादित हाथकरघा वस्त्र पूर्णत: प्रदूषित रहित होते है, इस उद्योग की पर्याप्त संभावनाएँ बनी हुई है, देश के विभिन्न भागो से हजारों लोगहाथकरघा उद्योग को अपनी जीविका का साधन मानकर कार्य कर रहें है। यह पीढ़ी दर पीढी सदियों से चही आ रही कलात्मक कुशलता को जीवंत बनाये रखने एवं इसके उत्तरोत्तर विकास के लिए देश के कई राज्यों मे हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम/संचालनालय का गठन कर इसे चुनौतियो का सामना करना पड रहा है। इतना ही नही बल्कि उत्भोक्ता की पसंद प्राथमिकता में भी बदलाव आया है जिसके चलते हाथकरघा क्षेत्र का अस्तित्व खतरे में पडता नजर आ रहा है, पुरानी बेकार प्राद्योगिकी, असंगठित उत्पादन प्रणाली, निम्न उत्पादकता, अपर्याप्त कार्यशील पूंजी, उत्पादों की पारंपरिक श्रृंखला, कमजोर विपणन व्यवस्था, स्थिर उत्पादन और बिक्री तथा नई उत्पादन प्रणाली से प्रतिस्पर्धा सहित लोगो के स्वास्थ्य, आय, स्वच्छ वातावरण, की अनूपलब्धता जैसे गंभीर समस्याएँ विद्यमान है। ज्यादा खराब स्थिति महिला एवं बच्चों की है।

यह सर्वविदित है कि हथकरघा उद्योग पूर्णरूपेण परंपरागत कौशल है, जिसे बनकरों द्धारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी अर्जित कर विकसित किया गया है, जो वस्तुत: हमारे कला-कौशल, कला सौष्ठव तथा प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के रूप मे विद्यमान है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, तो पाश्चात्य देशों की औद्यौगिक क्रांति के पश्चात मशीन युग के प्रारंभ तथा ब्रिटिश-काल के बुनकरों के हथकरघा संकट जैसे झंझावातों से निकल कर भी इस उद्योग ने न केवल अपने अस्तित्व को बचाए रखा है, अपितु समय-समय पर आधुनिक तकनीक का सूत्रपात करते हुए उद्योग के प्राय: सभी क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की है। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि आज हमारे देश में निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं में हथकरघा उत्पादित वस्त्र प्रमुख स्थान पर है। हथकरघा वस्त्र वर्तमान समय में पश्चिमी देशों के अलावा मध्या-पूर्व, दक्षिण-पूर्व तथा जापान आदि देशों को निर्यात हो रहें है और इनकी लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन वृद्धि की ओर है। यही नही भविष्य में भी हथकरघा वस्त्रों के निर्यात की संभावनाएँ अत्यंत उज्जवल है। अत: इस परिप्रेक्ष्य में यह नितांत आवष्यक होगा कि वैश्वीकरण नीति का अनुसरण करते हुए हथकरघा उद्योग को यथोचित संरक्षण तथा प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, ताकि इस उद्योग के माध्यम से दुर्लभ विदेशी मुद्रा निरंतर प्राप्त होती रहे और इस उद्योग में कार्यरत बुनकरों, दलितों, अल्पसंख्यकों का जीवन स्तर तथा आर्थिक स्तर सुधर सकें।

भारत में हाथकरघा उद्योग के विकास हेतु नई तकनीक मानको के अनुरूप प्रशिक्षत बुनकर सहकारी समिति का विकास हाथकरघा निर्यात का गठन, संसाधनो की पर्याप्त उपलब्धता बाजार सृजन के साथ बुनकर को करघों की नई डिजाइनों, तकनीकियों से परिचय कराना जैसे कदम उठाने होगें ताकि ग्रामीण को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारिक हाथों को कार्य उपलब्ध कराया जा सके एवं सहकारिता के माध्यम से यदि इस उद्योग का पूर्ण विकास किया जावें तो गांव में ही एक व्यक्ति को पूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेगे तथा रोजगार की तालाश में गांव से शहरो की ओर होने वाले पलायन को भी रोका जा सकेगा तभी गांधी जी के ग्रामीण विकास की परिकल्पना साकार होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुरूक्षेत्र अगस्त 2014 -0020 ग्रामीण विकास बजट 2014-15 ग्रामीण विकास मंत्रालय, दिल्ली।
2. शोध उपक्रम - छत्तीसगढ़ शोध संस्थान रायपुर (अप्रेल - 2012)।
3. दक्षिण कौशल मासिक पत्रिका अंक दिव्वांक 2014.
4. Dr. M.Sundarapandian Growth and Prospectus of handloom sector in india occasional paper 22 NAMARD Mumbai.
5. हाथकरथा उद्योग की प्रगति - पंकज कुमार राय।
6. वार्षिक रिपोर्ट (2013-14) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) Jan. To March 2018 E-Journal, VOl. IV, Issue XXI

हाथ करघा उद्योग एवं ग्रामीण विकास

डॉ. के.एल.टाण्डेकर* डॉ. ई.व्ही.रेवती**

प्रस्तावना - भारत में 19वी. सदी के वैश्वीकरण और औद्यौगिकरण ने हाथ करघा सहित भारत के पारंपरिक उद्योगो को बर्बाद कर लिया था, इसी वजह से हस्तशिल्प और हस्त निर्मित वस्त्र के क्षेत्र में बड़ी तादात में रोजगार समाप्त हो गए। स्वतंत्रता आदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीय गावों को मजबूत और आत्म निर्भर बनाने पर जोर दिया, उन्होने ग्रामीण दस्तकारी और वस्त्र उद्योग को पुर्नजीवित करने का आव्हान किया जिसके परिणाम स्वरूप आजाद भारत में हस्त शिल्प और बुनाई उद्योग को आर्थिक विकास में एक महत्तवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ।

हाथकरघा उद्योग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के अवसर उपलब्ध कराने तथा विदेशी मुद्रा दर्जन करने में विशेष सहयोग रहा है, जिसकी वजह से विगत दिनों मे हाथकरघा उद्योग की तरफ नीति निर्धारित एवं विकासात्मक कार्य हुए है, भारत का हाथकरघा उद्योग विष्व का सबसे बड़ा हाथकरघा उद्योग है, यह मुख्यत: संगठित क्षेत्र में स्थित है। 1995 की हाथकरघा गणना के अनुसार संभावना एवं ग्रामीणों अंचलो में रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थता के लिहाज से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद हाथकरघा क्षेत्र को दूसरा स्थान प्राप्त है। अनसुचित जाति, अनसुचित जन-जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के लोग शामिल है जिन्हे इस उद्योग से रोजगार मिलता है।

देश के विभिन्न हिस्सो में 95 लाख से 1 करोड़ व्यक्ति शिल्पकार के रूप में हाथकरघा उद्योग में लगें है, देश के कुल उत्पादन में हाथकरघा उद्योग में लगे है। देश के कुल उत्पादन में हाथकरघा क्षेत्र का योगदान लगभग 13 प्रतिशत है। सन 2002-03 के दौरान भारत के निर्यात आय में 54.4 करोड अमरिकी डालर का योगदान रहा है, भारत में 1950 में अखिल भारतीय हाथकरघा मंडल गनाया गया, वर्तमान में 06 भारतीय हाथकरघा प्राद्योगिकी संस्थान देश में तकनीक प्रशिक्षण, मानव प्रबंधन, नई तकनीक, बुनाई प्रक्रिया में सुधार तथा दक्षता उन्नयन कर इस क्षेत्र में शुद्धीकरण लाने का प्रयास किये जा रहे है। देश के ग्रामीण अंचलों में रोजगार के अधिकारिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्यों से हाथकरघा को राजीव गांधी ग्रामोद्योग मिषन के घटक के रूप में भी सम्मिलित किया गया है।

हाथकरघा उद्योग का क्षेत्र विशाल है तथा ये असंगठित भी है, यह परंपरागत रूप से प्राचीनकाल से चला आ रहा है, विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय होने के साथ इन उद्योगो के उत्पाद 120 से अधिक देशों को निर्यात किये जाते है, जिनमें मुख्यत: जर्मनी, आस्ट्रेलिया , संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, साउदी अरब, स्वीजर लैण्ड प्रमुख है। मशीनीकरण के बढते चलन के बावजूद इसका महत्त्व बढा है, भारत के निर्यात होने वाले कपडों निर्मित वस्तुओं तौलिए, चादर, रूमाल आदि करीब 15 प्रतिशत हिस्सा हाथकरघा उत्पाद का ऐसा ही होता है, देश के प्रमुख निर्यातोन्मुखी उत्पादन केन्द्र तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, प. बंगाल, मध्यप्रदेश, पंजाब में हाथकरघा उद्योग का विशाल समुदाय अर्थात हाथकरघा शिल्पी अधिक संख्या में विद्यमान है।

भारत सरकार ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की दिशा में हाथकरघा को बढावा देने का बीढ़ा उठाया है, इसके तहत् वाराणसी में हाथकरघा व्यापार सुविधा केन्द्र और शिल्प संग्राहलय स्थापित करने के लिए बजट में 50 करोड रू. का प्रावधान किया गया है। वित मंत्री ने यू.पी. के वाराणसी, बरेली, लखनऊ और गुजरात के सुरत, कच्छ बिहार के भागलपुर वस्त्र मैसूर व तमिलनाडु में 200 करोड रू. की लागत से आठ वस्त्र उत्पादनो समूह स्थापित करने की घोषणा की, वित्त मंत्री ने हाथकरघा -हस्तकला के संरक्षण पुनर्उत्थान और प्रलेखन के लिये 30 करोड की लागत से नई दिल्ली में पी.पी.पी. आधार पर हस्तकला अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव किया, उन्होने पशमीना प्रोत्साहन कार्यक्रम और जम्मू कश्मीर के लिए भी 50 करोड रूपये प्रस्तावित किये।

ग्राामीण इलाके में अभी भी बेरोजगारी एक बडी समस्या है। ऐसे में सरकार ने ग्रामीण युवाओं को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में भी पहल की है, ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को बढावा देने के लिये सरकार ने 100 करोड रू. का बजट अलग से आबंटित किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवा स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार शुरू कर सके, सरकार ने इसे नाबार्ड के जरिए भी जोडा है।

तालिका 1 - (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

कुल वस्त्र उत्पादन में होजरी, खादी, उन और रेशम वस्त्रों को छोडकर हाथकरघा, विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र का कुल वस्त्र उत्पादन समिलित है।

हाथकरघा उद्योग अति प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग रहा है, 65 लाख लोगो को रोजगार देने वाले हाथकरघा उद्योग कृषि के बाद देश में दूसरा स्थान है, यह परम्परागत शिल्प इसकी उच्चतम करीगारी और प्रवीणता कुशल भारतीय बुनकर की एक छाप है, अनंतकाल से भारत के हाथ से बने कपडे जग प्रसिद्ध है, सदियो से हाथकरघा का संबंध कपडों से जुडी उत्कृष्ट भारतीय कारीगरो को रोजगार का स्त्रोत उपलब्ध कराने से जोडा जाता रहा है। हाथकरघा क्षेत्र ग्रामीण भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बडा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, यह विभिन्न समुदायों के 4.33 मिलियन लोगो को रोजगार उपलब्ध कराता है जो देश भर में 2.38 मिलियन करघो से जुडे हुए है, यह देश में कपडा उत्पादन में लगभग 15

* प्राचार्य, शासकीय डॉ. बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ (छ.ग.) भारत

3. पर्यावरण के प्रति जागरूकता
4. कीट नासक दवाईयों पर प्रतिबंध
5. पॉलीथीन उपयेाग पर प्रतिबंध
6. अवैध उत्खनन पर रोक
7. ई रिक्शा के चलन पर जोर

उपचारात्मक भूमिका–इसका अर्थ है कि व्यावसायिक इकाईयॉ पर्यावरण को पहुॅची हानि को संशोधित करने या सुधरने में सहायता करें। साथ ही यह ही यह प्रदूषण को नियंत्रित करना संभव न हो तो उसके निवारण के लिए उपचारात्मक कदम उठा लेने चाहिए। उदाहरणक लिए वृक्षारोपण वनरोपण कार्यकमबद्ध से औद्योगिक इकाईयों के आसपास के वातावरण में वायु प्रदूषण को कम दिया जा सकता है।

जागरूकता संबंधी भूमिका–इसका अर्थ है लोगों को (कर्मचारियों तथा जनता दोनेां कों) पर्यावरण प्रदूषण के कारण तथा परिणामों के संबंध में जागरूक बनाएॅ ताकि वे पर्यावरण को नुकसान पहुॅचाने की बजाय ऐच्छिक रूप से पर्यावरण की रक्षा करसकें। उदाहरण के लिए व्यवसाय जगरूकता कार्यकमों का आयोजन करें। आजकल कुछ व्यावसायिक इकाईयां शहरों में पार्को के विकास तथा रखरखाव की जिम्मेदारियॉ उठा रही है, जिससे पता चलता है कि वे पर्यावरण के प्रति जागरूक है।

निष्कर्ष

उपरोक्त तयों के अध्ययन के उपरोक्त सामान्य निष्कर्ष सही निकलता है कि पर्यावरण हमारे जीवन का अनिवार्य अविन्न अंग है जिसके उचित संबंधित संरक्षण एवं परिमार्जन नहीं करने से उनमें अवाछनीय परिवर्तन आता है, जो निकट भविष्य के लिये बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा अतः मानव जीवनक` लिये इन पर्यावरण प्रदुषण की समस्याओं से निजात पाने के लिये एक कदम पर्यावरण के बचाव के लिये उढाने की आवश्यकता है इसके लिये मेरा सुझाव हे।

*****

पर्यावरण प्रदूषण

*डॉ. दिनेश कुमार वर्मा
शा0महा0 गाड़ासरई जि0 डिंडोरी
**डॉ. के.एल. टाण्डेकर
प्राचार्य शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय डोंगरगांव

प्रस्तावना

इस पूरे ब्रह्माण्ड में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा गृह है जहां जिंदगी के सभी संसाधन उपलब्ध है इस ग्रह ने हमें जिंदगी दी और हमने इस ग्रह को प्रदूषित किया इस से तो बेहतर है की हम इस ग्रह को बदलने की कोशिश ही न करें, हम दशकों से पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे है, हम सभी इसी ग्रह पर रहते है इसीलिये हमारी यह जवाबदारी है की हम इसे स्वस्थ और प्रदूषण रहित रखे लेकिन हम अपने दैनिक कामों को चलते इतने व्यस्त हो गये की हम हमारी जिम्मेदारियों को ही भूल गये, साफ पानी और शुद्ध हवा हमारी स्वस्थ जिंदगी के लिये बहुत जरूरी है लेकिन आज के आधुनिक युग में इन दो में से एक भी संसाधन साफ और शुद्ध नहीं अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले सालों में इस गरह पर कोई जिंदगी नहीं रहेगी।

पर्यावरण प्रदुषण

प्रदूषण शब्द का अर्थ होता है चीजों को गन्दा करना वर्तमान में हम खतरनाक रूप से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से घिरे हुए है, ओर यह समस्या भविष्य में हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती हे , इस भयंकर सामाजिक समस्या का मुख्य कारण हैं औद्योगीकरण वनों की कटाई और शहरीकरण प्राकृति

संसाधन को गन्दा करने वाले उत्पाद जो की सामान्य जीवन कीह दैनिक जरूरतों के रूप इस्तेमाल की जाती है, रास्तों पर गाडियों का ज्यादा उपयेाग होने से पेट्रोल और डीजल का भी ज्यादा अपव्यय होगा और गाडियों से निकलने वाले धुए से वायु प्रदूषण होता है ।

प्रदूषण के प्रकार एवं मानव जीवन पर इसका प्रभाव

प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार निम्नवत है–

वातावरण में रसायन तथा अन्य सूक्ष्म कणों के मिश्रण को वायु प्रदुषण कहते है । सामान्य वायु प्रदुषण कार्बन मोनोआक्साइड, सल्फर डाइआक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सी एफ.सी) और उद्योग और मोटर वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन आक्साइड जैसे प्रदूषकों से होता है । धुओंसा वायु प्रदुषण का परिणाम है । धूल और मिट्टी के सूक्ष्म कण सांस के साथ फेफडों में पहुंचकर कई बीमारियॉं पैदा कर सकते है ।

जल प्रदूषण– जल में अनुपचारित घरेलू सीवेज के निर्वहन और क्लोरीन जैसे रासायनिक, प्रदूषकों के मिलने से जल प्रदूषण फैलता है । जल प्रदूषण पौधों और पानी में रहने वलो जीवों के लिये हानिकारक होता है ।

मृदा प्रदूषण–कीट नासक दवाओं व रसायनिक खाद का छिडकाव जिससे मृदा प्रदूषण फैलता हैं उर्वरा शक्ति का क्षरण होता हे ।

ध्वनि प्रदूषण–अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचय्रा बाधित हो और सुनने में अप्रिय लगे ध्वनि प्रदूषण कहलाता है । परमाणु उर्जा उत्पादन और परमाणु हथियारों के अनुसंधान , निर्माता और तैनाती के दौरान उत्पन्न होता है ।

पर्यावरण प्रदूषण बढने के कारण –

- उत्पदान इकाईयों से निकलने वाली गैसों और धुएं से
- मशीनों, वाहनों आदि के उपयोग से ध्वनि प्रदूषण के रूप में
- औद्योगिकीकरण इकाईयों को स्थापित करने के लिए वनेां की कटाई से
- औद्योगिकीरण तथा शहरीकरण के विकास से
- नदियों तथा नहरों में कचरे तथा हानिकारक पदार्थो के विसरजन से
- ठोस कचरे को खुली हवा में फेंकने से
- खनन तथा खदान संबंधी गतिविधियों से
- परिवहन के बढते हुए उपयेाग से।

पर्यावरण प्रदुषण के समाधान के उपाय–

1. मानव निर्मित कृत्रिम गड्डों में अपशिष्ट पदार्थो को डालना।
2. वृक्षारोपण।

(8) Jan - 2018

ISSN 0970-1745
SLRF Impect Factor 2.364

Shodh

An International Refereed & Peer-Reviewed Research Journal Related to Higher Education for all Subjects

प्रधान संपादक
डॉ० सुरेन्द्र पाण्डेय

मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण वह समाज से अलग नही रह सकता किन्तु परम्परागत व्यवसाय के स्थान पर वह व्यवसाय मजदूरी, बीडी बनाना, किराना जैसे अन्य सहायक व्यवसाय की ओर आकृष्ट हुआ, किन्तु परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तन ने बेरोजगारी, आर्थिक असंतुलन, सामाजिक असुतुलन, जैसे हानिकारक प्रभाव को जन्म दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संघर्ष आर्थिक अनिश्चिता, पलायनवादी, शहरीकरण में वृद्धि गंदी बस्ती का निमार्ण जैसी अनेकों असुंतलनकारी प्रवृत्तियों को जन्म दिया है।

छत्तीसगढ़ क्षेत्र में परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तन का जो उल्लेखनीय तथ्य रहा, वह यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में चर्म व्यवसाय छोड़ने के बाद यहाँ प्रतिस्थापनी व्यवसाय के रुप में बीडी उद्योग का तेजी से विकास हुआ किन्तु बस्तर में परिवर्तन की गति थोडी धीमी रही। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन के संबंध में काफी भिन्नताएँ विद्यमान रही जहाँ एक ओर राजनांदगांव जिले में चर्म व्यवसाय के स्थान पर कृषि एवं बीडी उद्योग श्रमिक के रुप में आकर्षण बढा वही दुर्ग जिले में यह आकर्षण औद्योगिक मजदूर के रुप में सामने आया किन्तु रायपुर में यह प्रवृत्ति मिश्रित रुप में रही, जबकि बिलासपुर में सतनामी बाहुल समाज होने के कारण विरादरी पंचायतों का कठोर प्रतिबंध चर्म व्यवसाय को परिवर्तन में काफी सहायक सिद्ध हुआ और अधिकांश चर्म शिल्पी ने कृषक या कृषि मजदूर एवं उत्खनन मजदूर के रुप में व्यवसाय परिवर्तनशीलता की प्रवृत्ति रही जबकि बस्तर में व्यवसायिक परिवर्तन-शीलता की गति धीमी रही।

अध्ययन के दौरान पीढी दर पीढी चर्म व्यवसाय में चर्म शिल्पियों के बच्चों, चर्म व्यवसायिक परिवर्तनशीलता के दृष्टिकोण का भी अध्ययन किया गया जिसके निम्नलिखित परिणाम आऍ।

तालिका 2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

इस तरह अध्ययन से सपष्ट होता है कि 15.8 प्रतिशत बच्चे ऐसे है जो परम्परागत व्यवसाय को पसंद करते है जबकि72.8 प्रतिशत बच्चो ने अपने पैतृक व्यवसाय को नकार दिया है और 11.4 प्रतिशत बच्चों के विचार अस्पष्ट है, परम्परागत व्यवसाय के प्रति नकारात्मक सोच बच्चों में पैदा होने के मुख्य कारण आर्थिक रहा है ऐसे बच्चो का प्रतिशत 61.26 प्रतिशत है जबकि मात्र 5.77 प्रतिशत ऐसे है जो सामाजिक और आर्थिक दोनों कारणो को इसके लिए जिम्मेदार मानते है।

चर्म व्यवसाय से परिवर्तन के पश्चात् चर्म शिल्पियों का झुकाव किन क्षेत्रों में सर्वाधिक रहा इस बात के अध्ययन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय प्रारंभ करने वाले चर्मकारों की प्रवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन तालिका द्वारा स्पष्ट है।

तालिका 3 : परम्परागत चर्म शिल्प व्यवसाय को छोडकर अन्य व्यवसाय की ओर जाने की प्रवृत्ति प्रतिशत में

क्र.	व्यवसाय क्षेत्र	परम्परागत चर्म शिल्प व्यवसाय को छोडकर अन्य व्यवसाय में जाने की प्रवृत्ति का प्रतिशत
1	कपड़ा	07
2	मनिहारी	03
3	कृषि	10
4	मजदूरी	32
5	पशुपालन	03
6	बीड़ी मजदूरी	20
7	अन्य	25
	योग	100

उपरोक्त तालिका विवरण से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में परम्परागत चर्म शिल्प व्यवसाय को छोडकर अन्य व्यवसायों में सर्वाधिक मजदूरी, बीड़ी मजदूरी एवं अन्य क्षेत्रों में मजदूरी के रुप में स्थपित हुए है कृषि एवं अन्य क्षेत्रों का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा इसका मुख्य कारण यह रहा कि चर्म व्यवसाय में लगे चर्म शिल्पी आर्थिक रुप से विफल होने के कारण अन्य पूंजीगत व्यवसाय प्रारंभ करने में असक्षम है।

परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तन को रोकने के लिए यद्यपि चर्म व्यवसाय के विकास में कार्यरत विभिन्न वित्तीय एवं प्रेरक संस्थाऍ यथा, म.प्र. लेदर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल, छत्तीसगढ़ राज्य लघु उद्योग निगम, छ.ग. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग बम्बई, हाथकरघा विभाग, जिला उद्योग केन्द्र म.प्र. एवं छ.ग. हस्तशिल्प विकास निगम, छ.ग. अन्तयव्यवसायी विकास निगम एवं अन्य बैंकिंग संस्थाऍ कार्य कर रही है किन्तु इन संस्थाओं से चर्म शिल्पियों को पर्याप्त आर्थिक सहायता नही मिल पाती कि वे अपने व्यवसाय को लाभदायक व्यवसाय के रुप में परिवर्तित कर सके, आवश्यकता इस बात की है कि यदि परिवर्तनशीलता की प्रवृत्ति को यदि रोकना है तो सस्ती पूंजी प्रशिक्षण, शिक्षा का प्रसार, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए जागरुकता निर्माण जैसे ठोस कदम उठाकर इस व्यवसाय को एक छत के नीचे संगठित व्यवसाय का स्वरुप देना होगा, तभी इनको गरीबी और शोषण से बचाया जा सकेगा और इनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करके छत्तीसगढ़ के इस परम्परागत उद्योग को बचाय जा सकेगा जो आज कृषि के पूरक व्यवसाय क रुप में विकसित हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उद्यमिता म.प्र. लैदर जन. 1991 डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड भोपाल।
2. शोध उपक्रम छ.ग. शोध संस्थान रायपुर।
3. योजना 1954 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पटियाला हाउस नई दिल्ली।
4. शोध उपक्रम 2009- छ.ग. शोध संस्थान रायपुर।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) Oct. to Dec. 2017, E-Journal,Vol. IV, Issue XX

अनुसूचित जाति के चर्मकारो की स्थिति एवं परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तनशीलता की प्रवृत्ति का अध्ययन - छत्तीसगढ़ विशेष संदर्भ में

डॉ.के.एल.टाण्डेकर* डॉ. आर.आर. कोचे**

प्रस्तावना - म.प्र. का पूर्वान्चल नवगठित छत्तीसगढ़ जिसमें वर्तमान में 28 जिले आते है। जहाँ कुल आबादी का 12.20 प्रतिशत अनुसूचित जाति का निवास करता है। जिनका 10 प्रतिशत भाग ग्रामीण अंचल में निवास करता है जिसका मुख्य व्यवसाय एक फसली और अनुत्पादक स्वरुप वाली कृषि है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का 3 प्रतिशत भाग चर्म व्यवसाय में लगा हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक पशुपालन अर्थात कच्चे चमडे की सामग्री का स्त्रोत विद्यमान है, इस क्षेत्र में कुल चर्म शिलपियों का 10.91 प्रतिशत भाग चर्म शवच्छेदन में 31.90 भाग चर्म शोधन में एवं 32.31 प्रतिशत भाग शवच्छेदन एवं चर्मशोधन दोनो कार्यो में लगा हुआ है, शेष भाग चर्मनिर्मित सामग्री में लगा हुआ है अर्थात स्पष्ट है कि यहाँ चर्म शिलपियों का अधिकांश भाग कच्चे चमडे के उत्पादन कार्य में लगा हुआ है जबकि बहुत कम भाग चर्म निर्मित सामग्री का उत्पादनकर्ता है। यहाँ से कच्चा चमडा बडी मात्रा में पडोसी राज्यो महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश के प्रमुख प्रमुख जिले कानपूर, आगरा, लखनऊ, उडीसा, बिहार, गुजरात, आंध्रप्रदेश, कलकत्ता की ओर भेज दिया जाता है, इसका मुख्य कारण यह है कि इस अंचल में चर्म शिल्पी, निर्धन, अशिक्षित, अकुशल एवं परम्परागत स्थिति में विद्यमान है, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है और आज ये चर्म शिल्पी गरीबी एवं शोषण के शिकार बने हुए है, इनकी स्थिति एवं परिवर्तनशीलता का अध्ययन करना इस शोध आलेख का प्रमुख लक्ष्य है।

चर्म व्यवसाय में लगे चर्म शिल्पी विचैलियों के माध्यम से थोडी सी राशि में यहाँ की पर्याप्त कच्ची चर्म सम्पदा का जो कि मध्यप्रदेश के कुल चर्म सम्पदा का 1/3 भाग है बाहर भेज दिया जाता है इसके अलावा यहाँ प्रदेश का सर्वाधिक खच्ची खालो का उत्पादन किया जाता है जितनी खालो का यहाँ उत्पादन होता है उसके दो गुने जीवित पशु पडोसी राज्यो को भेज दिये जाते है इस तरह यहाँ चर्म शिल्पी एवं कच्ची चर्म सामग्री की पर्याप्तता के कारण चर्म उद्योग विकास की जो संभावनाएँ विद्यमान है उन विद्यमान संभावनाओं की व्यवहारिक परिणिति संभव नही हो पा रही है इस क्षेत्र में जबकि चर्म निर्मित वस्तुओं का बाजार भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है विशेष कर लौहस्पात उद्योग, आयरन स्पंज, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, जैसे उद्योग यहाँ विद्यमान है जिसमें जुते, ग्लोब का बडी मात्रा में उपयोग किया जाता है ये सामग्री बाहर के बाजारो में मंहगे दामों में हमे प्राप्त होती है किन्तु यदि इसका उत्पादन स्थानीय स्तर पर ही किया जाये तो इसकी लागत 75 प्रतिशत से भी कम आएगी किन्तु छत्तीसगढ़ में इस उद्योग के विकास न होने का प्रमुख कारण यहाँ पर पूंजी का अभाव, अकुशल मानव प्रबंधन, अप्रशिक्षित चर्म शिल्पी, विरादरी पंचयतो का विरोध, एवं व्यवस्था को सामाजिक रुप से घृषित माना जाने के कारण दिन प्रतिदिन इस व्यवसाय की अवनति होते जा रही है।

20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरणों तक परम्परागत रुप से लगे ये चर्म शिल्पी स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं कृषि उपकरण आदि की पूर्ति कर अपना जीवन यापन करते थे, किन्तु वैज्ञानिक प्रगति, बढती फैशन उपभोक्ता की आय, आदत, रुची, फैशन में परिवर्तन जैसे तथ्यों ने ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान चर्म शिल्प व्यवसाय को अवनति की गर्त में ठकेल दिया है, परिमाणतः चर्म शिल्प व्यवसाय में लगे चर्मकर अन्य उद्योग की ओर आकर्षित हो रहे है क्योकि अनार्थिक व्यवसाय, पीढी दर पीढी व्यवसाय में रुची न होने, विरादरी पंचायतो का विरोध जैसे कारण इस परिवर्तन शीलता की प्रवृति को गहन स्वरुप प्रदान करते जा रहा है।

पीढी दर पीढी परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तन शीलता की प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रमुख जिलों से न्यादर्श सर्वेक्षक पद्धति के माध्यम के कुल चर्म शिल्पियों का 10 प्रतिशत संमक एकत्र किया गया प्राप्त संमको के विश्लेषण से जो स्थिति सपष्ट हुई वह निम्न प्रकार की है।

तालिका 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका 1 के विवरण से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में पेशेवर चर्म शिल्पि अपने पेशे से हटकर भूमिहीन कृषक या अन्य रोजमर्रा के व्यवसाय की ओर संलग्न होते जा रहे है, जिसका परिणाम परम्परागत चर्म शिल्प व्यवसाय का नष्ट होना तथा बड़ी मात्रा में पलायन की प्रवित्तयाँ दिखाई पड रही है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि इस व्यवसाय में परिवर्तन के पश्चात् 10 प्रतिशत चर्म शिल्प अपने स्थानीय निवास को छोडकर बाहरी क्षेत्र की ओर पलायन कर गये है। छत्तीसगढ़ में इस कार्य के पलायन के पीछे मुख्य रुप से सामाजिक उपेक्षा, सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक संगठनो द्वारा प्रतिबंध की कार्यवाही प्रमुख रही है, वही सामाजिक सम्मान प्राप्त करने शिक्षा का विकास ऐसे कारण रहे है, जिन्होने चर्म शिल्पियों को पेशेवर व्यवसाय छोडने के लिए बाध्य किया साथ ही साथ धार्मिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक परिवर्तनों ने परंपरागत व्यवसाय परिवर्तनशीलता को जन्म दिया है, बिरादरी पंचायतो को विरोध के परिणाम स्वरुप सर्वाधिक व्यवसाय के परिवर्तनों की प्रवृत्ति मोची/सतनामी समाज को जो छत्तीसगढ़ का बहुसंख्यक के अनुसूचित जाति वर्ग का है में दिखाई दे रही है।

* प्राचार्य, शासकीय डॉ. बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.) भारत

159. An Evaluation of Collection and Trade of MFP in Chhattisgarh State (Dr. Niket Shukla)............... 442
160. A comparative Study of Soft drink and Fruit juices (Dr. Suresh Shrawan Patil) 446
161. सरकारी निगमों में बजट एवं बजट नियंत्रण तंत्र की एक व्यवस्थित समीक्षा.. 450
(सुनील कुमार विश्वकर्मा, डॉ. विकास सराफ)
162. Print Media And The Challenges Of Social Media (Anil Malviya, Dr. Vijay Jain) 455
163. Astudy Of Problems And Expectations Of Teacher Tarining Programme (Dr. Dinesh Kumar)...... 459
164. An Study On Resistance To Change (Sangita Pankaj Hadge) 461
165. आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर उद्योगों का मूल्यांकन (माया पिण्डोलिया) 463
166. विमुद्रीकरण का भारत पर प्रभाव (डॉ. स्वाति शर्मा) 466
167. Share Buybacks: Benefit for Investors (Reliance Industries Ltd.) (Arpita Trivedi)........................ 468
168. Comparative Analysis Of Indian Housing Finance Companies Based On Camel Approach 470
(Dr. Khushbu Jain)
169. Explosive Urbnisation: A by Product of Globalisation (Rachna Mathur) 476
170. A Descriptive Study of Various Financial Inclusion Schemes of Narmada Jhabua...................... 479
Gramin Bank From Year 2014 To 2017 (Dr. Vijay Grewal, Prof. Deepali Gupta)
171. भारतीय कूटनीति का बदलता स्वरूप : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में (डॉ. रमा सिंह) 485
172. Migration and Urbanization in the City of Saharsa (Dr. Birendra Prasad Yadav).......................... 487
173. पर्यावरण सुरक्षा : हमारा दायित्व(डॉ. सन्ध्या श्रीवास्तव) 491
174. ललित कलाओं द्वारा तनाव प्रबन्धन (डॉ. इभा सिरोठिया) 494
175. छन्द एवं ताल (डॉ. इला मालवीय) 496
176. वर्तमान उच्च शिक्षा स्तर में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता (डॉ. मधुरिमा वर्मा) 498
177. Internet Usage in Rural Madhya Pradesh (Dr. Krishnakant Sharma) 501
178. Multimedia in Different Disciplines (Shweta Warring, Dr. Rakesh Katara) 507
179. छत्तीसगढ़ राज्य में वन स्थिति एवं लघु वनोपज के उत्पादन एवं विपणन का अध्ययन (राकेश कुमार गिरि) 509
180. पंचायती राज एवं 73 वां संविधान संशोधन (डॉ. तहसीलदार तमोली)... 513
181. भारत में लोकतन्त्र का भविष्य (डॉ. विनोद कुमार सिंह)... 515
182. भारत में रोजगार सृजन के रूप में लघु उद्योगों की भूमिका (जुनेद नागौरी) 518
183. अनुसूचित जाति के चर्मकारो की स्थिति एवं परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तनशीलता की प्रवृत्ति का अध्ययन – 521
छत्तीसगढ़ विशेष संदर्भ में (डॉ. के. एल. टाण्डेकर, डॉ.आर.आर. कोचे)

मुख्यधारा में आने का अवसर प्राप्त हो सकें। नवा अंजोर परियोजना मुख्यतः सहभागिता, सशक्तिकरण, विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता और परस्पर सहयोग पर आधारित है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पलायन करने वाले, सीमान्त-भूमिहीन किसान परिवार एवं महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है।

जिले का नाम	परियोजना क्षेत्र में शामिल विकासखंड	कुल ग्राम पंचायते
रायपुर	धरसींवा, तिल्दा, आरंग, छुरा	209
धमतरी	धमतरी, कुरूद, मगरलोड	183
महासमुंद	महासमुंद, बसना, सरायपाली	150
दुर्ग	दुर्ग, गुण्डरदेही, डौण्डीलोहारा, नवागढ़	212
राजनांदगांव	डोंगरगांव, अम्बागढ़ चौकी, छुरिया	171
कबीरधाम	कवर्धा	62
बिलासपुर	बिल्हा, कोटा, मस्तुरी, पेण्ड्रा	183
कोरिया	बैकुंठपुर	50
कोरबा	करतला	50
जांजगीर चांपा	सक्ती	50
रायगढ़	रायगढ़, तमनार, धरमजयगढ़	150
सरगुजा	वाड्रफनगर, रामचन्द्रपुर, ओडगी, कुसमी	196
जशपुर	जशपुर, बगीचा, फरसाबहार	141
बस्तर	बस्तर	55
कांकेर	भानुप्रतापपुर, चारामा, अन्तागढ़	141
दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	31

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से माह जून 2004 में योजना प्रारंभ की गई। लगभग 617.25 करोड़ रूपये की योजना जिसमें 558 करोड़ रूपये विश्व बैंक से और शेष 59.25 करोड़ रूप में राज्य शासन द्वारा लगाया जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन प्रथम चरण के तहत प्रदेश के 16 जिलो के 40 विकासखण्डो के 2000 ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। पांच वर्ष की योजना अवधि में 1 लाख गरीब परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना अवधि वर्ष 2005 से 2010 तक है।

परियोजना की कुल लागत का विभिन्न मदो में व्यय का विवरण निम्नानुसार है -

कार्य का नाम	राशि (लाखो में)	प्रतिशत
ग्राम निवेश	50351.73	81.57
मानव संसाधन विकास	2133.18	3.45
ग्राम पंचायतो का सुदृढीकरण	3268.18	5.29
परियोजना क्रियान्वयन	3180.57	5.15
प्रचार-प्रसार	740.31	1.79
मानिटरिंग लर्निंग	586.31	0.94
परियोजना प्रशासक	1464.16	2.37
कुल -	61725.01	100.00

स्रोत - कार्यालय छ.ग. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना रायपुर

परियोजना की 81 प्रतिशत राशि समुदाय और समुहो की उपयोजनाओ के लिए शेष 19 प्रतिशत राशि परियोजना के संचालन, प्रशिक्षण, मानिटरिंग तथा वतावरण तथा निर्माण के लिए व्यय का प्रावधान रखा गया है।

प्रदेश में नवा अंजोर परियोजना क्रियान्वयन में प्रारंभिक स्तर पर कठिनाईयां आई किन्तु इससे उबरकर यह तेजी से अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है। जून 2004 में न्यूनतम मैदानी अमले के साथ योजना शुरू तो हुई किन्तु अब विभिन्न पदो पर प्रतिनियुक्ति एवं संविदा नियुक्ति के माध्यम से अमले का पदस्थापना की जा चुकी है। परियोजना के विभिन्न मदो में अब तक कई उपलब्धियां हासिल की गई है। कुल 2784 समहित समूह का गठन कुल 15375 परिवारों को आर्थिक गतिविधि संचालन के लिए राशि उपलब्ध कराई गई इन परिवारों में 5215 अनु.जनजाति तथा 2100 अनु.जाति 6441 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 1619 सामान्य वर्ग के लोग है। इन समूह को अब तक आर्थिक सहायता के रूप में वर्ष 2004-05 मे 355.06 लाख, वर्ष 2005-06 में 1892.74 लाख इस प्रकार कुल 2247.80 लाख रूपये स्वीकृत किए गये। ग्राम पंचायत अधोसंरचना विकास एवं उपयोजना मद में 2329.85 लाख की लागत के 1562 निर्माण कार्य स्वीकृति दी गई जिनमें 863 गली क्रांकिटीकरण 162 पुलिया निर्माण, 99 पचरीकरण, 79 पंचायत भवन निर्माण, 79 पम्प हाउस, 50 खेल मैदान समतलीकरण, 56 नाली निर्माण, 50 मुक्तिधाम शामिल है। यह निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति परियोजना की सार्थकता को स्पष्ट करता है। आज प्रदेश में कुल 580 महिला समहित समूह गठित हुए है, जिनमें 77 अनुजाति, 188 अनु जनजाति, 102 अन्य पिछड़ा वर्ग और 219 सामान्य वर्ग की महिलाओं के समूह है। इनमें कुल 3708 महिला सदस्य है।

प्रदेश में नवा अंजोर परियोजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण विकास में वृद्धि के साथ साथ लोगो की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन परिलक्षित हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छता के प्रति लोगों की सोच सकारात्मक हुई है। इतना ही नहीं परियोजना की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक उन्नयन का वातावरण निर्मित हुआ है। प्रदेश की सबसे बडी पलायन की समस्या का समाधान इसी योजना में निहित प्रतीत होता है। सहभागिता, समानता और विकेन्द्रीकरण को बल मिलेगा, प्रदेश के आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव आएगा।

योजना के क्रियान्वयन में लोगो की अशिक्षा, रूढ़ीवादिता, आपसी अलगाव व्यवसायिक ज्ञान की कमी परस्पर सद्विश्वास का अभाव प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान का अभाव तथा योजनामद के दुरूपयोग जैसे कारक इसे सफल होने में बाधक हो सकते है। अतः योजना शेष सभी विकासखण्डों में भी प्रारंभ की जावे उचित प्रशिक्षण मानिटरिंग, मूल्यांकन सतत् प्रक्रिया के तहत संम्पादित किया जावे, उत्पादित वस्तुओं के विपणन की समुचित व्यवस्था ग्राम स्तर पर ही किया जाए एवं आर्थिक सहयोग की राशि वर्तमान परिवेश को ध्यान रखते हुए बढ़ाना उचित होगा। तभी छ.ग. प्रदेश आर्थिक सामाजिक रूप से सक्षम बन सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नवा अंजोर बढ़ते कदम - छ.ग. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विभाग
2. छ.ग. स्वप्न से यथार्थ की ओर देशबंधू विशेषांक अप्रेल 2006
3. योजना विशेषांक - 2008 अगस्त व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञान) प्रकाशन विभाग नई दिल्ली
4. State Credit Plan 2009-10, Finance Department, Mantralaya Campus Raipur (C.G.)

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) Oct. to Dec. 2017, E-Journal,Vol. IV, Issue XX

ग्रामीण विकास में 'नवा अंजोर' परियोजना - एक अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में)

डॉ.ई.व्ही.रेवती* डॉ.के.एल.टाण्डेकर**

प्रस्तावना - 1 नवम्बर सन 2000 को पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश से गठित छत्तीसगढ राज्य में कुल 19720 आबाद ग्राम है, जिसमें से 48% अर्थात 9500 गांवो में आधे से अधिक आबादी अनुसूचित जाति/जनजाति की है। ग्रामीण जनता की आबादी 82% से अधिक है। राज्य में सुदृढ़ प्रशासन एव कानून व्यवस्था और पंचायती राज्यव्यवस्था है, फिर भी नागरिको की आर्थिक, सामाजिक दशा में सुधार के लिए ढेर सारे कार्य किये जाने की आवश्यकता है। वर्ष 1997 को गरीबी रेखा सर्वेक्षण के अनुसार छ.ग. राज्य में 1428748 परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है। जहाँ आज भी मूलभूत सुविधाओं में बिजली 46%, स्वच्छ पेयजल 65%, शौचालय एवं उक्त तीनो सुविधा 52.7% ग्रामो में ही उपलब्ध है। छ.ग. राज्य की बडी आबादी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो में आज भी विकास की दौड़ में पिछडी हुई है। प्रदेश को प्रगति पथ पर लाने एवं विकास को तेज गति देने के लिए जरूरी है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो को आर्थिक स्थिति के आधार पर मजबूत किया जाये। ग्रामीण भाई-बहनो की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्य में छ.ग. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना 'नवा अंजोर' की शुरूआत की गई है।

हमारा प्रदेश गांवो का प्रदेश है, सामान्यत: गांवों की सामाजिक व्यवस्था में बड़ा किसान मालगुजार, मध्यम किसान, सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर पलायन करने वाले मजदूर दिखाई देते है, इनमें से अधिकांश व्यक्ति अपने नियमित काम-काज के बारे में चिंतित रहते है। गांव में रहने वाले किसान मजदूर अनु जाति, अनु.जनजाति परिवारो, कमजोर गरीब परिवारों का आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार आवश्यक है, वास्तव में इनके पास अपनी आमदनी बढ़ाने की सोच तो है, परंतु आवश्यक पंजी एवं साधनो की कमी रहती है। ग्रामीणजन प्राय: जादू टोना, टोनहीं प्रथा, झाड-फूक आदि अंधविश्वास, बाल-विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों में जकड़े होने तथा आपसी वाद-विवाद, जमीन-जायदाद, न्यायालयीन प्रकरणों के कारण उधारी में जकडे हुए है। ग्रामीणो को प्राय: आवश्यकता पड़ने पर अपने पडोसी रिश्तेदार साहूकार, मालगुजार, नौकरी पेशा वालो से एवं व्यापारी वर्ग आदि से उंचे व्याजदर पर ऋण लेना पड़ता जिन्हें आज पर्यन्त ऋण के बदले में जमीन, जेवर गिरीवी रखने पड़ते है। ग्रामीणो को ऋण के बदले में जमीन, जेवर गिरवी रखने पड़ते है। यही ग्रामीणों की निर्धनता का महत्वपूर्ण कारण है। साथ ही बुरी आदते भी इन्हे आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में बाधक है।

प्रदेश के आर्थिक विकास को मजबूती देने में ग्रामीण क्षेत्रो में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन एवं गरीबी दूर करने के लिए यह जरूरी है कि ग्रामीण जनो के परंपरागत व्यवसाय को सुनिश्चित रखते हुए आज की जरूरतो के मुताबिक आवश्यक बदलाव लाएं एवं इन्हे आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभकारी बनाये। इसी परिप्रेक्ष्य में छ.ग. राज्य में गरीबी उन्मूलन परियोजना का शुभारंभ किया गया।

छ.ग. प्रदेश की कुल जनसंख्या 2,0833803 है जो देश की जनसंख्या का 2.03 प्रतिशत है। इसमें पुरुष 10474218 एवं महिला 10359585 की संख्या है, प्रदेश में कुल 20796 ग्राम तथा 9810 ग्राम पंचायते है। कुल ग्रामों में 48 प्रतिशत से अधिक ग्राम में अनुजाति, जनजाति की आबादी है। 1997 के सर्वेक्षण अनुसार राज्य में 1428748 परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे। आज पूरे देश के सामने गरीबी उन्मूलन एक चुनौती है । छ.ग. सरकार ने इस चुनौती से निपटने 'नवा अंजोर' परियोजना को हाथ में लिया है। यह परियोजना समाज से गरीबी दूर करने गांवों की क्षमता का विकास स्थानीय स्तर पर ही आय के अवसर की उपलब्धता, भूमिहीन, गरीब, साधनहीन के जीवनस्तर में सुधार लाने गरीबो को विशेषकर महिलाओं को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जिससे की वे अपना विकास कर सके एवं सतत् रूप से इनकी स्थिति में सुधार हो सके जैसे उदेश्यों को ध्यान में रखकर योजना का सवाल किया जा रहा है। परियोजना की रणनीति के तहत साधनहीन लोगो का समूह गठित कर राशि खाते में उपलब्ध कराई जाती है, परियोजना में पुरूषों के, महिलाओं के अथवा पुरा गांव का गांव भी समूह बन सकता है। किन्तु समूह में कम से कम 5 परिवारो का होना आवश्यक है। समूह के अन्दर सदस्य को अधिकतम 30 हजार रूपये के मान से राशि देय होती है। यह राशि समाजिक गतिविधियों का लिए प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग समूह द्वारा 5 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा।

समाहित समूह कामकाज को अपनी जरूरबी के आधार पर करेंगे समूह प्राय: कृषि कार्य उढारी राजमिस्त्री, फीचर कार्य, ट्यूबवेल, कुंआ एवं पंप मत्स्य पालन, फोटोग्राफी, किराना दुकान, बोकशाला, बैण्ड पार्टी, हालर मिल, अगरबत्ती निर्माण, वनोपज से संबंधित कार्य खपरा निर्माण, डेड-डबलरोटी निर्माण, ईटभट्टा, खदान, मुर्गीपालन, बकरी पालन गतिविधियां के अतिरिक्त ग्राम पंचायत अधोसंरचना विकास जैसे कार्य कर सकते है।

परियोजना का कार्यक्षेत्र - नवा अंजोर परियोजना प्रदेश के आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछडे एवं संसाधनों की कमी वाले चयनित विकासखंडों के अंतर्गत गांवो में संचालित की जा रही है, ताकि वहां के लोगो को भी

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
** प्राचार्य, शासकीय बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.) भारत

159. An Evaluation of Collection and Trade of MFP in Chhattisgarh State (Dr. Niket Shukla) 442
160. A comparative Study of Soft drink and Fruit juices (Dr. Suresh Shrawan Patil) 446
161. सरकारी निगमों में बजट एवं बजट नियंत्रण तंत्र की एक व्यवस्थित समीक्षा 450
(सुनील कुमार विश्वकर्मा, डॉ. विकास सराफ)
162. Print Media And The Challenges Of Social Media (Anil Malviya, Dr. Vijay Jain) 455
163. Astudy Of Problems And Expectations Of Teacher Tarining Programme (Dr. Dinesh Kumar) 459
164. An Study On Resistance To Change (Sangita Pankaj Hadge) 461
165. आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर उद्योगों का मूल्यांकन (माया पिण्डोलिया) 463
166. विमुद्रीकरण का भारत पर प्रभाव (डॉ. स्वाति शर्मा) 466
167. Share Buybacks: Benefit for Investors (Reliance Industries Ltd.) (Arpita Trivedi) 468
168. Comparative Analysis Of Indian Housing Finance Companies Based On Camel Approach 470
(Dr. Khushbu Jain)
169. Explosive Urbnisation: A by Product of Globalisation (Rachna Mathur) 476
170. A Descriptive Study of Various Financial Inclusion Schemes of Narmada Jhabua 479
Gramin Bank From Year 2014 To 2017 (Dr. Vijay Grewal, Prof. Deepali Gupta)
171. भारतीय कूटनीति का बदलता स्वरूप : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में (डॉ. रमा सिंह) 485
172. Migration and Urbanization in the City of Saharsa (Dr. Birendra Prasad Yadav) 487
173. पर्यावरण सुरक्षा : हमारा दायित्व(डॉ. सन्ध्या श्रीवास्तव) 491
174. ललित कलाओं द्वारा तनाव प्रबन्धन (डॉ. इभा सिरोठिया) 494
175. छन्द एवं ताल (डॉ. इला मालवीय) 496
176. वर्तमान उच्च शिक्षा स्तर में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता (डॉ. मधुरिमा वर्मा) 498
177. Internet Usage in Rural Madhya Pradesh (Dr. Krishnakant Sharma) 501
178. Multimedia in Different Disciplines (Shweta Warring, Dr. Rakesh Katara) 507
179. छत्तीसगढ़ राज्य में वन स्थिति एवं लघु वनोपज के उत्पादन एवं विपणन का अध्ययन (राकेश कुमार गिरि) 509
180. पंचायती राज एवं 73 वां संविधान संशोधन (डॉ. तहसीलदार तमोली) 513
181. भारत में लोकतन्त्र का भविष्य (डॉ. विनोद कुमार सिंह) 515
182. भारत में रोजगार सृजन के रूप में लघु उद्योगों की भूमिका (जुनेद नागौरी) 518
183. अनुसूचित जाति के चर्मकारो की स्थिति एवं परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तनशीलता की प्रवृत्ति का अध्ययन – 521
छत्तीसगढ़ विशेष संदर्भ में (डॉ. के. एल. टाण्डेकर, डॉ.आर.आर. कोचे)
184. The Effect of Education System on Spiritual Intelligence and Psychological Well-being of......... 524
music Students: A comparative study of Gurukul and Government School (Dr. Sunita Shrimali)
185. भारतेन्दु की भाष्य दृष्टि (संजीव मिश्र) 529
186. ग्रामीण विकास में 'नवा अंजोर' परियोजना – एक अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में) 531
(डॉ.ई.व्ही.रेवती, डॉ.के.एल.टाण्डेकर)

विभाग के द्वारा विभिन्न रोजगार मूलभूत व्यवसायो लिए हितग्राहियों को वितरित ऋण एवं वसूली से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है।

तालिका 3 (निचे देखे)

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न आर्थिक योजनाओं के अंतर्गत लक्षित वर्ग विशेषकर अनुसुचिज जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, सफाई कामगारों एवं अल्प संख्यक वर्गो के जरूरत मंदो को उन्हे स्वरोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से राजनांदगांव जिले में संचालित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. राजनांदगांव द्वारा दिसम्बर 2008 तक कुल 442 व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों को ऋण 51006713 रूपये ऋण का तिरण किया गया था, शासन के द्वारा इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं हितग्राही की आर्थिक मदद को ध्यान में रखते हुए 20 से 25 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। अनुदान उपरांत रूपये 41900817.00 वसूली योग राशि का अनुमान किया गया किंतु दिसम्बर 2008 तक इसके विरूद्ध 35 प्रतिशत ही वसूली हो सकी तथा 65 प्रतिशत वसूली योग राशि हितग्राही पा रहा है, कारण यह है कि लक्ष्य के अनुरूप मात्र 54 प्रतिशत उपलब्धि से अन समुदाय के विकास की कल्पना महज औपचारिकता होगी। जिले में यदि इन वर्गो का सर्वांगीण विकास कर इन्हे व्यवसाय तथा रोजगार उपलब्ध कराना है तो लक्ष्य में वृद्धि कर शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करना होगा, इसके लिए वित्त पोषक संस्थाओं को अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जिला प्रषासन स्वासी एवं ग्रामोद्योग विभाग जिला कार्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)।
2. उद्यमिता समाचार पत्र, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र.।
3. जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, राजनांदगांव (छ.ग)।
4. कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति राजनांदगांव (छ.ग) वार्षिक प्रतिवेदन।
5. कुरूक्षेत्र मार्च 2002, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।

तालिका 2 : लाभान्वित हितग्राही का विवरण वर्गवार

वर्ष	अनु.जाति	अ.ज.जाति	पिछडा वर्ग	अल्पसंख्यक	सफाई	अन्तादेय	विकलांग
2004-05	21	165	12	8	63	75	1
2005-06	19	15	5	15	55	240	0
2006-07	23	08	0	01	02	75	0
2007-08	21	115	26	03	0	212	0
2008-09	34	135	12	0	29	212	0
योग	118	438	55	27	149	814	01

स्त्रोत जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति राजनांदगांव (छ.ग.)

तालिका 3 : हितग्राहियों को वितरित ऋण एवं वसूली का विवरण

वर्ग	लाभान्वित हितग्राही की संख्या	वितरित ऋण	वसूलियों योग राशि	प्रारंभ से दिसम्बर 2008 तक वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
अनु. जाति	86	15030785	12226285	2820254	9406031
अनु. जनजाति	45	18076197	17047770	3303608	13741462
अन्य पिछडा वर्ग	48	3275000	3051250	834927	2216323
सफाई कर्मचारी	217	72623931	7729792	3615640	4114152
अल्प संख्यक वर्ग	46	2000800	1845720	195200	1650520
योग	442	51006713	41900817	10772319	31128488

स्त्रोत जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति राजनांदगांव (छ.ग.)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728) 617
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to Sept. 2017 E-Journal, Vol. III, Issue XIX

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की आर्थिक योजना का क्रियान्वयन (लक्षित वर्ग के लिए) (राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. के.एल.टाण्डेकर* डॉ. मुन्नालाल नंदेश्वर**

प्रस्तावना – वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के प्र्याप्त साधन न होने के कारण युवाओं का रूझान तथा पलायन शहरों की ओर हो रहा है। इससे शहरो में बढती जनसंख्या के कारण शहरी जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है तथा सरकार को समस्त नागरिकों के लिए आवास और मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने मे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अत: ऐसे विभाग तथा संगठन, जिनका कार्य विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार प्रदान करने का है उनकी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे अपनी कार्ययोजना का स्वरूप ग्रामीण अंचल में मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने के साथ-साथ अधिक से अधिक रोजगार सृजन को ध्यान में रखकर करे। इस दिशा में अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम विशेष भूमिका निभा रहा है।

छत्तीसगढ राज्य में कुल आबादी का 31.76 प्रतिशत आदिवासी एवं 11.61 प्रतिशत अनुसुचित जाति वर्ग का है, इन वर्गो के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया, यह नियम गरीबी रेखा से नीचे अंतिम छोर के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दिलाकर स्वावलंबी बनाने के साथ ही सफाई कामगारो एवं पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान हेतु आर्थिक मूलक योजनाओं का क्रियान्वय करता है।

लक्षित वर्गो के बेरोजगार युवको में व्यवसायिक मानसिकता विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न लघु उद्योग तथा व्यापार संबंधी योजनाओं का संचालन निगम द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रो के आवेदकों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है उनकी वार्षिक आय 19750/ - रूपये से अधिक न हो योजना के तहत् अनुदान की पात्रता भी निश्चित की गई है।

राजनांदगांव जिले में योजनाओं का क्रियान्वयन अंत्यावसायी विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र क बेरोजगारों (लक्षित वर्ग) को योजना के तहत् ट्रैक्टर, ट्राली, महिला समृद्धि माईक्रोक्रेडिट लघु ईकाई, सफाई कामगार, व्यक्ति मूलक, जीप, टेक्सी, आटो रिक्सा, मिनी ट्रक, डीजल आटो, बड़ी व्यवसायिक ईकाई, अन्त्योदय स्वरोजगार योजना, आदिवासी स्वरोजगार योजना, टेन्ट हाउस, मिनी माता स्वालम्बन योजना, कृषि उन्नयन, टर्मलोन, शैक्षणिक ऋण, सूअर पालन जैसी आर्थिक मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन कर हितग्राहियो को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे है।

जिले में निवासरत अनुसुचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक, सफाई कामगारों की व्यवसायिक क्षेत्रों में सहभागिता सुनिष्चित कर उन्हे विकास की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास किया जा रहा है। हितग्राहियो को लघु उद्योग व्यवसाय के क्रियान्वयन हेतु वित्त के स्त्रोत (वित्त पोषक संस्थाएँ) मुख्यत: राष्ट्रीय अनुसुचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसुचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त एवं विकास निगम, छ.ग. शासन अनुसुचित जाति वित्त एवं विकास प्राधिकरण, छ.ग. शासन अनुसुचित जनजाति बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण प्रमुख है।

तालिका 1 : राजनांदगांव जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्य, उपलब्धि, वितरित ऋण एवं अनुदान की जानकारी निम्नानुसार है।

क्रं	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	स्वीकृत ऋण	अनुदान
1	2004-05	345	305	11791000	2528750
2	2005-06	349	228	18615119	1637500
3	2006-07	109	36	4277647	765000
4	2007-08	377	113	9695822	810000
5	2008-09	422	190	9815663	1960000
	योग	1602	872	54195251	70101250

निगम द्वरा मियादी ऋण के रूप में अनुसुचित वर्ग हेतु अधिकतम 30 लाख तक एवं अनु. जनजाति वर्ग के लिए 10 लाख रूपये तक तथा पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं साफ-सफाई कामगारो के लिए अधिकतम 5 लाख रूपये की परियोजना स्वीकृत योग्य है। ऋण पर ब्याज दर कम होने से हितग्राहियों का अधिक रूझान योजना के प्रति देखा जा रहा है।

तालिका 2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लक्षित वर्गो को मिल सके इसके लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु कुल हितग्राही का 50 प्रतिशत से अधिक गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगो को विशेष प्रोत्साहन दिया गया वही अनुसुचित जाति, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के मात्र 7 प्रतिशत अनुसुचित तथा 27 प्रतिशत अनु.जनजाति के हितग्राही योजनाओं से लाभान्वित हो सके जो कि जनसंख्या के अनुपात की अपेक्षाकृत कम है। अन्य पिछडा वर्ग के 31 प्रतिशत, सफाई कामगारो के 9 प्रतिशत हितग्राही

* प्राचार्य, शासकीय बाबा साहब भीमराव अम्बेड़कर महाविद्यालय, डोंगरगॉव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
** वरिष्ठ क्रीडा अधिकारी, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) भारत

information worldwide. They are more informed and updated in education field, as well as day to day life in compare to the previous generation. Regarding this point, Reliance Jio is a record maker company in the view of subscribers.

- Overall ranking according to satisfied customers are Reliance Jio got first position, while Reliance Airtel, Vi, and BSNL are in the second third and last position respectively.

References :-

1. Tecor, Jha, "Understanding Mobile Phone Usage Pattern among College-Goers',2008.
2. Batra, S.K. &Kazmi, S. (2008) 'Consumer Behaviour' 2nd edition, EXCEL Books.
3. Debnath, Roma Mitra, 'Benchmarking telecommunication service in Indi' , 2008.
4. Kalwani, Banumathy, 'Consumer's Attitude towards Cell phone Services', 2006.
5. Eshghi, A., Haughton, D., and Topi, H., (2007), 'Determinants of customer loyalty in the wireless telecommunications industry', Telecommunications policy, Volume 31, Issue 2, Pages 93-106.

Websites:

1. www.census 2011.co.in
2. www.wikipedia.in
3. www.thekorbacity.com
4. www.tri.gov.in
5. www.timesofindia.com

Newspapers:

1. Daink Bhaskar Newspaper
2. Haribhoomi Newspaper

****

we have collected the information about the opinion of the respondents towards their cell phone service providers.

Methodology - A sample of 120 respondents were chosen on the random basis, from college going youths related to a renowned private college of Bilaspur city. With the help of questionnaire, the respondents were asked the name of their service provider, and then their opinion about the services of cell phone service provider and what are the positives and negatives points. This information were tabulated and processed through proper statistical methods, and the results were founded. In the result section we were able to draw a rank of the service providers on the basis of their customer's opinion.

Company wise Analysis - There are four main cellular service provider companies in the research area. These all are also well known players in national level. In which 3(Vodafone- Idea, Airtel, Reliance Jio) are belonging to private sector and 1(BSNL) is from government sector.

S.	Name of the service Provider	No. of Resp -ondents	Percentage
1	BSNL	07	5.84%
2	Vodafone-Idea (Vi)	28	23.35%
3	Airtel	36	30%
4	Reliance Jio	49	40.81%
	Total	120	100%

Source: Primary data

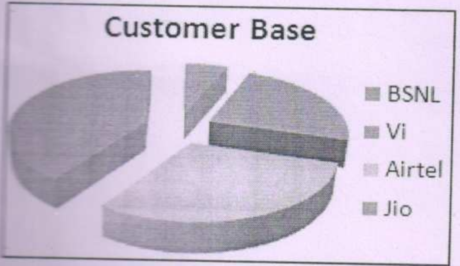

From the above table we can easily understand the current position of the cell phone service provider companies, such as their individual customer base, percentage of the number of customers, and their stake in the total number of the respondents in the research area. With the help of above data we can rank the service provider, as below mentioned manner.

1. **Reliance Jio -** This is a newest service provider of the area, who started his services in November 2016. Jio is a trendsetter company of the cellular sector in India, and providing 4G Volte services in research area. It has a customer base of approx **41%** in research area. Due to the requirement of 4G enabled smart phones and low economical ability, Jio has launched many 4G enabled handsets for the customers, and it has captured the market, as well as first position in our research area. The customers who are using Jio give main reasons such as- faster data speed, better clarity of voice and competitive call rates etc.

2. **Airtel -** Although it is also an old service provider of the area, and started service in year 2005, but the percentage **30%** of customers are using services of the company. So it has got second position in our research area, and same as the BSNL, customers have a strong reason to be with Airtel company, that their numbers are very old and distributed by them to near & dear ones. The Airtel is updating his recharge and data plans according to the market trends, this is another reason that company got second position in

3. **Vodafone-Idea (Vi) -** This is one of the oldest companies on the basis of providing services in research area. It is the alliance of two companies named Vodafone and Idea. Approx **23.35%** of total respondents are using services of **Vi,** so it has got third position in our research study. According to the data collected through questionnaire they are with the idea company from 1 to 4 years. They have not changed or Port their provider even better plans/ tariffs offered by other companies. The customers of **Vi** have many reasons for continue usage of his services such as – It has better network than any other companies, their numbers are very old and provided to their friends and relatives, the company presents better offer time to time, the call rates are reasonable etc.

4. **BSNL -** This is only company of government ownership and providing services since 1998, but surprisingly it has very low customer base. Only **5.84%** respondents are using the services of the company, and they have a single reason that their numbers are very old so they are with the company. It means the customers are with BSNL not only by their choice. So they are not asked for customer satisfaction. The main drawback of the BSNL is that it does not update its services according to the market trends, so it has continuously declined the number of customers, and got last position in our research study.

Conclusion - After analyzing all the information and data collected from the respondents, it is very clear that

- Connectivity is a major issue till today in this area, though our research area is a non tribal or normal area, but clarity of voice and call drop is a real problem. On the basis bases of this point, Reliace Jio has been ranked first by youth customers.
- Now a day, majority of the youth are using smart phones instead of basic phones, so uses of multimedia services, internet facility, and data recharge are very common among them. They are habitat of using more data after launching the services of Reliance Jio.
- Another important point has noticed that there is no brand loyalty in users because they change their service providers usually. Mobile number port (MNP) facility is playing an important role in this trend.
- A number of users are using two or more sim at the same time, and they use different numbers during calls, massaging and data usage. Availability of dual or multi sim mobile phone is promoting this tendency of users.
- Internet facility in cell phones empowered youths through knowledge enhancement and access in huge

भारतीय संस्कृति
के
विविध आयाम

संपादक
सुशील कुमार 'भगत'

साहित्य संचय
ISO 9001 : 2015 प्रमाणित प्रकाशन
हम करते हैं समय से संवाद

मानक 2017

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to Sept. 2017 E-Journal, Vol. III, Issue XIX

A Study of Customer Opinion towards Cellular Services With special reference to the Youth of Bilaspur City (C.G.)

Dr. K.L.Tandekar* Shaikh Tasleem Ahmad**

Abstract - This is a research study conducted in a non tribal or normal area named Bilaspur city, which is the second largest city of Chhattisgarh State according to the population as well as the number of cell phone users. Communication sector is one of the most competitive sectors in India, and mobile phones have been included as a basic need in the common men's life. In this study we have tried to know the opinion of the youths of Bilaspur city about their cellular service providers. Only college going youths of a private college of Bilaspur city, had chosen as respondents, on random basis. They were asked the questions related to the experiences of Cell phone services they were using. The researcher had tried to know the customer's reasons behind the selection of service providers, the number of subscribers of different companies, and their percentage also, in a sample of 120 respondents. Reliance Jio, Airtel, Vodafone-Idea and BSNL are the cellular service providers of the research area, and they got the position of First, second, third and last respectively. Data speed, data limit provided by the companies, recharge plans were the determining factors for the decisions of the respondents.
Key words - Communication Sector, Service Provider, Customer's opinion.

Introduction - This is a specified research which is related to the services of cellular companies working in Bilaspur City Municipal corporation area. Bilaspur city is the part of Bilaspur district of Chhattisgarh State, a non tribal or normal area according to revenue records. Bilaspur city is approximately 402 years old and the name of "Bilaspur" is used after the Fisher-woman named "Bilasa". Bilaspur region is encircled by Korea area of Chhattisgarh state in the north, Anuppur locale of Madhya Pradesh in the south, Mungeli and Kabirdham region of Chhattisgarh in the west, newly made Balauda Bazar-Bhatapara district of Chhattisgarh in the south and Korba and Janjgir-Champa districts of Chhattisgarh in the east. The area of the district is 8272 square kilometer. The total population of the district is approximately 2663629 according to census 2011, of which 1351574 were male and 1312055 were female and presently 8 tehsils, 7 blocks and 910 villages are included in Bilaspur district. It is the second-largest city after Raipur City Metro area.

The population of Bilaspur district is 10.43% of State's population, and the density is 322 km2. The literacy rate of the district is 70.78% of which 81.54% males and 59.71% females are literate.

The Chhattisgarh High Court is situated at Bodri town in region Bilaspur which has favored it with the title 'Nyayadhani' (Law Capital) of the state. The Chhattisgarh High Court is the largest High Court of Asia. Bilaspur city is the administrative headquarter of Bilaspur district.

In this research we are trying to analyze & understand the view of young and educated cell phone users of the age group of 17-23 years, and focusing on all the leading service providers who are working our research field. The main companies are Vodafone- Idea (It has converted to **Vi** recently), Reliance Jio, Airtel and BSNL.

Objectives of the Study - Trough this research study we will try to find out the solutions of the questions below

1. To collect Information about service providers and their working period in the research area.
2. To find out the customer's opinions towards their service providers.
3. According to the customer's opinion, rank them on the basis of customer satisfaction.

Sources of Information - Majority of data were collected from primary sources through questionnaire, while some information is used from secondary sources, like website newspapers etc. Area of the research is Bilaspur municipal corporation area. The total population of the district is approximately 2663629 according to census 2011, of which 1351574 were male and 1312055 were female. We have taken 120 respondents from the research area and all the respondents are literate and able to understand the questions, and answer them accordingly.

Limitations of the Study - This study is limited to Bilaspur city municipal corporation area, with special focus to the young cell phone users, who are studying in the different classes of a renowned private college of Bilaspur city. Here

*Research Guide and Principa,l Govt. Nehru P.G. College, Dongargarh (C.G.) INDIA
** Research Scholar, Pt. Ravisanhankar Shukla University, Raipur (C.G.) INDIA

बलरामपुर एवं सरगुजा में संचालित है।

(5) उज्जवला योजना :

अवैध मानव तस्करी दुनियाभर में बहुत बड़ी समस्या है। भारत सहित छत्तीसगढ़ राज्य भी इससे अछूता नहीं हैं। यहाँ लड़कियाँ भी इसमें फंसी दिखती है। उन्हें रोजगार के बहाने लाकर देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। समस्या यह है कि ये लड़कियाँ अगर इससे मुक्ति पा लेती है, तो भी समाज में उन्हें अपनाने वाले मुश्किल से मिलते है, इसीलिए सरकार ने दिसम्बर 2007 में उज्जवला योजना प्रारंभ की है।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपनी महती भूमिका अदा की है। विभाग ने प्रदेश में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, आजीविका, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, पोषण आहार और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया, रोजगार के दिये एवं जागरूक बनाया है। महिलाओं को सशक्त बनाने में नए–नए अवसर व जानकारी विभाग द्वारा प्रदान किये जा रहे है। अतः हम कह सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने में प्रयास किये है।

सुझाव :

(1) प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक विभाग की सक्रियता बढ़े तथा उन्हें सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा उपयोग करने के तरीके बताये जाए।

(2) इक्कीसवीं शताब्दी के अनुसार नई–नई कल्याणकारी योजनाएँ बनायी जानी चाहिए।

(3) प्रत्येक योजनाओं और कार्यक्रमों का समय–समय पर मूल्यांकन तथा योजनाओं से संबंधित गलतियों की जाँच कर उसे दूर करने का प्रयास करना होगा।

(4) महिला सशक्तिकरण हेतु आज ग्रामोत्थान की महती आवश्यकता है, जिससे करोड़ों ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकेगा।

(5) महिला सशक्तिकरण हेतु शिक्षा ही नहीं, अपितु महिलाओं के स्वास्थ्य संवर्धन तथा परिवारों से नशा इन सभी उन्मूलन आवश्यक है।

संदर्भ :

(1) सिंह, डॉ. रजीता (2013) : महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण महिलाएँ, प्रकाशन बाफना प्रा.लि. जयपुर।

(2) प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2012–13, महिला एवं बाल विकास विभाग, छ.ग. शासन।

(3) रावत, बी. एस (2015) : महिला सशक्तिकरण : भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास, प्रतियोगिता दर्पण, दिसम्बर 2015.

(4) गुप्ता, रमणिका (2008) : स्त्री विमर्श कलम और कुदाल के बहाने, शिल्पायन प्रकाशन, दिल्ली।

(5) छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2014–15, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर।

(6) यादव, चन्द्रभान (2013) : महिलाओं की सबलता का सशक्त माध्यम स्व सहायता समूह, कुरूक्षेत्र, जुलाई 2013.

(7) यादव, दयाशंकर सिंह (2016) : भारत में शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों से महिला सशक्तिकरण, योजना पत्रिका जनवरी 2016.

(8) रावत, बी.एस. (2016) : महिला सशक्तिकरण : भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास, प्रतियोगिता दर्पण दिसम्बर 2016.

❁❁

2,55,45,198 है, जो भारत का 2.11 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष 1,28,32,895 तथा महिला जनसंख्या 1,27,12,303 है। जनसंख्या घनत्व 189 प्रतिवर्ग किमी. है। लिंगानुपात 991, जनसंख्या वृद्धि दर 22.6 प्रतिशत रही है। यहाँ की कुल साक्षरता 70.3 है, जिसमें महिला साक्षरता केवल 60.2 प्रतिशत है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की सामान्य परिचय :

राज्य गठन के पूर्व से ही प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाने, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तथा पोषण की स्थिति में सुधार लाने के साथ–साथ कुपोषण से बचने, महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करने, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम तथा जागरूक बनाने, प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाने, महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु महिला सशक्तिकरण नीति के क्रियान्वयन का समन्वयक स्थापित करने महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप के एक अंग के रूप में की गई थी।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाएँ एवं कार्यक्रम :

समेकित बाल विकास सेवा योजना :

इस योजना का प्रारंभ 02 अक्टूबर 1975 को किया गया, इसका उद्देश्य बच्चों का उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास हो सके।

आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण :

आईसीडीएस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए सुदुर अंचलों में स्थित बसाहटों में भी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। राज्य चरणबद्ध तरीके से स्वीकृत परियोजनाओं एवं केन्द्र की स्थिति निम्नानुसार है :

क्र.	केन्द्र / परियोजना	छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व स्वीकृति	प्रथम चरण विस्तार अंतर्गत स्वीकृत (2005–06)	द्वितीय चरण विस्तार अंतर्गत स्वीकृत (2007–08)	तृतीय चरण विस्तार अंतर्गत स्वीकृत (2010–11) एवं (2011–12)	कुल स्वीकृत	वर्तमान में संचालित
1.	बाल विकास परियोजना	152	06	05	57	220	220
2.	आंगनबाड़ी केन्द्र	20289	9148	5500	8826	43763	43567
3.	मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र	836	0	1483	4229	6548	6342
	योग (2+3)	**21125**	**9148**	**6983**	**13055**	**50311**	**49909**

लाभान्वित हितग्राही				
वर्ष	6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चे	3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के बच्चे	गर्भवती एवं शिशुवती माताएँ	कुल लाभान्वित
2012–13	11,64,696	9,03,421	464041	2532158
2013–14	1214589	927207	522098	2663894

स्त्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना :

इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवारों की कन्या विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूलखर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से निर्धनों के मनोबल / आत्म सम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन–देन की रोकथाम करना है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 1125.00 लाख रूपये बजट का आबंटन उपलब्ध है। वर्ष 2012–13 में (जनवरी 2013 तक) 183.21 लाख व्यय हुए है एवं 5040 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2013–14 में माह सितम्बर 2013 तक 4982 जोड़ों को लाभान्वित किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ महिला कोष :

इसके अंतर्गत तीन योजनाएँ संचालित की जाती है :

(1) छत्तीसगढ़ महिला कोष को ऋण योजना :

योजना के प्रारंभ से अब तक 24116 स्वयं सहायता समूहों को 37 करोड़ 92 लाख 33 हजार ऋण (रिवाल्विंग फण्ड) प्रदाय किया गया है।

वर्ष	समूह संख्या	ऋण
2012–13	2970	678.50 लाख
2013–14	540	169.35 लाख

स्त्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15.

(2) सक्षम योजना :

छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009–10 में 'सक्षम योजना' आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तो पर 1 लाख रूपये तक का ऋण प्रदाय किया जाता है। उक्त ऋण की वापसी 5 वर्षो में 6.5 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर आसान किश्तों में की जाती है।

(3) स्वावलंबन योजना :

इस योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही 5 हजार रूपये तक की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है। योजना प्रारंभ से अब तक 765 महिलाओं को राशि 27 लाख 78 हजार 715 का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

ऋण के स्वीकृति का अधिकार

वर्ष	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	स्वीकृत राशि
2012–13	226	1,20,75,000
2013–14	41	42,00,000

स्त्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15.

(4) सबला योजना :

सबला योजना, राज्य के 10 जिलों रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायगढ़, राजनांदगाँव, कोण्डागाँव, बस्तर, सूरजपुर,

जुलाई 2016

An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Research Paper**
Since March 2002
Research Link - 148, Vol - XV (5), July - 2016, Page No. 142-144
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

महिला सशक्तिकरण में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का मूल्यात्मक अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में महिला सशक्तिकरण में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का मूल्यात्मक अध्ययन, छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में किया गया है। देश की स्वतंत्रता के समय की भारतीय महिला और आज की महिला में काफी बदलाव आया है। वह पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर देश की सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, उद्यमिता, सरकारी नौकरी, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, निश्चय ही इसका एकमात्र कारण महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये गये विभिन्न सरकारी प्रयास है, जिसमें राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन से महिलाओं को सशक्त और जागरुक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रमेश कुमार मेश्राम* एवं डॉ.के.एल.टाण्डेकर**

प्रस्तावना :

भारतीय समाज में वैदिक काल में नारी का स्थान बहुत सम्मानजनक था और अखण्ड भारत विदुषी नारियों के लिए जाना जाता था, कालान्तर में नारी की स्थिति में ह्रास हुआ और मध्यकाल आते-आते यह ह्रास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया, जिस समाज में नारी का स्थान सम्मानजनक होता है, वह समाज उतना ही प्रगतिशील और विकसित होता है परिवार और समाज के निर्माण में नारी का स्थान महत्वपूर्ण होता है, जब समाज सशक्त और विकसित होता है, तब राष्ट्र भी मजबूत होता है, इस तरह राष्ट्र निर्माण में भी नारी केन्द्रीय भूमिका निभाती है माता के रूप में नारी प्रथम गुरू है। जॉर्ज हर्बट के मतानुसार– ''एक अच्छी माता सौ शिक्षकों के बराबर होती है, इसलिए उसका हर स्थिति में सम्मान करना चाहिए।''

महिला सशक्तिकरण का अर्थ :

महिलाओं में सशक्तिकरण का तात्पर्य है, शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं के समान अवसर प्रदान करना, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में उन्हें भागीदार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व समान काम के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, स्वावलंबन का अधिकार आदि मुद्दों को समाहित किया गया है।

अन्य अर्थों में महिला सशक्तिकण से तात्पर्य है, ''महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता से है।''

उद्देश्य :

(1) छत्तीसगढ़ राज्य में विभाग के कार्यक्रमों का महिलाओं के जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

(2) महिला एवं बाल विकास विभाग की नीतियाँ महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण में कितनी सहायक रही है, का विश्लेषण करना इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

(3) विभाग की नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना :

(1) महिलाएँ विभाग की योजनाओं से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व स्वास्थ्य की दृष्टि से सुदृढ़ हुई।

(2) विभाग की योजनाओं का महिला सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक संमकों का प्रयोग किया जाएगा, इसके लिए महिला बाल विकास विभाग से प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण (2014–15), बजट (2014–15), विभाग की पुस्तिका, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर, पत्र–पत्रिकाएँ एवं इस विषय से संबंधित किए गए शोध जनगणना 2011 के आंकड़ों संग्रहण कर सारणीयन, वर्गीकरण व विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र :

'धान का कटोरा' कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ अंचल मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत भारत के हृदय प्रदेश 'मध्यप्रदेश' से पृथक होकर 1 नवम्बर 2000 को भारतीय संघ का 26 वॉं राज्य बना। इस राज्य की भौगोलिक सीमाएँ $17^0 46'$ से $24^0 5'$ उत्तर अक्षांश तक तथा $80^0 15'$ से $84^0 20'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य विस्तृत है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 135191 वर्ग किमी. है। प्रदेश में कुल 27 जिले, 149 तहसील, 146 विकासखण्ड, 182 नगर तथ कुल 20,126 ग्राम है। प्रदेश में 9820 ग्राम पंचायत है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या

**शोधार्थी **शोध-निर्देशक एवं प्राचार्य, डोंगरगांव महाविद्यालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)*

स्तर आर्थिक सुदृढ़ता की ओर धीरे–धीरे बढ़ रहा है, फिर भी पलायन पर अधिक सक्रीय और ईमानदार शासकीय प्रयासो की आवश्यकता है।

छ.ग. राज्य में यदि पलायन की समस्या का निदान करना है तो यहां की कृषि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ बनाना होगा, कृषि को उन्नतिशील बनाना होगा क्योकि यहां के लोगो के जीवन यापन का एक मात्र आधार कृषि है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना होगा यद्यपि राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज का पर्याप्त मूल्य दिया जा रहा है, इसके बावजूद स्थायी हल तभी संभव है जब कृषि में सिंचाई यंत्रीकरण अच्छे बीज, खाद की उपलब्धता को सुनिश्चित कर पलायन को रोका जा सकता है, और स्थानीय मानव संसाधन का बेहतर उपयोग कर विकास को गति दी जा सकती है।

निष्कर्ष :–

निष्कर्ष रूप से हम कह सकते है कि छ.ग. राज्य ही नहीं वरन सम्पूर्ण देश में मजदूरों का पलायन एक प्रमुख समस्या है, श्रम पलायन रोकने तमाम योजनाऐ अनुपयोगी सिद्ध हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इस विषय पर गंभीरता पूर्णक विचार करना होगा श्रम पलायन से शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक परिवेश विकास में बाधा तथा तनावपूर्ण पारिवारिक जीवन को संतुलित कर ही हम विकास की कल्पना कर सकते है छ.ग. से श्रमिको का पलायन मानव मात्र का पलायन नहीं है अपितु छ.ग. के आर्थिक विकास की क्षमताओं का भी पलायन है, पलायन की इस प्रवृति को यदि समय रहते नहीं रोका गया तो आगामी वर्षो में इसके दुष्परिणाम छ.ग. राज्य की सामाजिक आर्थिक संरचना के साथ साथ आर्थिक विकास पर भी परिलक्षित होगा राज्य के विकास के लिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, विद्युत सभी क्षेत्रो में विकास को प्रयास करना होगा ताकि श्रम पलायन को रोका जा सके, स्पष्ट है कि छग सरकार ने भी श्रमिको के पलायन को रोकने हेतु सराहनीय प्रयास किया है, शासन ने योजनाएं नीतियां, कार्यक्रम बनाये एवं उनका भलि भांति पालन भी किया है, गांवो में शहरो की सुविधा मुहैया कराकर तथा जन समान्य के अनुकूल कार्यक्रमो को अपनाकर ही हम समता मूलक समाज स्थापित कर सकेंगे, जो पालयन को रोकने का मजबूत आधार होगा ।

संदर्भ सूची :–

1. ग्रामीण श्रमिको का पलायन कारण एवं निदान (Review of Research, Feb . 2018)
2. छ.ग. का आर्थिक सर्वेक्षण – 2016
3. भारतीय अर्थव्यवस्था–रूद्रवत सुंदरम
4. कुरूक्षेत्र फरवरी 2012, 2014

Dr. E.V. Rewty

ग्रामीण विकास में "नवा अंजोर" परियोजना – एक अध्ययन
(छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में)

डॉ.ई.व्ही.रेवती, सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

डॉ.के.एल.टाण्डेकर, प्राचार्य, शासकीय बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रकाशन वर्ष दिसम्बर–2017

1 नवम्बर सन 2000 को पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश से गठित छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 19720 आबाद ग्राम है, जिसमें से 48% अर्थात 9500 गांवो में आधे से अधिक आबादी अनुसूचित जाति/जनजाति की है। ग्रामीण जनता की आबादी 82% से अधिक है। राज्य में सुदृढ़ प्रशासन एव कानून व्यवस्था और पंचायती राज्यव्यवस्था है, फिर भी नागरिको की आर्थिक, सामाजिक दशा में सुधार के लिए ढेर सारे कार्य किये जाने की आवश्यकता है। वर्ष 1997 को गरीबी रेखा सर्वेक्षण के अनुसार छ.ग. राज्य में 1428748 परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है। जहाँ आज भी मूलभूत सुविधाओं में बिजली 46%, स्वच्छ पेयजल 65%, शौचालय एवं उक्त तीनो सुविधा 52.7% ग्रामो में ही उपलब्ध है। छ.ग. राज्य की बडी आबादी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो में आज भी विकास की दौड़ में पिछडी हुई है। प्रदेश को प्रगति पथ पर लाने एवं विकास को तेज गति देने के लिए जरूरी है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो को आर्थिक स्थिति के आधार पर मजबूत किया जाये। ग्रामीण भाई–बहनो की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्य में छ.ग. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना "नवा अंजोर" की शुरूआत की गई है।

हमारा प्रदेश गांवो का प्रदेश है, सामान्यतः गांवों की सामाजिक व्यवस्था में बड़ा किसान मालगुजार, मध्यम किसान, सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर पलायन करने वाले मजदूर दिखाई देते है, इनमें से अधिकांश व्यक्ति अपने नियमित काम–काज के बारे में चितित रहते है। गांव में रहने वाले किसान मजदूर अनु जाति, अनु.जनजाति परिवारो, कमजोर गरीब परिवारों का आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार आवश्यक है, वास्तव में इनके पास अपनी आमदनी बढ़ाने की सोच तो है, परंतु आवश्यक पंजी एवं साधनो की कमी रहती है। ग्रामीणजन प्रायः जादू टोना, टोनहीं प्रथा, झाड–फूक आदि अंधविश्वास, बाल–विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों में जकड़े होने तथा आपसी वाद–विवाद, जमीन–जायदाद, न्यायालयीन प्रकरणों के कारण उधारी में जकड़े हुए है। ग्रामीणो को प्रायः आवश्यकता पड़ने पर अपने पड़ोसी रिश्तेदार साहूकार, मालगुजार, नौकरी पेशा वालो से एवं व्यापारी वर्ग आदि से ऊंचे व्याजदर पर ऋण लेना पड़ता जिन्हें आज पर्यन्त ऋण के बदले में जमीन, जेवर गिरीवी रखने पड़ते है। ग्रामीणो को ऋण के बदले में जमीन, जेवर गिरवी रखने पड़ते है। यही ग्रामीणों की निर्धनता का महत्वपूर्ण कारण है। साथ ही बुरी आदते भी इन्हे आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में बाधक है।

प्रदेश के आर्थिक विकास को मजबूती देने में ग्रामीण क्षेत्रो में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन एवं गरीबी दूर करने के लिए यह जरूरी है कि ग्रामीण जनो के परंपरागत व्यवसाय को सुनिश्चित रखते हुए आज की जरूरतो के मुताबिक आवश्यक बदलाव लाएं एवं इन्हे आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभकारी बनाये। इसी परिप्रेक्ष्य में छ.ग. राज्य में गरीबी उन्मूलन परियोजना का शुभारंभ किया गया।

3. योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए जिससे कि हितग्राहियों द्वारा योजनाओं को अधिक लाभ उठाया जा सके।
4. ऋण पर ब्याज दर में कमी करना आवश्यक है ताकि हितग्राहियों को अधिक भार उठाना ना पडे।
5. हितग्राहियो को प्रोत्साहन स्वरुप कुछ अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए।
6. आवेदको के चयन प्रक्रिया पूर्ण रुप से पारदर्शी होनी चाहिए, जिससे योग्य, ईमानदार, परिश्रमी, लगनशील दृढ़ ईच्छाशक्ति एवं कर्मठ व्यक्ति का चयन हो ताकि ऋण की राशि का सही उपयोग हो सके।
7. निगम द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन की जवाबदेयता तय होनी चाहिए।
8. निगम की कुछ योजनाओं पर ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए ताकि अधिक से अधिक हितग्राही आकर्षित हो सके।

निष्कर्ष –

वर्तमान समय में बेरोजगारी पूरे विश्व में प्याप्त है। अनु.जाति, जनजाति , पिछडा वर्ग एवं अल्प संख्यक एवं सफाई कामगारो ने बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने तथा इस वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार प्रदान करने के द्देश्य से छ.ग. अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम विभिन्न योजनाओ का क्रियान्वयन कर रही है। निगम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लक्षित वर्गो को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इन योजनाओं का लक्षित वर्ग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, साथ ही जिले के लक्षित वर्गो की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति सुदृढ हुई साथ ही रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। इन योजनाओं के कियान्वयन से लक्षित वर्गो के जीवन स्तर में सुधार आया है और वे विकास की मुख्यधारा से जुड़कर आर्थिक रूप से सक्षम बन रहे है। इन वर्गो के आर्थिक रूप से विकसित होने से समाज का, गांव का, जिले का, राज्य का एवं राष्ट्र का भी विकास हो रहा है।

संदर्भ सूची –

1. जिला अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम राजनांदगांव द्वारा प्रकाशित पुस्तिका।
2. मिनी माता स्वालम्बन योजना सफलता की कहानी 2012।
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली।
4. सफाई कामगार समुदाय खुदशाह संजीव रामकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली।
5. छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम रायपुर मार्गदर्शिका।
6. आदिवासी स्वरोजगार योजना मार्गदर्शिका।
7. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2014।
8. रिसर्च लिंक मार्च–2018।
9. डॉ. शांता शुक्ला, छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक इतिहास।
10. आदिवाल चंद्रमोहन आदिवासी हरिजन आर्थिक विकास , नारदन बुक सेंटर, इलाहाबाद।
11. जिला राजनांदगांव की विकास झलक – 2014

अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम की लक्षित वर्गो के लिए जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं उनका क्रियान्वयन बाबद–

राजनांदगांव जिले में लक्षित वर्गो के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए छ.ग. अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित राष्ट्रीय वित्त पोषक निगमों के सहयोग से अलग–अलग वर्गो के हितार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक कर रहा है, राष्ट्रीय वित्त पोषक निगमों में प्रमुख (1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (3) राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (4) राष्ट्रीय अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम (5) राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त एवं विकास निगम है, इन लक्षित वर्गो के लिए संचालित योजनाऍं निम्नानुसार है–

1. अनुसूचित जाति – अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को आर्थिक रुप से सशक्त करने हेतू संचालित योजनाऍं (1) महिला समृद्धि योजना (2) माइक्रो क्रेडिट योजना (3) ट्रेक्टर ट्राली योजना (4) स्माल बिजनेस योजना (5) गुड्स कैरियर योजना (6) पेसेन्जर व्हीकल योजना (7) शिक्षा ऋण योजना (8) लघु व्यवसाय योजना

2. अनुसूचित जनजाति – अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये संचालित योजनाऍं (1) ट्रेक्टर ट्राली योजना (2) गुड्स कैरियर योजना (3) पेसेन्जर व्हीकल योजना (4) आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (5) स्माल बिजनेस योजना (6) शिक्षा ऋण योजना

3. राष्ट्रीय पिछडा वर्ग– राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित योजनाऍं (1) टर्म लोन योजना (2) माइक्रो क्रेडिट योजना (3) जनरल लोन योजना (4) नई स्वर्णिम योजना (5) आकांशा शैक्षिक ऋण योजना (6) महिला समृद्धि योजना

4. अल्पसंख्यक वर्ग– अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संचालित योजनाऍं (1) टर्म लोन योजना (2) शैक्षिक ऋण योजना (3) लघु वित्त (माइक्रो फायनेन्स) योजना (4) महिला समृद्धि योजना (5) व्यक्ति मूलक बडी ऋण योजना

5. सफाई कामगार वर्ग– सफाई कामगार वर्ग के लिए योजनाऍं (1) व्यक्ति मूलक योजना (2) आटो शिक्षा योजना (3) स्वच्छता से संबंधित वाहन योजना (4) सेनेटरी मार्ट योजना (5) महिला समृद्धि योजना (6) माइक्रो क्रेडिट योजना (7) महिला अधिकारिकता योजना आदि का क्रियान्वयन निगम द्वारा किया जा रहा है । जिला अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित राजनांदगांव द्वारा वर्ष 2000 से 2016 तक वर्गवार योजनाओं में वितरित राशि के आंकडे निम्न तालिका अनुसार है–

वर्गवार योजनाओं के आंकडे (वर्ष 2000 से जून 2016 तक) राशि लाख रुपये में

क्रमांक	विवरण	वितरित राशि	वसूल की गई राशि	बकाया राशि	वसूली का प्रतिशत
01	अनुसूचित जाति वर्ग	32767840	18598430	14169410	56.75%
02	अनुसूचित जनजाति वर्ग	50337405	25650839	24686566	50.95%
03	पिछडा वर्ग	7304968	3823932	3481036	52.35%
04	अल्पसंख्यक वर्ग	5003145	1515493	3487653	30.29%
05	सफाई कामगार वर्ग	12851766	2256663	10596103	17.55%
योग –		**108265124**	**51844357**	**5642767**	**47.88%**

स्त्रोत – अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम राजनांदगांव (छ.ग.)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला अंत्यावसायी वित्त विकास निगम राजनांदगांव द्वारा जिले में लक्षित वर्गो को आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग का वसूली प्रतिशत क्रमशः 56.75%, 50.95%, 52.35%, है जो अन्य वर्गो की तुलना में सर्वाधिक है, इसका कारण इन वर्गो का शिक्षित एवं जागरुक होना दर्शाता है वही अल्पसंख्यक तथा सफाई कामगारो क्रमशः 30.29 एवं 17.55 % रहा है। ऋण का प्रतिशत कम होने से जिले में निगम की राशि विभिन्न राष्ट्रीय निगमो को समय पर वापस करने में कठिनाई होती है, जिले मे कुल वसूली का प्रतिशत 47.88% है जो कि निगम द्वारा संचालित योजना के सफल क्रियान्वयन से सभी वर्गो का आर्थिक एवं सामाजिक विकास संभव हो सका है।

समस्या एवं सुझाव –

लक्षित वर्गो के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, विषय के अध्ययन विश्लेषण के समय हमें कई चुनौतियों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, योजनाओं के क्रियान्वयन में हितग्राहियों की अशिक्षा, निष्ठा, प्रतिबद्धता, कर्मठता, इच्छा शक्ति तथा योजनाओं की सही जानकारी का हितग्राहियो तक सही समय एवं सही परिस्थितियों में नही पहुॅच पाना तथा इसका ज्ञान न होना निर्धारित समय पर लक्ष्य की पूर्ति न होना वसूली का शत्–प्रतिशत नही होना, वसूली में विलम्ब जैसी प्रमुख समस्या पायी गई है, निगम के कर्मचारी, अधिकारी का भी सहयोग एवं समन्वय का आभाव रहा है, निगम की योजनाऍं आर्थिक विकास अर्थात ऋण वितरण से संबंधित होने के कारण वितरण प्रक्रिया में जटिलता से भी हितग्राही योजना का सही लाभ उठाने में असमर्थ रहे है, निगम की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का लक्षित वर्गो के आर्थिक सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा एवं उनकी स्थिति सुदृढ़ वसूली हो इसके लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत है –

सुझाव –

1. हितग्राहियो को सरलता से ऋण उपलब्ध हो सके इसके लिए ऋण लेने की औपचारिकता को कम करने की आवश्यकता है।
2. निगम द्वारा ऋण वितरण, ऋण वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।

4. निगम की योजनाओं का इन वर्गो के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
5. निगम की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा जागरूकता लाने में कहा तक निगम सफल रहा है।
6. योजनाओं के माध्यम से लक्षित वर्गो के सशक्तिकरण की स्थिति का मूल्यांकन करना।

परिकल्पना :–
प्रस्तावित शोध कार्य के संबंध में निम्न परिकल्पना की गई –
1. छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लक्षित वर्गो की सामाजिक, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है।
2. योजनाओं / कार्यक्रमों का लक्षित वर्गो के आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव रहा है।
3. निगम की विभिन्न योजनाओं का सुचारू रूप से कियान्वयन हो रहा है।

शोध प्रविधि :–
प्रस्तुत शोध अध्ययन छ.ग. राज्य के राजनांदगांव जिले के लक्षित वर्ग (अनु. जाति, अनु.जन. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सफाई कामगार) के आर्थिक विकास में छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का मूल्यांकात्मक अध्ययन किया गया है, इसके लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक समंको का प्रयोग किया गया है, प्राथमिक समंको के संकलन कें लिए प्रत्यक्ष संपर्क कर अनुसूची एवं प्रश्नावली भरवायीं गई है, इसके अलावा निगम से प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन जनगणना , प्रकाशन जिला सांख्यिकी पुस्तिका सांख्यिकी प्रकाशनो, रोजागार समंको से प्राप्त आकडो को द्वितीयक समंको के रूप में प्रयोग कर उनके सारणीयन एवं विश्लेषण , सांख्यिकी विधियों के आधार पर प्रतिशत, विकासदर, प्रवृतिमान का उपयोग तथ्यों की सार्थकता का प्रस्तुतीकरण किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र एवं सीमाएं :–
प्रस्तुत अध्ययन हेतु राजनांदगांव जिला का चयन किया गया है, जिसमें निगम द्वारा संचालित आर्थिक विकास योजनाओं को लिया गया है। राजनांदगांव जिले के अंतर्गत 9 विकासखंड है – राजनांदगांव, डोंगरगांव, चौकी, छुरिया, मोहला, मानपुर, खैरागढ़, छुईखदान, डोंगरगढ़ आते है। राजनांदगांव जिला छ.ग. राज्य के पश्चिम भाग में स्थित राज्य का सबसे बड़ा जिला है। वर्तमान अध्ययन कार्यक्षेत्र राजनांदगांव जिला में संचालित निगम (विभाग) से प्राप्त सूची के आधार पर लगभग 10 प्रतिशत हितग्राहियों का चयन कर इन्हे अध्ययन की ईकाई के रूप में सम्मिलित किया गया है, जिसमें अनु. जाति, अनु.जन जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सफाई कामगार वर्ग के हितग्राहियों को शामिल किया गया है। शोध प्रबंध के अध्ययन की अवधि का निर्धारण भी करना एक व्यवहारिक समस्या है। अतः उपलब्ध योजनाओं का अध्ययन उनक आकड़ो की उपलब्धता के आधार पर अलग–अलग समयावधि पर किया गया है।

राजनांदगांव जिले का परिचय एवं भौगोलिक स्थिति :–
मध्यप्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचंद सेठी ने अविभाजित दुर्ग जिले से राजनांदगांव को जिला बनाने की घोषणा 26 जनवरी 1973 को किया, तब से यह जिला अस्तित्व में आया है, राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ के अंचल में स्थित पश्चिम भाग में स्थित छ.ग. राज्य का सबसे बड़ा जिला जो वर्तमान में दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। 1973 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 11127 वर्ग किमी था। वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8022.5 वर्ग किमी है। जिले का विस्तार $20^{0}70^{0}$ से $22^{0}29^{0}$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^{0}23$ से $81^{0}29$ पूर्वी देशांतर के मध्य है, समुद्रतल से औसत ऊँचाई $330^{0}78$ मीटर इसकी उत्तर से दक्षिण लम्बाई 148.4 कि.मी. तथा पूर्व पश्चिम लम्बाई 89 कि.मी. है। जिले की कुल जनसंख्या 2001 के अनुसार 1283224 थी, जो बढकर 2011 में 1537133 हो गई, इसी प्रकार जिले के अधिकांश तहसीलो में जनसंख्या वृद्धि हुई है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या राजनांदगांव तहसील में तथा सबसे कम मोहला तहसील में दर्ज की गई है।

छ.ग. अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का परिचय कार्य एवं उद्देश्य :–
भारत सरकार द्वारा संविधान में उल्लेखित अनुच्छेदो के तहत् घोषित अनु.जाति, अनु.जन.जाति, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगारो (लक्षित वर्ग) के लोगो को स्वरोजगार एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का गठन म.प्र. सहकारी सोसायटी (पुनर्गठन एवं निर्माण) अध्यादेश क्रमांक 04 सन् 2000 के अंतर्गत दिनांक 30.10.2000 को किया गया छ.ग. में कुल आबादी 32% अनुसूचित जनजाति एवं 13% अनुसूचित जाति वर्ग का है, इन दोनो को विशेष ध्यान में रखते हुए इनके आर्थिक विकास एवं गरीबी रेखा से नीचे के अंतिम छोर के व्यक्ति को वित्तीय सहायता दिलाकर स्वालम्बी बनाने के उद्देश्य पर निगम छ.ग. प्रदेश एवं राजनांदगांव जिले में विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, सफाई कामगारो की मुक्ति एवं पुर्नबास के लिए आर्थिक मूलक योजनाओं के दायित्व का निर्वहन निगम कर रहा है। बेरोजगार युवको में व्यवसायिक मानसिकता विकसित करने के उद्देश्य से व्यवसाय पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए उद्यमी विकास संस्थान एवं प्रशिक्षण सह–उत्पाद केन्द्र का विलय छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित में किया गया है।

लक्षित वर्ग समूह –
छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम द्वारा लक्षित वर्ग समूह वर्ग समूह के अंतर्गत अनु.जाति,अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सफाई कामगार वर्ग को शामिल किया गया है, इन वर्गो के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतू विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन निगम कर रहा है।

Kala : The Journal of Indian Art History Congress
ISSN : 0975-7945

लक्षित वर्गो के आर्थिक विकास में छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकत्मक अध्ययन (राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. के.एल.टाण्डेकर
प्राचार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव छ.ग.

डॉ. ई.व्ही. रेवती
सहायक प्राध्यापक – वाणिज्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव छ.ग.

डॉ. आशा चौधरी
सहायक प्राध्यापक – इतिहास, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव छ.ग.

शोध सार :–
प्रस्तुत शोध पत्र में लक्षित वर्गो (अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति, पिछडा वग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार) के आर्थिक विकास में अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकात्मक अध्ययन किय गया है । प्रदेश एवं जिले में आर्थिक विकास की दृष्टि से इन वर्गो के विकास हेतु निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित आकड़ो को दर्शाया गया है। विशेष रूप से इन वर्गो द्वारा अपनी इच्छानुसार चयनित व्यवसाय उद्योग के लिए प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उन्हे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना एवं इनके स्वरोजगार के प्रति आकर्षित कर इनकी मानसिकता को विकसित करना है, इसके लिए निगम के माध्यम से ऋण सुविधा, ऋण वितरण, ऋण वसूली, वसूली के प्रतिशत को भी सारणी द्वारा प्रदर्शित कर विश्लेषण किया गया है तथा लक्षित वर्गो के आर्थिक विकास में अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम कितना सफल रहा, इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया।
शब्द सूची :– लक्षित वर्ग, आर्थिक विकास, उत्थान, स्वावलंबी।

प्रस्तावना :–
भारतीय समाज का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, भारतीय समाज भी विश्व के अन्य देशो की संरचनाओं, संस्कृतियों से मौलिक रूप से आध्यात्मिक उद्देश्यों के कारण पृथक है। भारतीय सामाजिक संरचना का एक प्रमुख लक्षण यहाँ व्याप्त जाति व्यवस्था है, निम्न एवं कमजोर वर्ग द्वारा परम्परागत रूप से किये जाने वाले कार्य चाहे वह कितने ही उपयोगी क्यों न हो, उनको घृणा की दृष्टि से ही देखा जाता है। कमजोर वर्ग के लोग प्रतिभावान और अन्य कार्यो में दक्ष होने के बावजूद भी अपने पंसद का कार्य नही कर पाते थे, व्यवसायिक स्वतंत्रता के अभाव में योग्य, कुशल और चतुर होने के बाद भी यह समुदाय अपना आर्थिक विकास नही कर पाते थे, आजादी के बाद दलितों (लक्षित वर्गो) के उत्थान एवं आर्थिक विकास को लक्ष्य मानकर अनेक योजनाएं व कानून बनाये गए, जिससे की दलितो को सम्मान एवं न्याय मिल सकें। लक्षित वर्गो के सम्पूर्ण विकास के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपक्रमों की स्थापना की गई, उनमें से एक छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित की स्थापना 30 अक्टूबर 2000 को की गई। इस निगम के द्वारा प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग तथा सफाई कामगार वर्ग को "लक्षित वर्ग" मानकर उनको आर्थिक एवं सामाजिक रूप से ऊपर उठाकर विकास की मुख्य धारा से जोड़कर सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, आर्थिक विकास के लिए इन वर्गो के हितग्राहियों को उनके द्वारा चयनित व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिनकी सहायता से इस वर्ग के हितग्राही अपना स्वयं का रोजगार प्रारंभ कर अपना आर्थिक एवं सामाजिक विकास कर अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते है।
लक्षित वर्गो की आय, जीवन स्तर एवं रोजगार की असमानता को कम करने के लिए सरकार ने रणनीति के रूप में नियोजित विकास को अपनाया है, इन वर्गो की विभिन्न समस्याओं को देखते हुए एवं इनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए राजनांदगांव जिले में कार्य कर रहे "छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित" पूरी सजगता पूर्वक कार्य कर रहा है, निगम द्वारा संचालित योजनाओं ने इन वर्गो को कैसे एवं कहा तक वित्तिय सहायता प्रदान कर आर्थिक रूप से सशक्त व स्वावलम्बी बनाया ताकि इनके आर्थिक विकास के लिए क्या –क्या कार्य किए है, इन सभी कार्यो का उनके आर्थिक विकास में क्या प्रभाव पड़ा, आदि का मूल्यांकन करने के लिए शोध विषय का चयन किया गया है।

उद्देश्य :–
1. निगम की योजनाएं लक्षित वर्ग के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास में कितनी सहायक रही, इसका विश्लेषण करना।
2. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का लक्षित वर्गो के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव रहा।
3. लक्षित वर्गो तक निगम की योजनाओं की जानकारी कैसे पहुंची तथा इनमें कितनी जागरूकता आयी, इसका अध्ययन करना।

ISSN: 2249-6661
Vol-44, No.-1, (II) January-March (2021)

5. उत्पीडित महिलाओ को पर्याप्त सुरक्षा, मुआवजा व समुचित न्याय तथा उत्पीड़न के अभिकर्ता को उचित दण्ड का प्रावधान ।
6. सभी समाज कार्यकताओ को मिलकर पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझना, सरकारी और गैर सरकारी संसथाओ द्वारा जागरूकता अभियान चालाना होगा ।

निष्कर्ष –

महिला सशक्तिकरण आज महिलाओं के हित संरक्षण के लिए बने कानूनो तथा स्त्री के उच्च शिक्षा के बाद भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करने के बजाय बहुत थोडे या कुछेक अपवादो को छोड दे तो खास तौर से समाज के ठेकेदारो के बंधन से महिलाओ को मुक्त कराने उन्हे देश के विकास और उनके स्वयं के सम्मान के रक्षा के निमित तथा समाज के सोच में परिवर्तन लाने के लिए महिला सशक्तिकरण की विशेष जरूरत है और जरूरत है स्वयं महिलाओं को आत्मचिंतन करने की सदियो तक घर की चार दीवारी तक सिमटी रहने वाली भारतीय महिला को निश्चित रूप से बाहरी परिवेश से सामंजस्य बिठाने में समय लग सकता है, परंतु महिला सशक्तिकरण के प्रति बढ़ती इनकी जागरूकता ने महिला उत्थान की आशा को जगाये रखा है जो निश्चित ही महिला सशक्तिकरण के मार्ग में उज्जवल भविष्य की परिचायक है। महिलाओ को कानूनी जानकारी कम ही है, इसका कारण है उनका सीमित क्षेत्र तथा उनका मानना है कि कानूनी पचडो में फसने का न तो उनके पास समय है और न ही पुरुष प्रधान समाज में उन्हे इसकी इजाजत देता है। ज्यादातर महिलाओ का मानना है कि उनमे कानूनी जानकारी एवं जागरूकता का अभाव होना उनके उत्पीड़न में प्रमुख भूमिका निभाता है, महिलाओ के सुधार एवं उत्थान के लिए अनेको कानूनी प्रावधान एवं योजनाएँ सरकार द्वारा बनाई गई है लेकिन जब तक महिला स्वावलंबी नही बनेगी तब तक नारी उत्थान संभव नही है।

Copyright ©2021Authors

ISSN: 2249-6661
Vol-44, No.-1, (II) January-March (2021)

1936, विशेष विवाह अधिनियम 1954, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, विदेशी विवाह अधिनियम 1969, हिन्दु ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 भारत में इतने सब कानूनो के बावजूद भी महिलाओ की स्थिति विकसित देशो की तुलना में दयनीय है, ग्रामीण इलाको में तो आज भी महिलाओ को पुरूषो की जूती के बराबर माना जाता है इसका मुख्य कारण महिला अशिक्षा, आर्थिक परतंत्रता और महिला अधिकारो के बारे में जानकारी का अभाव रहा है।

किसी भी समाज के विकास का सीधा संबंध उस समाज की महिलाओ के विकास से जुड़ा होता है। महिलाओ के विकास के बिना देश और समाज का विकास अधूरा है इसलिए सरकार के महिलाओ के सशक्तिकरण और विकास के लिए 1. सुकन्या योजना 2. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 3. बेटी बचाओ बेटी बढाओ योजना 4. किशोरियो के सशक्तिकरण और विकास के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) 5. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 6. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 7. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 8. स्वाधार घर योजना 9. महिलाओ के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (एस.टी.ई.पी.) योजनाओ के माध्यम से सरकार महिलाओ के समग्र विकास के लिए हर संभव प्रयास करते आ रही है इसी कारण आज समाज में महिलाओ की भूमिका में बदलाव दिखाई देने लगा है आज ऐसा कोई क्षेत्र नही है जहॉ महिलाओ ने अपनी उपस्थिति दर्ज न करायी हो ।

सुझाव –

स्वतंत्रता के पश्चात 1950 ई. के बाद महिलाओ की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है संरचनात्मक तथा सास्कृतिक दोनो प्रकार के परिवर्तनो ने स्त्रियो को न केवल शिक्षा, रोजगार तथा राजनैतिक भागीदारी में समान अवसर प्रदान किए है बल्कि स्त्रियो के शोषण भी कम हुए है तथा उन्हे अपने संगठन बनाने के अवसर प्रदान किये गये जिससे वे अपने समस्याओ के निराकरण में सहभागी बनी है। आज महिलाऍ पुरूष प्रधान समाज की चुनौतियो का सामना करके और कभी महिलाओ द्वारा ही स्थापित की गई बाधाओ को पार करके प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ रही है। मानव विकास का लक्ष्य महिला विकास के बिना संभव नही है। महिलाऍ आज शासन, प्रशासन उद्योग, वाणिज्य व्यापार, बैकिंग,बीमा, विज्ञान, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। लेकन समाज में उन्हे वांछित स्थान दिलाने हेतु अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है, यह तभी संभव होगा जब समाज के सम्पूर्ण सोच रवैया और पूर्वाग्रह जैसी धारणाओं में बदलाव आए, महिला सशक्तिकरण हेतु निम्न सुझाव पर अमल करना आवश्यक होगा –

1. वैयक्तिक स्तर पर मुख्यतः महिलाये, शिक्षा, आत्मविश्वास और दृढ़ चरित्र के द्वारा अपने आप पर होने वाले उत्पीड़न का विरोध कर सकती है।
2. परिवारिक सदस्यो के सहयोग तथा व्यवहार के द्वारा महिलाओं पर होने वाले शोषण जूल्म तथा प्रताड़ना को कम किया जा सकता है।
3. महिलाओ की सकारात्मक भूमिका उत्पीड़ित महिलाओ को आश्रय, सहयोग, तथा न्याय प्रदान करने में सहायक सिद्व हों सकता है।
4. समुचित और त्वरित न्याय प्रबंध के द्वारा भी शोषण को रोका जा सकता है।

Copyright ©2021Authors

ISSN: 2249-6661
Vol-44, No.-1, (II) January-March (2021)

गया है, इसी कारण हिन्दु सामाज में स्त्री को पुरूषो की अंर्धागिनी कहा गया है, कालांतर में स्मृतिकाल, धर्मशास्त्र काल तथा मध्यकाल में इनके अधिकार छिनते गए और पुरूषों की तुलना में इनकी स्थिति में गिरावट आई, इन्हे परतंत्र निःसहाय और निर्बल मान लिया गया। अंग्रेजी शासन काल में देश में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जागृति आने लगी । समाज सुधारको एवं नेताओं का ध्यान स्त्रियो की स्थिति को सुधारने की ओर गया, मध्यकाल में नारी का जीवन पुरूषो की दया पर निर्भर सा हो गया था, पर्दा प्रथा, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा तथा उत्तराधिकारी से वंचित रखने आदि ने नारी जीवन को दयनीय आदि बना दिया था । अंधविश्वास निरक्षरता और अज्ञानता स्त्रियो की सभी समस्याओं के मूल में थे ।

सन 1959 में बलवंतराज मेहता समिति के सिफारिसो के आधार पर जिला स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। पंचायतो में महिलाओ की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 23 अप्रेल 1993 को भारतीय संविधान का 73 वॉ संशेधन लागू कर पंचायती राज ईकाईयो और नगर निकायों के समस्त पदो पर महिलाओ के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे देष के सत्ता तंत्र में महिलाओ को सक्रिय भागीदारी प्रदान की गई है। महिलाएँ चुनाव लडकर सत्ता मते नेतृत्व प्रदान करने हेतु सक्षम बनी, 25 लाख से अधिक महिलाएँ स्वशासन में भागीदारी कर नेतृत्व क्षमता का परिचय दे चुकी है आज महिलाएँ अपने विकास संबंधी हितो को ज्यादा गंभीरता से समझने लगी है।

महिलाओ के खिलाफ कुछ बुरे चलन को खुले विचारो के लोगो और महान भारतीयो द्वारा रोका गया जिन्होने भारतीयो के खिलाफ भेदभाव पूर्ण कार्यो के लिए अपनी जिम्मेदारी उठाई राजाराम मोहन राय की लगातार कोशिषो की वजह से ही सती प्रथा को समाप्त करने अगेज मजबूर हुए , ईश्वरचंद, विद्यासागर आचार्य, विनोभा भावे, स्वामी विवेकानंद ने भी महिला उत्थान के लिए आवाज उठाई एवं संघर्ष किया परिणाम स्वरूप विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 की शुरूआत कार्यवाही हुई । महिला पुरूषो में भेदभाव न किया जावे इस संबंध में संविधान की धारा अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 42 में विभिन्न प्रावधान किये गये है। तथा भारतीय संविधान के अतिरिक्त महिलाओ को संरक्षण देने वाले महत्तपूर्ण कानूनो/अधिनियम बनाए गए।

वर्तमान दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है, आज महिलाएँ आँगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुँच गई है लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रो में महिलाओ की हालत दयनीय बनी हुई है, इसलिए महिलाओं को समाज में और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, हिन्दु विवाह अधिनियम 1955, दहेज निषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, खान अधिनियम 1952, कारखान अधिनियम 1948, हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, गर्भावस्था अधिनियम 1971, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, महिलाओ का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध 1986, सती रोकथाम 1987, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओ का यौन उत्पीडन (रोकथाम , निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 इसके अतिरिक्त अन्य कानूनो में महिलाओ के लिए कुछ अधिकार और सुरक्षा उपायो को भी शामिल किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, बंधुआ श्रम प्रणाली अन्मूलन अधिनियम 1976, कानूनी चिकित्सक उन्मूलन अधिनियम 1923, भारतीय तालाक अधिनियम 1996, पारसी विवाह और तालाक अधिनियम

Copyright ©2021Authors

महिला सशक्तिकरण की दशा व दिशा –

महिला सशक्तिकरणके मामले में भी हमें सम्यक दृष्टिकोण को अपनाना होगा, यदि जीवन की गाडी में स्त्री–पुरुष ये दो पहिये है तो उसे सरपट, सही और गन्तव्य तक पहुचने के लिए दोनो को समानान्तर गति में संतुलित बनाकर चलना होगा अन्यथा दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी इसके लिए पुरुषो को भी यह जानना एवं समझना होगा कि नारी न ही रनक की खान है, न पैर की जूती जिसे जब चाहे तीन तालाक से त्याग या बदल देगें, हम चाहे तो भी प्रकृति की अवहेलना करके आगे नही बढ़ सकते अर्थात पुरूष और महिला में जो प्रकृतिगत भिन्नता है उसे नजर अंदाज नही किया जाना चाहिए । ऐसा करने से सामाजिक संरचना का हास होगा, बदलते समय और परिवेश में अपने को ढलना बहुत की बुद्धिमानी है। चाणक्य ने ठीक ही कहा है – **''अति सर्वत्र वर्जयते''**

आज महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की आवश्यकता नही है, बल्कि थोडे बहुत या कहे कुछेक अपवादो को छोड दे तो खास तौर से समाज के ठेकेदारो के बंधन से महलिाओं को मुक्त कराने, उन्हे देष के विकास और उनके स्वयं के समान की रक्षा के निमित्त तथा समाज की सोच में परिवर्तन लाने के लिये महिला सशक्तिकरण की विशेष जरूरत है और जरूरत है स्वयं महिलाओ को आत्मचिंतन करने की ।

महिला सशक्तिकरण वर्तमान युग में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं ज्वलंत विषय है, हमारे देश के संविधान में यद्यपि महिला नागरिको एवं पुरुष नागरिको को सामान अधिकार प्रदान किय है फिर भी समाज की सबसे छोटी ईकाई परिवार से लेकर देश तक एवं ग्रामीण क्षेत्रो से लेकर शहरी क्षेत्रों तक महिलाओं को भागीदारी को और अधिक बढ़ाना आवश्यक लगने लगा है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाए जो शहरी महिलाओं की अपेक्षा वैचारिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से भिन्न होती है उनके मध्य उपस्थित विभिन्न बाधाओं जैसे – जागरूकता की कमी, शिक्षा का आभाव एवं परम्परा की बेडियो को तोडकर अपने ग्राम एवं देष के विकास में योगदान देने हेतु प्रयास करना ही वास्तव में महिला सशक्तिकरण है ।

आजादी के बाद बने भारतीय संविधान उसमें बार–बार हो रहे संशोधनों में लगातार इस तथ्य को महसुस किया जा रहा था कि महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्रों में भागीदारी बढाना आवश्यक है, गावों में सफाई व्यवस्था, स्वच्छता की पहल, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, सामाजिक बंधनो व रूढ़ियों के विरूद्व संघर्ष, अंधविश्वासो का विरोध, स्त्री उत्पीड़न व प्रताड़ना के विरूद्ध संघर्ष, शिक्षा का प्रसार, शराब बंदी जैसे कई कार्यो में महिलाओं की महत्तपूर्ण भूमिका से इंकार नही किया जा सकता । ग्रामीण महिलाए प्रायः अकुशल एवं प्रशिक्षित होती है, ग्रामीण परंपरागत वातावरण , शिक्षा की कमी एवं बाहरी दुनिया तक पहुँच न रखने के कारण वे अपने अधिकारो के प्रति सजग नही रहती है, सदियो तक घर की चार दीवारी तक सिमटी रहनी वाली भारतीय महिला को निश्चित रूप से बाहरी परिवेश से सामंजस्य बिठाने में समय लग सकता है, परंतु महिला सशक्तिकरण के प्रति बढ़ती इनकी जागरूकता ने महिला उत्थान की आशा को जगाए रखा है, जो निश्चित ही महिला सशक्तिकरण के मार्ग में उज्जवल भविष्य का परिचायक है।

महिलाऍं साधरणतया प्रत्येक समाज का एक महत्तवपूर्ण अंग है, जिनकी संख्या लगभग पुरुषों के सामान है, जहॉ तक भारतीय समाज का प्रश्न है, स्त्रियों की स्थिति काफी उच्च रही है, विषेषतः हिन्दु समाज में पुरूषो के आभाव में स्त्रियों को, स्त्रियो के आभाव में पुरुषों को अपूर्ण माना

Copyright ©2021Authors

ISSN: 2249-6661
Vol-44, No.-1, (II) January-March (2021)

पुज्यनीय और शक्तिशाली होने के बाद भी आज इस देश में महिला सशक्तिकरण पर समाज शास्त्रियो को चर्चा की आवश्यकता क्यो पड़ रही है? क्योकिं प्राचीन समय से भारत में लैगिंक असमानता थी और पुरूष प्रधान समाज था। महिलाओ को उनके अपने परिवार और समाज द्वारा कई कारणो से दबाया गया उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई परिवार और समाज में भेदभाव किया गया ऐसा केवल भारत में ही नही बल्कि अन्य देषो में भी दिखाई देता है, महिलाओ के लिए प्रचीन काल से समाज में चले आ रहे गलत तथा पुराने चलन को नए रीति–रिवाजो और परम्परा में ढाल दिया गया था भारतीय समाज में महिलाओ को सम्मान देने के लिए मॉ–बहन, पुत्री, पत्नि के रूप में महिला देवियो को पूजने की परम्परा है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नही है कि केवल महिलाओ को पूजने भर से देश के विकास की आवश्यकता पूरी हो जाएगी । आज आवश्यकता है कि देश की आधी आबादी यानि महिलाओं का हर क्षेत्र में सशक्तिकरण किया जाए जो देश के विकास का आधार बनेगी ।

सशक्तिकरण परिवर्तन की एक प्रकिया है जिसका केन्द्र बिन्दु शक्ति है, यह न्याय के साथ बदलाव लाने की प्रकिया है समाज में सशक्तिकरण की प्रकिया तभी संभव होती है जब समाज में समानता लाई जा सके इस तरह महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय समानता के उद्देश्य से महिलाओं की स्थिति में सार्थक बदलाव लाना है, भारत में स्त्री पुरूष असमानता का इतिहास बहुत पुराना है युगो–युगो से महिलाओं की परिस्थिति पुरूष की तुलना में कमजोर रही है। भारत में महिला सशक्तिकरण की पहल 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई, स्वतंत्रता के पश्चात अनेक कल्याणकारी प्रयासो के माध्यम से महिलाओं के समग्र विकास की रणनीति तय की गई 1975 के पश्चात महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु वास्तविक पहल प्रारंभ हुई जो निरंतर जारी है। एशियन आफ पेसिफिक सेंटर फार वूमन एण्ड डेव्लेपमेंट के द्वारा महिला सशक्तिकरणको परिभाषित करते हुए लिखा है " महिलाओ के द्वारा स्वयं निर्णय लेने की दशाओं में वृद्धि ही सही मायने में महिला सशक्तिकरण है" ज्ञानात्मक , मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक जो महत्तपूर्ण आधार को महिला सशक्तिकरण माना गया है।

उद्देश्य –

1. सकारात्मक सामाजिक, आर्थिक नीतियो का निर्माण एवं कियान्वयन करना जिसमें महिलाएँ सभी क्षेत्रो में आगे बढ़ सके।
2. महिलाए अपने अधिकारों का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ,सांस्कृतिक तथा सिविल क्षेत्रो में उपयोग कर सकें ।
3. राज्य निर्माण के सभी क्षेत्रो में महिलाओ की सहभागिता सुनिश्चित करना ।
4. शिक्षा रोजगार,स्वास्थ्य जैसे सभी आवश्यक सुविधाओं में समान भागीदारी।
5. भेदभावों को समाप्त करने कानूनी प्रावधानों को सुदृण बनाना।
6. विकास की प्रकिया में लिंग परिपेक्ष्य को मुख्य धारा में लाना।
7. महिलाओं एवं बच्चियो के विरूद्ध हिंसा एवं विभेदो को समाप्त करना ।
8. महिला संगठनो–गैर सरकारी संगठनो में सहीभागिता बढाकर उन्हे मजबूत करना।

Copyright ©2021Authors

11

Sambodhi
(UGC Care Journal)
ISSN: 2249-6661
Vol-44, No.-1, (II) January-March (2021)

महिला सशक्तिकरण की दशा व दिशा

डॉ.के. एल. टाण्डेकर
प्राचार्य शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
डोगरगढ़ जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

डॉ. (श्रीमती) ई.व्ही.रेवती
सहायक प्राध्यापक – वाणिज्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
डोगरगढ़ ,जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

डॉ. (श्रीमती) आशा चौधरी,
सहायक प्राध्यापक –इतिहास, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
डोगरगढ़ , जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

शोध सारांश –

महिला सशक्तिकरण वर्तमान युग में सर्वाधिक महत्तवपूर्ण एवं ज्वलंत विषय है, हमारे देश के संविधान में यद्यपि महिला नागरिको एवं पुरूष नागरिको को सामान अधिकार प्रदान किय है फिर भी समाज की सबसे छोटी ईकाई परिवार से लेकर देश तक एवं ग्रामीण क्षेत्रो से लेकर शहरी क्षेत्रों तक महिलाओं को भागीदारी को और अधिक बढ़ाना आवश्यक लगने लगा है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाए जो शहरी महिलाओं की अपेक्षा वैचारिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से भिन्न होती है उनके मध्य उपस्थित विभिन्न बाधाओं जैसे – जागरूकता की कमी, शिक्षा का आभाव एवं परम्परा की बेडियो को तोडकर अपने ग्राम एवं देष के विकास में योगदान देने हेतु प्रयास करना ही वास्तव में महिला सशक्तिकरण है ।

प्रमुख शब्द – सशक्तिकरण, जागरूकता, उत्पीड़न, अज्ञानता, योगदान, संरक्षण इत्यादि।

प्रस्तावना –

सम्पूर्ण भारतीय समाज में लगभग आधी आबादी स्त्रियों की है किंतु स्त्रियो के पास वास्तविक सम्मान नही है। आदिकाल से लेकर आज तक पुरूष ने स्त्री पर दासत्व ही लादा है, वर्तमान भारतीय समाज में स्त्री के प्रति दोहरे मापदण्डों की स्थिति आज भी परिलक्षित होती है, कुल वर्षो से साहित्य और समाज शास्त्रियों के लिए लेखन और चर्चा का प्रमुख विषय के रूप में महिला सशक्तिकरण शब्द केन्द्रित हो गया है, सवाल उत्पन्न होता है कि क्या भारत में नारिया सदा से अबला मात्र रही है? ये वही देश है जहॉ अति प्राचीन काल से शक्ति, दुर्गा, रणचण्डी जैसे ओजस्वी और प्रतीक प्रचलित रहे है जहॉ नारियो के लिए यह कहा जाता रहा है कि ''यत्र नारियस्तु पुजयन्ते रमन्ते तत्र देवता'' यही नही दुनिया भर में किसी ना किसी रूप में यह कथन प्रचलित रहा है कि – एक सफल पुरूष के पीछे किंसी ना किसी नारी का हाथ होता है, इतने सम्माननीय

Copyright ©2021Authors

अक्षर वार्ता
ISSN 2349-7521
Vol - XV, Issue - VIII, May - 2019
"AKSHARWARTA" Monthly International Referred Journal

छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत क्षेत्रों के विकास में शासन की योजनाओं का विश्लेषण

डॉ. प्रदीप जामुलकर, डॉ. भूपेन्द्र कुमार
सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महा., डोंगरगढ़, छग, व्याख्याता, शा. हाई स्कूल, नीलावरम, सुकमा, छग.

प्रस्तावना :-भारत के संविधान निर्माता इस तथ्य से भलीभाँति परिचित थे, कि हमारी स्वाधीनता को साकार करने और उसे स्थायी बनाने के लिए ग्रामीण शासन व्यवस्था की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में आपसी झगडों का फैसला पंचायतें ही करती थीं। परंतु अंग्रेजी राज के जमाने में पंचायतें धीरे-धीरे समाप्त हो गई और सब काम प्रांतीय सरकारें करने लगी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राज्यों की सरकारों ने पंचायतों की स्थापना की और विशेष ध्यान दिया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ इसिलिए किया गया था ताकि आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक पुनिरूद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देष की ग्रामीण जनता में सक्रिय रूचि पैदा किया जा सके। परंतु सामुदायिक विकास के इस सरकार द्वारा प्रेरित एवं प्रयोजित कार्यक्रम ने ग्रामीण जनता को नियोजन की परिधि में लाकर खडा कर दिया, परंतु ग्रामीण स्तर की योजना के क्रियान्वयन में उसे पर्याप्त आधार नही माना जा सकता है।

किसी भी देश में लोकतंत्र का विकास तभी संभव है, जब स्थानीय इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के शासन में सामान्य जन की सक्रिय भागीदारी हो। यह भागीदारी ही लोकतत्र का मापदण्ड निश्चित करती है। यह सब पंचायती राज के सफल कार्य सम्पादन एवं क्रियान्वयन से ही संभव है। स्थानीय स्वशासन केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी शासकीय इकाई होती है, जिसमें जिला, नगर या गांव की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं और अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रदत्त अधिकारों का उपयोग लोककल्याण के लिए करते हैं। वस्तुतः सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ अनिवार्य है। हैरल्ड लास्की का मतहै कि ''हम लोकतंत्रीय शासन से पूरा लाभ उस समय तक नहीं उठा सकते जब तक कि हम यह न मान लें कि सभी समस्याएँ केन्द्रीय समस्याएँ नहीं है और उन समस्याओं को उन्हीं स्थानों पर उन्हीं लोगों द्वारा हल किया जाना चाहिए जो उन समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।'' भारत जैसे देश में जहाँ तीन चौथाई से भी अधिक जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हो वहाँ पंचायती राज के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का महत्व स्वतः सिद्ध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आधुनिक भारत में ग्राम स्वराज के लिए ग्राम पंचायत के सबसे बड़े पक्षधर थे। उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है ''स्वतंत्रता स्थानीय स्तर से प्रारंभ होनी चाहिए। इस प्रकारप्रत्येक गांव एक गणराज्य अथवा पंचायत राज होगा। प्रत्येक के पास पूर्ण सत्ता और शक्ति होगी। इससे प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकेगी।

पंचायती राज व्यवस्था में 73 वाँ संविधान संशोधन लाया गया और इसे 24 अप्रैल 1993 से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास को सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की तुरंत शुरूआत की जानी चाहिए, इसे लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण का नामा दिया गया। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और विकास कार्यक्रमें में जनता का सहयोग लेने के ध्येय से पंचायती राज की शुरूआत की गई।

पंचायती राज व्यवस्था में 73 वाँ संविधान संशोधन लाया गया इस संशोधन से संविधान के भाग 9 में पंचायत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किये गये हैं, जिसमें 15 उप अनुच्छेद है धारा-69 पंचायत के तीनों स्तर पर पंचायत के कार्यों में सहयोग एवं क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत में सचिव नियुक्ति का प्रावधान था। ग्राम पंचायत के सचिव हेतु, उनके कार्यालयीन दैनिक कार्यों के सुचारु रूप से संचालन एवं व्यवस्थित ढाँचा का स्वरूप देना होता है। कार्यालयीन काम-काज में गति प्रदान करता है। काम-काज को एक निश्चित अनुक्रम के अनुसार दिशा प्रदान करना एवं उचित माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया को अपनाना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा कार्यालय में, एक सुव्यवस्थित कार्यालयीन व्यवस्था का वातावरण प्रदान करना एवं अपने आप को कार्यालय एवं अभिलेख प्रबंध के महत्वपूर्ण बिन्दुओं का अनुकरण करके, विकास करना होता है और क्षमता लाना है। हर पंचायत कार्यालय में एक अच्छी सुव्यवस्थित कार्यालयीन व्यवस्था का आवश्यकता महसूस किया जाता है, ताकि कार्यालयों में आवेदन पत्रों/अभ्यावेदनों का निपटारा एवं संधारण सुव्यवस्थित रूप से किया जाता है, ताकि भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़ने पर पुरानी नस्तियों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। अतः वर्तमान में ग्राम पंचायत कार्यालय में व्यवस्था का राज स्थापित करने के लिए ग्राम पंयायत कार्यालय के सचिव को अनेक कार्य करने होंगे, किन्तु इसमें सबसे महत्वपूर्ण है-आम जनता के प्रति बनी धारणा में सुधार लाना है।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

आर.पी.जोशी (1997) द्वारा सम्पादित पुस्तकों का संवैधानिकीकरण में पंचायत राज से संबंधित विभिन्न साविधिक प्रावधानों को विश्लेषित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में पंचायती राज के कानूनी एवं संवैधानिक पक्ष, पंचायत राज एवं आरक्षण नीति, राज्यों की शक्ति, महिला भागीदारी, वित आयोग आदि से संबंधित विषयों पर समस्याओं को राजस्थान के विशेष संदर्भ में स्पष्ट किया है। अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। पंचायत राज संस्थाओं के संवैधानिकीकरण द्वारा इसको पुनः स्थापित किया गया है और इसे राजनीतिक व्यवस्था में वैधता प्राप्त हुई है, किन्तु इन संस्थाओं में संविधान की मंशानुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक

अधिकारिक भिन्नता मिटेगी, बेटियों को भी बेटे की तरह, पिता के धन में बराबर का हिस्सा मिलना शुरु होगा, उसी दिन पालकी और अर्थी वाली कहावत खत्म हो जायगी।

बेटी, ससुराल वालों की प्रताड्ना को सहने के लिए मजबूर नहीं होगी। वह वापस अपने घर आ सकेगी। जब तक समाज इसे कबूल नहीं करेगा, बेटियाँ बहू बनकर जलती रहेंगी। उनमें कभी आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की बात नहीं आयगी। मेरी समझ में महिला सबलीकरण की मुहीम केवल संसद में नहीं, उसके साथ पीहर में भी होनी चाहिये। जब तक बेटियों को निजी जिंदगी में ,पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, संसद में सबलीकरण के विल को पास करवाकर कुछ नहीं होगा।

उपसंहार

आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति सामाजिक उत्पीड्न का मुकाबला नहीं कर सकता। धन का अभाव उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए सामाजिक और धार्मिक जीवन, दोनों में ही, स्त्रियों की पुरुषों के साथ, समान हिस्सेदारी होनी चाहिये। अन्यथा , खुद प्रकृति कही जाने वाली नारी, प्राकृतिक, लौकिक, अलौकिक सभी सुखों से दूर जीती रहेगी ; उसके जीवन में कभी कोई प्रकाश नहीं आयगा।

सन्दर्भ सूची

1. हिन्दू स्त्री का जीवन. पं. रमाबाईय संवाद प्रकाशन, मेरठ पृ. 90
2. नारी का अवतरण, एलीन मारगनय संवाद प्रकाशन, मेरठ पृ. 225
3. वही, पृ. 225-226
4. वही, पृ. 226
5. डॉ. नगेन्द्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, मयूर बुक्स, १९७३, पृ. ४३२
6. डॉ. नगेन्द्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, मयूर बुक्स, १९७३, पृ. ४३२
7. डॉ. नगेन्द्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, मयूर बुक्स, १९७३, पृ.४३२-४३३
8. डॉ. हेमंत कुकरेती. हिंदी साहित्य का इतिहासए सतीश बुक डिपो, २०१६, पृ, २३७

Corresponding Author

Dr. K. L. Tandekar*

Principal, Government Nehru PG College, Dogargarh

परवर्ती ब्राह्मण साहित्य में भी, कहा गया, स्त्रियाँ अपने पति और पुत्र की निगरानी में ही सुरक्षित रह सकती हैं।

ठीक यही बात बौद्ध साहित्य में स्त्रियों की मूल भूमिका, 'पति की विश्वासी सेविका थी'। इस तरह स्त्री जाति की पीड़ा और वेदना कभी कम न थी, आज भी नहीं है। जब कि हम 21 वीं शताब्दी में प्रवेश का दावा करते हैं, जहाँ खाने-पीने, उठने- बैठने, हर काम में आधुनिकता झलकती है, फ़िर भी आज स्त्रियाँ ,पुरुषों का उत्पीड़न झेलती हैं। ऊँची- ऊँची दीवारों के भीतर, घरों में हर चीज के रहते हुए, सन्नाटे के साये में खामोश जीती हैं। उन्हें बच्चों और पति के फ़ैलाव के अलावा और कुछ सोचने का अधिकार नहीं मिला है। उनकी पीड़ा, आकाश की तरह है, जिसका कोई ओर-छोर नहीं होता।

फ़िर भी अपने पति को खुश रखने के लिए, झूठी मुस्कान को लिहाफ़ की तरह ओढ़कर पति के सामने खड़ी रहती है। अपनी भावनात्मक उजाड़पन को, महसूस करने के बावजूद आँखों के आँसू को टपकने नहीं देतीं, बल्कि उसे पी जाती हैं। अपने जीवन की लक्ष्यहीन त्रासदी को भलीभाँति जानती हुई भी, अपने बेजान कँपकंपाती पहचान को बनाये रखने की नाकामयाब कोशिश में लगी रहती हैं। खुद को टुकड़े-टुकड़े में बँटते देख मन ही मन बिफ़रती रहती हैं, लेकिन किसी भी हाल में इसका मुकाबला करने की कोशिश नहीं करतीं। पंखहीन पक्षी की तरह छटपटा कर रह जाती हैं।

परिवार के सभी सदस्यों को अपनी सेवा से खुशी देनेवाली नारी, भीतर कितनी अकेली है, परिवार का कोई सदस्य, जानने तक का जुर्रत नहीं करता। हमारे समाज की यह सोच ,स्त्री-पुरुष के वनिस्पत, दिमागी तौर पर अधिक कमजोर होती है, सरासर गलत है। हमारे धर्म-शास्त्रों में नारी ,सर्व शक्ति सम्पन्न मानी गई है। विद्या, शक्ति, ममता, यश और सम्पत्ति का प्रतीक समझी गई है। वैदिक, युगीन क्षेत्र में नारी का स्थान, पुरुषों के समकक्ष था। उस जमाने में शिक्षित कन्या की प्राप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान भी किया जाता था 'अथ या इच्छेद दुहिता में पंडिता जायतेसर्वमायुरिया दिति तिलोदनं पाचायित्वा सर्पिष्मन्त श्रीयाता मीश्वरो जनचित वै (बृहद उपनिषद)' उस काल में स्त्रियाँ भी पुरुषों की तरह ब्रह्मचर्य पालन करती हुई शिक्षा ग्रहण करती थी और विदुषी बनती थीं। कुछ स्त्रियाँ तो अपना जीवन विद्याध्ययन में ही गुजार देती थीं। अर्थशास्त्र में स्त्रियाँ निपुण थीं। सभा- गोष्ठियों में वे ऋग्वेद की ऋचाओं का गान किया करती थीं। रामेशा, अपाला, उर्वशी, विश्वतारा, सिकता, निबावरी , घोषा, लोपामुद्रा आदि पंडित स्त्रियाँ, इनमें प्रसिद्ध थीं। ये सभी पति के साथ समान रूप से धार्मिक, सामाजिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं। द्वापर काल में पाण्डवों की माँ, कुंती , अर्थवेद में पारंगत थीं। कन्या के लिए उपनयन का विधान , मनु ने भी किया था। ऋषि कुशध्वज की कन्या वेदवती, ऐसी ब्रह्मवादिनी स्त्री थी। काश क्रत्सनी नामक स्त्री ने मीमांसा जैसे क्लिष्ट और गूढ़ विषय पर बहुचर्चित पुस्तक का प्रणयन भी किया था , जो बाद में उसी के नाम पर चर्चित हुई। याग्यवल्वय की पत्नी मैत्रेयी, एक विख्यात दार्शनिका थी। उसने तो केवल ग्यानप्राप्ति की अनुमति पाने के लिए, अपने पति की सम्पत्ति में अपना अधिकार त्याग दिया और अपने हिस्से का धन, अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दिया।

राजा जनक की राजसभा में होने वाली विद्वद्जनों की सभागोष्ठी में गार्गी ने अपनी अद्भुत शक्ति से याग्यवल्वय को चैंका दिया था; कौशल्या और तारा, दोनों मंत्रविद थीं। द्रोपदी पंडिता थीं, वे नित्य वैदिक प्रार्थनायें किया करती थीं। सह शिक्षा का ऐसा उदाहरण महाभारत काल में भी मिलता है, जब अम्बा और शैखावत्य, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे।

बौद्धकाल में आनंद के प्रयास से जब संघ में स्त्रियोगं को आने का अधिकार प्राप्त हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों स्त्रियाँ ख्याति प्राप्त कीं। इन भिक्षुणियों में बत्तीस तो आजीवन ब्रह्मचारिणी थीं; उनमें शोभा, सुमेधा और अनोपमा उच्चवंश की कन्याएँ थीं। राजगृह के सेठ की पुत्री यद्राकुंडकेशा ग्यानवान महिला थीं। पूर्व वैदिक काल में अपला नमक कन्या ,अपने पिता के कृषि-कार्य में पूर्णरूपेण सहयोग करती थीं। उस युग में कन्याएँ गाय दुहना जानती थीं ; इसलिए उन्हें दुहिता भी कहा जाता था। कुछ स्त्रियाँ ऐसी भी हुई जो शासन- व्यवस्था और राज के प्रबंधन में भी दक्ष होती थीं। मत्सग की महारानी ने सिकंदर के आक्रमण का प्रतिरोध पति की मृत्यु के पश्चात किया था। विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पति की मृत्यु के बाद, पुत्र की अल्पावस्था के कारण स्वयं शासन किया था। स्पष्ट है कि महिलायें ग्यान-विग्यान, तर्क-वितर्क, शासन, युद्ध ,सब कुछ कर सकती हैं। उनको केवल समाज से मौका मिलना चाहिये। बेटियाँ, बेटों से कम नहीं होतीं।

निष्कर्ष

शायद पुरुषों को यह समझ अभी तक नहीं आई या आई भी तो मानने के लिए तैयार नहीं है, कि जब तक स्त्रियों को समाज में उचित मान-सम्मान और पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा, स्त्री, शिक्षा और आर्थिक उत्थान से दूर रहेगी और जब तक यह नहीं होगा, तब तक हमारा समाज पिछड़ा रहेगा। खुशी की बात है कि आजकल पुरुषों के द्वारा भी, कविता, कहानी के जरिये स्त्रियों की दयनीय अवस्था को महसूस करने की कवायद शुरू हो चुकी है। जिस दिन स्त्री-पुरुष के बीच की

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 15, Issue No. 12, December-2018, ISSN 2230-7540

स्त्री विमर्श

Dr. K. L. Thandekar[1]* Dr. E. V. Revti[2]

[1] Principal, Government Nehru PG College, Dogargarh

[2] Assistant Professor, Commerce, Government Nehru Post-Graduate College, Dogargarh

सार - हमारे भारतीय समाज में आदिकाल से ही, पुरुष, नारी-शक्ति स्वरूप देवी की पूजा- अर्चना, 'या देवी सर्वभूतेषु' के मन्त्रोच्चारण से करते आ रहे हैं, लेकिन जब किसी औरत के मान-मर्यादा की बात आती है, तब वे विदक जाते हैं। इस दोहरेपन का श्रेय बहुत हद तक हमारे 'मनुस्मृति' और अन्य उस तरह के शास्त्रों को जाता है, जिसमें नारी को घर की सजावट और पुरुषों के मन बहलाने का खिलौना माना गया है। अन्यथा पांचाली दावँ पर नहीं लगती,सत्य हरिशचन्द्र अपने दान की दक्षिणा चुकाने अपनी स्त्री, शैव्या को नहीं बेचते, राम द्वारा सीता की अग्नि- परीक्षा नहीं ली जाती।

---------------------------------x---------------------------------

प्रस्तावना

हमारे शास्त्रों में इस तरह की कहानियों या किस्सों से यह साफ़ जाहिर होता है कि उस समय हमारा समाज कितना मनुवादी था? महात्मा बुद्ध को ही लीजिये वे भी पितृसत्तात्मक मूल्यों के विरुद्ध, स्त्री के पक्षधर थे, ऐसी बात नहीं थी। अंबपाली की स्वीकार, उसी पितृसत्तात्मक मूल्यों के अधीन वेश्यावृति को मान्यता प्रदान करना था।

कहते हैं, जब बुद्ध ने संघ की स्थापना की ,तो शुरू में औरतों को मर्दों की तरह, दास बनकर आना मना था। उन्होंने अपने संघ में स्त्रियों को जगह नहीं दी; लेकिन उनके चचेरे भाई, आनंद चाहते थे कि स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह संघ में बराबरी की भागीदारी मिले। उन्होंने बुद्ध से इसके लिए तर्क-वितर्क भी किया, पर बात जब नहीं बनी ,तो उन्होंने समझाने की कोशिश करते हुए बुद्ध से पूछा,' क्या औरतें अगर कोशिश करें तो निर्माण प्राप्त कर सकती हैं?' इस पर जवाब में बुद्ध ने कहा, 'हाँ, क्यों नहीं, प्राप्त कर सकती हैं।' तब आनंद ने बड़ी ही नम्रता से कहा,'तो फ़िर आप उन्हें संघ में आने क्यों नहीं देते ?' सच तो यह है कि ,स्त्रियों के शुभेक्षु, ,बुद्धकाल में एकमात्र आनंद थे, जो चाहते थे कि स्त्रियाँ आगे आयें। उनको भी पुरुषों की तरह संघ में जगह मिले। उनका सोचना था, स्त्री और पुरुष, दोनों ही बराबर के निर्माण का हकदार हो सकते हैं। जब कि, बुद्ध की माता गौतमी, जहाँ-जहाँ बुद्ध जाते थे, वे वहाँ साथ जाती थीं।

दुख की बात है कि सम्पूर्ण बुद्ध-साहित्य में कहीं भी आनंद के सिवा दूसरे किसी व्यक्तित्व का वर्णन नहीं मिलता है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बुद्ध या बौद्ध धर्म स्त्रियों के प्रति उदार था। अंगुत्तर निकाय (खंड 2, पृष्ठ-76) में स्त्रियों का दरबार में नहीं होने पर बुद्ध से अपनी नाराजगी जताते हैं। आखिरकार बुद्ध स्त्रियों को अपने कायदे के अनुसार संघ में आने दिये, नियम के अनुसार भिक्षुणियों को भिक्षुओं के नीचे दबे रहना था।

इस तरह संघ को दो दर्जों में बाँट दिया , साथ ही भिक्षुणियों के लिये दश कड़ी शर्तें रख दीं, जिसके पालन करने के पश्चात ही औरतें संघ में आ सकती थीं। जिनमें एक था, स्त्री-स्मिता को सबसे अधिक चोट पहुँचाने वाला नियम, भिक्षुणी चाहे जितनी भी बलिष्ठ हो, उसके सामने कोई कमजोर कनिष्ठ भिक्षु आ जाये, तो उसका सम्मान सर झुकाकर करना होगा और भिक्षुणी को सजा, भिक्षु के वनिस्पत, ज्यादा कठोर होगा। इस प्रकार स्त्री पर लादे गये लगभग सभी नियम सख्त थे और स्त्री स्मिता को चोट पहुँचाने वाले थे। बुद्धकाल में केवल बाहर ही नहीं, संघ के भीतर भी स्त्री को पुरुष के अधीन ,उसकी मर्जी के अनुसार जीना होता था। जातकों में उल्लेखित तथ्यों को पढ़ने से यह साफ़ हो जाता है कि बुद्ध का स्त्रियों के प्रति विचार क्या था? लगभग हर जगह स्त्रियों को काला नाग, व्यभिचारिणी, रहस्यमयी और मोहिनी, पुरुषों को अपने मोह- जाल में फ़ंसानेवाली कहा गया है (स्त्री-स्मिता के लिए इससे अधिक अपमानजनक और क्या हो सकता था? स्त्रियों का सामाजिक एवं धार्मिक कर्मों में हिस्सेदारी निभाने का कोई हक नहीं था।

www.ignited.in

बदलते हुए आर्थिक परिवेश में यह बात महत्वपूर्ण हो गई है कि चर्म उद्योग को आधुनिक प्रतियोगिता के साथ समायोजित किया जाये और कृषि के पूरक उद्योग के रूप में इसका विकास कर कृषि पर जनसंख्या के भार को कम किया जाये तथा साथ ही स्थानीय मानव संसाधन को पलायन से रोककर उसका स्थानीय विकास में उपयोग किया जाए। इसके लिए आवश्यक होगा कि स्थानीय मानव संसाधन का विकास करने के साथ –साथ चर्म उद्योग के क्षेत्र में इसका उचित प्रबंधन किया जाये अर्थात् कच्चे चमडे के स्थान पर लाभदायक चर्म निर्मित सामग्री तथा प्रतियोगी फैशन रूपी वस्तुओ के उत्पादन में निवेशित कर अंतराष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी के रूप मे खड़ा किया जाये, इसके लिए आवश्यक होगा कि उचित तकनीकी पंजी के विकास के साथ मानव संसाधन विकास तथा उसका उचित क्षेत्र में प्रंबधन किया जाये और संगठित समूह क्षेत्र के रूप में विकास कर एक सूत्र मे पिरोया जाये।

संदर्भ सूची :–

1. योजना 1994–सितम्बर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पटिलाला हाउस नई दिल्ली।
2. उद्यमिता जनवरी–1995, म.प्र. लेदर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल।
3. भारतीय चमड़ा की मानव संसाधन विकास उप योजना के लिए दिशा निर्देश विकास कार्यक्रम–रिपोर्ट।

जहां इस क्षेत्र में लगा हुआ मानव श्रम पूर्णयता असंगठित, अशिक्षित एवं जातिगत तथा विरादरी पंचायतों के घोर विरोध के साथ–साथ घृणित एवं अपमानित व्यवसाय का कर्मी माना जा रहा है। परिणामतः इस क्षेत्र के चर्म शिल्पि व्यवसायिक परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहे है, ऐसी स्थिति में यदि रोजगार, उत्पादन, निर्यात में वृद्धि करने का लक्ष्य प्राप्त करना है तो छत्तीसगढ़ में ही नहीं वरन् प्रदेश एवं भारत वर्ष में चर्म उद्योग के क्षेत्र में मानव प्रबंधन को विकसित एवं सुव्यवस्थित करना अनिवार्य होगा क्योंकि यह क्षेत्र वर्तमान में जहां देश के कुल 11.4 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है उसमें सन् 2013 तक 9.2 लाख लोगों को अधिक रोगजार मुहैय्या कराने की संभावना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी अधिकाधिक मात्रा में रोजगार मुहैय्या हो सकेगा। यद्यपि समय परिवर्तन के साथ–साथ इस उद्योग में नई तकनीकी की व्यवस्था की जा रही है किन्तु तकनीकी को व्यवहारिक रूप देने वाला प्रमुख साधन मानव संसाधन आज भी अपनी परम्परागत स्थिति में बना हुआ है, जिससे उसके लिए वह व्यवसाय पर्याप्त विकास की क्षमता रखने के बावजूद भी (जैसा कि सातवी पंचवर्षीय योजना में इसकी विकास दर 25 प्रतिशत रही) छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विशेष कर यह उद्योग उतना अधिक विकास नहीं कर पाया क्योंकि इस क्षेत्र में मानव प्रबंधन पर जोर नहीं दिया गया। मानव प्रबंधन का मूल उद्देश्य तभी पूर्ण हो पाता है जबकि मानव संसाधन का विकास किया जाए, यहां देश की तुलना में मानव संसाधन निम्न कोटि का है, क्योंकि उसकी पौष्टिक आहार प्राप्त करने की क्षमता शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य पर व्यय आदि मानक तुलनात्मक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में न्यूनतम बिन्दु पर है अतः छत्तीसगढ़ में इन मापदण्डों के विकास के साथ–साथ जहां मानव संसाधन का विकास होगा वही दूसरी ओर इस उद्योग में असंगठित रूप से फैले हुऐ मानव संसाधन को सुव्यवस्थित व संगठित कर पर्याप्त प्रशिक्षण, रोजगार, उत्पादन प्राप्त कर कृषि पर हो रहे दबाव को कम किया जा सकता है और छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष होने वाले कुल जनसंख्या के 30 प्रतिशत भाग के पलायन को रोका जा सकेगा और स्थानीय विकास में इसका भरपूर उपयोग किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चर्म उद्योग में लगे कामगार की संख्या विभिन्न प्रदेश की तुलना में बहुत कम है, इससे भी स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास नहीं हो पाया है।

तालिका

म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में चर्म उद्योग में कामगारों की संख्या

क्र.	क्षेत्र में प्राप्त रोजगार	म.प्र. में संख्या	छत्तीसगढ़ में संख्या	म.प्र. से छत्तीसगढ़ में प्राप्त कामगारो का प्रतिशत
1	ग्रामो की संख्या	6331	1744	22.55
2	श्वोच्छेदन	27816	3035	10.91
3	चर्मशोधन	10815	3450	31.90
4	श्वोच्छेदन चर्म शोधन	9210	2979	32.31
5	जूता निर्माण	11485	3007	26.18
6	श्वोच्छेदन चर्म शोधन जूता निर्माण	21590	3910	18.11

छत्तीसगढ में चर्म उद्योग में सबसे कम मानव श्रम का निवेश किया गया है जो यहाँ के अकुशल मानवीय प्रयोग और प्रबंधन को स्पष्ट करता है। इस क्षेत्र में जो भी मानव का श्रम निवेश किया गया है वह अधिकांशतः कच्चे चमडे के उत्पादन मे ही निवेशित है। स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में कच्चे चमडे का उत्पादन कर बाहर भेज दिया जाता है, जिसका वास्तविक लाभ अन्य क्षेत्र उठाते है।

चर्म उद्योग मे मानव प्रबंधन स्थिति एवं सम्भावनाएं
(मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

डॉ. ई.व्ही. रेवती, सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)
डॉ.के.एल.टाण्डेकर, प्राचार्य, शासकीय डॉ. बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रकाशन वर्ष – मार्च – 2018

भारतीय अर्थव्यवस्था में चमड़ा क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पर्याप्त निर्यात, रोजगार की अनुकूलतम संभावनाओं के साथ निर्यात वृद्धि के लिए भी वर्तमान स्थितियां अनुकूल रही है। सभी स्तरो पर उचित रू‍प से प्रशिक्षित और कुशल मानव प्रबंधन की आवश्यकता भी महसुस की जाती रही है।

आधुनिक व्यावसायिक जगत मे दो प्रमुख तत्वो ने विकास को प्रभावित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है –

1. मानव प्रबंधन
2. तकनीकी समस्या

जिसमे तकनीकी विकास को जिस गति से प्राप्त किया गया है उस गति से मानव प्रबंधन का विकास संभव नही हो सका है , जिन राष्ट्रो में तकनीकी विकास के साथ–साथ मानव प्रबंधन को विकसित कर लिया, वे आज आर्थिक मामलो में विश्व का नेतृत्व कर रहे है। जापान इसका स्पष्ट उदाहरण है किंतु जहाँ दोनो में से किसी भी एक तत्व की स्थिति कमजोर जनक रही, वहां विकास को पूर्णतया प्राप्त करना सम्भव नही हो पाया। इन दोनों तत्वों में यदि प्रमुखता के रूप मे देखा जाए तो मानव प्रबंधन बेहतर स्थिति में माना जाता है क्योंकि यदि मानव प्रबंधन उचित है तो तकनीकी विकास स्वमेव आसानी से हो सकता है।

बदलते आर्थिक परिवेश के संदर्भ में देखे तो यह बात मुख्यता स्पष्ट होती है कि भारत मे चर्म उद्योग की स्थिति आशाजनक है, क्योंकि इस क्षेत्र मे नई खुली आर्थिक नीति के लागू होने से चमड़ा उद्योग मे कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां आगे आ रही है, जिससे चमडा उद्योग के विकास की सम्भावनाएं बढी है। इसी सम्भावनाओ को देखते हुऐं अंर्तराष्ट्रीय बाजार मे भारत कि 3.5 प्रतिशत की वर्तमान स्थिति को यदि पर्याप्त तकनीकी एवं संरचनात्मक परिवर्तनो के साथ इस क्षेत्र में कुशल मानव प्रबंधन की सहायता ली गई तो मूर्ति समिति उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के रिपोर्ट के अनुसार सन् 2013 तक अंतराष्ट्रीय बाजार में चर्म उद्योग की भागीदारी 16 प्रतिशत तक हो जावेगी किंतु इस 16 प्रतिशत के सह–भागिता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि प्रतियोगी देशों की क्षमता को पहचानकर सही रणनीति अपनाई जाये।

भारत वर्ष के लिए सही रणनीति यह होगी की भारत जहां कच्चे चमडे के उत्पादन में विश्व में प्रमुख स्थान रखता है वही निर्मित चर्म सामग्री में यह चौथे क्रम पर हे जो स्पष्ट करता है कि यदि भारत को चर्म निर्मित सामग्री में प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो चर्म उद्योग की वर्तमान तकनीकी क्षमता के विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में मानव प्रबंधन को प्रमुखता प्रदान करनी होगी। विशेषकर छत्तीसगढ़ क्षेत्र

प्रति लोगों की सोच सकारात्मक हुई है। इतना ही नहीं परियोजना की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक उन्नयन का वातावरण निर्मित हुआ है। प्रदेश की सबसे बडी पलायन की समस्या का समाधान इसी योजना में निहित प्रतीत होता है। सहभागिता, समानता और विकेन्द्रीकरण को बल मिलेगा, प्रदेश के आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव आएगा।

योजना के क्रियान्वयन में लोगो की अशिक्षा, रूढ़ीवादिता, आपसी अलगाव व्यवसायिक ज्ञान की कमी परस्पर सद्विश्वास का अभाव प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान का अभाव तथा योजनामद के दुरूपयोग जैसे कारक इसे सफल होने में बाधक हो सकते है। अतः योजना शेष सभी विकासखण्डों में भी प्रारंभ की जावे उचित प्रशिक्षण मानिटरिंग, मूल्यांकन सतत् प्रक्रिया के तहत संम्पादित किया जावे, उत्पादित वस्तुओं के विपणन की समुचित व्यवस्था ग्राम स्तर पर ही किया जाए एवं आर्थिक सहयोग की राशि वर्तमान परिवेश को ध्यान रखते हुए बढ़ाना उचित होगा। तभी छ.ग. प्रदेश आर्थिक सामाजिक रूप से सक्षम बन सकेगा।

संदर्भ सूची :–

1. नवा अंजोर बढ़ते कदम – छ.ग.
   ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना
   पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
   विभाग

2. छ.ग. स्वप्न से यथार्थ की ओर
   देशबंधू विषेषांक अप्रेल 2006

3. योजना विषेषांक – 2008 अगस्त
   व्यापार व्यव्स्थापक (प्रसार एवं विज्ञान)
   प्रकाशन विभाग नई दिल्ली

4. State Credit Plan 2009-10
   Finance Department
   Mantralaya Campus Raipur (C.G.)

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से माह जून 2004 में योजना प्रारंभ की गई। लगभग 617.25 करोड़ रूपये की योजना जिसमें 558 करोड़ रूपये विश्व बैंक से और शेष 59.25 करोड़ रूप में राज्य शासन द्वारा लगाया जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन प्रथम चरण के तहत प्रदेश के 16 जिलो के 40 विकासखण्डो के 2000 ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। पांच वर्ष की योजना अवधि में 1 लाख गरीब परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना अवधि वर्ष 2005 से 2010 तक है।

परियोजना की कुल लागत का विभिन्न मदो में व्यय का विवरण निम्नानुसार है –

कार्य का नाम	राशि (लाखो में)	प्रतिशत
ग्राम निवेश	50351.73	81.57
मानव संसाधन विकास	2133.18	3.45
ग्राम पंचायतो का सुदृढ़ीकरण	3268.18	5.29
परियोजना क्रियान्वयन	3180.57	5.15
प्रचार–प्रसार	740.31	1.79
मानिटरिंग लर्निंग	586.31	0.94
परियोजना प्रशासक	1464.16	2.37
कुल –	**61725.01**	**100.00**

स्त्रोत – कार्यालय छ.ग. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना रायपुर

परियोजना की 81 प्रतिशत राशि समुदाय और समुहो की उपयोजनाओ के लिए शेष 19 प्रतिशत राशि परियोजना के संचालन, प्रशिक्षण, मानिटरिंग तथा वतावरण तथा निर्माण के लिए व्यय का प्रावधान रखा गया है।

प्रदेश में नवा अंजोर परियोजना क्रियान्वयन में प्रारंभिक स्तर पर कठिनाईयां आई किन्तु इससे उबरकर यह तेजी से अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है। जून 2004 में न्यूनतम मैदानी अमले के साथ योजना शुरू तो हुई किन्तु अब विभिन्न पदो पर प्रतिनियुक्ति एवं संविदा नियुक्ति के माध्यम से अमले का पदस्थापना की जा चुकी है। परियोजना के विभिन्न मदो में अब तक कई उपलब्धियां हासिल की गई है। कुल 2784 समहित समूह का गठन कुल 15375 परिवारों को आर्थिक गतिविधि संचालन के लिए राशि उपलब्ध कराई गई इन परिवारों में 5215 अनु.जनजाति तथा 2100 अनु.जाति 6441 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 1619 सामान्य वर्ग के लोग है। इन समूह को अब तक आर्थिक सहायता के रूप में वर्ष 2004–05 मे 355.06 लाख, वर्ष 2005–06 में 1892.74 लाख इस प्रकार कुल 2247.80 लाख रूपये स्वीकृत किए गये। ग्राम पंचायत अधोसंरचना विकास एवं उपयोजना मद में 2329.85 लाख की लागत के 1562 निर्माण कार्य स्वीकृति दी गई जिनमें 863 गली क्रांकिटीकरण 162 पुलिया निर्माण, 99 पचरीकरण, 79 पंचायत भवन निर्माण, 79 पम्प हाऊस, 50 खेल मैदान समतलीकरण, 56 नाली निर्माण, 50 मुक्तिधाम शामिल है। यह निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति परियोजना की सार्थकता को स्पष्ट करता है। आज प्रदेश में कुल 580 महिला समहित समूह गठित हुए है, जिनमें 77 अनुजाति, 188 अनु जनजाति, 102 अन्य पिछड़ा वर्ग और 219 सामान्य वर्ग की महिलाओं के समूह है। इनमें कुल 3708 महिला सदस्य है।

प्रदेश में नवा अंजोर परियोजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण विकास में वृद्धि के साथ साथ लोगो की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन परिलक्षित हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छता के

छ.ग. प्रदेश की कुल जनसंख्या 2,0833803 है जो देश की जनसंख्या का 2.03 प्रतिशत है। इसमें पुरुष 10474218 एवं महिला 10359585 की संख्या है, प्रदेश में कुल 20796 ग्राम तथा 9810 ग्राम पंचायते है। कुल ग्रामों में 48 प्रतिशत से अधिक ग्राम में अनुजाति, जनजाति की आबादी है। 1997 के सर्वेक्षण अनुसार राज्य में 1428748 परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे। आज पूरे देश के सामने गरीबी उन्मूलन एक चुनौती है । छ.ग. सरकार ने इस चुनौती से निपटने "नवा अंजोर" परियोजना को हाथ में लिया है। यह परियोजना समाज से गरीबी दूर करने गांवों की क्षमता का विकास स्थानीय स्तर पर ही आय के अवसर की उपलब्धता, भूमिहीन, गरीब, साधनहीन के जीवनस्तर में सुधार लाने गरीबो को विशेषकर महिलाओं को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जिससे की वे अपना विकास कर सके एवं सतत् रूप से इनकी स्थिति में सुधार हो सके जैसे उदेश्यों को ध्यान में रखकर योजना का सवाल किया जा रहा है। परियोजना की रणनीति के तहत साधनहीन लोगो का समूह गठित कर राशि खाते में उपलब्ध कराई जाती है, परियोजना में पुरूषों के, महिलाओं के अथवा पुरा गांव का गांव भी समूह बन सकता है। किन्तु समूह में कम से कम 5 परिवारो का होना आवश्यक है। समूह के अन्दर सदस्य को अधिकतम 30 हजार रूपये के मान से राशि देय होती है। यह राशि समाजिक गतिविधियों का लिए प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग समूह द्वारा 5 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा।

समाहित समूह कामकाज को अपनी जरूरती के आधार पर करेंगे समूह प्रायः कृषि कार्य उदारी राजमिस्त्री, फीचर कार्य, टयूबवेल, कुंआ एवं पंप मत्स्य पालन, फोटोग्राफी, किराना दुकान, बोकशाला, बैण्ड पार्टी, हालर मिल, अगरबत्ती निर्माण, वनोपज से संबंधित कार्य खपरा निर्माण, देड–डबलरोटी निर्माण, ईटभट्ठा, खदान, मुर्गीपालन, बकरी पालन गतिविधियां के अतिरिक्त ग्राम पंचायत अधोसंरचना विकास जैसे कार्य कर सकते है।

परियोजना का कार्यक्षेत्र

नवा अंजोर परियोजना प्रदेश के आर्थिक–सामाजिक रूप से पिछड़े एवं संसाधनों की कमी वाले चयनित विकासखंडों के अंतर्गत गांवो में संचालित की जा रही है, ताकि वहां के लोगो को भी मुख्यधारा में आने का अवसर प्राप्त हो सकें। नवा अंजोर परियोजना मुख्यतः सहभागितां, सशक्तिकरण, विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता और परस्पर सहयोग पर आधारित है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पलायन करने वाले, सीमान्त–भूमिहीन किसान परिवार एवं महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है।

जिले का नाम	परियोजना क्षेत्र में शामिल विकासखंड	कुल ग्राम पंचायते
रायपुर	धरसींवा, तिल्दा, आरंग, छुरा	209
धमतरी	धमतरी, कुरूद, मगरलोड	183
महासमुंद	महासमुंद, बसना, सरायपाली	150
दुर्ग	दुर्ग, गुण्डरदेही, डौण्डीलोहारा, नवागढ़	212
राजनांदगांव	डोंगरगांव, अम्बागढ़ चौकी, छुरिया	171
कबीरधाम	कवर्धा	62
बिलासपुर	बिल्हा, कोटा, मस्तुरी, पेण्ड्रा	183
कोरिया	बैकुंठपुर	50
कोरबा	करतला	50
जांजगीर चांपा	सक्ती	50
रायगढ़	रायगढ़, तमनार, धरमजयगढ़	150
सरगुजा	वाड्रफनगर, रामचन्द्रपुर, ओडगी, कुसमी	196
जशपुर	जशपुर, बगीचा, फरसाबहार	141
बस्तर	बस्तर	55
कांकेर	भानुप्रतापपुर, चारामा, अन्तागढ़	141
दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	31

Dr. P.K. Jambulkar

RNI No. MPHIN/2004/14249

मासिक

अक्षर वार्ता

मूल्यः 25 /- रूपये

वर्ष-16 अंक-12 (अक्टूबर-2020)
Vol - XVI Issue No - XII
(October-2020)

ISSN 2349 - 7521 , IMPACT FACTOR - 2.891

indexed in the International Institute of Organized Research (I2OR) database

Monthly International Referred Journal & Peer Reviewed

कला-मानविकी-समाजविज्ञान-जनसंचार-वाणिज्य-विज्ञान-वैचारिकी की अंतरराष्ट्रीय रेफर्ड शोध पत्रिका

» aksahrwartajournal@gmail.com » www.facebook.com/aksharwartawebpage » +918989547427

अक्षर वार्ता
ISSN 2349-7521
Vol - XVI, Issue - XII, October - 2020
"AKSHARWARTA" Monthly International Referred Journal

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण से मतदान व्यवहार में महिलाओं की भूमिका

डॉ. डी. एन. सूर्यवंशी, डॉ. प्रदीप जामुलकर

प्राचार्य, एस.आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महा., दुर्ग, छग., सहायक प्राध्यापक, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, छग.

प्रस्तावना:- नारी सृष्टि निर्माता की अद्वितीय रचना है नारी के अभाव में सृष्टि की कल्पना नही की जा सकती। यह एक छायादार वृक्ष है। आज की इस वर्तमान दशा और दिशा का निर्धारण स्वयं महिला ही आगे बढकर कर रही है। महिलाऍं हर क्षेत्र में पुरूषों से कंधा से कंधा मिलाकर चर रही है। पुरूष प्रधान देश न कहकर नारी प्रधान देश कहा जाना उचित है। महिला ही शसक्त समाज का निर्माण करती है अतः उनका प्रत्येक स्तर पर सभी के मन में सम्माननीय विचार हो तभी महत्व है। नारी आगे आएगी तो परिवार समाज, देश प्रगति के मार्ग पर जाएगा।

महिला सशक्तिकरण के स्थिति का ज्ञान इस आधार पर हो सकता है कि सत्ता के स्वरूप का निर्धारण और उन्हे कितनी स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है, और उनके योगदान को कितना महत्व दिया जाता है।

महिला और राजनितिक स्थिति:- किसी भी देश के विकास में महिलाओं की बराबर भागीदारी आवश्यक है। राजनीतिक विकास की बात करें तब भी महिला की सक्रियता व बराबर भागीदारी आवश्यक है संविधान द्वारा प्रदत्त राजनीतिक अधिकारों व स्वतंत्रता का उपयोग जितना पुरूषों द्वारा किया जाता है क्या उतना महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है? वस्तुस्थिति यह है कि आज भी राजनीति में आज भी उनकी स्थिति दपेक्षित है। आज विश्व स्तर पर महिलाओं की राजनीति स्थिति पर नजर डाले तो पाते है, कि संसद में केवल 17.5 प्रतिशत, मंत्रीमण्डल में 06 प्रतिशत स्थान महिलाओं को मिला है।

यदि भारतीय राजनीति में महिलाओं की वर्तमान स्थिति पर नजर डाले तो लोकसभा में 61 व राज्यसभा में 31 व केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में 7 महिलाओं को प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है। वही यदि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति देखें तो लोकसभा के निर्धारित 11 सीटों में 01, राज्यसभा की 06 सीटों में भी केवल 01 सांसद, अपनी जगह बना पाई है। यही हाल 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों में केवल 10 महिलाऍं विधायक चुनकर आई। राज्य मंत्रीमण्डल में भी केवल 01 महिला मंत्री को प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हो पाया। ऐसी स्थिति में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में कमी के कारणों को तलाशना आवश्यक जान पड़ता है।

आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने पुरूषों के साथ अहम् भूमिका निभाई जिनमें दुर्गा बाई देशमुख, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पण्डित, हंसा मेहता, वायलेट अल्वा, आदि जिन्होने संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ के राजनीति में महिला राजनीतिज्ञों की कोई कमी नहीं रही। प्राचीन काल में महारानी कौशिल्या, रानी वास्टा देवी, मराठी रानी, आनंदी बाई बस्तर की काकतीय रानी प्रफुल्ल कुमार देवी शौर्य व समाजिकता की प्रतीक बिलासा बाई केंवटीन आदि, छ.ग. में स्वाधीनता संघर्ष में भी महिलाओं की भूमिका रेखांकनीय है जिसमें राधा बाई, रोहनी परगनिहा, केकती बाई बघेल, राजमोहनी देवी आदि ।

लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं की स्थिति:- आजादी के बाद संसदीय व्यवस्था की शुरूआत हुई उपरोक्त व्यवस्था में भी छ.ग. की महिला राजनीतिज्ञों ने अहम भूमिका निभायी जिसमें सांसद मिनीमाता का नाम प्रमुखता से स्मरण किया जाता जो 5 बार सांसद चुनी गई। रानी पद्मावती देवी 2 बार सांसद रही, छबीला नेताम, रानी पुपा देवी रायगढ़, श्रीमती करूणा शुक्ला, सुश्री सरोज पाण्डे, मेक्लाड एन्ग्रीड (मनोनीत) ये सभी लोकसभा की सदस्यता थी। वहीं श्श्याम कुमारी देवी, रानी केसर कुमारी सुश्री रतन कुमारी, वीणा वर्मा, कमला मनहर आदि वर्तमान में लोकसभा के 11 सीटों में एक मात्र महिला सांसद श्रीमती कमला पटेल व मोहसिना किदवई राज्यसभा सदस्या है। वर्तमान 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ से निर्वाचित सांसद श्रीमती रेणुका सिंह राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करने में सफल रही है। वही छत्तीसगढ राज्यसभा सीट से सुश्री डॉ0 सरोज पांडेय राज्यसभा सदस्य है।

सन् 1952 में स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव जीतकर रानी पद्मावती देवी इस क्षेत्र की प्रथम विधायिका महिला मंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। सन् 2000 से भारतीय गणराज्य से पृथक राज्य के रूप में छ.ग. के महिला विधायकों में श्रीमती गीतादेवी (केबिनेट मंत्री, डोंगरगांव) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, (खेरधा), फूलादेवी नेताम (केसकाल),प्रतिमा शाह (चित्रकोट),रानी रत्नमाला देवी (चन्द्रपुर) श्याम ध्रुव (कांकेर) विधायक रही। छ.ग. के 90 सदस्यीय विधानसभा के अब तक के चुनाव में 2004 में 5 महिला, 2009 में 19 महिला व 2015 के चुनाव में 10 महिला विधायकों को जनता ने प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान किया। 2019 के वर्तमान चुनाव में राज्य मंत्रीमण्डल में श्रीमती अनिला भेडिया (महिला व बालविकास मंत्री) व डॉ0 लक्ष्मी ध्रुव, श्रीमती देवती कर्मा, शंकुतला साहु, संगीता सिन्हा विधायक के रूप में निर्वाचित हुए है।

पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति:- छत्तीसगढ गांवों में बसती है जहाँ शासन की अपनी व्यवस्थ होती है। सदियों से छत्तीसगढ के गॉवों एवं पंचायतों में एकाधिकार रहता था, सन 1982 के पंचायत चुनाव में शासन की ओर से यह व्यवस्था किया गया, जिन पंचायतो में एक भी महिला सदस्य नही होते थे उन पंचायतों में महिलाओं को सहियोजना के आधार पर प्रतिनिधित्व देना शुरू किया। जिसे उस पंचायत के सदस्य अर्थात पंच एवं सपरंच मिलकर चुनते थे, सामान्य मतदाता नही। इस व्यवस्था से महिलाओं को नाम मात्र का प्रतिनिधित्व भले ही मिला पर इस वर्ग के लिए मिल का पत्थर साबित हुआ। वहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, महिला राजनीतिज्ञों के लिए

राजनीतिक प्रशिक्षण की प्रयोगशाला सिद्ध हुई। पंचायती राज में सफल भूमिका के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत सरपंच से शुरूआत करने के पश्चात् विधानसभा में पहुंचने पर उन्हे राजनीतिक कठनाई का एहसास नहीं होगा बल्कि सामर्थ्यवान भूमिका का निर्वाह करेगी। इनमें पूर्व में प्रेमबाई मंडावी, नीता लोधी, सरोज पांडे, छाया वर्मा, आशा तम्बेली, श्रीमती अराधना मरकाम, लता उसेंडी, किरणमयी नायक, माया बेलचंदन, जमुना मॉझी, चम्पा देवी, सरला कोशरिया, आदि जिन्होने त्रिस्तीय पंचायती राज प्रणाली में अपनी भूमिका निभाई।

आज शिक्षा ज्ञान-विज्ञान, व्यवसाय के क्षेत्र में जिस प्रकार महिलाएं आगे बढ़ी उसकी तुलना में राजनीति में उनकी सहभागिता कम रही। उनमें अधिकांश महिला राजनीतिक व्यक्तित्व रखने वाले पिता या पति की मृत्यु के पश्चात् सहानुभूति के वोट बटोरने आती है या तो पति की धूमिल होती जी रही राजनीतिक छवि पर पर्दा डालने के लिए रातो-रात घर से निकलकर सत्ता के गलियारे में आ जाती है।

वहीं कानून एवं संवैधानिक दृष्टि से महिलाओं के लिये पूर्ण स्वाधीनता का उल्लेख अवश्य किया जाता है, किन्तु पुरूष प्रधान समाज में लगभग 92प्रतिशत पुरूषों का मत है किसी भी पत्नी को उनकी अनुमति के बिना राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेना संभव नही। केवल 2प्रतिशत पुरूष ही नारी को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की अनुमति देते है। वही लगभग 54 प्रतिशत पुरूषों का मत रहा है कि महिलाओं के प्रयोग तक ही सीमित रहना चाहिए एवं राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी की विशेष आवश्यकता नहीं है 40 पुरूषों का यह विचार रहा है कि महिलाओं का प्राथमिक व सर्वोच्च उत्तरदायित्व घर गृहस्थी की जिम्मेदारी का वहन करना है। लगभग 35 प्रतिशत पुरूष वर्तमान राजनीतिक वातावरण को महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं मानते। व्यवहारिक दृष्टि से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि सामान्य तौर पर महिलाएँ स्वयं ही राजनीतिक क्षेत्र में रूचि नहीं लेतीं क्योकि उनका सामाजीकरण ही इसी प्रकार का हो जाता है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रमुख चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ:- राज्य एवं केन्द्र सरकार ने महिला शसक्तिकरण की दिशा में विभिन्न जनकल्याणकारी कार्य करने के लिए कदम उठाए है-

1. राज्य में महिला आयोग की स्थापना एवं महिलाओं के समग्र कल्याणकारी कार्य करने की स्थापना, समग्र विकास हेतु महिला निति की घोषणा की है।
2. सरकार ने महिलाओं का सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रतिशत 20 से बढाकर 30 प्रतिशत कर दिया है।
3. सरकारी कर्मचारियों द्वारा पत्नियों को प्रताडित करने पर उनके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान लाया गया है।
4. महिलाओं पर बढ रहे अत्याचार, बलात्कार, एवं अन्य अपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए भी नए नियमों का प्रावधान किया गया है, जिससे उन्हे सुरक्षा प्राप्त हो सके।

महिला शसक्तिकरण, महिला की पहचान:- महिला कल्याण महिला विकास से महिला सशक्तिकरण का पडाव अत्यंत महत्वपूर्ण है जब भी हम विकास और कल्याण की बात करते है तो परिस्थितियों में सुधार होता है तब सशक्तिकरण होता है, शक्ति संतुलन बदलता है जिससे भौतिक संसाधन, ज्ञान, विचार, संपत्ति, रचनात्मक कार्य, स्वतंत्र पहचान आदि में बदलाव आता है जो सशक्तिकरण का प्रमुख लक्षण है।

महिला सशक्तिकरण के नवीन सोपान:- नारी की सम्माननीय व शसक्त भूमिका तभी संभव है जब महिला सशक्तिकरण के लिए नवीन सोपान स्थापित किया जाए। महिलाओं को शसक्त बनाने के लिए परिश्रम व संघर्ष करना होगा, केवल नवीन प्रावधान व नियम बनाकर उन्हे समाज में सशक्त भूमिका में नही लाया जा सकता।यदि महिलाएँ एक जुट होकर संघर्ष करे तो उनको सशक्त होने से कोई नही रोक सकता, 21वीं सदी की नारी एक खुली हवा में साँस ले सकेंगी, एक नुतन समाज की संरचना कर एक समृध्द राज्य की स्थापना कर सकेंगी।

अतः महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए निम्न उपाय किये जाने चाहिए- महिलाओं को रातनीतिक शिक्षा व राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे मतदान की शशक्ति को जान सकें। पारिवारिक उत्तरउायित्वों का सहजीकरण किया जाये ताकि वह घरेलू बोझ से कुछ राहत पाकर राजनीतिक कार्यों में हिस्सा ले सकें।

1. महिलाओं सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए परिवारिक रूप से सहयोग करना चाहिए जिससे वह अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
2. महिलाओं को पूर्ण रूप से शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सकारात्मक भागीदारी निभा सके।
3. नारी शसक्ति के सदुपयोग की बढ़ती हुई मांग को दृष्टि में रखते हुए महिलाओं की समस्याओं के समाधान एवं दिशा निर्देश हेतु हर स्तर पर महिला आयोग अथवा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए।
4. म्हिलाओं में मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए ताकि पुरूष महिलाओं की अज्ञानता का लाभ न उठा सके और मतदान अधिकार का सही प्रयोग कर सकें।
5. महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा सक्रिय महिला राजनीतिक कार्यकार्ता कल्याण कोष की स्थापना । क्योंकि पुरूषों के लिए यह बड़ी बात नहीं क्योकि वे आर्थिक रूप से निर्भर होते है।
6. चुनाव आयोग के सुझाव के अनुसार महिलाओं को सक्रिय रातनीति में आगे लाने की श्शुरूआत राजनीतिक दलो कें द्वारा करनी चाहिए। दलों की पार्टी सरकार एवं अन्य निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं को महत्वपूर्ण पद सौंपने चाहिए चुनावों में टिकिट देने में महिलाओं के साथ भेदभाव को खत्म करना होगा।

लेकिन इन सुझावों से अधिक आवश्यक है महिलाओं में राजनीति में सक्रिय होने की दृढ़ संकल्प शक्ति, महिलाओं की राजनीतिक डगर काफी पथरीली है। यह हमारे लिए सुखद अहसास है कि वर्तमान मोदी मंत्रीमण्डल में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 16प्रतिशत तक पहुची है जो मनमोहन मत्रिमण्डल में 11प्रतिशत थी। वर्तमान में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में महिला मंत्रीयों में सुषमा स्वराज, उमाभारती, नजमा हेप्तुल्ला,मेनका गांधी, स्मृति इरानी, हरसिमरत कौर, निर्मला सीतारमण वही लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की उपस्थिति राजनीति में महिला सक्रियता को रेखांकित करती है।

निष्कर्ष:- 21 वीं सदी महिला सशक्तिकरण का युग है जिसमें महिलाएँ आज शसक्तिकरण के जिस राह पर चल पडी है वह आसान नही है आज उन्हे पंचायत से नेतृत्व करने का अवसर तो मिल गया है पर उसमें खरा उतरकर अपनी श्रेष्ठता साबित करने की चुनौती भी है, आज की महिलाओं के सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ है जिसका सामना करना महिलाओं के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है।

वर्तमान समय में छत्तीसगढ की महिलाओं ने राज्य व राष्ट में अपनी कार्यक्षमता और कार्यकौशल से सरपंच जैसे पदों आसीन होकर अपने दायित्व का निवर्हन कर रही है, वही दुसरी ओर प्रशासन के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रही है। महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ ले रही है और अपनी स्थिति को पूर्ण मजबूत कर रही है। वही शहरों में भी महिलाएँ पीछे नही है वें भी राजनिति, समाज सुधार, विज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्रों में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। शासन के जनकल्याणकारी योजना का लाभ लेकर स्वसहायता समुहों का गठन कर आज आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से सशक्त हो रही है। छत्तीसगढ की महिलाओं ने सामाजिक और राजनितिक क्षेत्र में एक अलग पहचान बना चुकी है वह अपने कार्यो से जनता के दिलों में राज कर रही है और उनके मन मस्तिष्क पर अपनी स्वच्छंद छवि बनाई हुई है। और यदि हम महिला सशक्तिकरण की बात करे तो महिलाओं ने आज ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक अपनी कार्यकुशलता से पुरे भारत मे अपनी कामयाबी का परचम लहरा रही है और अपनी सफलता का उचाइंयों को छु रही है, जो कि अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणास्पद बन रही है।

संदर्भ सूचीः-

1. पुरनमल, नवीन पंचायतीराज एवं महिला नेतृत्व, प्वांईटर पब्लिसर, जयपुर,2009।
2. त्रिपाठी पी0पी0, वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, कनिश्क पब्लिसर, दिल्ली, 1994
3. मोहन अरविंद, लोकतंत्र का नया लोक, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, 2009।

ISSN 2349 - 7521
RNI No. MPHIN/2004/14249

वर्ष-16 अंक-12 , अक्टूबर - 2020
Vol - XVI
Issue No. XII
Octuber 2020

मासिक

अक्षर वार्ता

Impact Factor - 2.891

aksharwartajournal@gmail.com

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

प्रधान संपादक - प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा

संपादक- डॉ.मोहन बैरागी

संपादक मण्डल :-

डॉ.जगदीशचन्द्र शर्मा (उज्जैन)

प्रो.राजश्री शर्मा

डॉ. शशि रंजन 'अकेला' (आरजीपीवी,भोपाल)

सहयोगी सम्पादक :- डॉ. मोहसिन खान (महाराष्ट्र)

सह सम्पादक- डॉ.भेरुलाल मालवीय

डॉ. अंजली उपाध्याय

डॉ. पराक्रम सिंह

डॉ. रूपाली सारये

डॉ. विदुषी शर्मा

डॉ. ख्याति पुरोहित

डॉ. अवनीश कुमार अस्थाना

शोध-पत्र भेजने संबंधी नियम

शोध-पत्र 2500-5000 शब्दों से अधिक नही होना चाहिये। ०. हिन्दी माध्यम के शोध पत्रों को कृतिदेव 010 (Kruti Dev 010) या युनिकोड मंगल फोंट में टाईप करवाकर माईक्रोसॉफ्ट वर्ड में भेजें। ०. अंग्रेजी माध्यम के शोध-पत्र टाईम्स न्यु रोमन (Times New Roman) ,एरियल फोंट (Arial) में टाईप करवाकर माईक्रोसॉफ्ट वर्ड में अक्षरवार्ता के ईमेल पर भेजने के बाद हार्ड कॉपी तथा शोध-पत्र मौलिक होने के घोषणा-पत्र के साथ हस्ताक्षर कर अक्षरवार्ता के कार्यालय को प्रेषित करें। ०. Please Follow- APA/MLA Style for formatting अक्षरवार्ता का वार्षिक सदस्यता शुल्क रूपये 650/-रूपये एवं प्रकाशन/पंजीयन शुल्क रूपये 1500/- का भुगतान बैंक द्वारा सीधे ट्रांसफर या जमा किया जा सकता है। बैंक विवरण निम्नानुसार है- बैंक :-

Corporation Bank,
Account Holder- Aksharwarta
Current Accont NO.
510101003522430
IFSC- CORP0000762,
Branch- Rishi Nagar,Ujjain,MP,India

भुगतान की मुल रसीद,शोध-पत्र एवं सीडी के साथ कार्यालय के पते पर भेजना अनिवार्य है। Email: aksharwartajournal@gmail.com

संपादकीय कार्यालय का पता- संपादक अक्षर वार्ता
43,क्षीर सागर,द्रविड मार्ग,उज्जैन,मप्र. 456006,भारत
फोन :- 0734-2550150 मोबा :-8989547427

Subscription Form (Photocopy of this form may be used, if required)

I/ We wish to subscribe the Journals. Total Amount : 650/- (Six hundred Fifty only)(INR) and/or Registration Fee. All fee and Subscriptions are payable in advance and all rates include postage and taxes. Subscribers are requested to send payment with their order whenever possible. Issues will be sent on receipt of payment. Subscriptions are entered on an annual basis and are subject to renewal in subsequent years.

Subscription from:..............to...............SUBSCRIBER TYPE:(Check One) Institution( )/Personal ()Date:.............Name/Institution and Address :..City : ....State :..........................PinCode................................ Country .... PhoneNo :.............. MobNo.:............................ Mail id...

PAYMENT OPTION:

DD in the favor of "AKSHARWARTA" payable at UJJAIN.

DD No.: ....Dated : ....for Rupees (in words) ....Drawn on ....Any other option Specify :.........................

सूचना के अधिकार 2005 की वर्तमान समय में प्रासंगिकता, दशा व दिशा

डॉ. भूपेन्द्र कुमार
डॉ. प्रदीप कुमार जामुलकर

व्याख्याता, शा. हाई स्कुल, नीलावरम, सुकमा, छग. एवं सहायक प्राध्यापक, शास. नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़

सारांश:- वर्तमान समय में सूचना के अधिकार को प्रशासन में पारदर्शिता एवं आम लोगों की शासन के प्रति भागीदारी का एक सुगम माध्यम है तथा प्रशासनिक कार्यो में पारदर्शिता के अभाव एवं दायित्व निर्वहन के कार्यो में वृध्दि व प्रशासनिक कार्यों के सूचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसके चलतेवर्तमान समय में सूचना के अधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता बढ रही है। जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को एक नई दिशा प्रदान कर रही है।

अवधारणा व अर्थ:-सूचना का अधिकार प्रशासन में पारदर्शिता और आम लोगों की शासन में सक्रिय भागीदारी का एक सुगम एवं सीधा मार्ग है। सूचना के अभाव में प्रशासन की कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को जानकारी नहीं हो पाती है। कारण यह है कि आज भी प्रशासनिक कार्यो में पारदर्शिता के अभाव एवं दायित्व निर्वहन में अंग्रेज प्रशासन के प्रभाव को स्वीकारते है, वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर कार्य के पर्यवेक्षण में पारदर्शिता लाने और उश्ररदायित्व वहन करने की इच्छा शक्ति का अधिकारियों एवं कर्मियों में अभाव नजर आता है। राजनीतिक दबाव के चलने प्रशासन की निष्पक्षता एवं सामान व्यवहार आधारित कार्य क्षमता भी बहुधा संदेह के घेरे में आ जाती है। सूचना का अधिकार देना दरअसल लोगों को अपनी नीतियॉ खुद बनाने और खुद ही उन पर अमल करने का अधिकार देना है। इसके बिना न तो विकास संभव है और न ही राहत कार्य। लोकतंत्र में विकास का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नीति निर्धारण और उनके क्रियान्वयन में लोगों की सीधी भागीदारी तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि सूचना का अधिकार न हो। संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को लोगों की सीधी भागीदारी के जरिए सचमुच लोकतांत्रिक बनाने के लिए सूचना का अधिकार जरूरी है।

सूचना के अधिकार की प्रांसगिकता:- लोकतंत्र को जीवंत बनाने और शासन-प्रशासन में आम लोगों की सत्त एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार जरूरी है। जहां सरकारी नौकरियां की भर्ती, पदोन्नतियों में धांधली के समाचार अखबारों की सुर्खियां बनते है। भाई-भतीजावाद पक्षपात और राहत कार्यो पर नियोजित श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी हड़प्पा लेने के कई मामले आंदोलन का रूप धारण कर लेते है, जो कई बार शासन प्रशासन के लिए परेशानी खड़ी कर देते है। निर्धारित मापदड़ों के अनुसार कार्य हो और चयन सूची प्राप्तांको सहित सार्वजनिक कर दी जाए तो पक्षपात के अधिकांश आरोपों का स्वत: ही समाधन हो सकता है। इस प्रकार आमजन में व्याप्त भ्रांतिया और असंतोश को सूचना के अधिकार से दूर किया जा सकता है।

प्रशासनिक कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को इस अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त कर प्रमाणित किया जा सकता है। सरकार ने आम आदमी के हाथ में सूचना के अधिकार के रूप में वह ब्रम्हास्त्र थमा दिया जिसके प्रहार से भ्रष्ट अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकता है। और मंत्री या निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी बेनकाब हो सकते है।

कमियॉ (दोष):-

1. सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करने पर नागरिकों को सही समय पर जानकारी प्राप्त नहीं होती। अगर जानकारी प्राप्त होती भी है तो वह भी आधी अधूरी या भ्रामक जिसके कारण इस अधिनियम में लोगों का विश्वास नहीं बन पा रहा है।
2. इस अधिनियम को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए उसका प्रशासनिक संगठन उश्ररदायी होता है। प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में प्रशिक्षण नहीं दिया जाने के कारण यह कानून अधिक प्रभावी नहीं हो पाया है।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम अपने आठ वर्ष पूरे कर चुका है। और आधुनिक युग में इसको प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
4. आज वैश्वीकरण के आधुनिक युग में निजी क्षेत्र को इस कानून के दायरे में नहीं रखा गया है। जबकि निजी क्षेत्र भी सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
5. कई विभागों में रिकार्ड आज भी कम्प्यूटराइज्ड नहीं हो पाए है। जिस कारणों से आवेदक को सूचना समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, तथा यह भी देखने को मिला है कि आर.टी.आई.सेल. में स्टाफकी कमी के चलते भी कार्य बाधिक हो रहे है।
6. सूचना मांगने वाले का उद्देश्य दूसरों को तंग करना ही रहा है वे इतनी अधिक जानकारी मांगते है कि जिसे इकट्ठा करने में समय व धन अधिक लगता है जिससे कार्यालय के अन्य कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है।
7. छोटे अधिकारीयों पर तो सूचना न देने पर कार्यवाही हो जाती है लेकिन बड़े पर अपने पद व प्रभाव के कारण बच जाते है सभी पर एक जैसी कार्यवाही न होने के कारण भी एक्ट का प्रभाव कम है।
8. जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इस एक्ट के बारे में जनता को जागरूक करने का अभाव पाया गया है।
9. बहुत ही कम कार्यालयों द्वारा अलग से सूचना अधिकार सेल बनाया गया है तथा कई कार्योलयों में आर.टी.आई. सेल नहीं है।

निराकरण:-

1. सूचना के अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि वे सभी व्यक्ति जिन पर इस कानून के प्रवर्तन का दायित्व

अधिरोपित किया गया हो, उन्हे सूचना के अधिकार के प्रति जनता में जागरूकता के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

2. जन सूचना अधिकारियों व अपीलीय अधिकारियों की सूची तैयार करके प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि आवेदनकर्ता को कार्यालय का पता आसानी से उपलब्ध हो सकें।

3. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को तभी प्रभावी बनाया जा सकता है यदि इसके लिए केन्द्र, राज्य, व स्थानीय स्तर पर राजनैतिक इच्छा शक्ति की भावना विद्यमान हो तब इसको प्रभावी बनाने में राजनैतिक सहयोग प्राप्त होगा।

4. वैश्वीकरण के युग में बढ़ते निजी क्षेत्र को भी इस कानून के दायरे में लाया जाना जरूरी है।

5. प्रत्येक विभाग में सूचनाएं प्राप्त करवाने के लिए अलग सहायता केन्द्र कलर्क, स्टोरकीपर आदि का प्रबंध किया जाना चाहिए तथा रिकार्ड दस्तावेजों को पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त अभिमत का विश्लेषण:-

1. क्या आप सूचना के अधिकार अधिनियम को निष्पक्षता व पारदर्शिता के लिए उचित समझते हैं।

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	270	90
2.	नहीं	7	2.33
3.	कह नहीं सकते	23	7.67
4.	प्रश्न समझ में नहीं आया		
	योग	300	100

1. क्या आप सूचना के अधिकार अधिनियम को निष्पक्षता व पारदर्शिता के लिए उचित समझते हैं।

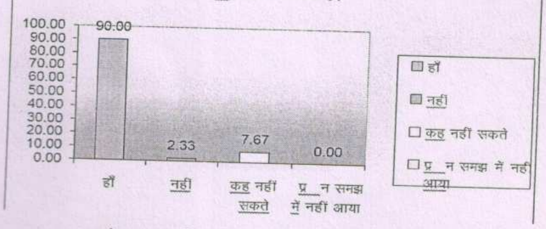

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में 90 प्रतिशत उत्तरदाता का मत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को निष्पक्षता व पारदर्शिता के लिए उचित समझते है, जबकि 2.33 प्रतिशत उत्तरदाता इस अधिनियम को निष्पक्षता व पारदर्शिता के लिए उचित नहीं समझते है वही 7.67 प्रतिशत उत्तरदाता ने स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया।

वर्तमान समय में सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू होने से शासकीय कार्यो में पारदर्शिता और निष्पक्षता आयी है, क्योंकि यह अधिनियम व्यक्ति को कुछ विशेष विषय को छोड़कर सभी विषयों में सूचना प्राप्त करने की छूट देता है।

2. क्या यह अधिनियम भ्रष्टाचार व लालफीताशाही को समाप्त करने में कारगर हथियार के रूप में कार्य कर रहा है।

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	268	89.34
2.	नहीं	10	3.33
3.	कह नहीं सकते	22	7.33
4.	प्रश्न समझ में नहीं आया		
	योग	300	10

2. क्या यह अधिनियम भ्रष्टाचार व लालफीताशाही को समाप्त करने में कारगर हथियार के रूप में कार्य कर रहा है।

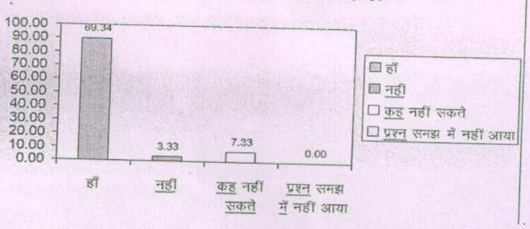

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन के लिए चयनित उत्तरदाताओं में 89.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि यह अधिनियम भ्रष्ट्राचार व लालफीताशाही को समाप्त करने में कारगर हथियार के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि 3.33 प्रतिशत उत्तरदाता ने माना की यह अधिनियम लालफीताशाही व भ्रश्टाचार को समाप्त करने में कारगर हथियार नहीं है, व 7.33 प्रतिशत उत्तरदाता ने तटस्थता बनाते हुए जवाब नहीं दियं

वास्तविक रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने से शासकीय कार्यो में भ्रष्टाचार व लालफीताशाही रवैया में सुधार हुआ है और यह भ्रष्टाचार और लालफीताशाही को अपने पारदर्शिता के प्रभाव से समाप्त करने में बहुत हद तक सफल होता नजर आ रहा है।

निष्कर्ष:- वर्तमान समय में पारदर्शिता, संवेदनशीलता, जवाबदेयता, ईमानदारी से इस अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता है। नए कानूनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इन्हें ही सुधार के साथ सही रूप से लागू किया जा सकेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार समाप्त करने में कारगार सिद्ध होगा व प्रशासनिक पारदर्शिता व जवाबदेहीता को बढ़वा मिलेगा। सत्ता को आम लोगों के नियंत्रण में रखने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सूचना का अधिकार नितांत आवश्यक है।

संदर्भ सूची:-

1. जोहरी जे.एस., भारतीय राजनीतिः एस.पी.डी. पब्लिशिंग हाऊस, साहित्य आगरा 2009 पृ. 62
2. त्रिवेदी शिव प्रकाश, सूचना का अधिकार अधिनियम, छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी रायपुर, 2011 पृ. 1
3. निगम शालू, सूचना का अधिकारः कुछ सामाजिक व कानून पहलू, वी.टी. पिपुल पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2006 पृ. 33
4. राजगढ़िया विष्णु एवं केजरीवाल अरविंद, सूचना का अधिकार, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2007 पृ. 28
5. बर्थवाल सी.पी., जानिये सूचना का अधिकार, भारत बुक सेंटर लखनऊ 2009, पृ 10

ISSN - 0973-1628

152

Issue - 152, Vol-XV (9), November - 2016

www.researchlink.co

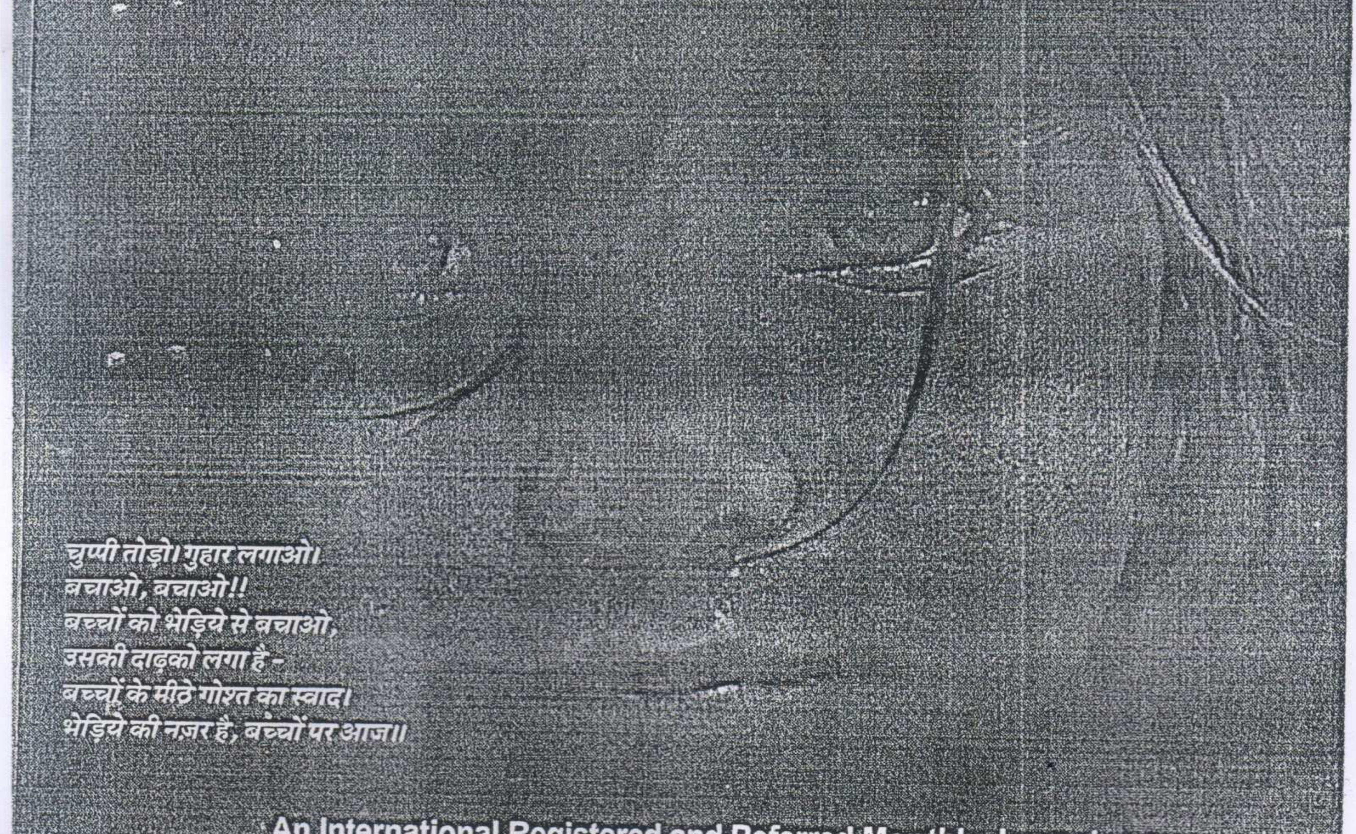

चुप्पी तोड़ो। गुहार लगाओ।
बचाओ, बचाओ!!
बच्चों को भेड़िये से बचाओ,
उसकी दाढ़को लगा है -
बच्चों के मीठे गोश्त का स्वाद।
भेड़िये की नज़र है, बच्चों पर आज।।

An International Registered and Referred Monthly Journal

RESEARCH Link

Kala, Samaj Vigyan awam Vanijya

Impact Factor 2015 2.782

₹ 250/-

: : CIRCULATION : :

Andaman-Nicobar / Bihar / Chattisgarh / Delhi / Goa / Gujarat / Haryana / Himachal / Jammu & Kashmir / Karnataka / Madhya Pradesh / Maharashtra / Punjab / Rajasthan / Sikkim / Uttar Pradesh / Uttranchal / West Bengal

Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Research Link - 152, Vol - XV (9), November - 2016, Page No. 137-138
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782
Research Paper

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा

प्रस्तुत शोधपत्र छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और उसकी शिक्षा को केन्द्र में रखकर लिखा गया है। छत्तीसगढ़ यूं भी और आज भी भूख, गरीबी, बेकारी और नक्सल समस्या से जूझ रहा है। महिलाएँ ही क्यों, पुरुष समाज भी गरीबी के बीच जीवन व्यतीत करने के लिए विवश है। महिलाएँ भी अंधेरे के बीच जन्मी और एक दिन चुपचाप गुम हो जाती हैं। सशक्तिकरण की बात इसी तरह जोरों से की जाती रही है। राजनीतिक गलियारों से भी खूब प्रयत्नों की चर्चा की जाती है, किन्तु शिक्षा का अभाव आज भी है। महिलाएँ न साक्षर हैं, न उनमें चेतना है। शिक्षा ही जीवन को जीने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति और समझ देती है। महिला शिक्षा के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य बहुत पीछे है। आवश्यकता इस बात की है कि यदि नारी को शिक्षित किया जाए तो आने वाली पूरी पीढ़ी सशक्त होकर समाज और राष्ट्र को सुदृढ़ करेगी।

डॉ.डी.एन.सूर्यवंशी* एवं डॉ.प्रदीप कुमार जामुलकर**

प्रस्तावना :

वर्तमान विश्व में महिलाओं को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने के लिए भारत ही नहीं, विश्व के देश इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं, परन्तु यदि प्राचीन व्यवस्था को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि महिलाएँ प्राचीनकाल से शक्तिशाली और समृद्ध रही है, क्योंकि प्रकृति ने ही उसे शक्तिशाली बनाने के लिए अद्भुत रचना की है। भारत की संस्कृति ने "जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि" को आत्मसात किया है। गाँधीजी ने कहा था कि, जिस परिवार में स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है, वहाँ साक्षात् लक्ष्मी का वास होता है। किसी भी देश की महिला उस राष्ट्र की संस्कृति, धर्म, साहित्य, कला एवं ज्ञान–विज्ञान का स्तम्भ होती है। उसे शिक्षित बनाकर उनकी सृजनात्मक क्रियाशीलताओं को प्रबुद्ध, शुद्ध और समुन्नत बनाया जा सकता है। यह सृजनशीलता, क्रियाशीलता पुरुष का उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक क्षेत्रों में नेतृत्व और मार्गदर्शन तभी कर करती है, जब वह सुशिक्षित हो, साधन सम्पन्न हो। अतः राष्ट्र में स्त्री को सशक्त बनाने के लिए स्त्री शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। छ.ग. राज्य निर्माण के बाद छ.ग. को विकास की गति प्रदान करने के लिए मुख्य मंत्री डॉ. रमन सिंह ने यह नारा दिया है कि, "शिक्षा मूल मंत्र –आध ार लोकतंत्र"। महिलाओं की शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में यह नारा दिया गया कि "महिला पढ़ेगी– इतिहास गढ़ेगी।" छत्तीसगढ़ में प्रायमरी स्कूल से उच्च शिक्षा तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें सशक्त बनाना है। इसके लिए शासन द्वारा छात्राओं को निःशुल्क छात्रावास, कोचिंग की सुविधा एवं साईकिल का वितरण करके घर–घर में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर प्रयास किए गए। यहाँ तक कि शासन द्वारा महिला शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि बिना शिक्षा के किसी भी प्रकार के विकास या शोषण को रोकने की बात की जाए, तो वह उल्टे घड़े पर पानी डालने के समान है।

महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा :

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा ही एक मात्र वह औजार है, जिसे दुनिया की कोई ताकत उनसे छीन नहीं सकती। जबकि अन्य चल–अचल सम्पत्ति को पुरुष प्रधान समाज में अबला कहलाने वाली महिला से छीना जाता रहा है। अब वह बेवस व शोषित होकर लुटती रही है। जब से शिक्षा ने महिला को सशक्त किया है, तब से पुरुष प्रधान समाज महिला नेतृत्व और महिला सशक्तिकरण को आत्मसात करने लगा है। अतः हमें उन प्रयासों को मजबूती प्रदान करने और बढ़ाने की आवश्यकता है, जो महिलाओं को शिक्षित बनाने, जानकारी और ज्ञान देने के किए जा रहे हैं, जो उन्हें व पितृसत्तात्मक मान, नियमों, मूल्यों, व्यवहार पद्धतियों को चुनौती देने में मदद करेंगे। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो केवल शब्द पढ़ने और समझने में ही महिलाओं की मदद न करे, जो महिलाओं को केवल शिक्षा के तीन बुनियादी सिद्धांतों में महारत दिलाएं और अपना भाग्य निर्माता बनने में मदद करें।

महिलाओं को तेजी से बदलती हुई विश्व की वास्तविकताओं को समझने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक कौशल हासिल करने में मदद करे, जो उन्हें अपमानपूर्ण और अमानवीय स्थितियों का विरोध करने का विश्वास और ताकत प्रदान करे। यदि महिलाएँ साक्षरता के साथ जुड़ेंगी, तो महिलाओं के लिए साक्षरता कक्षाएँ जागृति का केन्द्र बन जाएगी। वे महिलाओं को सशक्त समूह बनाने

*प्राचार्य, सेठ आर.सी.एस.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
**प्राध्यापक, शासकीय नेहरु स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़ (छत्तीसगढ़)

सहायता करेंगी, ताकि वे अपने जीवन पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण हासिल कर सके, उनकी चुप्पी तोड़ने में मदद कर सके, उन्हें जाहिर कर सके।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। शैक्षणिक प्रयास महिलाओं की मौजूदा जानकारी और कौशल पर आधारित होने चाहिए। वे पुख्ता होने चाहिए, उनमें प्रत्येक में मौजूद अच्छाइयों को उजागर करने वाले होने चाहिए।

वर्तमान समय में महिलाओं ने उपलब्धियों की जिन ऊँचाइयों को स्पर्श किया है। उनके लिए अरविन्द ने विगत सदी को मदर सेंचुरी कहा है, जिसे सम्पूर्ण विश्व ने एक स्वर में स्वीकारा है। इसके बावजूद 21वी सदी में इनकी संख्या कितनी है। देश की आधी आबादी में कितनी प्रतिशत महिलाओं पुरुष दासता से मुक्त हुई है। पुरूष प्रधान समाज का अधिकांश पुरूष आज भी यह चाहता है कि महिला सिर्फ प्रेम और बहुसंख्य महिलाओं में उनके इस विचार अथवा सोच का विरोध करने का साहस भी नहीं है। इसलिए महिलाएँ आज भी शोषण, अत्याचार एवं दोषपूर्ण नीति का शिकार हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वे अपने अधिकार से परिचित नहीं है। महिला जागृत और संगठित नहीं है। आज भी महिलाएँ पुरातन पंथी मान्यताओं से जकड़ी हुई हैं। इन तमाम कारणों के कारण के मूल में अशिक्षा प्रधान कारक है।

शिक्षा एक विभूति है और शिक्षित विभूतिवान यदि स्त्रियाँ शिक्षित हो एवं अपनी क्षमता का सही उपयोग करें, तो उनके लिए परम्परा और रूढ़ियों के बोझ तले दबी भारतीय नारी को दुःखत स्थिति से उबारना आसान होगा।

सशक्तिकरण का आशय सिर्फ शक्ति का अधिग्रहण नहीं है, बल्कि इसमें शक्ति प्रयोग की क्षमता का विकास किया जाता है। महिलाओं को परालंबन की भावना से मुक्त करना, उनकी हीन भावना को समाप्त करना तथा महिला को हाशिए से घटाकर समाज की मुख्यधारा में लाना है एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करनां ही सशक्तिकरण है। यदि समाज में नारी सम्मान खोए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उसकी इच्छा अनिच्छा की परिवार एवं समाज के हर स्तर पर कद्र की जाए, तो हम कह सकेंगे कि महिला सशक्त हो गई है और यह सब निर्भर करता है, उसकी शिक्षा पर।

शिक्षा ऐसी हो, जो महिलाओं के बीच विश्वास और एकजुटता उत्पन्न करे। महिलाओं को विश्लेषण और प्रश्न पूछने वाले दिमाग और अपने आस–पास की वास्तविकताओं को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करनी चाहिए। वह उन्हें सूक्ष्म और व्यापक वास्तवकिताओं के बीच सूक्ष्म वास्तविकताओं और व्यापक नीतियों के बीच स्थानीय और वैश्विक के बीच सम्पर्क देखने में सहायता करें। महिला सशक्तिकरण के साथ मानवीय मूल्यों का सशक्तिकरण भी होना चाहिए, तभी हमारे चारों ओर समानता, न्याय और शांति होगी। महिलाओं का सशक्तिकरण केवल तभी त्वरित गति से संभव हो सकेगा, जब पुरूष इस बात को समझेंगे कि यह उनके लिए भी अच्छा होगा और यह परिवारों और राष्ट्रों के लिए भी अच्छा होगा।

निष्कर्ष :

युग नायक एवं राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानंद कहते हैं, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का शिक्षा सर्वोत्तम थर्मामीटर है। इसीलिए समाज को महिलाओं की दशा को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए, जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। हमें नारी शक्ति के उद्धारक नहीं, वरन् उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारत की महिलाएँ भी अन्य देशों की महिलाओं की भांति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ व भारत के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएँ निहित हैं। शिक्षा ही महिला को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी एवं अधिकारों के प्रति जागरूक बना सकती है। इसीलिए शिक्षित महिलाओं का दायित्व है कि अन्य महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित करें, उन्हें सहयोग करें, क्योंकि 'पढ़ी–लिखी अगर होगी नारी, समझ सकेगी जिम्मेदारी।

शिक्षा में महिलाओं को विकास के लिए उन्नत आकाश उपलब्ध कराना है, जहाँ वे अपने लक्ष्यों एवं सपनों को पाने के लिए उड़ान भर सकती है। देश के सभी क्षेत्रों में शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार से महिलाओं की स्थिति में सुधार परिलक्षित हो रहा है। आज राज्य में महिला एवं बाल विकास, सामाजिक अधिकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग व साथ ही राजनीति के क्षेत्र में पंचायतों से लेकर संसद तक अपना आधिपत्य स्थापित करते हुए महिला सशक्तिकरण को परिभाषित कर रही है।

संदर्भ :

(1) सिंह, डॉ. निशांत (2011) : स्त्री सशक्तिकरण : एक मूल्यांकन, खुशी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 11.

(2) योजना, सितम्बर 2016, पृ. 23.

(3) कुमार, नीरज : महिला सशक्तिकरण की कुछ कोशिशें, कुरुक्षेत्र, मार्च 2007, पृ.9.

(4) अग्रवाल, शिखा (2001) : राजनीतिक परिदृश्य में नारी, (आलेख 2001), पृ. 22.

(5) शर्मा, रमा (2009) : महिला सशक्तिकरण, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पृ. 38.

(6) कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2010, पृ. 22.

RNI No. MPHIN/2004/14249
मासिक
मूल्य 25/- रुपये
अक्षर वार्ता
कला-मानविकी-समाजविज्ञान-जनसंचार-वाणिज्य-विज्ञान-वैचारिकी की अन्तरराष्ट्रीय रेफर्ड शोध पत्रिका
ISSN 2349 - 7521/ IMPACT FECTOR - 2.891
Monthly International Referred Journal
वर्ष-15 अंक - 08 मई 2019
Vol - XV Issue No - XIII May -2019
»aksharwartajournal@gmail.com » www.facebook.com/aksharwartawebpage » +918989547427

...के हस्तांतरण में तेजी नहीं लाई जा सकती है।

एम.आर.बीजू (1997) ने केरल राज्य के संदर्भ में नवीन पंचायती राज व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। अपने अध्ययन में केरल में नवीन पंचायत राज व्यवस्था के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंध शक्ति हस्तांतरित एवं लोगों की सहभागिता आदि बिन्दुओं को स्पष्ट किया है। इसके अनुसार पंचायत राज व्यवस्था से जिस प्रकार की अपेक्षा की गई थी, उसे पूरा करने में सफल नहीं हुई है, किन्तु उसे असफल भी नहीं किया जा सकता। पंचायत राज व्यवस्था वास्तव में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की दिशा में एक कदम है।

महीपाल (1997) ने अपने अध्ययन में पंचायत राज व्यवस्था में अतीत से लेकर आज तक जो बदलाव आते हैं उनकी क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवेचना करते हुए वर्तमान व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है, साथ ही देश के पन्द्रह राज्यों- आन्ध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, *तमिलनाडू, उत्तरप्रदेश, हिमांचलप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा*, पंजाब, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल के अधिनियमों की मुख्य विशेषताओं को अंकित किया है।

संदीप जोशी (1998) ने पंचायतों की वित्तीय स्थिति का ...प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन किया है। इस अध्ययन में वित के उपबंधो की व्याख्या करते हुये पंचायतों की वित्तीय क्षमता हेतु उपाय सुझाये गये है।

शोध विषय का राजनीतिक महत्व:- पंचायती राज के पीछे जो विचारधारा तथ्य निहित थी, वह यह है कि गाँवों के लोग अपने ऊपर शासन करने का उत्तरदायित्व स्वयं संभाले। यही एक महान आदर्श है जिसे प्राप्त किया जाना था। यह आवष्यक है कि गाँवों में रहने वाले लोग कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई, पशुपालन आदि से संबंधित क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लें। ग्रामीण लोग न केवल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग ले, अपितु उन्हें यह अधिकार भी होना चाहिए कि वे अपनी आवश्यकताओं और अनिवार्यताओं के विषय में स्वयं ही निर्णय की शक्ति भी प्रदान करें। पंचायती राज की संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय लोग केवल नीति का ही निर्धारण करते, अपितु उसके क्रियान्वयन तथा प्रशासन का नियंत्रण एवं मार्गदर्शन भी करते।

पंचायत के योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका निर्वाह:-

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु प्रतिमाह 350 रूपये प्रदान किया जाता है। इनकी पात्रता 62 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को प्रदान किया जाता है।

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना -गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विधवा महिला हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु प्रतिमाह 350 रूपये प्रदान किया जाता है। इनकी पात्रता 40 से 64 वर्ष से आयु की विधवा महिलाओं को यह राशि प्रदान किया जाता है।

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बहु विकलांग हितग्राहियों प्रतिमाह 350 रूपये की दर से आर्थिक सहायता सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के लिए प्रदान किया जाता है। इनकी पात्रता 18 से 64 वर्ष से आयु केबहु विकलांग।

4. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना- छत्तीसगढ के मूल निवासी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध। 35 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की निराश्रित विधवा एवं परित्याक्त महिलाएँ 6 से 14 वर्ष की आयु के निराश्रित/गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के नि:शक्त शालेय छात्र तथा 14 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित नि:शक्त को प्रतिमाह 200 रूपये आर्थिक सहायता सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने के लिए प्रदान किया जाता है।

5. इंदिरा आवास योजना:- ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल आवासहीन परिवारों के आवास निर्माण के लिए शत् प्रतिषत आर्थिक सहायता देकर नि:शुल्क आवास प्रदान किया जाता है। इंदिरा आवास एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्र का अंश तथा 25 प्रतिशत राज्य का अंश होता है। पात्र हितग्राहियों को नवीन आवास निर्माण हेतु 75000 रूपये तथा आवास के उन्नयन हेतु 35000 रूपये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राशि हितग्राही के खाते में जमा की जाती है तथा आवास का निर्माण हितग्राही द्वारा स्वयं किया जाता है।

6. मध्यान्ह भोजन का संचालन:- शासकीय विद्यालयों में अनुदान एवं *स्थानीय निकायों में पहली कक्षा से आठवी तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं* को स्कूल में प्रवेश तथा नियमित उपस्थिति हेतु योजना को लागू किया गया है। मध्यान्ह भोजन का संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा था आज भी जहाँ स्व सहायता समूह का गठन नहीं हुआ है वहाँ पंचायतों द्वारा ही सरपंच/सचिव के माध्यम से ही संचालित किया जा रहा है। इस योजना को सफल बनाने में पंचायत के सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

7. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना:- ग्राम पंचायतों में इस योजना के संचालन में पंचायत सचिवों का महत्वपूर्ण योगदान है। हितग्राहियों का जॉब कार्ड पंजीयन बैंक में खाता खोलवाना, कार्ययोजना बनाना तथा कार्यों का फाईल जनपद पंचायत में हितग्राहियों से मांग पत्र भरवाना फिर कार्य प्रारंभ करवाना व मजदूरों का राशि भुगतान तथा ग्राम पंचायत के सचिवों द्वारा इस योजना में पूरा सहयोग हितग्राहियों को दिया जाता है। हर परिवार को 150 दिन का कार्य उपलब्ध करवाना, काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है। कार्यस्थल पर पीने का पानी, दवाई पेटी, बच्चों के लिए झूला व मजदूरों के लिए छाया का व्यवस्था करवाना यह सब कार्य ग्राम पंचायत सचिवों व रोजगार सहायक द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सचिव सभी कार्यों का अभिलेख, फाईल, कैश बुक रिकार्डों का संधारण ग्राम पंचायत के सचिवों द्वारा किया जाता है।

8. सूचना का अधिकार अधिनियम:- स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायतों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हो, भारत सरकार की यह एक साहसी पहल है, जिससे भारत के नागरिकों को ऐसा अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह लोक महत्व की जानकारियाँ सरकार से प्राप्त कर सकता है। इससे सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता और खुलापन प्रकट होगा। केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध परिवाद या अपील पर विनिश्चय के समय दैनिक नियम शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार होता है तथा सेवा नियमों के तहत अनुशास्नात्मक कार्यवाही की अनुशंसा करने का अधिकार है। चूंकि ग्राम पंचायतों में सभी अभिलेखों का संधारण ग्राम पंचायतों के सचिवों द्वारा किया जाता है तथा ग्राम पंचायत से संबंधित सभी जानकारियाँ सचिवों को रहता है। कार्यों के बारे में सूचना ग्राम पंचायत का सचिव के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम पंचायत का रीढ़ है। इस ग्राम पंचायत के सचिव को सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी होना आवश्यक है तभी कार्यालयीन कार्य सुगमतापूर्वक चल सकता है।

निष्कर्ष:- पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने से सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ जिसके फलस्वरूप ग्राम, जनपद, जिला पंचायत का निर्माण हो सका और सरकार के विभिन्न योजनाओं को इन तीनों स्तरों पर लागू कर उनके उचित क्रियान्वयन कराकर जनजातिय क्षेत्रों का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था को अधिक कारगर बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधि व महिलाओं को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार को सरल व सुबोध भाषा में ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन किया जाना चाहिए, जिसे पढ़कर पंच आदि पंचायतों को चनाना सीख सके। इसी प्रकार गांवों में प्रतिनिधियों को शिक्षित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जाने चाहिए।

1. ग्राम पंचायत का अपना पंचायत भवन होना चाहिए।
2. महिलाओं की पंचायती राज में भागीदारी को कारगर बनाने के लिए समाज व परिवार का सहयोग होना अति आवश्यक है। सहयोग का मतलब यह नहीं है किं उनके पंच, सरपंच तो बनने दिया जाए एवं बैठकों में परिवार के अन्य सदस्य जायें।
3. समाज के पिछड़े एवं दलित वर्ग महिला प्रतिनिधियों को उचित आर्थिक सहायता, वेतन दिया जाए तो बैठकों में रूचि लेकर जायेंगे।
4. ग्रामवासियों में स्थानीय विकास के लिए स्थानीय रूप से धन उगाहने की प्रवृत्ति उत्पन्न की जानी चाहिए साथ ही कुछ कर केवल स्थानीय संस्थाओं के एकमात्र अधिकार क्षेत्र में होने चाहिए।

विकास और परिवर्तन का नियम है जो विकास की दिषा में बढने के लिए प्रयत्नशील है, वह बदली हुई परिस्थिति में अपनी उर्जा बनाए रखते हुए जीवित रहेगा। प्रगति और अग्रसर होगा लेकिन जो व्यक्ति समाज और राष्ट्र की प्रक्रिया को नही अपना रहा वह निर्बलता को प्राप्त होगा। अपनी उर्जा को क्रमषः खोता चला जाएगा। किसी विकासशील राष्ट्रों के सामने बडी चुनौती अपने विकास की रही है तथा आज भी यह चुनौती बनी हुई है विकास के विभिन्न क्षेत्र है 'आर्थिक, प्रौद्योगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनितिक।

संदर्भ सूची:-

1. कोठारी रजनी, भारत में राजनीति, वाणी प्रकाशन: नई दिल्ली, 2005 पृ0 132.
2. मिश्रा एस एन पंचायती राज: प्रशासन का विकेन्द्रीकरण और 64वों संशोधन विधेयक, रोजगार समाचर, 26 जनवरी, 1 फरवरी 1991, पृ0 3
3 प्रभाकर गोस्वामी, राजस्थान में पंचायती राज 1985, राजस्थान पत्रिका प्रकाशन, जयपुर पृ0 8

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Research Link - 170, Vol - XVII (3), May - 2018, Page No. 76-77
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782
Political Science

छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ग्रामीण निर्धनता पर प्रभाव

प्रस्तुत शोधपत्र में छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ग्रामीण निर्धनता पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना गरीबी रेखा व उससे नीचे जीवनयापन कर रहे व्यक्तियों के लिए कारगर सिद्ध हुई है। इस योजना के अंतर्गत गरीब कम-से-कम भरपेट भोजन खाकर सोता है, चाहे वह भले ही एक समय क्यों न हो। सार्वजनिक वितरण योजना का उद्देश्य तो वाकई 'सर्वजन सुखाय व सर्वजन हिताय' है। लेकिन सरकारी व राजनैतिक तंत्रों के चलते इसका पूरा लाभ गरीब नहीं उठा पा रहे हैं। मगर केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों ने इस सम्बंध में काफी सख्ती की है तथा यह पूरा प्रयास किया है कि इस योजना का पूरा लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल सके।

डॉ.डी.एन.सूर्यवंशी*, डॉ.प्रदीप कुमार जामुलकर** एवं नवीन कुमार राजपूत***

प्रस्तावना :

भारत एक ग्राम प्रधान देष है, भारत की लगभग दो तिहाई जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण जनसंख्या के उत्थान द्वारा ही संभव है। हालांकि भारतवर्ष के आजादी 70 वर्ष के बाद भी ग्रामीण निर्धनों को मूलभूत सुविधाएँ जैसे रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध नहीं है। जबकि भारत में कुल आबादी की 29 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करती है। मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है – रोटी कपड़ा और मकान। जिसमें रोटी ही उदर भरण का प्रमुख साधन है। उदर भरण के लिए मनुष्य नैतिक–अनैतिक प्रत्येक प्रकार के कार्य करता है।

1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान निर्माताओं ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अंगीकार किया, जिसके मूल में समानता व स्वतंत्रता की स्थापना प्रमुख उद्देश्य था। राष्ट्र के नागरिकों का राष्ट्र संसाधनों पर समान अधिकार हो और क्षुधा से किसी नागरिक की मृत्यु न हो, यह प्रत्येक कल्याणकारी सरकारों को आदर्श रहा है। भारत जैसे अविकसित राष्ट्र में जहाँ मजदूर व गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिक अपने भरण–पोषण के लिए अनेक स्थानों में परिवार सहित पलायान करते हैं और उनका मानसिक व शारीरिक शोषण होता है। ऐसे पीड़ित परिवार को सम्मानजनक जीवनयापन के लिए छ.ग. सरकार ने भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) को लागू करके पूरे देश के लिए आदर्श स्थापित किया, जिसे केन्द्र व अन्य राज्यों ने लागू करने का गंभीरतापूर्वक प्रयास किया है। वर्तमान में छ.ग. में इस योजना के लागू होने से जहाँ पलायन में कमी आई है, वहीं आम नागरिकों के जीवन स्तर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक सुधार हुआ है और लगातार भाजपा सरकार का तीन बार सत्ता में आने के लिए यह योजना राम–बाण औषधि के रूप में कारगर साबित हुई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता एवं स्वरूप :

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को प्रमुख आवश्यक खाद्य वस्तुएँ उपलब्ध कराई जाती है। ये वस्तुएँ हैं – गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, शक्कर, चना, नमक आदि। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यानों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का उचित शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचने के लिए उपभोक्ता भंडारों की स्थापना की गई है, जिसका संचालन समितियों के द्वारा किया जा रहा है।

राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूरे ढांचे को एक नये मुकाम पर पहुँचाना चाह रही है। यह विशेष कोशिश पूरे देश में पहली बार हो रही है और गाँवों व शहरों में निवासरत गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को इसका लाभ दिलाने का शासन द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस योजना में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो एवं जो व्यक्ति लाभ का हकदार है, उसे ही लाभ मिलना चाहिए। इसे संचालित करने के लिए शासन द्वारा इसी प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग के बतौर उचित मूल्य की दुकानों का कायाकल्प करने का फैसला किया गया है।

शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के तहत गरीबी रेखा के नीचे व अन्य अंत्योदय योजना के पात्र लोगों के लिए अलग–अलग राशन कॉर्ड जारी करने के निर्देश शासन द्वारा जारी किए गए है। बी.पी.एल. व अन्य अंत्योदय के तहत आने वाले लोगों को पहचान करना व उन्हें राशन कार्ड जारी कराना पर्याप्त संख्या में राशन दुकानें खोलना व राशन संबंधित अनियमित्ताओं को दूर करना आदि सभी शासन के लिए अनिवार्य किया गया है।

*प्राचार्य, सेठ आर.सी.एस.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
**सहायक प्राध्यापक, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़ (छत्तीसगढ़)
***शोधार्थी (राजनीति विज्ञान विभाग), सेठ आर.सी.एस.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियत्रंण आदेश के तहत प्रदेश की हर उचित मूल्य की दुकान की कलेक्टर कम से कम एक बार जांच अनिवार्य तौर पर करवायेंगे। साथ ही नियत्रंण आदेश 2017 में उचित मूल्य की विकासखंड, जिला और राज्य स्तरीय निगरानी समितियों को गठित कर ज्यादा असरदार और मुस्तैद किया जाने का आदेश किया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधित शासन की योजना :

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्धन व अति निर्धन वर्गों की निर्धनता की चुनौतियों का सामना करने के लिए शासन द्वारा सुरक्षात्मक कदमों के फलस्वरूप उन्मूलन योजनाओं को संचालन किया जा रहा है। शासन द्वारा प्रति व्यक्ति को आर्थिक स्थिति एवं आय के स्तर अनुसार उन्हें अलग–अलग योजनाओं में सम्मिलित कर उन सभी निर्धन एवं अतिनिर्धन हितग्राहियों को सरकार पृथक–2 प्रदान कर अनिवार्य वस्तुएँ जैसे – गेहूँ, शक्कर, चावल, कैरोसिन आदि का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा किया जा रहा है।

(1) अंत्योदय अन्न योजना : अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 2 रूपये प्रति किलो ग्राम की दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 35 किलो ग्राम खाद्य मुहैया कराया जाता है।

(2) अन्नपूर्णा अन्न योजना : सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा अन्नपूर्णा अन्न योजना संचालित की जा रही है। इस योजना को मुख्य उद्देश्य समाज के बुजुर्ग, 65 वर्ष से अधिक आयु के निर्धन बेसहारा व्यक्ति को प्रत्येक माह 10 किलो ग्राम खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ग्रामीण निर्धनता पर प्रभावों का विश्लेषण साक्षात्कार द्वारा लिये गए अभिमत के आधार पर निम्नानुसार है :

प्रश्न : क्या आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का लाभ उठा रहे हैं ?

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	210	70
2	नहीं	77	25.67
3	कह नहीं सकते	13	4.33
4	प्रष्न समझ में नहीं आया	0	0
योग		300	100

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 70 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीण निर्धनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का लाभ उठा रहे हैं और 25.67 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीण निर्धनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। इसके साथ ही 4.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तटस्थ रहते हुए प्रश्न का जवाब नहीं दिया। बहुत से निर्धन वर्ग की जागरूकता के अभाव व पलायन करने के कारण इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

निष्कर्ष :

सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना गरीबी रेखा व उससे नीचे जीवनयापन करे रहे व्यक्तियों के लिए कारगर सिद्ध हुई है। इस योजना के अंतर्गत गरीब कम से कम भरपेट भोजन खाकर सोता है, चाहे वह भले ही एक समय क्यों न हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का उद्देश्य तो वाकई ही "सर्वजन सुखाय व सर्वजन हिताय" के तर्ज पर बनाई गई है। लेकिन सरकारी व राजनैतिक तंत्रों के चलते इसका पूरा लाभ गरीब नहीं उठा पा रहे हैं। मगर केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों ने इस संम्बंध में काफी सख्ती की है तथा पूरा प्रयास किया है कि इस योजना का पूरा लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले।

संदर्भ :

(1) गुप्ता, पू.सी. एवं मित्तल, आभा (2014) : सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं ग्रामीण निर्धनता, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।

(2) कुरूक्षेत्र, मासिक पत्रिका, 2009.

(3) योजना, मासिक पत्रिका, 2009.

(4) पंत, डॉ. जे.सी. (2010) : व्यवहारिक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

(5) www.fcang.nic.in

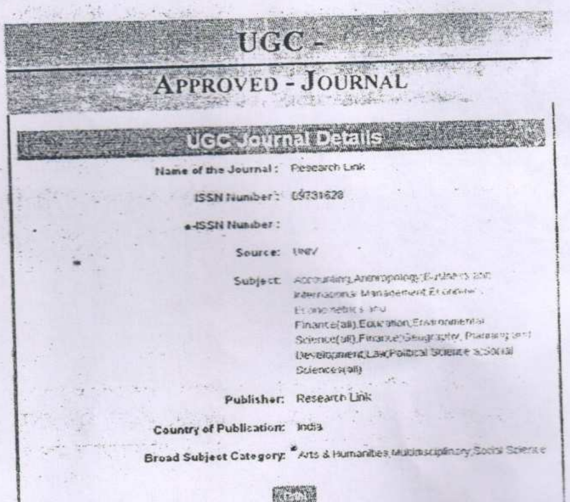

Dr. R.R. Koche

Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Research Link - 150, Vol - XV (7), September - 2016, Page No. 103-10[illegible]
ISSN 0973-1628 ■ RNI MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 [illegible]
Economics

अनुसूचित जनजातियों एवं गैर-जनजातियों में प्रजननता दरों का तुलनात्मक अध्ययन

(छ.ग.के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ तथा मानपुर विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)

यद्यपि किसी भी देश का आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास उस देश की श्रम शक्ति पर निर्भर करता है। श्रम शक्ति उत्पादन का महत्वपूर्ण एवं सक्रिय साधन है। प्रस्तुत शोधपत्र में समाज के दो प्रमुख वर्ग अनुसूचित जनजातियों एवं गैर-जनजातियों में प्रजननता दरों का तुलनात्मक अध्ययन कर जनजातियों में पाये जाने वाले उच्च प्रजननता दर के कारणों एवं उनके निदान के उपाय प्रस्तुत किए गए हैं। कुंजी शब्द : जनसंख्या, प्रजननता दर, जनजातीय एवं गैर जनजातीय, शिक्षा का स्तर, आय का स्तर, सह-सम्बंध गुणांक, सम्भाव्य विभ्रम।

राजू राम कोचे* एवं डॉ.आर.एन.सिंह**

[illegible]विषय :

प्रस्तुत शोध अध्ययन में छ0ग0 के राजनांदगांव जिले के [illegible]जातीय विकासखण्ड मानपुर एवं गैर–जनजातीय विकासखण्ड [illegible] के अनुसूचित जनजातियों एवं गैर जनजातियों में प्रजननता [illegible] तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। शोध अध्ययन से स्पष्ट [illegible] होता है कि ग्रामीण समाज के जनजातिय परिवारों में प्रजननता [illegible]क्षाकृत अधिक आंकी गई है । इन जनजातीय परिवारों में [illegible] प्रजननता दर का प्रमुख कारण इन वर्गों में साक्षरता की कमी, [illegible]जातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, जैसे – स्वच्छ [illegible], शिक्षा, स्वच्छ आवास, चिकित्सा सुविधा का अभाव, पौष्टिक [illegible] का अभाव एवं आय का स्थायी जरिया न होना आदि है।

[illegible]न के उद्देश्य :

(1) अनुसूचित जातियों एवं गैर जनजातियों में प्रजननता दरों [illegible]तुलनात्मक अंतर ज्ञात करना।

(2) जनजातीय वर्गों में शिक्षा का स्तर एवं प्रजननता दरों में [illegible]म्बन्ध ज्ञात करना।

(3) आय के स्तर में वृद्धि से प्रजननता दरों में परिवर्तन प्रभाव [illegible]ात करना।

[illegible] परिकल्पना :

(1) अनुसूचित जनजातियों में गैर–जनजातियों की तुलना में [illegible]नता दर अधिक पाई जाती है।

(2) शिक्षा के स्तर में वृद्धि के साथ प्रजननता दरों में कमी [illegible]है।

(3) आय के स्तर में वृद्धि के साथ प्रजननता दरों में कमी [illegible]है।

[illegible]आंकड़ों का स्रोत एवं अध्ययन विधि : शोध अध्ययन हेतु [illegible] के दोनों विकासखण्ड से तीन–तीन ग्राम का चयन कर प्राथमिक आंकड़े संग्रहित किए गए हैं। शोध हेतु चयनित प्रत्येक ग्राम से 50 परिवार से आंकड़े प्राप्त कर कुल 300 आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। इन दोनों सामाजिक वर्गों से प्राप्त आंकड़ो को विभिन्न आधारों पर जैसे – शिक्षा का स्तर, आय का स्तर, जनजातीय एवं गैर–जनजातीय के अनुसार वर्गीकरण एवं सारणीयन कर विश्लेषण एवं तुलनात्मक रूप से प्रजननता दर की प्रवृत्ति का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र :

शोध अध्ययन हेतु आंकड़े संग्रहण के लिए छ0ग0 के राजनांदगांव जिले के दो विकासखण्ड का चयन किया गया, जिसमें अनुसूचित जनजाति विकास खण्ड मानपुर एवं गैर जनजाति (सामान्य वर्ग) विकास खण्ड के लिए डोंगरगढ़ का चयन किया गया है। अनुसूचित जाति बहुल विकास खण्ड मानपुर राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 100 किमी की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है। जहाँ 80 प्रतिशत जनजातीय समाज निवासरत है, जबकि गैर जनजाति (सामान्य बहूल वर्ग) विकासखण्ड डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 40 किमी. की दूरी पर पश्चिम दिशा में स्थित है, जहाँ लगभग 75 प्रतिशत गैर जनजातीय सामान्य वर्ग निवास करते हैं।

सांख्यिकी तकनीकी एवं विश्लेषण : प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनजातियों एवं गैर–जनजातियों में प्रजननता दरों का तुलनात्मक अध्ययन शिक्षा एवं प्रजननता दरों में सहसम्बन्ध तथा आय के स्तर एवं प्रजननता के मध्य सम्बधों के विश्लेषण हेतु काई–वर्ग परीक्षण, सहसम्बध, प्रतीपगमन एवं माध्य आदि सांख्यिकी उपकरणों (तकनीकी) का उपयोग किया गया है।

शून्य परिकल्पना : अनुसूचित जनजातियों में गैर जनजातियों की तुलना में प्रजननता दर अधिक नहीं पायी जाती है।

**सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र विभाग), शासकीय नेहरु स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़ (छत्तीसगढ़)*
***प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)*

www.facebook.com/schoolchalehum.mp.gov.in www.schoolchalehum.mp.gov.in
2015

तालिका क्रमांक 1

सामाजिक वर्ग	महिलाओं की संख्या	प्रजननता विवरण	
		जन्मित बच्चों की संख्या	योग
अनुसूचित जनजाति वि.खं.मानपुर	200	520	720
गैर–जनजाति वि.खं.डोंगरगढ़	200	403	603

स्रोत : प्राथमिक समंक संकलन।

उपर्युक्तानुसार काई–वर्ग परीक्षण की गणना के आधार पर 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 1 d.f. के लिए x 2 का परिकलित मूल्य 4.5 है, जो सारणी मूल्य से अधिक है। अतः हमारी शून्य परिकल्पना असत्य सिद्ध पाया जाता है कि अनुसूचित जनजातियों में गैर जनजातियों की तुलना में प्रजननता दर अधिक नहीं होती है। अतः कहा जा सकता है कि अनुसूचित जनजातियों एवं उच्च प्रजननता में घनिष्ठ सम्बध है। अर्थात् अनुसूचति जनजातियों में प्रजननता दर गैर–जनजातियों की तुलना में अधिक पायी जाती है।

(2) परिकल्पना क्रमांक 2 : शिक्षा के स्तर एवं प्रजननता दर में ऋणात्मक संबंध होता है।

तालिका 2 : शिक्षा का स्तर एवं औसत जन्म दर

शिक्षा का स्तर	(कोड)	औसत प्रजनन दर
निरक्षर	1	2.68
प्राथमिक शिक्षा	2	2.43
माध्यमिक शिक्षा	3	2.30
हाईस्कूल	4	2.10
हायर सेकेण्डरी	5	1.87
स्नातक	6	1.88
स्नातकोत्तर	7	1.33

स्रोत : प्राथमिक समंक संकलन।

(1) शिक्षा का स्तर एवं औसत जन्म दर में सहसम्बन्ध r=-0.81

(2) सहसम्बन्ध का सम्भाव्य विभ्रम (P.E.) = 0.088

उपरोक्तानुसार सहसम्बन्ध गुणांक अपने सम्भाव्य विभ्रम (P.E.) के 6 गुना अधिक है। अर्थात (r = - 0.81> P.E. 0.088 x 6) दोनों श्रेणियों में अर्थात् शिक्षा का प्रजनता दर के साथ महत्वपूर्ण ऋणात्मक सहसम्बन्ध है। अतः सत्य कहा जा सकता है कि शिक्षा का स्तर एवं प्रजनन दर में महत्वपूर्ण एवं ऋणात्मक सहसम्बन्ध है। शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी के साथ–साथ प्रजननता दर में कमी आती है।

तालिका 3

आय का स्तर	औसत जन्म दर
2000 रू. तक	3.4
4000 रू. तक	3.1
6000 रू. तक	2.8
8000 रू. तक	2.5
10000 रू. तक	2.1
12000 रू. तक	1.8
14000 रू. तक	1.5

स्रोत : प्राथमिक समंक संकलन।

(3) परिकल्पना क्रमांक 3 : आय के स्तर एवं प्रजननता दर में ऋणात्मक सम्बन्ध होता है।

उपरोक्तानुसार आय के स्तर एवं प्रजननता दर में (r) = -0.99 उच्च स्तर का ऋणात्मक सहसम्बन्ध है। सहसम्बन्ध गुणांक (r) = -0.99 अपने सम्भाव्यविभ्रम (0.005) के छः गुना (0.03) से अधिक है। अतः दोनों श्रेणियों आय का स्तर एवं औसत प्रजनन दर में महत्वपूर्ण सहसम्बन्ध है तथा ऋणात्मक सहसम्बध है। अर्थात् (r) > P.E.6 गुना से या (r) = 0-997 > P.E 6 = (0.03) से। अतः यह परिकल्पना सही सिद्ध होती है कि आय के स्तर में बढ़ोतरी के साथ–साथ प्रजननता दर में कमी आती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

(1) अनुसूचित जनजातियों में गैर जनजातियों की तुलना में प्रजननता दर अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण जनजातियों में विवाह की आयु कम होना, साक्षरता दर कम होना, घोर गरीबी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, कृषि एक मात्र व्यवसाय, आधुनिकता एवं नगरीकरण के प्रभाव से वंचित होना आदि पाए गए हैं।

(2) शोध अध्ययन से यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि जनजातियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के परिणामस्वरूप उनके प्रजननता दर में उत्तरोत्तर कमी आई है। अतः यह कहना ज्यादा प्रासंगिक होगा कि शिक्षा के स्तर एवं प्रजननता दर में बहुत घनिष्ठ सहसम्बन्ध पाया गया है। यह तथ्य सहसम्बन्ध गुणांक एवं सम्भाव्य विभ्रम परीक्षण से सिद्ध होता हैं।

सुझाव :

(1) अनुसूचित जनजातियों के उच्च प्रजननता दर में कमी लाने हेतु उनके शिक्षा स्तर में वृद्धि, घोर गरीबी दूर करने हेतु रोजगार के अवसर, जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार एवं यातायात, संचार सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। इस प्रकार जनजातिय वर्ग देश के विकास में सहभागी बनेंगे एवं समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेगे।

(2) शासन द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया जाए। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार, आवास सुविधा आदि उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे जनजातीय वर्गो के उच्च प्रजननता दर को नियंत्रित किया जा सके।

संदर्भ :

(1) Goald Stein, J.R. & Cassidy, T. (1797) : A cohort model of fertility post ponement, The statistical study of Human Population A publication of the population association of Amrica. Vol. 50, No. 5, Oct. 2015. (2) A. Gaisis W. Single Rusutom (1821) : Child bearing postponment and child well being : A complex and varied Relationship ? The statistical study of Human Population A publication of the population association of Amrica. Vol. 50, No. 5, Oct. 2015. (3) E. O. Anant, Gassman pine C. Gibson Davis (2015) : Community Wide Job loss Teenage Fertility : Evidence from North cousolina - The statistical study of Human Population, A publication of the population associction of Amrica. Vol. 50, No. 5, Oct. 2015. (4) Gorma S. & Potan, D. (2005) : Does parental cousent for birth control Affect underage pregnancy rates ? The statistical study of Human Population A publication of the population association of Amrica. Vol. 50, No. 5, Oct. 2015. (5) मिश्रा, डॉ. जयप्रकाश : जनांकिकी, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Economics**
Research Link - 147, Vol - XV (4), June - 2016, Page No. 115-117
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक वर्गों का प्रजननता विश्लेषण
(छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में डोंगरगढ़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न सामाजिक वर्गों के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों एवं गैर-जनजातियों के परिवारों का अलग से प्रजननता प्रवृत्ति का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विभिनन समाज के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय परिवारों में प्रजननता प्रवृत्ति अधिक आंकी गई है, जिसका प्रमुख कारण इन वर्गों के परिवारों में निरक्षरता का अधिक होना, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, जैसे स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, आवास, शौचालय, चिकित्सा सुविधा, पौष्टिक आहार का अभाव एवं इन वर्गों का आर्थिक रुप से सशक्त न हो पाना है, जिससे प्रजननता दर की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक आंकी गई। इसके अलावा अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण परिवारों में वैवाहिक स्थिति कम आयु वर्ग (15-19) में अधिक होने के कारण प्रजननता प्रवृत्ति अधिक पाई गई। साथ ही ग्रामीणों की अधिकांश जनसंख्या लगभग 92 प्रतिशत कृषि व्यवसाय पर आश्रित होने के कारण प्रजननता प्रवृत्ति एवं दरों में अर्द्ध-शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक पाई गई। कुंजी शब्द : जनसंख्या एवं आर्थिक विकास, जनगणना प्रजननता प्रवृत्ति, जनजातीय एवं गैर-जनजातीय परिवार ग्रामीण जनसंख्या, आर्थिक विकास, शिक्षा का स्तर।

आर.आर.कोचे

परिचय :

किसी देश के आर्थिक विकास में मानव संसाधनों या श्रम शक्ति का अहम योगदान होता है। यद्यपि आर्थिक एवं सामाजिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों एवं पूंजी की मात्रा की भी विशेष भूमिका होती है, लेकिन यह आर्थिक विकास के निर्जीव साधन है। वास्तव में कुशल मानव संसाधन की इन प्राकृतिक एवं पूंजी की मात्रा को अपनी क्षमता एवं बौद्विक क्षमता द्वारा उचित दिशा में उपयोग कर इनका कुशलतम उपयोग करती है तथा विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, परन्तु इस तकनीक का दूसरा रूख भी है यदि जनसंख्या आर्थिक विकास का प्रभावी स्रोत है, तो कुछ स्थानों में वह आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधा भी है।

रिचर्ड मिल के अनुसार, जनसंख्या वृद्धि का राष्ट्रीय उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय पर अंतिम प्रभाव धनात्मक, ऋणात्मक अथवा तटस्थ होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जनसंख्या वृद्वि का स्वरूप क्या है और वह किस दशाओं में हो रही है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में समाज के विभिन्न वर्गों का प्रजननता दर एवं प्रकृति का आंकलन कर उच्च प्रजननता दर के कारणों का एवं निदान के उपाय सुझाए गए हैं।

उद्देश्य :

अध्ययन क्षेत्र के शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं :

(1) अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य सामाजिक वर्गों में प्रजननता दरों का तुलनात्मक अंतर ज्ञात करना।

(2) अध्ययन क्षेत्र डोंगरगढ़ तहसील के ग्रामीण एवं अर्द्वनगरीय जनसंख्या में प्रजननता प्रवृत्ति के अंतर का विश्लेषण करना।

(3) विभिन्न आयु वर्गों में विवाहित महिलाओं का प्रजननता दरों का आकलन करना।

शोध परिकल्पना :

(1) अनुसूचित जनजातियों में गैर जनजातियों की तुलना में प्रजननता दर अधिक पायी जाती है।

(2) पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में प्रजननता प्रवृत्ति अधिक मापी गई है।

(3) कम आयु में विवाहित महिलाओं का प्रजननता दर अपेक्षाकृत अधिक पायी जाती है।

आंकड़ों का स्रोत एवं शोध अध्ययन विधि :

अध्ययन हेतु तीन गाँव के परिवारों से प्राथमिक आंकड़ें अनुसूची के माध्यम से एकत्रित किए गए हैं। इस प्रकार तीनों गाँव से विभिन्न सामाजिक वर्गो के कुल 319 परिवारों से आकड़े प्राप्त कर अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य सामाजिक वर्गो में प्रजननता प्रवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है। अनुसूचित जाति बहुल कल्याण्पुर से 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल मड़ियान से 80 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 20 प्रतिशत अन्य वर्ग के परिवार की, तथा इसी प्रकार अन्य सामान्य वर्ग बहुल अछोली से 80 प्रतिशत सामान्य वर्ग के परिवार एवं 20 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवार से आंकड़ें प्राप्त किए गए हैं।

अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय नेहरु स्नाताकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

इस प्रकार विभिन्न सामाजिक वर्गो से प्राप्त आंकड़ों का विभिन्न आधारों जैसे सामाजिक बहुल, विकास खण्ड मुख्यालय से गाँव की दूरी, विकास का स्तर एवं वैवाहिक स्थिति के अनुसार प्राप्त समंकों का वर्गीकरण एवं सारणीयन कर विश्लेषण एवं तुलनात्मक रूप से प्रजननता दर की प्रवृत्ति का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र :

शोध अध्ययन हेतु समंक संकलन के लिए छ0ग0 के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकास खण्ड के तीन गाँवों का चयन विभिन्न सामाजिक वर्गों की बहुलता एवं विकास के पैमाने के आधार पर किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति बहुल गाँव **कल्याणपुर**, अनुसूचित जनजाति बहुल गाँव **मड़ियान** एवं सामान्य वर्ग बहुल गाँव **अछोली** का चयन किया गया है। इसी प्रकार गाँव के विकास के पैमाने के आधार पर अनुसूचित जाति बहुल गाँव **कल्याणपुर**, डोंगरगढ़ शहर से लगभग 4 कि.मी. की दूरी पर एवं सामान्य वर्ग बहुल **अछोली** शहर से सबसे पास लगभग 02 कि.मी.एवं अनुसूचित जनजाति बहुल **मड़ियान** शहर से सबसे अधिक दूरी लगभग 20 किलोमीटर पर स्थित है।

सांख्यिकीय तकनीकी एवं विश्लेषण :

तालिका 1 में डोंगरगढ़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न आधारों पर प्रजननता को दर्शाया गया है एवं उसका विश्लेषण किया गया है।

तालिका क्रमांक 1 : अनुसूचित जनजाति एवं गैर जनजाति में औसत जन्म या प्रजनन दर

जातीय वर्ग	चयनित महिलाओं की संख्या	प्रतिशत	जन्मित बच्चों की संख्या	प्रतिशत	औसत दर	जन्म रिमार्क
अनुसूचित जनजाति	100	33%	317	41.98%	3.17	उच्च प्रजननता दर
गैर जनजाति	200	67%	438	58.02%	2.19	
कुल योग	300	100%	755	100%	2.49	

<u>स्रोत</u> : प्राथमिक समंक संकलन।

तालिका 1 के अवलोकन से यह तथ्य पुष्ट होता है कि अनुसूचित जनजातीय वर्ग में गैर जनजातियों की तुलना में प्रजनन दर अधिक (3.17) पायी जाती है। तालिका के आंकड़ों के अनुसार शोध हेतु चयनित कुल (100) अनुसूचित जाति महिलाओं द्वारा 317 बच्चे जन्मित किए जाते हैं, जिनका औसत जन्म दर 3.17 है, जबकि शोध हेतु चयनित कुल 200 गैर जनजाति महिलाओं द्वारा कुल 438 बच्चे जन्मित किए जाते हैं, अर्थात् गैर जनजातियों में औसत जन्म दर 2.19 पाया गया है, जबकि सभी जातीय वर्ग का समग्र औसत जन्म या प्रजनन दर 2.49 पाया गया है।

यह तथ्य महिलाओं की कुल संख्या में से जनजातियों एवं गैर जनजातियों के प्रतिशत एवं जन्मित बच्चो के प्रतिशत के तुलनात्मक अध्ययन करने से भी पुष्ट होता है कि अनुसूचित जन जातिय वर्ग में प्रजनन दर या औसत जन्म दर अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है।

तालिका 2 : विकास के स्तर के अनुसार महिलाओं का औसत प्रजनन या जन्म दर

विकास के अनुसार ग्राम	चयनित महिलाओं की संख्या	प्रतिशत %	जन्मित बच्चों की संख्या	प्रतिशत	औसत दर	जन्म रिमार्क
विकसित ग्राम अछोली	100	33.33	209	27.72%	2.09	
मध्यम स्तरीय विकसित ग्राम कल्याणपुर	100	33.33	214	29.31%	2.14	
अविकसित या पिछड़ा ग्राम – मड़ियान	100	33.33	314	42.97%	3.14	उच्च प्रजनन दर
कुल योग	300	100%	737	100%		

<u>स्रोत</u> : प्राथमिक समंक संकलन।

तालिका 2 के अवलोकन से यह तथ्य पुष्ट होता है कि अविकसित या पिछड़े ग्राम मड़ियान में महिलाओं का औसत जन्म दर अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है। उपरोक्त तालिका अनुसार विकसित ग्राम अछोली जो विकास खण्ड मुख्यालय डोंगरगढ से सबसे कम दूरी (मात्र दो किमी) पर स्थित है। यहाँ कुल 100 महिलाओं द्वारा 209 बच्चे जन्मित किए गए, जिनका औसत जन्म दर 2.09 है। इसी प्रकार विकास की दृष्टि से मध्यम स्तरीय विकसित ग्राम कल्याणपुर जो विकास खण्ड मुख्यालय डोंगरगढ़ से लगभग पाँच कि.मी.की दूरी पर स्थित है। यहाँ कुल 100 महिलाओं द्वारा 214 बच्चे जन्मित किए गए, अतः यहां औसत जन्म दर 2.14 पाया गया है, जबकि विकास की दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा ग्राम मड़ियान विकास खण्ड मुख्यालय डोंगरगढ़ से लगभग 20 किमी.की दूरी पर स्थित है। यहाँ कुल 100 महिलाओं द्वारा कुल 314 जन्मित

तालिका 3 : विवाह की प्रभावशील आयु के अनुसार स्त्रियों का प्रजनन दर

विवाह की आयु	विवाहित स्त्रियों की संख्या	प्रतिशत %	जन्मित बच्चों की संख्या	प्रतिशत	औसत दर	जन्म रिमार्क
18 वर्ष से कम आयु में विवाहित	165	55	433	60.47%	2.62	उच्च प्रजनन दर
18–23 वर्ष में विवाहित	110	36.67	232	32.40%	2.11	
23 वर्ष से अधिक में विवाहित	25	8.33	51	7.12%	2.04	
कुल योग	300	100%	716	100%	2.38	

<u>स्रोत</u> : प्राथमिक समंक संकलन।

किए गए। अतः यहां औसत जन्म दर 3.14 पाया गया है।

तालिका 3 के अवलोकन से यह तथ्य पुष्ट होता है कि 18 से कम आयु में विवाहित महिलाओं में औसत प्रजनन दर अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार 18 से कम आयु में विवाहित महिलाओं का औसत प्रजननता दर 2.62 है, जबकि 18 से 23 वर्ष की आयु में विवाहित महिलाओं का औसत जन्म दर 2.11 तथा 23 से अधिक आयु में विवाहित महिलाओं का औसत प्रजनन दर न्यूनतम 2.04 पाई गई है।

इसी प्रकार शोध हेतु चयनित कुल महिलाओं में से विभिन्न आयु में विवाहित महिलाओं की संख्या एवं जन्मित बच्चों के प्रतिशत अनुसार भी 18 से कम आयु में विवाहित महिलाओं का प्रजनन व्यवहार या प्रवृत्ति अधिक पाया गया है। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार 300 में से 165 (55 प्रतिशत) महिलाओं का विवाह 18 से कम आयु में हुआ, जिनके द्वारा 433 (60.47 प्रतिशत) बच्चे जन्मित किए गए, जबकि 23 से अधिक आयु में विवाहित 25 (7. 8 प्रतिशत) महिलाओं द्वारा मात्र 51 (7.12 प्रतिशत) बच्चे जन्मित किए गए। अतः स्पष्टतः यह तथ्य पुष्ट होता है कि कम आयु में विवाहित महिलाओं की प्रजननता दर तुलनात्मक रूप से अधिक पायी जाती है, क्योंकि कम आयु में विवाह होने से महिलाओं की प्रजनन अवधि अधिक पायी जाती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

(1) शोध अध्ययन से यह तथ्य पुष्ट होता है कि अनुसूचित जनजातियों में गैर जनजातियों की तुलना में औसत प्रजनन या जन्म दर अधिक पाया जाता है। जन जातियों में उच्च औसत प्रजनन दर का प्रमुख कारण उन वर्गो में निरक्षरता, व्याप्त निर्धनता, आय का सीमित स्रोत, जीविका का एक मात्र जरिया कृषि, वैकल्पिक रोजगार का अभाव, आधुनिकता एवं नगरीकरण के प्रभाव से वंचित, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, कम आयु में विवाह का प्रचलन एवं मनोरंजन के साधनों का अभाव आदि पाए गए हैं।

(2) शोध अध्ययन से यह तथ्य भी पुष्ट होता है कि कम आयु में विवाहित महिलाओं का औसत जन्म या प्रजनन दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओ में प्रजननता अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि 18 से कम आयु में विवाहित महिलाओं का औसत जन्म या प्रजनन दर 2.62 पाया गया, जबकि 23 से अधिक आयु में विवाहित महिलाओं का औसत जन्म या प्रजनन दर 2.04 पाया गया है, क्योंकि कम आयु में विवाहित महिलाओं की प्रजनन शक्ति अधिक पाई जाती है। परिणामस्वरूप कम आयु में विवाहित महिलाओं की प्रजनन दर अधिक होती है।

(3) पिछड़े या अविकसित ग्रामीण महिलाओं का प्रजनन या जन्म दर विकसित ग्रामीण महिलाओं की तुलना में अधिक पाया गया है, क्योंकि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर न्यून, स्वास्थ्य का स्तर न्यून, रोजगार के अवसरों का अभाव, नगरीगरण या आधुनिक जीवन शैली से वंचित, मनोरंजन के साधनों का अभाव, आदि कारण इन क्षेत्रो में पाए जाते हैं। परिणामस्वरूप औसत जन्म दर या प्रजनन दर अधिक पाया जाता है।

सुझाव :

(1) अनुसूचित जनजातियों के साक्षरता दर में विस्तार, इन वर्गों की निर्धनता उन्मूलन, जनजातियों को रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदान कर आय के स्तर में वृद्धि, जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं, एवं परिवहन साधनों का विस्तार किया जाना चाहिए।

(2) ग्रामीण दूरस्थ अंचल में प्रचलित महिलाओं के कम आयु में विवाह की सामाजिक समस्या को दूर किया जाए।

(3) पिछड़े अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य का विस्तार एवं सुधार किया जाए। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में परिवहन संचार सुविधाओं का विकास तथा रोजगार मूलक कार्यक्रम संचालित किया जाए।

<u>संदर्भ</u> :

(1) मिश्रा, डॉ. जयप्रकाश : जनांकिकी, साहित्य भवन पब्लिकेशन।

(2) कुमार, डॉ.विमल कुमार : जनांकिकी, साहित्य भवन पब्लिकेशन।

❁ ❁

MAH MUL/03051/2012
ISSN: 2319 9318
Vidyawarta®
Peer-Reviewed International Journal
April To June 2019
Issue-30, Vol-05
0158

35

विभिन्न सामाजिक वर्गो में वैवाहिक आयु अनुसार प्रजननता प्रवृत्ति का विश्लेषण

(छ.ग. के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के विशेष संदर्भ में)

आर. आर. कोचे
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र,
शासकीय नेहरू स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़
जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

****

संक्षेपिका :— शोध हेतु चयनित राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के अंनुसूचित जनजाति बहुल ग्राम मड़ियान में बाल विवाह की अधिक प्रवृत्ति के साथ यहां की महिलाओं में प्रजननता प्रवृत्ति भी अधिक देखी गई है । इस ग्राम मड़ियान में शिक्षा का स्तर न्यून तथा स्वास्थय सुविधाओं का अभाव भी देखा गया है । इन सभी तत्वों के परिणाम स्वरूप महिलाओं में स्वास्थ के प्रति जागरूकता का अभाव पाया गया है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह से महिलाओं में प्रजजन की अवधि भी अधिक होने के कारण यहां की महिलाओं में उंची प्रजननता की प्रवृत्ती देखी गई है।

कुंजी शब्द :— बाल विवाह प्रजननता, अनूसुचित जनजाति महिला, सामान्य वर्ग महिला ।

शोध के उद्देश्य :—

१. विभिन्न सामाजिक वर्गो में बाल विवाह की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना।

२. बाल विवाह का प्रजननता पर प्रभाव का अध्ययन करना।

३. शोध हेतु चयनित ग्राम का शिक्षा एवं प्रजननता में सम्बन्ध का अध्ययन करना ।

शोध अध्ययन विधि :— प्रस्तुत शोध अध्ययन में समंक संकलन हेतु प्राथमिक समंक संकलन विधि के साथ द्वितियंक समंक संकलन विधि का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में चयनित ग्राम अछोली (सामान्य वर्ग) कल्याणपुर (अनुसूचित जाति) एवं मड़ियान (अनुसूचित जनजाति वर्ग) में प्राथमिक समंक संकलन का उपयोग कर आंकड़े प्राप्त किये गए है । सूचनादाता महिलाओं से उनकी आयु, जाति, वर्ग, शैक्षणिक योग्यता, विवाह सूचनादाता की आयु जन्मित बच्चो की संख्या आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई।

संख्यिकीय उपकरण :— सामान्तर माध्य, प्रतिशत, सहसम्बन्ध आदि ।

अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन विधि :— शोध अध्ययन हेतु छ.ग. के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के अर्न्तगत तीन ग्राम अछोली (सामान्य वर्ग), कल्याणपुर (अनुसूचित जाति) एवं मड़ियान (अनुसूचित जनजाति)बहुल ग्राम का चयन किया गया है। प्रत्येक ग्राम से १००—१०० महिलाओं का चयन कर कुल ३०० प्राथमिक समंक प्राप्त किये गए है। प्रारंभ समंको का वर्गवाद्ध वर्गीकरण कर जन्मित बच्चो की औसत संख्या ज्ञात किया गया है।

विभिन्न सामाजिक वर्गो में प्रभावशील विवाह आयु के अनुसार प्रजननता का विश्लेषण —

तालिका कमांक. १

१८ वर्ष से कम विवाहित महिला

सरल कमांक	ग्राम का नाम	विवाहित महिला	जन्मित बच्चो की औसत संख्या	जन्मित बच्चो की औसत संख्या
१	अछोली	५५	१३८	२.३३
२	कल्याणपुर	३४	७३	२.१४
३	मड़ियान	८३	२४८	२.५४ अधिक प्रजननता

स्रोत — प्राथमिक समंक संकलन

तालिका कमांक २

१८ से २३ वर्ष विवाहित महिला

सरल कमांक	ग्राम का नाम	विवाहित महिला	जन्मित बच्चो की संख्या	जन्मित बच्चो की औसत संख्या
१	अछोली	३२	५५	१.७१
२	कल्याणपुर	६४	१२५	२.०२
३	मड़ियान	२४	५९	२४६

स्रोत—प्राथमिक समंक संकलन

२३ तालिका कमांक ३

२३ वर्ष से अधिक विवाहित महिला

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	१०	१५	१.५
[illegible]	[illegible]	[illegible]	१४	.३५
[illegible]	[illegible]	[illegible]	१०	.२४३

...त — प्राथमिक समंक संकलन

उपरोक्त तीनों तालिका के अवलोकन से ...ष्ट है कि शोध हेतु चयनित तीनों ग्रामों में से अनुसूचित जाति बहुल ग्राम मड़ियान में १८ वर्ष से ...म आयु में विवाहित महिलाओं की संख्यां (८३) सर्वाधिक है तथा इन्ही महिलाओं में जन्मित बच्चो की औसत संख्या (२.९४) सर्वाधिक है । चूंकि इस ग्राम ...ै शैक्षणिक तुलना में निम्न स्तर का पाया गया है । परिणाम स्वरूप यहां जागरूकता के अभाव के कारण बाल विवाह की संख्या एवं प्रजननता प्रवृत्ति भी अधिक पाई गई है ।

इसी प्रकार १८ से २३ आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं की संख्या अनुसूचित जाति बहुल ग्राम कल्याणपुर में सर्वाधिक (६२) है जबकि सर्वाधिक जन्मित बच्चो की औसत संख्या (२.४६) अनुसूचित जनजाति बहुल ग्राम मड़ियान का ही है ।

२३ वर्ष से अधिक आयु वर्ग में विवाहित महिलाओं की सर्वाधिक संख्या (९०) सामान्य वर्ग बहुल ग्राम अछोली में पाया गया है । जबकि अनुसूचित जनजाति बहुल ग्राम मड़ियान में २३ वर्ष से अधिक विवाहित महिलाओं की संख्या सबसे कम है ।

तालिका क्रमांक ४

डोंगरगढ़ विकासखंड के चयनित तीनों ग्रामों में शिक्षा का स्तर एवं प्रजननता के मध्य तुलनात्मक विश्लेषण

ग्राम का नाम	साक्षरता दर	महिला साक्षरता दर	औसत प्रजनन संख्या	विकासखंड मुख्यालय से दूरी
[illegible]	७०	६३.८०	१.७७	२ कि.मी
[illegible]	६६	५८.३०	१.८५	५कि.मी
[illegible]	६८.६	५६.७०	२.३७	२३ कि.मी

स्रोत — प्राथमिक समंक संकलन

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि छ.ग.के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के चयनित तीनों ग्रामों में विकासखंड मुख्यालय से सर्वाधिक दूरी पर स्थित मड़ियान में सबसे कम महिला साक्षरता ५६.७: परिणाम स्वरूप महिलाओं में औसत प्रजनन संख्या सर्वाधिक २.३ प्रति स्त्री है । जबकि विकासखंड मुख्यालय डोंगरगढ़ से सबसे कम दुरी पर स्थित सामान्य वर्ग बहुल ग्राम अछोली में महिला साक्षरता सर्वाधिक ६३.८ प्रतिशत है जन्मित बच्चो की औसत संख्या सबसे कम १.७७ प्राप्तांक है परिणाम स्वरूप यहां महिलाओं में जागरूकता बढती है तथा प्रजननता की प्रवृत्ति में भी कमी आती है ।

शोध निष्कर्ष एवं सुझाव —

निष्कर्ष

१. अनुसूचित जनजाति बहुल ग्राम मड़ियान में बाल विवाह की कुप्रथा अधिक देखी गई है ।

२. बाल विवाह की अधिकता से महिलाओं में अधिक प्रजननता देखी गई है

३. शिक्षा के स्तर में कमी भी अधिक प्रजननता का कारण पाया गया है।

४. विकासखंड मुख्यालय में से अधिक दुरी पर स्थित ग्राम मे कम साक्षरता पाया गया है ।

सुझाव

१. अनुसूचित जनजातियों की उच्च प्रजननता को शिक्षा एवं स्वास्थ में सुधार तथा गरीबी दूर कर कमी की जानी चाहिये

२. शोध हेतु चयनित मड़ियान में बाल विवाह की कुप्रथा को कड़ी कानूनी कार्यवाही एवं शिक्षा के स्तर में सुधार कर बन्द किया जाना चाहिये ।

३. शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जनता तक पहुंच हेतु बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिये ।

संदर्भ ग्रंथ—

(१) Agrawal S.N. [1965]: " Effect Of A Rise Of In Female Marriage Age . On Birth Rate Of India" .A Paper Submitted To U.N.World Population Conference ,Belgard.

(२) Alam S.I. [1968]: Age At Marriage In Pakistan", Pakistan Development Review, Vol.8 No.3

(३) जे.पी. मिश्रा जनांकिकी साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा

(४) Ram Barmah B.K. (१९८७ नवम्बर २५)

NSS Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April 2018 E-Journal, Vol. III

चर्म निर्मित सामग्री के विपणन की चुनौतियां - स्थिति एवं संभावना (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

डॉ.के.एल.टाण्डेकर* डॉ. आर.आर. कोचे**

प्रस्तावना - भारतीय चर्म उद्योग ने पिछले 60 वर्षों में जो ख्याति प्राप्त की है। उसका दूसरा उदाहरण भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखाई नही देता। पहले भारत चर्म सामग्री के कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता के रूप में जाना जाता था। वहीं आज अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चर्म निर्मित सामग्री निर्यातक देशों में तीसरे स्थान पर है। विदेशी मुद्रा अर्जन में इस क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस क्षेत्र में आज 14 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। देश में आज चर्म निर्मित उद्योग की लगभग 5000 से अधिक छोटी-बड़ी इकाईया है जो इस क्षेत्र में लगी है।

उदारीकरण के युग में भारत के इस औद्योगिक क्षेत्र को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान मिलती जा रही है क्योंकि विश्व में कुल उपलब्ध चर्म उत्पादन का 12% भाग उत्पादन में सम्पन्न होता है। भारत में उत्पादित चर्म सामग्री के विपणन की संभावनायें अमेरिका, वियतनाम, सोवियत रूस जैसे विकसित देशों में अधिक दिखाई दे रही है। आज कुल चर्म विपणन का 25% भाग अकेले जर्मनी को जाता है। किन्तु देश में इस उद्योग जो संतुलित विनाश होना चाहिए था, उसमें कही न कही कमी दिखाई दे रही है।

चर्म निर्मित सामग्री के सामने विपणन की सबसे बड़ी चुनौती इस क्षेत्र में स्थापित 65% भाग असंगठित क्षेत्र में विद्यमान होना है। इसके लिये पर्याप्त पूंजी कुशल तकनीकी सबसे बड़ी बाधा के रूप मे विद्यमान है। आवश्यकता इस बात की है कि इस क्षेत्र को आधुनिक व्यापार एवं विपणन व्यवस्था से कैसे जोड़ा जायें। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसमें संगठित क्षेत्र से मात्र 35% उद्योगों की भूमिका रही है। असंगठित क्षेत्र में स्थापित 65% उद्योग जिनके पास कच्ची सामग्री की बहुलता है किन्तु उसके रखरखाव का अभाव स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप ही वस्तु का निर्माण, इनके द्वारा उत्पादित वस्तु का विपणन स्थानीय बाजार में होना, उत्पादित वस्तु का उचित मूल्य न मिलना, बिचौलियों द्वारा ठगे जाना आदि चुनौतियाँ आज चर्म उद्योग उत्पादकों के समक्ष विद्यमान है।

जहाँ तक छत्तीसगढ़ जैसे नवगठित राज्य का सवाल है यहाँ कि अर्थव्यवस्था कृषि जैसे एक फसलीय अनुत्पादक ढाचे पर निर्भर है जिसने पलायन को जन्म दिया है। छत्तीसगढ़ में चर्म उद्योग के विपणन की समुचित व्यवस्था कृषि व्यवस्था के पूरक व्यवसाय का स्थान ग्रहण कर बड़ी मात्रा में मानव संसाधन पलायन को रोकने में अहम भूमिका निभाई जा सकती है। यद्यपि छत्तीसगढ़ में भी शेष भारत की भाति चर्म सामग्री का उत्पादन असंगठित हाथों में ही है। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 20% सहकारी क्षेत्र को छोड़कर शेष 30% भाग आज भी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। इसका मूल कारण है छत्तीसगढ़ में चर्म निर्मित सामग्री के विपणन की व्यवस्था का विकास न होना, शासन द्वारा इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा जाना आदि। परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में कच्ची सामग्री महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, आध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में बिचौलियों के माध्यम से विक्रय कर दी जाती है।

छत्तीसगढ़ में चर्मकारों को इस कच्ची सामग्री के विपणन से बहुत कम आय प्राप्त होती है। इसका मुख्य कारण कच्ची चर्म सामग्री के रखरखाव की तकनीकी के ज्ञान का अभाव, भंडार गृहों का अभाव बड़े स्तर पर औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का न होना, आर्थिक स्थिति का कमजोर होना अशिक्षा प्रमुख है। स्थानीय चर्मकार शोषण के शिकार हो रहें है, जबकि छत्तीसगढ़ स्थापित प्रमुख उद्योग सीमेंट,लोहा, इस्पात, रसायन, उर्जा, उत्खनन आदि क्षेत्रों में वृहत रूप से चर्म निर्मित सामग्री की मांग है। अकेले भिलाई स्पात संयंत्र प्रतिवर्ष 60-70 लाख रूपये कि बूट ग्लोबस एवं अन्य चर्म निर्मित सामग्री की मांग करता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के कच्चे माल से निर्मित सामग्री पड़ोसी राज्यों द्वारा आपूर्ति की जाती है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र को दोहरे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर कच्ची सामग्री से कम मूल्य की प्राप्ति दूसरी ओर वही निर्मित सामग्री का महंगे दामों पर खरीदा जाना साथ ही संभावित रोजगार के अवसर की कमी होना है। यदि स्थानीय कच्ची सामग्री का उपयोग कर यहाँ के चर्म शिल्पियों को सहकारिता के आधार पर या शासन द्वारा इन्हे संगठित क्षेत्र में लाकर यहाँ की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप चर्म सामग्री का विपणन किया जाये तो इसके निम्नलिखित फायदें होंगे -

1. स्थानीय मांग के अनुरूप सस्ती चर्म वस्तुओं की पूर्ति की जा सकेगी।
2. प्रदेश को विदेशी मुद्रा भी अर्जित हो सकेगी।
3. स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
4. कच्चे माल के विक्रय से होने वाले शोषण से मुक्ति मिल सकेगी।
5. स्थानीय संसाधन (मानव एवं भौतिक) को पलायन होने से रोका जा सकेगा।
6. कृषि के पूरक उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

उपरोक्त उपलब्धियाँ तभी संभव है जबकि छत्तीसगढ़ में इस उद्योग के प्रति सकारात्मक सोच पैदा की जाए तथा स्थानीय कच्चे माल की गुणवत्ता के लिए चर्म स्वाच्छेदन, चर्म शोधन, चर्म शिक्षण का समुचित प्रशिक्षण एवं व्यवस्थापन किया जाये। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों पर आधारित वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण दिया जायें। ताकि आज के

* प्राचार्य, शासकीय डॉ. बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.) भारत

उदारीकरण वैश्वीकरण के युग में हमारे चर्म शिल्पी प्रतिस्पर्धा में टिक सकें और अन्तर्राष्ट्रीय विपणन का लाभ अर्जित कर सकें। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध बाजारों की मांग के अनुरूप चर्म शिल्पी वस्तु का निर्माण कर सकें। तथा पंचायत स्तर पर 'एक शैड के नीचे' सभी स्थानीय चर्मशिल्पी अपनी वस्तु का विक्रय कर उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। यह शैड स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओ के अनुरूप अच्छी पैकिंग लैबलिंग के माध्यम से गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए स्थानीय चर्म व्यवसाय को सम्मानजनक स्थान प्रदान कर सकें।

आज के इस नवीन अर्थव्यवस्था में जितना अधिक महत्व उत्पादन का है उससे कही अधिक महत्व वस्तु के विपणन का है। हमारे चर्म शिल्पी इस विपणन व्यवस्था में न टिक पाने के कारण शोषण और उपेक्षा के शिकार हो रहें है। अत: स्थानीय पंचायतों सहकारिता पर आधारित 'एक शैड योजना' सरकार द्वारा प्रोत्साहन पूंजी आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण की उपलब्धता के माध्यम से छत्तीसगढ़ में चर्म उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनायें दिखाई देती है। आवश्यकता इस बात की है कि इस संभावनाओं को कार्यरूप में परिणित किया जायें जिसके लिए राजनैतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक सजगता, नियोजन बद्ध कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे ताकि 21वी शताब्दी में छत्तीसगढ़ राज्य को एक सशक्त राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उद्यमिता समाचार पत्र-उद्यमिता विकास केन्द्र, 60 जेलरोड, जंहागीरा बाद भोपाल, जनवरी 95 अंक, दिसंबर 2000 अंक।
2. योजना प्रकाशन एवं सूचना मंत्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, 15 दिसंबर 94
3. ग्रामीण चर्म उद्योग एक परिचय- खादी ग्रामोधोग आयोग, ग्रामोदय 3 एरला रोड विले पारले पश्चिम बंबई 400056
4. प्रसाद आर. आर. - चमार एण्ड कन्टील्युटी एमंग सिडयुल्ड काष्ट लेदर आर्टिसंस शेरा नेशनल इंस्टीट्यूट आफॅ सरल डेव्हलपमेंट हैदराबाद 1986

****

Dr. Asha Choudhary

ISSN 2349 - 7521
RNI No. MPHIN/2004/14249
मासिक

अक्षर वार्ता

Impact Factor - 5.125

वर्ष-17 अंक-4 , फरवरी - 2021
Vol - XVII
Issue No.IV
Fabruary- 2021

aksharwartajournal@gmail.com

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

प्रधान संपादक - प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा
संपादक- डॉ.मोहन बैरागी
संपादक मण्डल :-
डॉ.जगदीशचन्द्र शर्मा (उज्जैन)
प्रो.राजश्री शर्मा
डॉ. शशि रंजन 'अकेला' (आरजीपीवी,भोपाल)
सहयोगी सम्पादक :- डॉ. मोहसिन खान (महाराष्ट्र)
सह सम्पादक- डॉ.भेरुलाल मालवीय
डॉ. अंजली उपाध्याय
डॉ. पराक्रम सिंह
डॉ. रूपाली सारये
डॉ. विदुषी शर्मा
डॉ. ख्याति पुरोहित
डॉ. अवनीश कुमार अस्थाना
आवरण- आयुषी अमित माथुर

शोध-पत्र भेजने संबंधी नियम

शोध-पत्र 2500-5000 शब्दों से अधिक नही होना चाहिये। o. हिन्दी माध्यम के शोध पत्रों को कृतिदेव 010 (Kruti Dev 010) या युनिकोड मंगल फॉंट में टाईप करवाकर माईक्रोसॉफ्ट वर्ड में भेजें। o. अंग्रेजी माध्यम के शोध-पत्र टाईम्स न्यु रोमन (Times New Roman) ,एरियल फॉंट (Arial) में टाईप करवाकर माईक्रोसॉफ्ट वर्ड में अक्षरवार्ता के ईमेल पर भेजने के बाद हार्ड कॉपी तथा शोध-पत्र मौलिक होने के घोषणा-पत्र के साथ हस्ताक्षर कर अक्षरवार्ता के कार्यालय को प्रेषित करें। o. Please Follow- APA/MLA Style for formatting अक्षरवार्ता का वार्षिक सदस्यता शुल्क रूपये 650/-रूपये एवं प्रकाशन/पंजीयन शुल्क रूपये 1500/- का भुगतान बैंक द्वारा सीधे ट्रांसफर या जमा किया जा सकता है। बैंक विवरण निम्नानुसार है- बैंक :-

Union Bank of India,
Account Holder- Aksharwarta
Current Accont NO.
510101003522430
IFSC- UBIN0907626
Branch- Rishi Nagar,Ujjain,MP,India

भुगतान की मुल रसीद,शोध-पत्र एवं सीडी के साथ कार्यालय के पते पर भेजना अनिवार्य है। Email: aksharwartajournal@gmail.com

संपादकीय कार्यालय का पता- संपादक अक्षर वार्ता
43,क्षीर सागर,द्रविड मार्ग,उज्जैन,मप्र. 456006,भारत
फोन :- 0734-2550150 मोबा :-8989547427

Subscription Form (Photocopy of this form may be used, if required)

I/ We wish to subscribe the Journals. Total Amount : 650/- (Six hundred Fifty only)(INR) and/or Registration Fee. All fee and Subscriptions are payable in advance and all rates include postage and taxes. Subscribers are requested to send payment with their order whenever possible. Issues will be sent on receipt of payment. Subscriptions are entered on an annual basis and are subject to renewal in subsequent years.

Subscription from:..............to...............SUBSCRIBER TYPE:(Check One) Institution( )/Personal ()Date:.............Name/Institution and Address :...City : ....State :...........................PinCode............................... Country .... PhoneNo .:............. MobNo.:.............................. Mail id...

PAYMENT OPTION:

DD in the favor of "AKSHARWARTA" payable at UJJAIN.
DD No.: ....Dated : ....for Rupees (in words) ....Drawn on ....Any other option Specify :.........................

अक्षर वार्ता
अंतरराष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
ISSN 2349-7521, Impact Factor - 5.125
Vol - XVII, Issue - IV, February - 2021
"AKSHARWARTA" Monthly International Referred Journal

छ. ग. के धार्मिक स्थलों का ऐतिहासिक महत्व एवं पर्यटन विकास

डॉ. के. एल. टाण्डेकर
डॉ. श्रीमती आशा चौधरी
डॉ. श्रीमती ई. व्ही, रेवती

प्राचार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगाँव
सहायक प्राध्यापक, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगाँव
सहायक प्राध्यापक, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला - राजनांदगाँव

शोध सारांश:- छ.ग. राज्य अपने आप में एक धार्मिक पर्यटन राज्य के रूप में विख्यात है, यहाँ प्राचीन स्मारको, नक्कासीदार मंदिरो, बौद्ध स्थलो राजमहलो एवं अनेक शैल चित्रो से परिपूर्ण है, धार्मिक स्थल की बाहुलता है, जो गौरवशाली प्राचीनतम लोक संस्कृति का अद्वितीय उदाहरण है, महाप्रभु वल्लभाचार्य संत गुरूघासीदास, संत धरमदास साहेब के पुण्य स्थल यहाँ सत्य अहिंसा और समानता का उद्घोष करते हुए असंख्य अनुयायियो को पर्यटन के लिए उत्प्रेरित करते है, जो छ.ग. के धार्मिक पर्यटन राष्ट्रीय एकता व अभिन्नता के संवाहक है, छ.ग. राज्य रतनपुर, डोंगरगढ़ तथा दंतेवाडा में स्थापित ऐतेहासिक काल के धार्मिक शक्तिपीठो के कारण प्रसिद्ध है, पुरातात्विक उत्खननो के फ्लस्वरूप अनेक महत्तव पूर्ण धार्मिक (धरोहर) स्थल सिरपुर, महेशपुर, राजिम, पंचराही आदि स्थल चिन्हाकिंत हुए है, छ.ग. के इन धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करं सम्पूर्ण राज्य में पर्यटन की दृष्टि से अधोसंरचना का विकास कर शासकीय समुदाय एवं निजी क्षेत्रो के परस्पर सहभागिता सुनिश्चित करते हुए महत्तवपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

प्रस्तावना:- छ.ग. का अधिकांश भू-भाग प्राचीन काल में कोसल जनपद के रूप में विख्यात था उत्तर कोसल (अयोध्या श्रावती) से भिन्नता को प्रदर्शित करने के लिए इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाने लगा, छ.ग. पुरा भैवन एवं सांस्कृतिक धार्मिक वैभव की यह विशिष्टता रही है कि यहां सर्वधर्म समभाव बना हुआ है, जिसके पीछे छ.ग. के ऐतेहासिक धार्मिक स्थलों का महतवपूर्ण योगदान है, हमारा छ.ग. राज्य एक अर्थ में सांस्कृतिक वैभव के रूप में धार्मिक पर्यटन का उभरता हुआ भविष्य है, जिसमें विकास की अपार संभावनाएँ निहित है, यहा सैलानी सिर्फ जंगल जलप्रपात और वनप्राणियो के बीच व्यस्तता से समय निकालकर सिर्फ सैर सपाटे के उद्देश्य से ही नही आते वरन छ.ग. के धार्मिक महत्व के ऐसे आस्था के केन्द्र है जहाँ श्रद्धालु पर्यटक हजारो की संख्या में आते है चाहे वह महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चम्पारण्य, रतनपुर की महामाया देवी कबीर पंथियो का धर्मनगर दामाखेडा सतनाम के संस्थापक बाबा गुरूघासीदास की गिरौदपुरी हो, छ.ग. का प्रयाग खरौद, भगवान जगन्नाथ जहॉं आते है शिवरीनारायण श्री उवसग्गहार पार्श्वनाथ तीर्थ नगपुरा हो अथवा राजीवलोचन मंदिर, डोगरगढ़ मॉं बम्लेष्वरी मंदिर , दंतेवाडा मॉं दंतेश्वरी मंदिर और मुस्लिम श्रद्धालुओ के आस्था का केन्द्र लुतरोशरीफ बिलासपुर हो, सभी स्थानो पर वर्षभर श्रद्धालु पर्यटको की आवाजाही लगी रहती है। राज्य में आयोजित होने वाले राज्योत्सव तथा अन्य विशिष्ट उत्सवो की पहचान दूर-दूर तक होने लगी है, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में अभिरूचि विकसित हुई है। पुरातात्विक उत्खनाने के फ्लस्वरूप भी अनेक महत्तवपूर्ण धरोहर स्थल, राजिम, पंचराही सहित समग्र रूप से छ.ग. के धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल चिन्हांकित कर उनके सर्वागणीय विकास की दिशा में छ.ग. शासन प्रयत्नशील है, प्रमुख चिन्हांकित धार्मिक स्थलो का विवरण निम्न तालिका द्वारा प्रदर्षित किया जा रहा है।

छ.ग. के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल (जिलेवार)

क्रं.	जिला	धार्मिक पर्यटन स्थल
1.	रायपुर	दूधाधारी मठ, शदाणी दरबार रायपुर, महाप्रभु वल्लभाचार्य, चम्पाकेश्वर मंदिर महादेव मंदिर चम्पारण, भाण्डल देव जैन मंदिर बाघदेवल आरंग, मॉं चण्डी मंदिर अभनपुर
2.	बलौदाबाजार	सिद्धेश्वर शिव मंदिर , गुरूघासीदास जैत खम्ब छाता पहाड गिरौधपुरी, कबीर चबुतरा दामाखेड़ा, बौद्ध बिहार तुरतुरिया मावलीमाता मंदिर राधाकृष्ण मंदिर दुर्गा मंदिर रामसीता मंदिर शंकर मंदिर परमेश्वरी देवी मंदिर सिंगारपुर
3.	गरियाबंद	राजीव लोचन मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर राजिम
4.	महासमुंद	लक्ष्मण मंदिर, बौद्ध एवं स्वास्तिक विहार सिरपुर, प्राचीन देवालय, खल्लारी माता मंदिर खल्लारी, हजरत जाकीर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह बावनकेरा
5.	धमतरी	प्राचीन किला,बिलाई माता मंदिर, रामचंद्र का मंदिर धमतरी कर्णेश्वर मंदिर सिहाया, पतालेश्वर महादेव डोगेश्वर घाट धाम देवपुर
6.	दुर्ग	जैनो का तीर्थस्थल नगपुरा, प्राचीन षिव मंदिर देवबलौदा
7.	बालोद	प्राचीन मंदिर ,सियादेही बालोद, श्री गौरैया सिद्ध, शक्तिपीठ सदगुरू कबीरधाम चौरेल, कर्मा मंदिर, दुर्गा मंदिर, गणेश मंदिर रामदरबार, हनुमान मंदिर सुरसुली
8.	बेमेतरा	खेडापति मंदिर, महामाया मंदिर, कृष्ण मंदिर नवागढ़

9. राजनांदगांव मॉ बम्लेश्वरी देवी, बुद्व प्रतिमा, चन्द्रगिरी जैन तीर्थ डोंगरगढ़ प्राचीन शिव मंदिर गण्डई, अम्बादेवी मंदिर अभ्यारण मॉ भवानी मंदिर करेला, सतबहनिया मंदिर विभिन्न धर्मो सांकरदाहरा, नर्मदा कुण्ड, गंगई मंदिर, शिवमंदिर चोडराधाम

10. कबीरधाम भोरमदेव मंदिर, मंडवा महल, धेरकी महल, पालालेश्वर महादेव, झिरना, नर्मदाकुण्ड कबीरधाम, प्राचीन कंकाली मंदिर पंचराही जैन पार्ष्वनाथ मंदिर, प्राचीन कालीन मूर्तिया बकेला

11. बस्तर दंतेश्वरी मंदिर, विष्णु मंदिर जगदलपुर

12. कोण्डागांव तेलिन माता मंदिर, बौद्ध बिहार, प्राचीन शिव मंदिर कोण्डागांव

13. नारायणपुर प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष नारायणपुर

14. कांकेर सिंहवासिनी मंदिर कांकेर, किलागढ़ देवी मंदिर शिव मंदिर हर-हर खंडेश्वर महादेव मंदिर भानुप्रतापनुर

15. दंतेवाडा दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाडा

16. बिलासपुर कालीमंदिर बिलासपुर, महामाया मंदिर, भैरव मंदिर रतनपुर सिद्धबाबा मंदिर,महाकालेश्वर मंदिर बेलगहना, देवरानी जेठानी मंदिर, रूद्र षिव प्रतिमा तालागांव, कोटेष्वर मंदिर सिद्ध बाबा मंदिर कोटा

17. मुंगेली नर्मदा उद्गम सोनमुडा, महामाया मंदिर लोरमी राम जानकी मंदिर, पुरातात्विक मूर्तिया मुंगेली

18. जांजगीर चाम्पा लक्ष्मणेश्वर मंदिर, शबरी मंदिर, खरौद, शिवरीनारायण मंदिर , दुधाधारी मठ शिवरीनारायण, समलेश्वरी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, चाम्पा, चन्द्रहासनी देवी मंदिर चन्द्रपुर, विशेष्वरी मंदिर, चतुर्भुज देवी दलहा पहाड, रामजानकी मंदिर दमरू धारा

19. कोरबा शिवमंदिर पाली, महामाया मंदिर लाफागढ़

20. सरगुजा महामाया मंदिर अम्बिकापुर, बौद्ध बिहार, मैनपाट अर्धनारीश्वर मंदिर देवगढ़

21. बलरामपुर प्राचीन मंदिरो का समूह बलरामपुर

22. सूरजपुर कुदरगढ़ देवी कपिल धारा कुदरगढ़, गंगाधर मंदिर जलधारा सारासोर

23. कोरिया प्रस्तरो का मंदिर, देवी देवताओ का मंदिर प्राचीन किला कोरिया

24. रायगढ़ गिरी विलास महल सारंगढ़, पहाड मंदिर रायगढ़

स्त्रोत - छ.ग. शासन पर्यटन विगाग, रायपुर

प्रमुख धार्मिक स्थलो का ऐतेहासिक महत्वः- छ.ग. (प्राचीन नाम दक्षिण कोसल है) मेखल सिहावा रामगिरी एवं अमरकंटक जैसे विशाल पर्वत श्रेणियो से घिरा हुआ है इसके वक्षस्थल पर महानदी शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, हसदो एवं खारून आदि अनेक नदिया कलकल करती हुई पौराणिक ऋचाओ को गुंजायमान कर प्रवाहित होती है, इस अंचल की राम नाम ग्राम्य भूमि निवासीगण यहॉ की प्रचलित किवदंतिया दंतकथाऍ धार्मिक स्थल इस तथ्य की पुष्टि करते है, रायपुर के चम्पारण्य में 15वी. शताब्दी के महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभुमि है यहॉ की मनोरम आभा पर्यटको का मनमोह लेती है, यह छ.ग. का प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है, इसी प्रकार रतनपुर शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्व धार्मिक स्थल महामाया देवी के कारण पूरे देश में जाना जाता है, कलचुरि शासक रत्नदेव ने 1000 ईस्वी में इसे बसाया था यहॉ रामटेक मंदिर, कण्ठीदेव मंदिर, शिव मंदिर एवं यही से लगा खुंटाघाट जलाषय है जो पर्यटन स्थल में रूप में विकसित है।

राजिम - छ.ग.का प्रयाग के नाम से प्रसिद्व धार्मिक तीर्थ स्थल है राजिम में त्रिवेणी संगम के तट पर स्थित है जहॉ महानदी, पैरी, और सोंढूर नदियो का संगम है जिसका ऐतिहासिक महत्व 8वीं 9वीं की सदी से जुडा मिलता है, यहॉ मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा यही राजीव लोचन मंदिर के नाम से विख्यात है बोधीवृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्व की प्रतिमा भी है। राजिम में हर वर्ष माघ-पूर्णिमा पर महत्तवपूर्ण धार्मिक मेला '' राजिम मेला'' लगता है। मानवतावादी महानसंत गुरू घासीदास का जन्म गिरौदपुरी (महानदी के किनारे स्थित) पवित्र गांव में 18 दिसम्बर 1756 को हुआ, उन्हे सतनाम धर्म का प्रणेता माना जाता है, यहॉ सतनाम पंथ की आस्था का प्रतीक पवित्र जैत खांम है जो 60 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है यहॉ सतनाम पंथ के अनुयायी भारी संख्या में दर्षन करने आते है। गिरौदपुरी बिलासपुर से 80 किमी. तथा शिवरीनारायण से 12 किमी. दूरी पर स्थित है, यहॉ प्रतिवर्ष लाखो विदेशी पर्यटक भी यहॉ आते है। डोंगरगढ़ - छ.ग. की संस्कारधानी के नाम से विख्यात राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 40 किमी दूरी पर स्थित डोगरगढ़ जो हावडा-मुम्बई रेल्वे मार्ग पर स्थित है यहॉ पहाडी के उपर मॉ बम्लेष्वरी का विशाल मंदिर है यहॉ नवरात्रि एवं चैत्र मास मे विशाल धार्मिक मेले का आयोजन होता है माता जी के दर्शन के लिए लाखो श्रद्धालुओ का जन समूह आते है, इस मंदिर का निर्माण राजा कामसेन ने करवाया था। दंतेवाडा - छ.ग. का वनांचल बस्तर के दंतेवाडा में रानी भाग्येश्वरी देवी ने डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पर अराध्या देवी मॉ दंतेश्वरी के मंदिर का निर्माण करवाया था। पुरातात्विक महत्ता के इस मंदिर में श्रद्धालुओ को सात दरवाजो से होकर गुजरना पडता है, वही दूसरी तरफ भैरव बाबा का प्रमुख मंदिर बना हुआ है, दंतेश्वरी मंदिर के समीप ही आदिवासी समाज के प्रमुख देव भीमा देवी की प्रतिमा स्थित है, दंतेश्वरी देवी को बस्तरवासी अपना अराध्य मानते है मंदिर, बनावट की दृष्टि से अद्वितीय छटा बिखेरता है ऐसा मंदिर शायद ही कही होगा।

बारसूर - यहॉ 11वीं 12 वी शताब्दी के दंतेवाडा बत्तीसगा मंदिर, मामा भांजा मंदिर, चन्द्रा दिव्य मंदिर प्रसिद्व है जगदलपुर से दंतेवाडा मार्ग में 23 किमी. दूरी पर स्थित ऐतिहासिक नगरी बारसूर नागवंशी राजाओ की राजधानी रही है, इस धार्मिक स्थल में विशाल गणेश की मूर्ति सहित अन्य देवी देवताओ के भी मंदिर विद्यमान है, श्री उवसग्गहर पार्श्व तीर्थ-नगपुरा दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के तट पर स्थित तीर्थकर श्री पार्श्व स्वामी का पौराणिक मंदिर है, यहॉ खण्डहर हो चुके मंदिर को कलचुरी व राजाओ ने संवत 919 में चरण पादुका पुनः स्थापित की थी जिसका उलेख शिलालेखो में मिलता है, इन खण्डहर मंदिरो को पुनः जीर्णोद्वार कर पार्श्व तीर्थ स्थल को विकसित कर सार्थक बनाया गया है। दामाखेड़ा - छ.ग. की पुण्यधरा एवं धर्मनगरी धामाखेडा में भी अनूठे मेले का आयोजन होता है जो अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है यहॉ आज संत कबीर की परम्परा को जीवित रखने के लिए संत धनी धर्मदास की वंशावली निर्गुण धारा को गतिमान रखने के लिए कटिबद्ध है। दामाखेडा कबीर पंथियो का प्रसिद्ध तीर्थ एवं धार्मिक पर्यटक

ISSN (Print) : 2350-0441

Shodh Chetna
शोध चेतना

IMPACT FACTOR
SJIF - 4.076

Year-6 (Oct.-Dec., 2020) Vol.-4

A Peer-Reviewed International Referred & Multifocal Research Journal

Frequency - Quarterly

Administrative & Editorial Board

RNI No. UPBILL/2015/63870

ISSN (Print) : 2350-0441

SJIF - 4.076

Shodh Chetna

A Peer-Reviewed International Referred & Multifocal Research Journal

Year : 6

Oct. to Dec. 2020

Vol - 4

AUTHOR'S COPY
लेखकीय प्रति

ADVISORY BOARD

- Prof. V.P. Upadhayay *(Punjab University, Chandigarh)*
- Prof. Safat Ahmad *(SHUATS, Naini, Prayagraj)*
- Prof. L.C. Chaudhary *(Principal Scientist, IVRI, Barellei)*
- Prof. Sanjay Shanker Mishra *(TRS College, Rewa)*
- Prof. R.K. Singh, Prog. Coordinator *(KVK Barellei, Govt. of India)*
- Prof. S.P. Singh *(C.M.P. Degree College, Prayagraj)*
- Dr. Dinesh Singh *(Education, UPRTOU, Prayagraj)*
- Prof. Ashok Kumar *(Floriculture, NDUAT, Kumarganj, Ayodhya)*
- Dr. Surya Narayan Gautam *(Shri JJT University, Jhunjhunu, Raj.)*
- Shri Ajay Srivastava *(State Central Library, Rewa)*
- Prof. D.N. Triapthi *(D.S. College, Aligarh)*
- Dr. Ram Dhani *(Principal, Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh)*

EDITORIAL BOARD

Chief Managing Editor
Sushil Kumar Kushwaha
Mob. : 9532481205
e-mail : ghpublication@gmail.com

Managing Editor
Harsh Kushwaha, Prayagraj
R.L. Vishwakarma, Rewa

Editor
Dr. Sheetla Prasad Verma
Kulbhaskar Ashram P.G. College, Prayagraj
Mob. : 9415645164

)H CHETNA – YEAR-6 (OCT. TO DEC., 2020) VOL. 4
er-Reviewed
national Referred &
ifocal Research Journal

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थल : विकास एवं संभावनाएँ

□ डॉ. के.एल. टाण्डेकर*
□ डॉ. (श्रीमती) ई.व्ही. रेवती**
□ डॉ. (श्रीमती) आशा चौधरी***

शोध सारांश

प्राचीनकाल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल कहलाता था, रामायण तथा महाभारत में इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का आभास मिलता है, ऐतिहासिक काल के अभिलेखों में सर्वप्रथम गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के राज्यों की सूची में कोसल का उल्लेख प्राप्त होता है, छठवीं शती ईसवी से बारहवीं सदी के मध्य तक इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से शुरभपुरीय, पाण्डुवंशी, सोमवंशी, कलचुरि तथा नागवंश के शासकों का आधिपत्य रहा, इन शासकों के काल के अभिलेख, तामपत्र, सिक्के, विविध प्रकार के लघु पुरावशेष और स्थापत्य कला के अवशेष प्रचुरता से प्राप्त हुए हैं, जिनसे तत्कालीन सांस्कृतिक समृद्धि तथा राजनैतिक उत्कर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। इससे पर्यटन की महत्ता और अधिक बढ़ती है, छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन का विकास हो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रयत्नशील है लेकिन इस दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना है, जिसका संकल्प पर्यटन नीति में झलकता है। पर्यटन नीति के अनुरूप छत्तीसगढ़ पर्यटन का जो ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है उस पर अमल के ईमानदार प्रयास भी सरकार की ओर से किए जाने शुरू हो चुके हैं।

ना –

त्तीसगढ़ अपने आप में समृद्ध पर्यटन क्षेत्र है, ढ़ का भू–भाग ऐतिहासिक, पुरातत्वीय, पौराणिक, औद्योगिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न है जहां पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं जिनसे अपने देश के ही नहीं विदेशी सैलानी भी और अधिक आकर्षित हो सकते हैं। महानदी, शिवनाथ और हसदो आदि नदियों के जल से सिंचित, यह अंचल अत्याधिक उर्वर है। साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य और खनिज संपदा से परिपूर्ण है। सदाबहार

चार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)
ड़ायक प्राध्यापक–वाणिज्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव .ग.)
ड़ायक प्राध्यापक–इतिहास, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव .ग.)

लहलहाते हुए सुरम्य वन तथा जनजातियों के नृत्य संगीत यहां के आकर्षण हैं।

छत्तीसगढ़ में पर्यटन एक उद्योग के रूप में विकसित हो, इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है। हमारे सामने कई ऐसे राज्यों के उदाहरण हैं जो सिर्फ पर्यटन की वजह से संपन्न हैं, छत्तीसगढ़ में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें दूसरे राज्यों विशेषकर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों के साथ "टूरिस्ट सर्किट" विकसित करना चाहिए ताकि उन राज्यों से होकर सैलानी हमारे प्रदेश में भी पहुंचे, यह तभी संभव है जब टूरिस्ट एजेंसियों को छत्तीसगढ़ पर्यटन के लिए "पैकेज टूर" तैयार करने प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए कुछ बड़े राज्यों की राजधानियों में सूचना केंद्र भी खोले जा सकते हैं, इनके अतिरिक्त अपनी आभा खो रहे विरासती छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में राजमहलों को "हेरीटेज इंडिया योजना" में शामिल करते हुए राज्य के बड़े शहरों में होटल उद्योग को प्राथमिकता दी जाए लेकिन सबसे जरूरी है पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए सड़कों का विस्तार करते हुए उसकी चमक बढ़ाई जाए। छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकसित हो, इसमें सभी क्षेत्रों से भागीदारी जरूरी है।

उद्देश्य –

- प्रदेश में आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक दृष्टि से संवहनीय पर्यटन स्थल को प्रोत्साहित करना।
- छत्तीसगढ़ में पर्यटन अनुभव की गुणवत्ता एवं आकर्षकता को सुदृढ़ करना।
- राज्य की समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार–प्रसार करना। आर्थिक विकास एवं संबंधित क्षेत्रो में पर्यटन के योगदान में वृद्धि करना।
- पर्यटन संबंधित अधोसंरचना के विकास में निजी निवेशको के प्रयत्नो को प्रोत्साहित करना।
- शासन की भूमिका को सुविधापरक में परिवर्तित करना।
- पर्यटन के क्षेत्र में नई अवधारणाएं जैसे टाइम शेयर, ईको पर्यटन, ग्राम पर्यटन, साहसिक पर्यटन आदि को बढ़ावा देना।
- स्थानीय समुदाय की बौद्धिक सम्पदा एवं अधिकारों का सम्मान देना।
- पर्यटन की वास्तविक क्षमता के सदुपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा वृहद स्तर पर मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं सुधार व प्रदेश में निवेश हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।

प्रमुख पर्यटन स्थल :–

छत्तीसगढ़ अपने आप में एक समृद्ध पर्यटन राज्य है, भारत के हृदय स्थल में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में सतपुड़ा पहाड़ियों का उच्चतम भू–भाग तो मध्य में महानदी तथा उसकी सहायक नदियों का मैदानी भाग है, इसके दक्षिण में बस्तर का विस्तृत पठार है। छत्तीसगढ़ प्राचीन स्मारको , दुर्लभ वन्य प्राणियों नककाशीदार मंदिरो, बौद्ध स्थल, राजमहलो, जलप्रपातो, गुफाओं एवं शैलचित्रो से परिपूर्ण है, यहां ऐतिहासिक पुरातात्विक, धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, यहां राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य के साथ–साथ गौरवशाली प्राचीन संस्कृति का अद्वितीय उदाहरण भी है, प्रगैतिहासिक काल के शैल चित्र महापषाणीय शवाघान स्मारक स्थल तथा ऐतिहासिक काल के भव्य मंदिर बौद्ध विहार, जलप्रपात, प्राकृतिक भूमिगत कन्दराएं , सघन वन तथा दुर्लभ वन्य प्राणियों के व्यापक आकर्षक राज्य के पर्यटन स्थल प्रमुख है।

राज्य का लगभग 44 प्रतिशत भू–भाग वनों से आच्छादित है। पुरातत्वीय उत्खननो के फलस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहर स्थल सिरपुर, महेशपुर, राजीम, पंचराही, सिरपुर आदि पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित है, समग्र रूप से छत्तीसगढ़ के 27 जिलो में लगभग 139 स्थल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित है, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है –

October to December 2020
E-Journal
Volume I, Issue XXII

ISSN 2391-3807
E-ISSN 2394-3513
Impact Factor - 5.190

Divya Shodh Samiksha

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

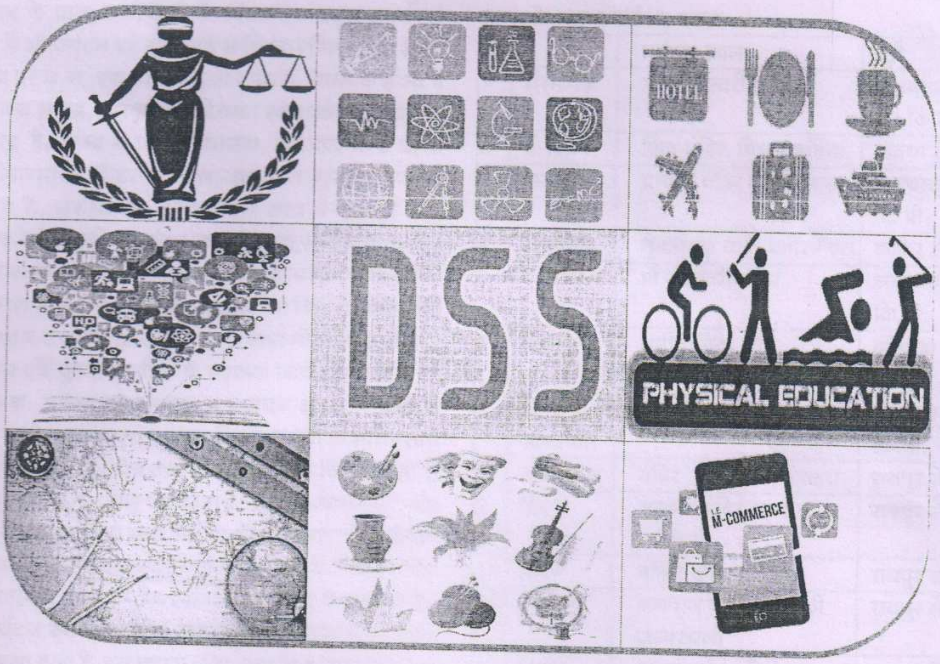

दिव्य शोध समीक्षा

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email :** dssresearchjournal@gmail.com, **Website :** www.dssresearchjournal.com

Divya Shodh Samiksha (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2394-3807, E-ISSN 2394-3513, Impact Factor - 5.190 (2017) Oct. to Dec. 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXII

छ.ग. राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास में छ.ग. पर्यटन मण्डल की भूमिका

डॉ.के.एल. टाण्डेकर* डॉ. श्रीमती ई.व्ही.रेवती**
डॉ. श्रीमती आशा चौधरी*** डॉ. मुन्नालाल नंदेश्वर ****

प्रस्तावना - विश्व के प्राय: सभी देशो में पर्यटन एक प्रमुख मनोरंजन व्यवसाय है भारत मे भी पर्यटन को द्रुतगति से विस्तार मिल रहा है भारत के पर्यटन मानचित्र पर छ.ग. एक उभरता हुआ राज्य है, भारत के ह्रदय में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य समृद्ध, सांस्कृतिक, विरासत एवं आर्कषक प्राकृतिक विधता से सम्पन्न है, राज्य में प्राचीन स्मारक, लुप्तप्राय वन्य प्राणी प्रजातिया, नक्काशीदार मंदिर, बौद्धस्थल महल, जलप्रपात, गुफाएँ एवं पहाडी पठारो का बाहुल्य है, छत्तीसगढ़ राज्य अपने आप में ऐतिहासिक, पुरातात्विक,धार्मिक एवं पाकृतिक पर्यटन स्थल है, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारणों के साथ-साथ गौरवशाली प्राचीन लोक सांस्कृतिक का अद्वितीय उदाहरण भी है प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र, महापाषाणीय शवाधान स्मारक स्थल तथा ऐतिहासिक काल के भव्य मंदिर, बौद्ध बिहार, प्राकृतिक सघन वन एवं दुलर्भ प्राणीयो के व्यापक आर्कषक पर्यटन का केन्द्र बिन्दु है, छ.ग. प्रदेश का लगभग 44 सघन भू-भाग वनो से आच्छादित है यहाँ राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी अभ्यारण्यो के साथ-साथ जनजातीय संस्कृति के नृत्य संगीत तथा शिल्पकला की विविधताओ से राज्य सम्पन्नता लिए हुए है, महाप्रभु वल्लभाचार्य, संत गुरूघासीदास, संत धरमदास साहेब के पुण्य स्थल यहाँ सत्य अहिंसा और समानता को उद्घोषित करते है तथा यहाँ उनके असंख्य अनुयायियों को पर्यटन के लिए उत्प्रेरित करते है। छ.ग. के धार्मिक केन्द्र राष्ट्रीय एकता व अभिमता के संवाहक है।

छ.ग. के मुख्य पर्यटन स्थल/राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य - छ.ग. प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, इस कारण छ.ग. प्राकृतिक सुंदरता से भरा पडा है यह राज्य देश के ह्रदय स्थल होने के कारण यह अनेक ऐतिहासिक धार्मिक एवं प्राकृतिक दर्शनीय स्थलो में परिपूर्ण है, यहाँ अनेक धर्म संप्रदायो की उत्पत्ति हुई है एवं उनकी प्रचार स्थली है पर्यटन की दृष्टि से छ.ग. राज्य के छोटे-बडे लगभग 139 पर्यटन स्थलो को चिन्हांकित किया गया है। पर्यटन के बहुआयामी क्षेत्र में विशेषकर जनजातीय अचलो में स्थित पर्यटन स्थलों को चिन्हांकित कर प्रचार प्रसार एवं मूलभूत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, छ.ग. में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, तीर्थस्थल, पुरातत्व महत्व के ढेर सारे दर्शनीय स्थल है जो वन्य प्रेमी एवं शैलानियो के आर्कषण का केन्द्र बिन्दु माने जा सकते है छ.ग. के प्रमुख पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण का विवरण निम्नानुसार है

छ.ग. के प्रमुख पर्यटन स्थल

क्रं		पर्यटन स्थल	दूरी
1	डोंगरगढ़	माँ बम्लेश्वरी मंदिर	राजनांदगांव से लगभग 39 कि.मी.
2	भोरमदेव	शिव मंदिर, मिथुन मूर्तिया	कर्वधा से 20 कि.मी.
3	बारसूर	प्राचीन मंदिर मनोरब वन	जगदलपुर से 80 कि.मी.
4	केशकाल	घुमावदार घाटी मनोरब वन	कांकेर से 30 कि.मी.
5	दंतेवाडा	माँ दंतेश्वरी मंदिर	जगदलपुर से 84 कि.मी.
6	बैलाडीला	घनीवादियों लौह अयस्क भंडार	दंतेवाडा से 40 कि.मी.
7	चित्रकोट जलप्रपात	इंद्रावती नदी पर	जगदलपुर से 40 कि.मी.
8	जगदलपुर	मंदिर , राजमहल, दशहरा	रायपुर से 308 कि.मी.
9	सिरपुर	लक्ष्मण मंदिर, प्राचीन राजधानी	रायपुर से 84 कि.मी.
10	आरंग	मंदिरो की नगमी	रायपुर से 36 कि.मी.
11	चम्पारण	भगवान वल्लभाचार्य की जन्मस्थली	रायपुर से 60 कि.मी.
12	भिलाई	इस्पात संयंत्र मैत्री बाग	रायपुर से 30 कि.मी.
13	ललागांव	रौद्र शिव की प्रतिमा शैवमंदिर	बिलासपुर से 30 कि.मी.
14	शिवरी नारायण	महानदी के किनारे नारायण मंदिर	बिलासपुर से 64 कि.मी.
15	जांजगीर	भगवान विष्णु मंदिर	बिलासपुर से 60 कि.मी.
16	मल्हार	पातेश्वर मंदिर, डिडनेश्वरी मंदिर	बिलासपुर से 35 कि.मी.
17	रतनपुर	रामटेकरी, महामाया मंदिर	बिलासपुर से 25 कि.मी.

* प्राचार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
*** सहायक प्राध्यापक, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
**** क्रीडाधिकारी, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) भारत

18	पाली	प्राचीन शिव मंदिर	बिलासपुर से 45 कि.मी.
19	खरौद	शबरी मंदिर व अन्य मंदिर	बिलासपुर से 60 कि.मी.
20	अमरकंटक	नर्मदा नदी का उद्गम स्थल	बिलासपुर से 125 कि.मी.
21	तातापानी	गरम पानी झरना	सरगुजा जिला से 80 कि.मी.
22	डीपाडीह	पुरातात्विक स्थली	अम्बिकापुर से 75 कि.मी.
23	रामगढ़	प्राचीन नाट्यशाला	अम्बिकापुर से 45 कि.मी.
24	मैनपाट	35 सौ फिट अचार्य पर निर्वासित तिब्बतियो की बसाहट	अम्बिकापुर से 75 कि.मी.
25	कोरबा	उर्जा की राजधानी	बिलासपुर से 115 कि.मी.

स्त्रोत – छ.ग. पर्यटन 2001 दैनिक भास्कर रायपुर

छ.ग. वन सम्पदा की दृष्टि से सम्पन्न राज्य है जहाँ वनो का कुल क्षेत्र 60928.97 वर्ग कि.मी. है छ.ग. में कुल वन क्षेत्रफल का 39.89 प्रतिशत सुरक्षित वन और 48.14 प्रतिशत वन संरक्षित है, छ.ग. में वन्य प्राणियो की संख्या को देखते हुए पर्यटन की दृष्टि से विकास की असीम संभावनाएँ है, राज्य के विशाल वनांचल में चार राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) एवं दस अभ्यारण्य है जो वन्य प्राणी संरक्षण, वन संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन हेतु महत्त्वपूर्ण है जिसका विवरण निम्नतालिका अनुसार है:-

अभ्यारण (वन्य पशु विहार) (अगले पृष्ठ पर देखे)

छ.ग. पर्यटन मण्डल – मध्यप्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम के अतंर्गत म.प्र. पर्यटन विकास निगम के विभाजन के फलस्वरूप छ.ग. में पर्यटन विभाग अस्तित्व मे आया, विभाजन न्यूनतम संख्या में कर्मचारी अधिकारी के सेवाएँ छ.ग. शासन को हस्तांतरित की गई तथा 21 जनवरी 2002 तक छ.ग. राज्य की सीमा के भीतर चल एवं अचल समपत्तियो का आधिपत्य भौतिक रूप से छ.ग. पर्यटन विभाग द्वारा म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम से ग्रहण किया गया है, छ.ग. को एक अंतराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन राज्य के रूप मं विकसित करने एवं संपूर्ण राज्य में पर्यटन की दृष्टि से अधोसंरचना का विकास कर शासकीय स्थानीय समुदाय एवं निजी क्षेत्रो के परस्पर सहयोग से छ.ग को एक महत्त्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा छ.ग. राज्य मे पर्यटन गतिविधियो के क्रियान्वयन हेतु छ.ग. पर्यटन मण्डल का गठन दिनांक 18 जनवरी 2002 को किया गया।

उद्देश्य:

1. प्रदेश के पर्यटन स्थल को देश विदेश में स्थापित करना।
2. पर्यटको को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने अधोसंरचना का विकास करना।
3. पर्यटन स्थल की गुणवत्ता एवं उन्हे अधिक आर्कषक स्वरूप देकर सुदृढ बनाना।
4. राज्य में अधोसंरचना विकास में निजी क्षेत्रो की सहभागिता सुनिश्चित करना।
5. राज्य की विविध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण सर्वधन करना तथा आर्थिक विकास में इनके योगदान को बढाना।
6. छ.ग. राज्य में पर्यटन को बढावा देशी विदेशी ट्रेव्हल्स एजेंन्ट्स टूरिज्म प्रमोशन एजेंसी ट्रेव्ल्स राइटर को आमंत्रित कर परिचात्मक टूर का आयोजन करना।
7. राज्य में पर्यटन को बढावा मिले इसके लिए देश विदेश में प्रचार-प्रचार, सेमीनार, वर्कसाप प्रर्दशनी, टूर भ्रमण जैसे कार्यक्रमो का आयोजन करना।
8. राष्ट्रीय राज्य स्तरीय सांस्कृतिक सामाजिक उत्सवो का आयोजन करना एवं ऐसे आयोजनो में सहायता करना।
9. उन सभी कार्यक्रमो योजनाओ का क्रियान्वयन करना जिसे राज्य सरकार ने पर्यटन मण्डलो का सौपा है।

पर्यटन नीति – छ.ग. पर्यटन मण्डल अपने स्थापना के उद्देश्यो को पूर्ण करने की दिशा मे आगे बढने लगा है, छ.ग. के विभिन्न दर्शनीय स्थलो को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने अधोसंरचना विकास करने के निंरतर प्रयास पर्यटन मण्डल द्वारा किया जा रहा है मंडल के इस प्रयास को पर्यटको ने अच्छा प्रतिसाद दिया है, निष्चित रूप से छ.ग. के पर्यटन स्थलो को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान देकर इनके विकास में अपना योगदान दे रहा है छ.ग. प्रदेश में पर्यटन स्थलो का नियोजित रूप से विकास हो इसके लिए सरकार द्वारा पर्यटन नीति बनाइ गई जिसके तहत् निश्चित उद्देश्यो की पूर्ति का दायित्व छ.ग. पर्यटन मण्डल को सौंपा गया पर्यटन मण्डल द्वारा पर्यटन नीति का क्रियान्वयन करते समय राज्य केवल उन प्रयत्नो को प्रोत्साहित करेगा जिससे पर्यटन क्षेत्र का संवहनीय विकास होता हो एवं पर्यावरण का संतुलन बना रहे, प्रदेश के समृद्ध सांस्कतिक विरासत के संरक्षण संवर्धन एवं प्रोत्साहन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित किया जाएगा, पर्यटन नीति के क्रियान्वयन हेतु छ.ग. विकास मण्डलो को नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है।

छ.ग. राज्य में पर्यटन स्थल तथा पर्यटन उद्योग का विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मण्डल ने प्रदेश में आर्थिक सांसकृतिक एवं परिस्थितीय दृष्टि से संवहनीय पर्यटन को प्रोत्साहित करना पर्यटन अनुभव की गुणवत्ता एवं उन्हे आर्कषक बनाने समृद्ध एवं विकसित सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण संवर्धन, प्रचार, प्रसार करने अधोसंरचना विकास में निजी निवेशको के प्रयत्नो को प्रोत्साहित करना एवं शासन की भूमिका को सुविधापरक बनाना, टाईम शेयर, ईको पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, साहसिक पर्यटन जैसे क्षेत्र में नई अवधारणाएँ को बढावा देना, साथ ही समुदाय की बौद्धिक संपदा एवं अधिकारो को सम्मान देना जैसे उद्देश्यो की पूर्ति के लिए राज्य द्वारा विशिष्ट प्रयास किए जा रहे है। (1). अधोसंरचना एवं संस्थागत विकास (2). पर्यटन उत्पाद प्रदाय (3). विपणन जैसे प्रमुख बिंदु को रेखांकित कर पर्यटन मण्डल कार्य कर रहा है जैसे आधारभूत सुविधाएँ एवं संस्थागत विकास निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, मूलभूत अधोसंरचना एवं मानव संसाधन विकास प्रमुख है।

संस्थागत संरचनाओ सशक्तिकरण, पर्यटन उत्पादो के प्रदाय में सुधार, सांस्कृतिक धारोहर एवं ग्रामीण पर्यटन साहसिक पर्यटन, तीर्थ पर्यटन, व्यापार सह मनोरंजन पर्यटन प्रभावशाली विवरण के अंतर्गत परियोजनाओ की पहचान कर उनका विकास करना समय-समय पर पर्यटन बाजार पर शोध कर विश्लेषण कर पर्यटको का पर्यटन झुकाव बढाकर सभी केन्द्रो पर पर्यटको के लिए मैत्रीपूर्ण कदम जैसे कम्प्युटर आधारित सूचनाएँ आरक्षण

Sambodhi
(UGC Care Journal)
ISSN: 2249-6661
Vol-44, No.-1, (II) January-March (2021)

महिला सशक्तिकरण की दशा व दिशा

डॉ.के. एल. टाण्डेकर
प्राचार्य शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
डोंगरगढ़ जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

डॉ. (श्रीमती) ई.व्ही.रेवती
सहायक प्राध्यापक – वाणिज्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
डोगरगढ़ ,जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

डॉ. (श्रीमती) आशा चौधरी,
सहायक प्राध्यापक –इतिहास, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
डोगरगढ़ , जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

शोध सारांश –

महिला सशक्तिकरण वर्तमान युग में सर्वाधिक महत्तवपूर्ण एवं ज्वलंत विषय है, हमारे देश के संविधान में यद्यपि महिला नागरिको एवं पुरूष नागरिको को सामान अधिकार प्रदान किय है फिर भी समाज की सबसे छोटी ईकाई परिवार से लेकर देश तक एवं ग्रामीण क्षेत्रो से लेकर शहरी क्षेत्रों तक महिलाओं को भागीदारी को और अधिक बढ़ाना आवश्यक लगने लगा है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाए जो शहरी महिलाओं की अपेक्षा वैचारिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से भिन्न होती है उनके मध्य उपस्थित विभिन्न बाधाओं जैसे – जागरूकता की कमी, शिक्षा का आभाव एवं परम्परा की बेडियो को तोडकर अपने ग्राम एवं देष के विकास में योगदान देने हेतु प्रयास करना ही वास्तव में महिला सशक्तिकरण है ।

प्रमुख शब्द – सशक्तिकरण, जागरूकता, उत्पीड़न, अज्ञानता, योगदान, संरक्षण इत्यादि।

प्रस्तावना –

सम्पूर्ण भारतीय समाज में लगभग आधी आबादी स्त्रियों की है किंतु स्त्रियो के पास वास्तविक सम्मान नही है। आदिकाल से लेकर आज तक पुरूष ने स्त्री पर दासत्व ही लादा है, वर्तमान भारतीय समाज में स्त्री के प्रति दोहरे मापदण्डों की स्थिति आज भी परिलक्षित होती है, कुल वर्षो से साहित्य और समाज शास्त्रियों के लिए लेखन और चर्चा का प्रमुख विषय के रूप में महिला सशक्तिकरण शब्द केन्द्रित हो गया है, सवाल उत्पन्न होता है कि क्या भारत में नारिया सदा से अबला मात्र रही है? ये वही देश है जहॉ अति प्राचीन काल से शक्ति, दुर्गा, रणचण्डी जैसे ओजस्वी और प्रतीक प्रचलित रहे है जहॉ नारियो के लिए यह कहा जाता रहा है कि ''यत्र नारियस्तु पुजयन्ते रमन्ते तत्र देवता'' यही नही दुनिया भर में किसी ना किसी रूप में यह कथन प्रचलित रहा है कि – एक सफल पुरूष के पीछे किसी ना किसी नारी का हाथ होता है, इतने सम्माननीय

Copyright ©2021Authors

Dr. M.L. Nandeshwar

RESEARCH DIRECTIONS
Impact Factor 3.5003 (UIF)

ISSN: 2321-5488
Volume -5 / Issue – 1 JULY - 2017

NEED OF YOGA IN MODERN AGE

Dr. Munna Lal Nandeshwar
Sports officer Govt. Nehru P.G. College dongargarh dist Rajnandgaon C.H.

Abstract:

This paper highlights the importance of Yoga in improving our physical, mental, social and spiritual health, which are diminishing day by day in the modern age. Yoga is derived from the root word "Yuj" which means "Union" - basically it is the Union of Atma and paramathma. Yoga which is originated in India has become popular because of its impact on health. Yoga is defind as science that not only helps one to control one's mental state, but also to improve one's personality and behaviour. Yoga practice results in complete physical, mental, social and spiritual well being.

There are several types of Yoga. They are: Hatayoga, Rajayoga, Karmayoga, Kundaliniyoga, Bhakthiyoga, Dhyanayoga, Astangayoga etc. Among these, Astangayoga is the most practical for modern age. It comprises 1) Yama (social ethics). Yama has Ahimsa means non-violence, Sathya means Truth, Asteya means Non-stealing, Brahmachariya means celibacy, Aparigraha means non - Possesion. 2) Niyama (personal ethics) It comprises (Shaucha means cleanliness, Santhosha means contentment, Tapas means Austerity, Svadhyaya means Self Study, Ishwarapranidhana means surrounding to God) 3) Asana, 4) Pranayama, 5) Pratyhara, 6) Dharana, 7) Dhyana, 8) Samadi. It is now a well known fact that people of modern age are suffering from disorders of stress. Stress has a very bad impact on the mind which generates Psychosomatic and Psychiatric disorders. Yoga is most needed for modern age.

KEY WORDS: Yoga, Modern age, physical, mental, spiritual health.

INTRODUCTION

Yoga has originated in India. It is one of the greatest contributions of India to the world for irradiation of physical, mental, social illness. Yoga is derived from the root word "Yuj", which means. "Union" Basically it is the union of Atma & Pramatma (Atmano pramatmano sanyoge yoga uchyate) Now a days Yoga has become popular, because its impact on health. According to World Health Organization, health means "The complete state of physical, mental and social well being and not merely an absence of disease or infirmity" (in 1948).

ISSN: 2321-5488
Volume -5 / Issue – 1 JULY - 2017

At first gets psychic changes such as, irritability, nervousness, sleeplessness, etc and then to Psychosomatic changes. Hence in recent years there has been an intense search for non-medical measure not only have control over the these disease, but also to prevent development of these disorders. If we look into the ancient part of mankind, we can easily find out some of the methods described by the earlier Philosopher, sages and spiritual leader for maintaining tranquility of mind. Amongst these Yoga seems to be the earliest and most effective method for providing peace and Tranquility of mind.

Mankind has always tried to attain peace and happiness through all available means. The urgency of getting an ideal method of attaining mental peace has become very significant in view of tremendous increase of stress and strain of life. The rapid industrialization & urbanization leading to excessive crowding, too much competition, excessive hurry and worry are some of the important factors which ultimately lead to mental and physical diseases. It is now well known that people of modern age suffer greatly from disorders of stress. It leads to the manifestation of psychosomatic changes one by one.

Afterwards dimensions like spiritual, and vocational, dimension also added. Yoga not only cure the disease but also helps in the preservation of health. Yoga unites mental, physical, social and spiritual health. In one word Yoga results total well being.

Types of Yoga.

1) Hata yoga
2) Rajayoga
3) Karmayoga
4) Kundalini yoga
5) Bhakthi yoga
6) Dhyna yoga
7) Astanga yoga

etc.Among these Astanga yoga is the most practical yoga for modern age. Astanga yoga comprises 8 steps.

Yama: - It means Social ethics. It comprises Ahimsa means (non-violence) refraining from physical, mental and verbal violence. Now a days many countries are suffering from violence

from inside and outside. If most of the people practice non-violence there will be peace in every country. (The Nation will be free from terrorism and war).

Sathya means Truthfulness in all the dealings of the life. If every one practices truth the legal burden of a country will be solved. Individually if one lies there will be manifestation of stress in conscious and sub conscious level which generate stress related physical or mental disorders like heart disease, anxiety neurosis etc.

Astheya means non-stealing of anything in life such as money, materials, ideas, speeches or writings. Stheya means stealing example stealing one's nation's wealth may results in a war.

Brahmacharya means Celibacy: - In a society pre-merital as well as extra merital relationship destroy the family relationship and social harmony. Practicing of Bramacharya before marriage & Grahasta Bramacharya (relationships with spouse only) after marriage maintenance of good relationship with family & social harmony.

Aparigraha:- (means non-possession) If one earns wealth and distribute to the needed people, there will be balance in the economic status. By practicing these steps which are meant for prevent a person from indulging in too many undesirable worldly activities injurious to his physical and mental health.

Niyama:- Niyamas are personal ethics. It comprises Shaucha means cleanliness of body, mind and word. One should have good control over the tongue while communicating. Communication should be free from vulgar irrelevant, harsh speech. So this way one can maintain good social relations and co-ordination. One should also keep mind clean by avoiding anger, greed, delusion, pride and Jealousy which may lead to development of abnormal behaviour.

Santhosha means Contentment: - The person should develop attitude of be happy with what he has. This is lacking now a days in the World.

Tapas:- It means austerity dedication towards a good work.

Svadhyaya: - Means self study. Now a days many social evils are because of ignorance. In order to make life healthy, happy and peaceful it is essential that we make an extensive study of the subjects in which we want to practice.

Ishwarapranidhana: - (Surrendering to God) In order to attain peace and a sense of humility it is always better to dedicate the actions and the fruits of our action to 'God Almighty'. This will help us to cultivate superior qualification of cultured human beings, such as love, kindness, affections, charity, etc. So this type of work in our emergence of every country.

Asana:- Asana or posture brings steadiness, health and lightness of the body. "Kuryat tat asanam sthairyam arogyum angalaghavam". This is explained in Hata Yoga Pradeepika chapter II. A steady and pleasant posture produces mental equilibrium & prevents fickleness of mind. There are many Asana.

All Asanas improve not only stability of body but mind also by practicing Asanas one will be free from diseases and prevent many diseases. Pranayama:- Pranayama is a breathing exercise which expands the pranik energy of a body. Prana means breathing; pranayama is an indirect method for mind control & emotional control. By practicing one can prevent and cure and especially psychiatric diseases. By controlling respiration one can control the emotion of mind.

Pratyahara:- It is practice of controlling the mind from its distraction. Every person should have good control over mind distraction to get progress in his life.

Dharana: - It is nothing but concentration. By practicing concentration on one object person will get tremendous mental energy which is very essential for the progress of Nation.

Dhyana: - Meditation decreases stress Harmons of body. It also decreases mental stress. It has a therapeutic value on psychiatric, Physical and Psychosomatic disorders.

Samadhi: - is the end of the Sadhaka's quest. At the peak of his meditation, he passes into the state of Samadhi where his body and senses rest. It will occur because of deep meditation, which

re-vitalizes person's body and mind. Each person is unique because of physical and mental attitude. The person who is interested in social works can opt Karma Yoga. One who is emotional can opt Bhakti Yoga. He who has strong physically and mentally can practice Hata Yoga. He who feels enjoyment in knowledge can walk in Jnana Yoga. He who wants to live systemically happy and long life can practice Astanga Yoga.

Conclusion:-

. It not only helps one to control one's mental state but also to improve one's personality and behavior. As modern age is suffering from social evils inside and outside. Yoga is a panacea for all evils. In Yoga it is mentioned "Heyam dukham Anagatam". We can prevent many forthcoming miseries (problems). Yoga is a Science of mental control If everyone follows the principles and practices techniques of Yoga there will be harmony and peace in every country and thus yoga is an emergency of modern age.

References-

Light on Yoga - B.K.S Iyengar

Yoga and Ayurveda - Dr. Sathendra Prasad Mishtra

Hata Yoga Pradeepika – Swaathmaram

Stress and its management by Yoga - Dr.K.H.Udupa

Patanjali Yoga suthra - Sage patanjali

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728) 617
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) July to Sept. 2017 E-Journal, Vol. III, Issue XIX

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की आर्थिक योजना का क्रियान्वयन (लक्षित वर्ग के लिए) (राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. के.एल.टाण्डेकर* डॉ. मुन्नालाल नंदेश्वर**

प्रस्तावना – वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त साधन न होने के कारण युवाओं का रूझान तथा पलायन शहरों की ओर हो रहा है। इससे शहरो में बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरी जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है तथा सरकार को समस्त नागरिकों के लिए आवास और मूलभूत सुविधाऐं प्रदान करने मे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अत: ऐसे विभाग तथा संगठन, जिनका कार्य विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार प्रदान करने का है उनकी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे अपनी कार्ययोजना का स्वरूप ग्रामीण अंचल में मूलभूत सुविधाऐं प्रदान करने के साथ-साथ अधिक से अधिक रोजगार सृजन को ध्यान में रखकर करे। इस दिशा में अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम विशेष भूमिका निभा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य में कुल आबादी का 31.76 प्रतिशत आदिवासी एवं 11.61 प्रतिशत अनुसुचित जाति वर्ग का है, इन वर्गो के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया, यह नियम गरीबी रेखा से नीचे अंतिम छोर के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दिलाकर स्वावलंबी बनाने के साथ ही सफाई कामगारो एवं पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान हेतु आर्थिक मूलक योजनाओं का क्रियान्वय करता है।

लक्षित वर्गो के बेरोजगार युवको में व्यवसायिक मानसिकता विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न लघु उद्योग तथा व्यापार संबंधी योजनाओं का संचालन निगम द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रो के आवेदकों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है उनकी वार्षिक आय 19750/- रूपये से अधिक न हो योजना के तहत् अनुदान की पात्रता भी निश्चित की गई है।

राजनांदगांव जिले में योजनाओं का क्रियान्वयन अंत्यावसायी विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र क बेरोजगारों (लक्षित वर्ग) को योजना के तहत् ट्रैक्टर, ट्राली, महिला समृद्धि माईक्रोक्रेडिट लघु ईकाई, सफाई कामगार, व्यक्ति मूलक, जीप, टेक्सी, आटो रिक्सा, मिनी ट्रक, डीजल आटो, बड़ी व्यवसायिक ईकाई, अन्त्योदय स्वरोजगार योजना, आदिवासी स्वरोजगार योजना, टेन्ट हाउस, मिनी माता स्वालम्बन योजना, कृषि उत्खन, टर्मलोन, शैखणिक ऋण, सूअर पालन जैसी आर्थिक मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन कर हितग्राहियो को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे है।

जिले में निवासरत अनुसुचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथ अल्पसंख्यक, सफाई कामगारों की व्यवसायिक क्षेत्रों में सहभागित सुनिश्चित कर उन्हे विकास की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास किया ज रहा है। हितग्राहियो को लघु उद्योग व्यवसाय के क्रियान्वयन हेतु वित्त के स्त्रोत (वित्त पोषक संस्थाऐं) मुख्यत: राष्ट्रीय अनुसुचित जाति वित्त एव विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसुचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीर अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त एव विकास निगम, छ.ग. शासन अनुसुचित जाति वित्त एवं विकास प्राधिकरण छ.ग. शासन अनुसुचित जनजाति बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण प्रमुख है।

तालिका 1 : राजनांदगांव जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्य, उपलब्धि, वितरित ऋण एवं अनुदान की जानकारी निम्नानुसार है

क्र	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	स्वीकृत ऋण	अनुदान
1	2004-05	345	305	11791000	2528750
2	2005-06	349	228	18615119	1637500
3	2006-07	109	36	4277647	765000
4	2007-08	377	113	9695822	810000
5	2008-09	422	190	9815663	1960000
	योग	1602	872	54195251	7010125

निगम द्वारा मियादी ऋण के रूप में अनुसुचित वर्ग हेतु अधिकतम 30 लाख तक एवं अनु. जनजाति वर्ग के लिए 10 लाख रूपये तक तथा पिछड़ वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं साफ़-सफाई कामगारो के लिए अधिकतम 5 लाख रूपये की परियोजना स्वीकृत योग्य है। ऋण पर ब्याज दर कम होने र हितग्राहियों का अधिक रूझान योजना के प्रति देखा जा रहा है।

तालिका 2 **(अगले पृष्ठ पर देखे)**

शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लक्षित वर्गो को मिल सवे इसके लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु कुल हितग्राही का 50 प्रतिशत र अधिक गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगो को विशेष प्रोत्साहन दिया गया वही अनुसुचित जाति, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के मात्र 7 प्रतिशत अनुसुचित तथा 27 प्रतिशत अनु.जनजाति के हितग्राही योजनाओं र लाभान्वित हो सके जो कि जनसंख्या के अनुपात की अपेक्षाकृत कम है अन्य पिछडा वर्ग के 31 प्रतिशत, सफाई कामगारो के 9 प्रतिशत हितग्राह

* प्राचार्य, शासकीय बाबा साहब भीमराव अम्बेड़कर महाविद्यालय, डोंगरगॉव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
** वरिष्ठ क्रीडा अधिकारी, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) भारत

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XV, Issue No. 6, August-2018, ISSN 2230-7540

भारत में स्त्री विमर्श और स्त्री संघर्ष

Dr. Munnalala Nandeshwar*

Senior Sports Officer, Government Nehru Post-Graduate College, Dongargarh

सार *- पश्चिम के स्त्री आंदोलनों और स्त्री विमर्श से तुलना करते हुए कई बार हमारे योग्य विद्वान भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्त्री संघर्ष की उपेक्षा कर जाते हैं। हिंदी के विमर्शात्मक लेखन पर भी इसी तरह का एक खास नजरिया चस्पां कर दिया गया है और उसका मूल्यांकन चंद लेखिकाओं के आधार पर करके एक सामान्य निष्कर्ष निकाल दिया जाता है। ऐसे में भारत के स्त्री-संघर्ष के इतिहास पर पुनर्विचार करना जरुरी है। स्त्री विमर्श एक वैश्विक विचारधारा है लेकिन विष्वभर की स्त्रियों का संघर्ष उनके अपने समाज सापेक्ष है। इस सन्दर्भ में स्त्री संघर्ष और स्त्री विमर्श दोनों को थोड़ा अलग कर देखने की जरूरत है हाँलाकि दोनों अन्योन्याश्रित हैं। इसलिए किसी एक देश में किसी खास परिस्थिति में चलने वाला स्त्री संघर्ष एकमात्र सार्वभौमिक सत्य नहीं हो सकता है, प्रेरणास्रोत हो सकता है। हर देश का अपना अलग-अलग बुनियादी सामाजिक ढांचा है। ऐसे आन्दोलन वैश्विक विचारधारा के विकास में सहायक हो सकते हैं लेकिन यह जरुरी नहीं है कि हर आन्दोलन इस वैश्विक विचारधारा की सैद्धांतिकी को आधार बना कर चले।*

---------------------------------x---------------------------------

प्रस्तावना

किसी एक मुद्दे को लेकर शुरू हुआ आन्दोलन अपनी चेतना में कई स्तरों पर न्याय की लड़ाई को समेटे रहता है। भारत में स्त्री संघर्ष और स्त्री अधिकार के आन्दोलन को इसी रूप में स्वतंत्रता आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। राष्ट्रवादी आंदोलन वाला स्त्री आंदोलन बन गयी स्त्री की राष्ट्रमाता छवि भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का मूल ढांचा पितृसत्तात्मक राष्ट्रवाद का है लेकिन भारत में स्त्री आन्दोलन भी इसी ढांचे के साथ विकसित होता हुआ दिखाई देता है।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध के दौरान विकसित होते हुए स्त्री आन्दोलन को भारत के तत्कालीन राष्ट्रवादी आन्दोलन से अलग करके नहीं देखा जा सकता है लेकिन कई स्तरों पर उनके अपने संघर्ष भी रहे हैं। इस संघर्ष की शुरुआत वहीं से स्पष्ट होने लगती है जब राष्ट्रवादी आन्दोलन के अगुआ स्त्री की तत्कालीन दशा में सुधार तो लाना चाहते हैं लेकिन उसे परम्परागत परिवार के दायरे में सीमित रखकर और सामाजिक स्तर पर स्त्री की राष्ट्रमाता की छवि निर्मित करके। जहाँ न तो स्त्री का स्वतंत्र व्यक्तित्व है और न ही उसकी अस्मिता। एक ओर जहाँ रमाबाई जैसी स्त्री को हिन्दू धर्म छोड़ना पड़ा वहीं दूसरी ओर होमरूल जैसे आन्दोलन का हिंदुत्व से ओत-प्रोत धार्मिक स्वरुप जिसमें स्त्रियों की बड़े स्तर पर सक्रिय भागीदारी थी। यही एक बड़ा कारण रहा दलित आन्दोलन और स्त्री आन्दोलन की संवेदनात्मक स्तर की दूरी का भी। फिर भी संघर्ष की इस लम्बी परम्परा को किसी भी स्तर से नकारा नहीं जा सकता है जहाँ स्त्रियाँ अपने अधिकारों की माँग के साथ खड़ी हो रही थीं। सरला देवी जैसी पुनरुत्थानवादी स्त्री ने भी विधवाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों की माँग की थी। इस रूप में उस समय स्त्रियों की लड़ाई दोहरे स्तर पर चल रही थी, एक तो उपनिवेशवादी ताकतों के खिलाफ दूसरे अपने घर में उनकी नियति निर्धारित करने वाली पुरुषवादी मानसिकता के खिलाफ। अधिकारों के लिए हर कदम पर किया संघर्ष यह सही है कि पश्चिम में स्त्रियों को मताधिकार के लिए लम्बा संघर्ष करना पड़ा और उस रूप में भारत में कोई मताधिकार आन्दोलन नहीं चलाद्य यह भी उतना ही सत्य है कि कोई भी आन्दोलन गहराई तक जाकर लोगों की चेतना को झकझोरता है।

इससे यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि भारत में मताधिकार आन्दोलन नहीं हुआ इसलिए यहाँ की स्त्रियों में अपने अधिकारों को लेकर कोई चेतना जागृत नहीं हुई। यहाँ भी स्त्रियों को अपने अधिकारों को लेकर कदम-कदम पर संघर्ष करना पड़ा है और यह तभी संभव हो सका जब उनके भीतर भी स्वाधिकार की चेतना जगी। स्वयं को एक ऑब्जेक्ट के बदले एक संवेदनात्मक इंसान समझने की चेतना जगी। अपनी देह को किसी के उपभोग की वस्तु न बनने देने की चेतना जगी। यहाँ स्त्रियों को अपना शरीर ढँकने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा है। इसी भारत में शुचितावाद और सुधारवाद के नाम पर जहाँ परम्परागत स्वतंत्र महिला समूहों को तोड़

करके उन्हें वेश्या की श्रेणी में शामिल किया गया (और वेश्याओं के सुधार के नाम पर स्त्री देह और स्त्री अस्मिता को किस तरह प्रताड़ित किया गया, अभी भी नीतिनिर्माताओं का उनके प्रति क्या रवैया है यह छुपा हुआ तथ्य नहीं है) वहीं दूसरी ओर दक्षिण में निम्न तबके की स्त्रियों को शरीर के ऊपरी हिस्से को ढँकने की आजादी नहीं थी क्योंकि उच्च जाति के पुरुषों की गंदी कामुक दृष्टि को स्त्री देह के उस हिस्से को देखने और उससे छेड़छाड़ करने का जन्मसिद्ध अधिकार जो प्राप्त था। भारत की बहुस्तरीय समाज व्यवस्था में स्त्री संघर्ष का इतिहास एक स्तरीय नहीं हो सकता।

साहित्यिक स्त्री विमर्श क्योंकि लेखन आंदोलन को प्रभावित करता है और आंदोलन लेखक को जहाँ तक साहित्यिक विमर्श की बात है तो उसका मूल ढाँचा भाषा और उससे जुड़े समाज के सापेक्ष होता है। हर भाषा के साहित्यिक विमर्श का अपना सामाजिक आधार, अपनी समस्यायें और अपना स्वरुप होता है। यह संभव है कि कुछ मुद्दों को लेकर उसका एक वैश्विक स्वरुप निर्मित हो जाये लेकिन जमीनी स्तर पर वह अपने समय और समाज के सापेक्ष ही होता है इसलिए किसी भी भाषा के किसी भी विमर्श का मूल्यांकन करते समय उसके सामाजिक ढाँचे को भी ध्यान में रखना जरुरी हो जाता है। भारत के बहुस्तरीय सामाजिक ढाँचे में स्त्री का संघर्ष सिर्फ देह की स्वतंत्रता या लिंग की लड़ाई तक सीमित नहीं है। यहाँ स्त्री को कई मोर्चे पर एक साथ लड़ना है और यौनिक स्वतंत्रता इस लड़ाई का अनिवार्य हिस्सा है।

हिंदी भाषा की लेखिकाएँ हों या अन्य भारतीय भाषाओं की, उनका लेखन भारतीय समाज और संस्कृति के रुढ़िवादी पुरुषसत्तात्मक ढाँचे के बहुस्तरीय विद्रूपताओं को उजागर करते हुए सामने आता है ऐसे में उनका मूल्यांकन किसी एक सिद्धांत के आधार पर करना उचित नहीं है। हिंदी के नारीवादी विमर्श की भी अपनी विचारधारा है और यह विचारधारा अचानक से एक दिन में विकसित नहीं हुई है बल्कि एक लंबे संघर्ष और समझ का परिणाम है। साथ ही साथ यह विचारधारा विकसित होती हुई विचारधारा है न कि जड़ हो चुकी, अनेक आयामों में हो रहा स्त्री लेखन इसका प्रमाण है। आन्दोलन लेखन को प्रभावित करता है और लेखन आन्दोलन कोद्य इसके लिए निश्चित तौर पर संगठित होने कि जरूरत है, साथ वैचारिकी स्पष्ट करने की भीद्य जिन संगठनों कि विचारधारा का एक निश्चित प्रारूप है उनकी सक्रियता किसी भी आन्दोलन का प्रारूप तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, 16 दिसम्बर के आन्दोलन में यह बात देखी जा सकती हैद्य साहित्य की भी अपनी वैचारिकी होती है और उस विचार का एक प्रारूप यह बात तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है कि किसी भाषा में किस तरह की सैद्धांतिक किताबें आ रही हैं लेकिन इसके साथ यह भी देखना चाहिए कि किसी भाषा के रचनात्मक लेखन की वैचारिकी की दिशा क्या है! खासतौर पर विमर्शात्मक साहित्य का विकास किन-किन आयामों में हो रहा है क्योंकि विचारधारा के भी अपने कई आयाम होते हैं।

हिंदी साहित्य में 'स्त्री विमर्श'

पहली बात तो किसी भी भाषा का कोई भी बड़ा विमर्श दो-चार लेखकों के दम पर लम्बे समय तक नहीं चलता है और दूसरी बात कि वह किसी एक ही धारा में विकसित नहीं होता है। यदि किसी साहित्यिक विमर्श का मूल्यांकन दो-चार लेखकों को आधार बना कर किया जाये और निष्कर्ष भी दे दिया जाये तो यह साहित्य के साथ ही साथ उस विमर्श के भी बड़े परिप्रेक्ष्य की उपेक्षा हैद्य हिंदी साहित्य में भी स्त्री विमर्श कई धाराओं में विकसित हुआ और उसका मूल कारण लेखिकाओं का अपना अनुभव जगत और अपनी अलग-अलग सामाजिक स्थिति है। जिस 'मर्दवाद' के खिलाफ स्त्री विमर्श खड़ा हुआ है उसकी प्रतिक्रिया में 'स्त्रीवाद' का वह रूप भी आता है जहाँ वह मर्दवादी अवधारणा पर ही खड़ा दिखाई देता है लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया पश्चिम के स्त्री विमर्श का भी हिस्सा रही है। ऐसी प्रतिक्रियावादी धारा किसी भी विमर्श को दिग्भ्रमित कर सकती है खासतौर पर उसके सामाजिक उत्तरदायित्वों की दिशा को, इसलिए इस मुद्दे पर खुल कर बहस और आलोचना होनी चाहिए लेकिन इसे मूल्यांकन की कसौटी नहीं मान लेनी चाहिए।

मनुष्यता की पहचान के आधार रचा गया स्त्री संघर्ष का लंबा इतिहास स्त्री देह की स्वतंत्रता उसे अपने सौन्दर्यबोध, अपनी अनुभूत यों और संवेदना के आधार पर समझने और महसूस करने में है और हिंदी का स्त्री लेखन इस स्तर तक पहुँच चुका है, जहाँ भारतीय समाज और वर्चस्वशाली संस्कृति द्वारा स्त्रियों पर थोपा गया यौन शुचिता का आवरण तार-तार हो गया है। इस यौन शुचिता के पीछे पितृसत्तात्मक समाज की लिंगभेद और स्त्री देह के दमन की अवधारणा है और हिंदी के स्त्री लेखन में इस अवधारणा की पहचान की जा चुकी है। कभी-कभी यौन मुक्ति का यह संघर्ष उसी पुरुषवादी अवधारणा में फँसता नजर आता है जब यौन मुक्ति की बात करते-करते स्त्री फिर उसी पुरुषवादी सौन्दर्यबोध की कसौटी पर स्वयं को कसने लगती है लेकिन भारत के सन्दर्भ में जहाँ मुख्य धारा में भी अभी तक सामाजिक स्वतंत्रता का कोई स्वरुप नहीं है वहाँ लैंगिक स्वतंत्रता बार-बार उसी सांस्कृतिक वर्चस्व वाले जाल में उलझता नजर आये तो यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। सुमन राजे ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आज तक हम राजनीतिक-सामाजिक स्वतंत्रता की ही व्याख्या नहीं कर सके

IGNITED MINDS

Certificate of Publication

is hereby granted to

CERT-15562/18-19

MUNNA LAL NANDESHWAR

for authoring and publishing the research paper titled

भारत में स्त्री विमर्श और स्त्री संघर्ष

in

JOURNAL OF ADVANCES AND SCHOLARLY RESEARCHES IN ALLIED EDUCATION

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

IMPACT FACTOR : 3.46

VOL- 15, ISSUE- 6 ISSN: 2230-7540

Awarded 01-Aug-2018

CHAIR

RESEARCH LAISION DIV.

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

UGC Approved Journal

IAO

INTERNATIONAL ACCREDITATION ORGANIZATION

IGNITED MINDS Journals

The manuscript is published at URL:

Mr. B.R. Sivare

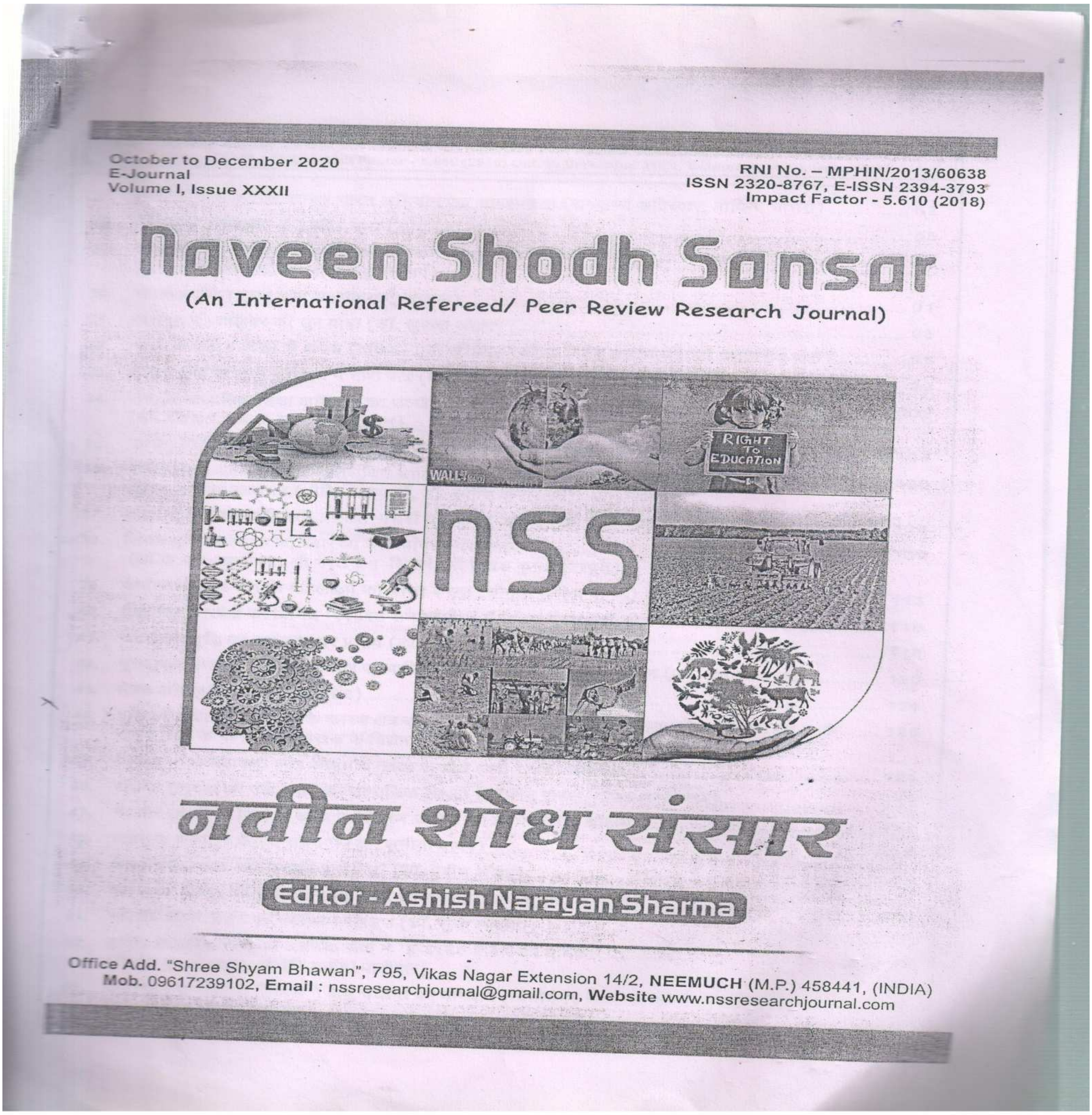

October to December 2020
E-Journal
Volume I, Issue XXXII
RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 5.610 (2018)
Naveen Shodh Sansar
(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RIGHT TO EDUCATION
NSS
नवीन शोध संसार
Editor - Ashish Narayan Sharma
Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com

27. मानव विकास के लिए स्वच्छ भारत अभियान एक आवश्यकता (रामकृष्ण अहिरवार, गोविन्द चौधरी) 82
28. 'इतिकथा अथकथा' में ग्रामीण यथार्थ बोध (डॉ. कमलेश सिंह नेगी) 85
29. मध्यप्रदेश में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान क्रेडिट कार्ड योजना (एक नवाचार) 88
(अनिता जायसवाल, डॉ. सतीश कुमार गर्ग)
30. भारतीय जीवन मूल्य और आत्मकथाएँ (रेणुका) 91
31. मध्ययुग में ग्वालियर की सुर यात्रा (डॉ. शुक्ला ओझा) 93
32. भारत के पड़ोसी देशों से संबंध (दक्षिण- पूर्वी एशियाई देशों के विशेष सन्दर्भ में)(डॉ. सीताराम गोले) 95
33. तेजेन्द्र शर्मा के कथा साहित्य मे नारी पात्र (कमला नरवरिया) 99
34. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उज्जैन जिले की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव 102
(डॉ. बी. एस. मक्कड़, उदयसिंह चौहान)
35. उज्जैन जिले में महिला स्वयं सहायता समूह का विश्लेषणात्मक अध्ययन (चाँदनी जायसवाल) 104
36. मध्यप्रदेश मे राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओ का 106
विश्लेषणात्मक अध्ययन (प्रीति विश्वकर्मा, डॉ. सतीश कुमार गर्ग)
37. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली-गरीबों की जीवन आधार (डॉ. ए.के. पाण्डेय, हर्षिता श्रीवास्तव) 108
38. सिंगल यूज प्लास्टिक का स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव 109
(डॉ.के.एल. टाण्डेकर, श्री भरत राम सिवारे, श्री नितेश कुमार तिरपुडे)
39. कार्यसरलीकरण के प्रति महिलाओं को प्रेरित करना (श्रीमती संगीता बामने) 113
40. मेहरून्निसा परवेज़ की विभिन्न विषयगत सम्पादकीयों में नैतिक मूल्य (डॉ. रोशनलाल अहिरवार) 116
41. जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव (डॉ. राजेश शामकुंवर) 118
42. मुरादाबाद मण्डल में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति: एक अध्ययन (डॉ. अनुराग यादव) 120
43. नेहरू और कृषि (डॉ. जोगेन्द्र सिंह) 124
44. दूषित पेयजल (फ्लोराइड) के कारण क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन (म.प्र. के 126
नीमच जिले के नीमच विकासखंड के विशेष संदर्भ में)(डॉ. एस.एस.मौर्य, विनोद कुमार तिवारी)
45. कोविड - 19 महामारी और औषधीय महत्व के पौधे (डॉ. राजेश बकोरिया) 129
46. बाँछड़ा समुदाय की महिलाओं की सामाजिक स्थिति (डॉ. मनु गौरहा, दीपक कारपेन्टर) 131
47. मंदसौर एवं नीमच जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रबंध (निधि चौहान) 134
48. अज्ञेय के काव्य में प्रेमगत संवेदना (डॉ. सुनीता यादव) 136
49. आत्मनिर्भर भारत और उसकी चुनौतियाँ (डॉ. प्रवीण ओझा) 139
50. दल-बदल कानून की समीक्षा: वर्तमान की आवश्यकता (डॉ. सुनीता सोलंकी) 142
51. भारतीय जीवन दर्शन एवं पर्यावरण संरक्षण (डॉ. सुधा लाहोटी) 143
52. इन्दौर शहर में ग्राहको की आर्थिक सेवा में 'इन्टरनेट बैंकिंग की भूमिका' 145
(विनोद कुमार यादव, श्रीमति मनीषा पाटीदार)
53. राजस्थान के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों का योगदान (चित्तौड़गढ़ जिले का एक विश्लेषण) 147
(डॉ. वंदना वर्मा, प्रियंका जैन)

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

सिंगल यूज प्लास्टिक का स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव

डॉ.के.एल. टाण्डेकर* श्री भरत राम सिवारे** श्री नितेश कुमार तिरपुडे ***

प्रस्तावना – प्लास्टिक उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्तवपूर्ण उद्योग है क्योंकि प्लासटिक का उपयोग न सिर्फ घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुऍं बनाने में किया जाता है, बल्कि गाडियों, हवाई जहाज, कृषि उपकरण, जल प्रबंधन की मैंशीनो एवं उपकरण दूरसंचार के उपकरणो इत्यादि में भी प्लासटिक का उपयोग किया जाता है हालाकि वर्तमान में भारतीय उद्योग जो सबसे बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे है वह यह है कि प्लासटिक का पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है लेकिन इस समस्या के निदान हेतु प्लासटिक को दुबारा उपयोग में लाने हेतु तैयार किया जा रहा है।

प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के लिए जो तथ्य दिए गये थे उसमें कहा जाता था कि प्लास्टिक सस्ती चीज है यह वजन में हल्की होती है मुडने तोड़ने में आसान है वाटर प्रुफ है साथ ही यह सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ है इस कारण रसायन शास्त्रियो ने इसके भारी मात्रा में बनाने के तरीके खोज निकालते है। कॉच, लोहा, स्टील, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, जुट, कागज एवं कपडे आदि से निर्मित वस्तुओ के मुकाबले प्लास्टिक में चमक दमक होना, टिकाउपन रखरखाव आसान होना आदि के कारण इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है।

सिंथेटिक फाईबर की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमार है, जब रासायनिक पदार्थो के छोटे–छोटे यूनिट मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते है तो वह पॉलीमार कहलाता है। इससे कई कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक बनते है और जो ज्यादातर ओलेपिन जैसे पेट्रोकेमिकल से प्राप्त होते है। ये पॉलीमर प्राकृतिक भी होते है जैसे कोंटन, सिल्क आदि, ये कृत्रिम भी होते है जैसे सिंथेटिक, फाइबर यानी नाईलॉन पालिस्टर, रेयान, एक्रेलिक आदि थर्मोप्लास्टिक गर्म होने पर भी अपना आकार नही बदलते इसके अलावा इन्हे वायोडिग्रेडेबल इंजीनियर और इलास्टोलमेट प्लास्टिक के रूप मे भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

सिंगल यूज प्लास्टिक आशय/उत्पादन, उपयोग, वर्गीकरण – सिंगल यूज प्लास्टिक वह है जिसका प्रयोग केवल एक बार किया जाए इसमें प्लास्टिक की थैलिया, प्लेट , गलास, चम्मच बोतले, स्ट्रा, खाद्य पैकिंग आइटम और थर्माकोल शामिल है इनका एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है चालीस (माइक्रोमीटर) या उससे कम स्तर के प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक कहते है इस प्लास्टिक में पाए जाने वाले केमिकल पर्यावरण के साथ ही लोगो के लिए घातक है। ये दोबारा इसतेमाल करने के लायक नही होते है इसलिए एक बार उपयोग के बाद इन्हे फेंक दिया जाता है। आधी से ज्यादा प्लास्टिक प्रेट्रोलियम आधारित होती है जिनके उत्पादन पर कम लागत आती है इसी वजह से रोजाना व्यापार एवं कारोबार में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। उत्पादन पर खर्च भले ही कम हो किंतु फेके गए प्लास्टिक के कचरे उनकी सफाई उपचार पर अधिक खर्च करना होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर हम सोचते है कि इस कूडे से हमारा पीछा छूट गया लेकिन यह गलत धारणा है प्लास्टिक हमारा पीछा नही छोडता। ये प्लास्टिक के टुकडे जमीन के अंदर दबाकर नष्ट करने की कोषिष की जाती है तो यह नष्ट होने के बजाए छोटे–छोटे टुकडो में बट जाता है और विषैला रसायन पैदा कर भूमि की उर्वरक क्षमता को भी नुकसान पहुँचाता है।

पालीथीन (प्लास्टिक) को आज हम जिस रूप में देखते है इसकी खोज 27 मार्च 1933 को हुई थी इसे बनाने वाले एरिक फासेट और रेजिनाल्ड गिब्सन थे जो तब यह नही जानते थे कि उनकी यह खोज मानवता का कल्याण करने की बजाऍं पर्यावरण के लिए बडी चुनौती बन जाएगी, धीरे–धीरे इसका प्रचलन सफलतापूर्वक पूरे विश्व बाजार में बढ गया जिनसे अपनी एक जगह बना ली है। आधुनिक हल्के वजन के शार्पिंग बैग का अविष्कार स्वीडीस इंजिनियर स्टेन गुस्ताफ थुलिन को माना जाता है। 1960 के दषक की शुरूआत में उन्होने प्लास्टिक के प्लेट ट्यूब को फोल्ड बेल्ड और हाइटिक के जरिए एक पीस का बैग बनाया गया था।

प्लास्टिक का उपयोग अनेक उद्योगो में उपकरणो, कंस्ट्रक्शन, फर्निचर, आटोमोबाईल, घरेलु वस्तुऍं, कृषि बागवानी, सिंचाई पैकेजिंग, चिकित्सकीय उपकरण, बिजली उपकरणो को बनाने में किया जाता है विश्व में लगभग सभी मनुष्यो द्धारा किसी न किसी रूप में प्लासटिक का उपयोग किया जाता है यह उद्योग प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की ग्रोथ रेट के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है भारत में प्रति व्यक्ति द्धारा लगभग 9.7 किलो प्लासटिक का उपयोग किया जाता है जबकि विकसित देश अमेरिका में 109 येरोप में 65 चीन में 45 और ब्राजील में 32 किलो प्लासटिक का उपयोग किया जाता है अनियोजित प्लासटिक कचरा में वैश्विक हिस्सेदारी इस प्रकार है – चीन 25.8 प्रतिशत, इण्डोनेशिया 10.7 प्रतिशत, फिलिपींस 7.4 प्रतिशत, वियतनाम 6.0 प्रतिशत और भारत 4.8 प्रतिशत।

केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 56 लाख टन प्लासटिक कचरा निकलता है 9205 टन प्लासटिक रिसाईकिल किया जाता है और 6137 टन प्लासटिक हर साल फेंक दिया जाता है मेट्रो शहरो में हर रोज फेकी जाने वाली पालीथीन इस प्रकार है दिल्ली में 690 टन, चेन्नई में

* प्राचार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़ (छ.ग.) भारत
*** ग्रंथपाल, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़ (छ.ग.) भारत

Mr. N.K. Tirpude

RESEARCH DIRECTIONS

An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Open Access Research Journal

(index.php)

UGC JOURNAL NO. 45489
(HTTPS://UGC.AC.IN/JOURNALLIST/)
UGC SR. NO. 1208

ISSN NO : 2321-5488
(HTTP://NSL.NISCAIR.RES.IN/ISSNPROCESS/ISSNASSI
IMPACT FACTOR : 5.7 (2018) UIF

VOLUME : 5 MAY 2018

Serial No :

1

Title :

THE THEME OF 'PROTEST' BY WOMEN CHARACTERS IN SELECTED NOVELS OF ANNA BHAU SATHE

Author Name :

Anil Suresh Adagale

Abstract (abstractread.php?id=463) | Full Text PDF (Management/articleupload/article463.pdf)

Certificate (publishcertificate.php?id=463&Type=Direction)

EOI : -

Serial No :

2

Title :

FEMINISISM IN THE NOVELS OF MARGARET DRABBLE

Author Name :

Dr. S.P. Rajguru

Abstract (abstractread.php?id=464) | Full Text PDF (Management/articleupload/article464.pdf)

Certificate (publishcertificate.php?id=464&Type=Direction)

EOI : -

RESEARCH DIRECTIONS ISSN NO – 2321-5488

UGC Journal No. 45489 Vol.: 5/ Issue: 11, May 2018

छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना – "नवा अंजोर" क्रियान्वयन एवं उपलब्धियां

डॉ.के.एल.टाण्डेकर, शासकीय डॉ बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय डोंगरगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

डॉ. मुन्नालाल नंदेश्वर, क्रीड़ा अधिकारी, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

श्री नितेश कुमार तिरपुड़े, ग्रंथपाल, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

भूमिका :–

विश्व बैंक के मध्यावर्ती समीक्षा प्रतिवेदन अगस्त 2007 के अनुसार पूरी दुनिया में चल रही इस प्रकार की अनेको परियोजनाओं से यह योजना सबसे कारगर है। निश्चित ही नवा अंजोर का लाभ उठाकर लोगो के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। आमदनी बढी है और उनका जीवन स्तर भी सुधार की ओर अग्रसर है। लोगो का सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए सामूहिक संघर्ष निरंतर जारी रहेगा।

वर्तमान में नवा अंजोर परियोजना की ख्याति राज्य एवं देश की सीमा लांघ चुकी है। 2 अक्टूबर 2007 को विश्व बैंक के मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित सरल लाइवलीहुड कालेज एक्सपो में विश्व बैंक के अध्यक्ष राबर्ट बी जेलिक एवं उपाध्यक्ष श्री प्रफुल पाल एक्सपो परियोजना को सर्टिफिकेट आफ एक्सीलेंस फार प्रमोटिंग इनोवेशन एंड इंटरप्रीन्यूरशीप जैसे पुरस्कारो से नवाजा है। फरवरी – मार्च 2008 में कोलम्बो (श्रीलंका) में आयोजित मेगि मार्केट वर्क फार द पुवर कार्यशाला में परियोजना की उपलब्धियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रेखांकित हुई है। 2 अप्रैल 2008 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले मे नवा अंजोर के उत्पाद यथा मेडिकल, गारमेंट्स, काष्ठ एवं बेलमेटल के हस्तशिल्प सामाग्रियो ने ध्यान आकर्षित किया है।

प्रस्तावना :–

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। समूह आधारित इस परियोजना के माध्यम से राज्य शासन द्वारा ग्रामो में बसे गरीबो के उत्थान का प्रयास किया जा रहा है। नवा अंजोर परियोजना ग्रामीण अंचल में आर्थिक रूप से कमजोर तबको के आर्थिक स्वालंबन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस परियोजना का लाभ वास्तविक हितग्राहियों को यथोचित रूप से पहुचाने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार और प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य की बड़ी आबादी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो में आज भी विकास की दौड़ में पिछड़ी हुई है। प्रदेश को प्रगति पथ पर लाने और विकास को तेज गति देने के लिए यह जरूरी है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लक्षित वर्गो विशेषकर गांव पलायन करने वाले लोग, महिलाएं भूमिहीन और सीमांत किसान परिवार की आर्थिक स्थिति को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत किया जायें । इस उद्देश्य से ग्रामों के भाई–बहनो की आर्थिक में सुधार लाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की गई है।

लक्ष्य :–

नवा अंजोर परियोजना के कियान्वयन की भविष्य की योजना के तहत समहित समूहो के स्थायित्व तथा निरंतरता की दिशा में तेजी से कार्य करना समूहो का ऋण के लिए बैंको, मार्केट और वित्तिय संस्थाओं के साथ लिंकेज करना हितग्राहियों को नियमित बचत के लिए प्रेरित करना सामूहिक बीमा सुरक्षा प्रदान करना तथा परिवारों को परियोजना का लाभ दिलाना, समहित समूहो के सुदृढीकरण

(2)

RESEARCH DIRECTIONS

An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Open Access Research Journal

(index.php)

UGC JOURNAL NO. 45489
(HTTPS://UGC.AC.IN/JOURNALLIST/)
UGC SR. NO. 1208

ISSN NO : 2321-5488
(HTTP://NSL.NISCAIR.RES.IN/ISSNPROCESS/ISSNASSI
IMPACT FACTOR : 5.7 (2018) UIF

VOLUME : 6 FEBRUARY 2019

Serial No :

1

Title :

A STUDY ON BIOACCUMULATION OF ANTHRACENE IN TISSUES OF PUNTIUS TICTO (HAM.)

Author Name :

Advait Bhagade

Abstract (abstractread.php?id=447) | Full Text PDF (Management/articleupload/article447.pdf)

Certificate (publishcertificate.php?id=447&Type=Direction)

EOI : -

Serial No :

2

Title :

MARKETABILITY OF GST CALCULATOR IN GUWAHATI CITY

Author Name :

Ajit Prasad Mahato & Manoj Khaund

Abstract (abstractread.php?id=450) | Full Text PDF (Management/articleupload/article450.pdf)

Certificate (publishcertificate.php?id=450&Type=Direction)

EOI : -

A STUDY ON TRANSITION METAL COMPLEXES OF SCHIFF BASES

Author Name :

Dr. Shilpi Jha

Abstract (abstractread.php?id=501) | Full Text PDF (Management/articleupload/article501.pdf)

Certificate (publishcertificate.php?id=501&Type=Direction)

EOI : -

Serial No :

24

Title :

छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना - "नवा अंजोर" क्रियान्वयन एवं उपलब्धियां

Author Name :

डॉ.के.एल.टाण्डेकर, डॉ. मुन्नालाल नंदेश्वर, श्री. नितेश कुमार तिरपुडे

Abstract (abstractread.php?id=507) | Full Text PDF (Management/articleupload/article507.pdf)

Certificate (publishcertificate.php?id=507&Type=Direction)

EOI : -

CATEGORIES

Publication Frequency (Images/Pdf/Publication-Frequency.Pdf)

Journal Details (Journal-Details.Php)

Vision, Mission & Goal (Vision-Mission.Php)

Advisory Board (Advisory-Board.Php)

Downloads (Downloads.Php)

Video Gallery (Video.Php)

Feedback (Feedback.Php)

FAQ (Faq.Php)

Submission Guidelines (Authors-Guidelines.Php)

Think Tank (Expert-Reviewer.Php)

Peer Review Panel (Editorial-Board.Php)

Serial No :
9

Title :
ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDIA

Author Name :
Dr. N. R. Madhavi

Abstract (abstractread.php?id=492) | Full Text PDF (Management/articleupload/article492.pdf)

Certificate (publishcertificate.php?id=492&Type=Direction)

EOI : -

Serial No :
10

Title :
ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य में कृषि क्षेत्र की स्थिति एवं सम्भावनाएं (छ. ग. राज्य के विशेष सन्दर्भ में)

Author Name :
डॉ. के. एल. टांडेकर, डॉ. मुन्नालाल नदेश्वर, श्री. नितीश कुमार तिरपुडे

Abstract (abstractread.php?id=498) | Full Text PDF (Management/articleupload/article498.pdf)

Certificate (publishcertificate.php?id=498&Type=Direction)

EOI : -

Serial No :
11

Title :
BURDEN OF HYPHENATION: NEIL BISSOONDATH

Author Name :
Joshi Prakruti Tulajashankar

Abstract (abstractread.php?id=500) | Full Text PDF (Management/articleupload/article500.pdf)

UGC Journal. No. 45489 RESEARCH DIRECTIONS ISSN NO – 2321-5488
Impact Factor – 5.7 (UIF) Vol: 6 Issue: 9, February 2019

ग्रामीण आर्थिक परिदृष्य में कृषि क्षेत्र की स्थिति एवं संभावनाऍ

(छ.ग. राज्य के विशेष संदर्भ में)

डॉ. के.एल.टाण्डेकर[1] डॉ. मुन्नालाल नदेष्वर[2] श्री नितेष कुमार तिरपुडे[3]
[1]प्राचार्य, किरोडीमल शास. कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महा. रायगढ़, जिला–रायगढ़
[2]वरिष्ठ कीड्राधिकारी, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महा. डोगरगढ़
[3]ग्रंथपाल शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महा. डोगरगढ़

भारत में लगभग 21.27 करोड़ ग्रामीण परिवार है इनमे से 10.07 करोड़ परिवार कृषि से संबंधित है तथा शेष 11.10 करोड़ परिवार गैरकृषि परिवार है। भारत में पाषाण युग से कृषि का विकास कितना और किस प्रकार हुआ था इसकी संप्रति कोई जानकारी नही है किंतु इस बात के प्रमाण मिले है कि आज से 5 हजार वर्ष पूर्व कृषि उपयुक्त अवस्था में थी और लोग राजस्व, अनाज के रूप में चुकाते थे यही अनुमान मोहनजोदडो में मिले बड़े–बड़े केाठारो के आधार पर किया जाता है। 1947 के पहले भरतीय कृषि की स्थिति बहुत अलग थी ब्रिटिष सरकार को और मकान मालिक को भी उच्च कर देना पड़ता है 1947 के बाद कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या तरीके अपनाऍ गए, आजादी के बाद नई भारतीय सरकार ने उन सभी करो को हटा दिया। भारत कृषि प्रधान देष है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 40 प्रतिषत कृषि तथा कृषि क्षेत्र के सहायक उद्योगो से ही प्राप्त होता था । भारतीय कृषि व्यवस्था का विकास अत्यंत पिछडा रहा है भारतीय कृषि तकनीकी परम्परागत तथा पिछडी हुई है यही कारण है कि ज्यो–ज्यो अन्य क्षेत्रो का विकास नियोजन काल में होता गया भारतीय अर्थ व्यस्था में कृषि का योगदान घटता गया । भारतीय कृषि व्यवस्था के पिछडे होने का प्रमुख कारण कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त नही होना था भण्डारण की व्यवस्था नही होने से कम मूल्य पर उत्पाद को बेचने के बाध्य थे क्योंकि सरकार का कृषि उत्पादो पर नियंत्रण नही था ।

भारतीय गणतंत्र के 26 वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ 01 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, अविभाजित मध्यप्रदेष से विभाजित छत्तीसगढ़ प्रदेष के पैतृक राज्य उपेक्षित, अविकसित तथा पिछडा क्षेत्र था, प्राकृतिक संसाधन, वनांचल प्रचुर खनिज संपदाऍ खनिज और समृद्धि संस्कृति के बावजूद इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान नही दिया गया और न ही सकारात्मक प्रयास किए गए, यहॉ केवल परांपरागत उत्पादनों पर ही आश्रित रहना पड़ रहा है। यही कारण है कि राज्य सृजन के पूर्व सिंचाई क्षमता मात्र 17 प्रतिषत ही रही । छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80 प्रतिषत जनता कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधो पर ही आश्रित है जिसमें 17.48 लाख सीमांत 7.16 लाख लघु एवं 7.93 लाख मध्यम एवं दीर्घ इस प्रकार कुल 32.55 लाख परिवार कृषि कार्य में संलग्न है। छ.ग. के अर्थ तंत्र का मूलआधार कृषि है, प्रदेष का कुल भोगोलिक क्षेत्र 42.93 प्रतिषत (58040 वर्ग कि.मी.) कृषि भूमि विद्यमान है, जिसका लगभग 80 प्रतिषत क्षेत्र सिंचाई से वंचित है।

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन मात्र 8 क्विंटल प्रति एकड ही रहा है जो देष के औसत से कम है, प्रदेष में एक मानसुन फसल चॉवल का उत्पादन किया जाता है धान के अलावा दलहन, तिलहन,फल,साग–सब्जी, गन्ना, रेंषेदार फसले भी ली जाती है, कुल बोएगए क्षेत्र में 70.93 प्रतिषत खाद्यान 6.17 प्रतिषत, दलहन 6.17 प्रतिषत, तिलहन 2.08 प्रतिषत अन्य फसलें तथा 6.0 प्रतिषत क्षेत्र में अखाद्य फसलो की उपज मुख्य है। धान के कटोरा के नाम से विख्यात छ.ग. राज्य प्राकृतिक संसाधनो से परिपूर्ण है उर्वरा–भूमि पर्याप्त वर्षा अनुकूल जलवायु एवं मेहनती कृष कइस राज्य की पूंजी है। प्रदेष की 80 प्रतिषत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर होने के कारण इस राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आश्रित है अतः कृषकों की आर्थिक

(3)

October to December 2020
E-Journal
Volume I, Issue XXXII

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 5.610 (2018)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

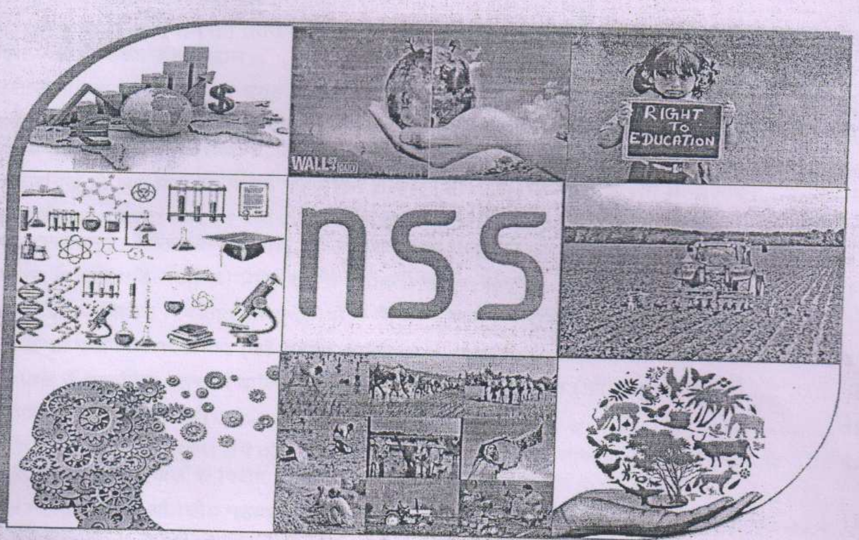

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com

27. मानव विकास के लिए स्वच्छ भारत अभियान एक आवश्यकता (रामकृष्ण अहिरवार, गोविन्द चौधरी) 82

28. 'इतिकथा अथकथा' में ग्रामीण यथार्थ बोध (डॉ. कमलेश सिंह नेगी) 85

29. मध्यप्रदेश में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान क्रेडिट कार्ड योजना (एक नवाचार) 88
(अमिता जायसवाल, डॉ. सतीश कुमार गर्ग)

30. भारतीय जीवन मूल्य और आत्मकथाएँ (रेणुका) 91

31. मध्ययुग में ग्वालियर की सुर यात्रा (डॉ. शुक्ला ओझा) 93

32. भारत के पड़ोसी देशों से संबंध (दक्षिण- पूर्वी एशियाई देशों के विशेष सन्दर्भ में)(डॉ. सीताराम गोले) 95

33. तेजेन्द्र शर्मा के कथा साहित्य मे नारी पात्र (कमला नरवरिया) 99

34. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उज्जैन जिले की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव 102
(डॉ. बी. एस. मक्कड़, उदयसिंह चौहान)

35. उज्जैन जिले में महिला स्वयं सहायता समूह का विश्लेषणात्मक अध्ययन (चाँदनी जायसवाल) 104

36. मध्यप्रदेश मे राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओ का 106
विश्लेषणात्मक अध्ययन (प्रीति विश्वकर्मा, डॉ. सतीश कुमार गर्ग)

37. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली-गरीबों की जीवन आधार (डॉ. ए.के. पाण्डेय, हर्षिता श्रीवास्तव) 108

38. सिंगल यूज प्लास्टिक का स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव 109
(डॉ.के.एल. टाण्डेकर, श्री भरत राम सिवारे, श्री नितेश कुमार तिरपुडे)

39. कार्यसरलीकरण के प्रति महिलाओं को प्रेरित करना (श्रीमती संगीता बामने) 113

40. मेहरून्निसा परवेज़ की विभिन्न विषयगत सम्पादकीयों में नैतिक मूल्य (डॉ. रोशनलाल अहिरवार) 116

41. जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव (डॉ. राजेश शामकुंवर) 118

42. मुरादाबाद मण्डल में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति: एक अध्ययन (डॉ. अनुराग यादव) 120

43. नेहरू और कृषि (डॉ. जोगेन्द्र सिंह) 124

44. दूषित पेयजल (फ्लोराइड) के कारण क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन (म.प्र. के 126
नीमच जिले के नीमच विकासखंड के विशेष संदर्भ में)(डॉ. एस.एस.मौर्य, विनोद कुमार तिवारी)

45. कोविड - 19 महामारी और औषधीय महत्व के पौधे (डॉ. राजेश बकोरिया) 129

46. बाँछड़ा समुदाय की महिलाओं की सामाजिक स्थिति (डॉ. मनु गौरहा, दीपक कारपेन्टर) 131

47. मंदसौर एवं नीमच जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रबंध (निधि चौहान) 134

48. अज्ञेय के काव्य में प्रेमगत संवेदना (डॉ. सुनीता यादव) 136

49. आत्मनिर्भर भारत और उसकी चुनौतियाँ (डॉ. प्रवीण ओझा) 139

50. दल-बदल कानून की समीक्षा: वर्तमान की आवश्यकता (डॉ. सुनीता सोलंकी) 142

51. भारतीय जीवन दर्शन एवं पर्यावरण संरक्षण (डॉ. सुधा लाहोटी) 143

52. इन्दौर शहर में ग्राहको की आर्थिक सेवा में 'इन्टरनेट बैंकिंग की भूमिका' 145
(विनोद कुमार यादव, श्रीमति मनीषा पाटीदार)

53. राजस्थान के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों का योगदान (चित्तौड़गढ़ जिले का एक विश्लेषण) 147
(डॉ. वंदना वर्मा, प्रियंका जैन)

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

सिंगल यूज प्लास्टिक का स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव

डॉ.के.एल. टाण्डेकर* श्री भरत राम सिवारे** श्री नितेश कुमार तिरपुडे ***

ना - प्लास्टिक उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक र्ण उद्योग है क्योंकि प्लासटिक का उपयोग न सिर्फ घरेलू उपयोग ाली वस्तुऍं बनाने में किया जाता है, बल्कि गाडियॉं, हवाई जहाज, करण, जल प्रबंधन की मँशीनो एवं उपकरण दूरसंचार के उपकरणो में भी प्लासटिक का उपयोग किया जाता है हालाकि वर्तमान में उद्योग जो सबसे बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे है वह यह है कि ाक का पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है लेकिन इस समस्या के तु प्लासटिक को दुबारा उपयोग में लाने हेतु तैयार किया जा रहा

ास्टिक का इस्तेमाल करने के लिए जो तथ्य दिए गये थे उसमें कहा कि प्लास्टिक सस्ती चीज है यह वजन में हल्की होती है मुडने आसान है वाटर प्रुफ है साथ ही यह सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ है ा रसायन शास्त्रियो ने इसके भारी मात्रा में बनाने के तरीके खोज है। कॉंच, लोहा, स्टील, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, जुट, कागज आदि से निर्मित वस्तुओ के मुकाबले प्लास्टिक में चमक दमक ाउपन रखरखाव आसान होना आदि के कारण इसका उपयोग रहा है।

टिक फाईबर की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमार है, जब ा पदार्थो के छोटे-छोटे यूनिट मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते है ीमार कहलाता है। इससे कई कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक ा जो ज्यादातर ओलेपिन जैसे पेट्रोकेमिकल से प्राप्त होते है। ये कृतिक भी होते है जैसे कोंटन, सिल्क आदि, ये कृत्रिम भी होते है टेक, फाइबर यानी नाईलॉन पालिस्टर, रेयान, एक्रेलिक आदि ाक गर्म होने पर भी अपना आकार नही बदलते इसके अलावा डेग्रेडेबल इंजीनियर और इलास्टोलमेट प्लास्टिक के रूप मे भी ाया जा सकता है।

ा प्लास्टिक आशय/उत्पादन, उपयोग, वर्गीकरण - सिंगल ाक वह है जिसका प्रयोग केवल एक बार किया जाए इसमें की थैलिया, प्लेट , गलास, चम्मच बोतले, स्ट्रा, खाद्य पैकिंग ा थर्माकोल शामिल है इनका एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक है चालीस (माइक्रोमीटर) या उससे कम स्तर के प्लास्टिक को प्लास्टिक कहते है इस प्लास्टिक में पाए जाने वाले केमिकल साथ ही लोगो के लिए घातक है। ये दोबारा इसतेमाल करने के होते है इसलिए एक बार उपयोग के बाद इन्हे फेंक दिया जाता है। आधी से ज्यादा प्लास्टिक प्रेट्रोलियम आधारित होती है जिनके उत्पादन पर कम लागत आती है इसी वजह से रोजाना व्यापार एवं कारोबार में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। उत्पादन पर खर्च भले ही कम हो किंतु फेके गए प्लास्टिक के कचरे उनकी सफाई उपचार पर अधिक खर्च करना होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर हम सोचते है कि इस कूडे से हमारा पीछा छूट गया लेकिन यह गलत धारणा है प्लास्टिक हमारा पीछा नही छोडता। ये प्लास्टिक के टुकडे जमीन के अंदर दबाकर नष्ट करने की कोषिष की जाती है तो यह नष्ट होने के बजाए छोटे-छोटे टुकडो में बट जाता है और विषैला रसायन पैदा कर भूमि की उर्वरक क्षमता को भी नुकसान पहुॅंचाता है।

पालीथीन (प्लास्टिक) को आज हम जिस रूप में देखते है इसकी खोज 27 मार्च 1933 को हुई थी इसे बनाने वाले एरिक फासेट और रेजिनाल्ड गिब्सन थे जो तब यह नही जानते थे कि उनकी यह खोज मानवता का कल्याण करने की बजाऍं पर्यावरण के लिए बडी चुनौती बन जाएगी, धीरे-धीरे इसका प्रचलन सफलतापूर्वक पूरे विश्व बाजार में बढ गया जिनसे अपनी एक जगह बना ली है। आधुनिक हल्के वजन के शार्पिंग बैग का अविष्कार स्वीडीस इंजिनियर स्टेन गुस्ताफ थुलिन को माना जाता है। 1960 के दषक की शुरूआत में उन्होने प्लास्टिक के प्लेट ट्यूब को फोल्ड बेल्ड और हाईटिक के जरिए एक पीस का बैग बनाया गया था।

प्लासटिक का उपयोग अनेक उद्योगो में उपकरणो, कंस्ट्रक्शन, फर्निचर, आटोमोबाईल, घरेलु वस्तुऍं, कृषि बागवानी, सिंचाई पैकेजिंग, चिकित्सकीय उपकरण, बिजली उपकरणो को बनाने में किया जाता है विश्व में लगभग सभी मनुष्यो द्धारा किसी न किसी रूप में प्लासटिक का उपयोग किया जाता है यह उद्योग प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की ग्रोथ रेट के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है भारत में प्रति व्यक्ति द्धारा लगभग 9.7 किलो प्लासटिक का उपयोग किया जाता है जबकि विकसित देश अमेरिका में 109 येरोप में 65 चीन में 45 और ब्राजील में 32 किलो प्लासटिक का उपयोग किया जाता है अनियोजित प्लासटिक कचरा में वैश्विक हिस्सेदारी इस प्रकार है - चीन 25.8 प्रतिशत, इण्डोनेशिया 10.7 प्रतिशत, फिलिपींस 7.4 प्रतिशत, वियतनाम 6.0 प्रतिशत और भारत 4.8 प्रतिशत।

केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 56 लाख टन प्लासटिक कचरा निकलता है 9205 टन प्लासटिक रिसाईकिल किया जाता है और 6137 टन प्लासटिक हर साल फेंक दिया जाता है मेट्रो शहरो में हर रोज फेकी जाने वाली पालीथीन इस प्रकार है दिल्ली में 690 टन, चेन्नई में

* प्राचार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़ (छ.ग.) भारत
*** ग्रंथपाल, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़ (छ.ग.) भारत

Dr. Neeta Thakur

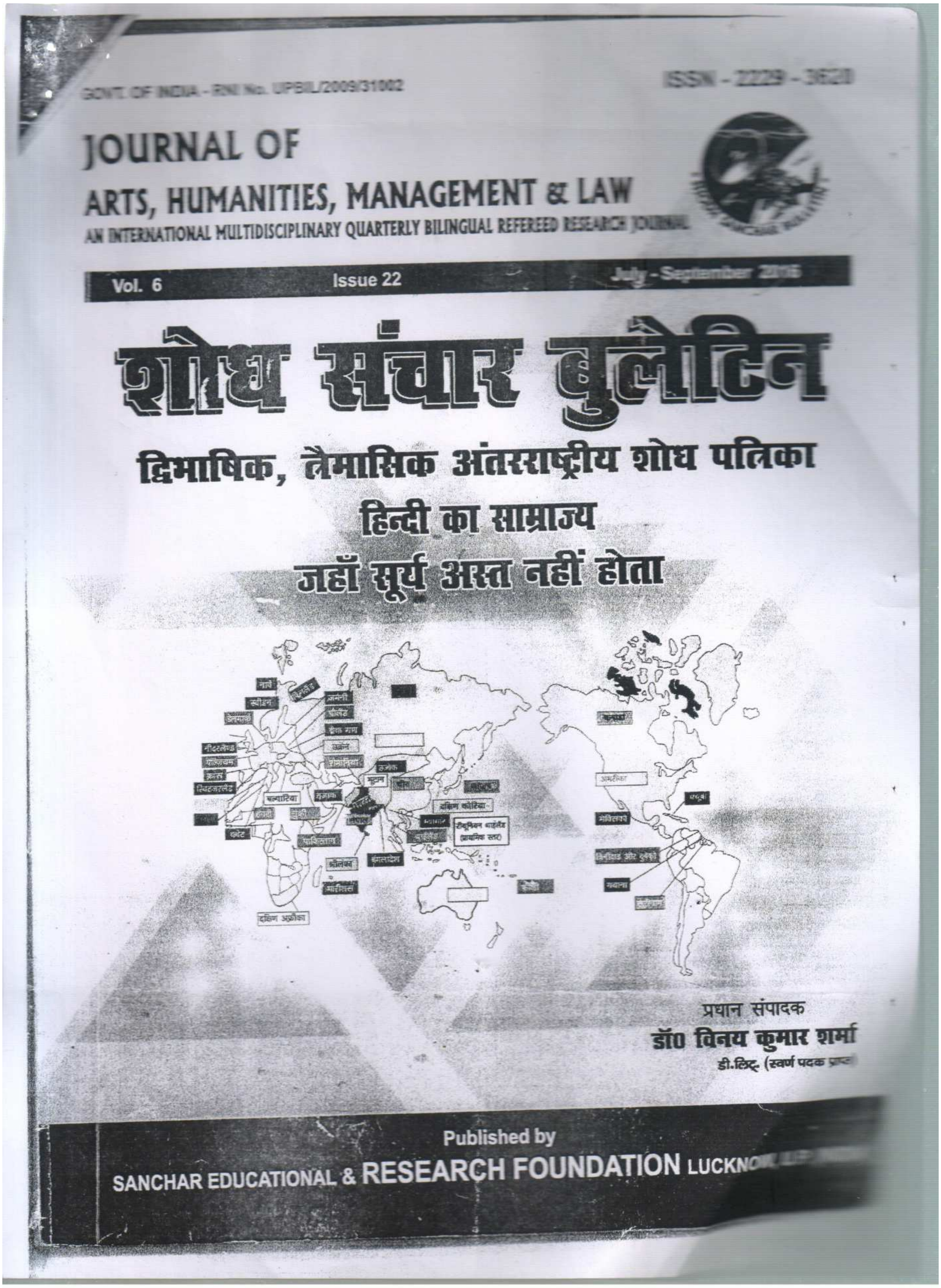

ISSN - 2229-3620
SHODH SANCHAR BULLETIN
Vol. 6, Issue 22 July - September 2016
Page Nos. 40-42
BI-LINGUAL INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL

छत्तीसगढ़ी काव्य में प्रगतिवाद

❑ डॉ0 नीता ठाकुर*

शोध सारांश

छत्तीसगढ़ी काव्य में प्रगतिवाद मार्क्स प्रभावित न होकर शोषण और आर्थिक विषमता के अनन्तर उत्पन्न आक्रोश है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, असमानता, पूंजीपतियो के अत्याचार, अनिति के वातारवण में कृषको व श्रमिकों का जीवनयापन दूभर होने लगा। जमींदारों से पीड़ित कृषको–श्रमिकों का आहत मन सहयोग के लिए आवाज देना चाहता था परंतु रक्षक ही जब भक्षक बन बैठे तब सहयोग के लिए किसे पुकारा जायें ? यह त्रासदी पूर्ण जीवन हीं नियति बन गया था। 'धान का कटोरा' कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में याचकों की संख्या बढ़ने लगी। ग्रामीण कृषक, मजदूर रोजगार की तालाश में गांव से पलायन करने लगे उनकी जमींन, घर–द्वार सभी जमीदार के हाथों नीलाम होने लगे और वे आंखो में आंसू लिये जीवन की कामना करते थे। आंसू रूपी तेल में फटे चीथड़े की वर्तिका से जीवन–दीप जलाने पर विवश होने लगे। ईमानदारी व धर्म पैसे में बिकने लगे। नेताओ के आचरण व्यवहार पर भी कवियों की दृष्टि गई है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रगतिवादी कवियों में श्री रंजनलाल पाठक, स्व. कपिलनाथ कश्यप, डा. विनय कुमार पाठक, श्री भगवती लाल सेन, श्री संतराम देशमुख, श्री मुकुंद कौशल, श्री रामेश्वर वैष्णव, श्री गिरिवरदास वैष्णव, श्री कोदूराम दलित, श्री लखनलाल गुप्ता प्रमुख है। इन कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से शोषण की मार सहन करने वाले कृषक–श्रमिकों की त्रासदी को प्रस्तुत करते हुए साम्यवाद के स्वर को भी सुदृढ़ किया है।

छत्तीसगढ़ी काव्य में प्रगतिवाद मार्क्स से प्रभावित न होकर शोषण और आर्थिक विशमता के अनन्तर उत्पन्न आक्रोश है। श्री रंजनलाल पाठक की कविता मे शोषित वर्ग की वेदना व्यक्त हुई है। अन्न उपजाने वाला कृषक दाने–दाने को मोहताज है। आर्थिक विषमता ने उसकी ऐसी स्थिति कर दी है कि नित्य एकादशी का उपवास हैं किंतु दीवाली का उत्साह कभी नहीं रहा है। अपने आंसू रूपी तेल में फटे चिथड़े की वर्तिका लगाकर वह जीवन–दीपक जलाता है। परिस्थितियों की विषमता ने उस पर इतने आघात किए हैं कि उसके जीवन में मात्र आंसू ही शेष है –

"मोर देवारी के दीया, तयं टिम टिम टिम बरजा।
कानी बूची एक ठन दीया, दया पहर के पायेंव।
पटकू ल मंय चीर के बाती ओखर बनायेंव।
तेल के अब नइं लगै ठिकाना नइंये कौड़ी कानी।
तेल कहां ले आवै घर मा, पीये बर नइये पानी,
तेल के बलदा मा, ए आसू तयं ढरजा।
मोर देवारी के दीया, तयं टिम टिम टिम बर जा।।"[1]

स्वर्गीय कपिनाथ कश्यप ने अपनी कविता में ग्वालों द्वारा दूसरों को दूध–दही देकर स्वतः छाछ पीने की असमानता को दूर किया है इसलिए श्री कृष्ण कथा महाकाव्य में दूध के ब्रज से मथुरा जाने पर रोक लगा दी गयी है–

"बिन पेट भर खाये तुमन, जान न पावा बात सही।
अब के बेचा मथुरा जाके, चोरी–चोरी दूध दही।
मर मर के जो गाय चरावय, पांवय पीये छाछ मही।।"[2]

समाज की असमानताओं पर आक्रामक प्रहार करते 'अकादसी अऊ अनचिनहार 'संग्रह में संगृहित' 'मेहनत के थोरक मजूरी' शीर्षक कविता के अंतर्गत डॉ. विनय कुमार पाठक का मंतव्य है कि यहां श्रमिक बिकते हैं। श्रमिकों को अधिक परिश्रम के फलस्वरूप अल्प मजदूरी दी जाती है। मजदूरों की जिंदा लाश बिकती है तथा पूंजीपति उसे खरीदते हैं। पतिव्रता श्रम कन्या बिक रही है। पूंजीपति ईश्वर बन बैठे हैं। देश का शासन सूत्र पूंजीपतियों के हाथ में हैं। गरीब मजदूरों का शोषण होता है और हमारे देश के नेता उनके गले में छुरी फेरते हैं। –

"मेहनत के थोरक मजदूरी, सिधवा मन के मजबूरी।
पतीव्रता कमैलिन आज हे बेचावत, कमिया मेड़वा होके
जिनगी चलावत।
पइसा वाले मन है किरिस्न अऊ राम, सोसन करैया धरै
देस के लगाम।
नेता मन हमर देस के गर मां दतायें हें छुरीं।"[3]

*सहायक प्राध्यापक–हिन्दी, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगाँव (छ0ग0)।

सभी ओर अनीति का साम्रज्य फैला हुआ है। अत्याचार का यक आलम दिन प्रतिदिन बढते हुए अंगारों की भांति जला रहा है न इस अत्याचार को कोई देखना वाला है और न ही सुनने वाला है। व्यक्यिों का बाह्य तन बगुले की भांति उज्जवल हैं परंतु भीतर जहर भरा हुआ है। ईमानदारी व धर्म पैसे में बिक जाता है। ऐसी स्थिति में बेईमान व्यक्ति आनंद एवं सुरतों का उपभोग करते है। ईमानदार व्यक्ति दुख सहन करते है। प्रस्तुत कविता अंधरा होगे शहर में इन भावों की अभिव्यक्ति है–

"बगरे हवय अनीत के अंगरा सबे डहर।
भैरा हे गॉव कुरहा अंधरा हवे शहर।
कोकड़ा असन हे उज्जर तन महमहात हे।
फेर चाल मा मरे हवय गाड़ा अकन जहर।
ईमान अऊ धरम त पइसा म बेचागे।
मारे लपरहा भोकवा मरे कहर।।"

हॅसी के आवरण में सिसकती हुई जिंदगी असफलताओं और उदासी की तपती दोपहरी में ठोकरें खाते व्यतीत हो जाती है। होंठो पर अब मधुर गीत के बोल नहीं फूरते बल्कि दुख के पोल निःसृत होते हैं। इन सबके बावजूद उत्साह मन में असुर जीवन यापन विवशता है। यौवन की सारी उमंगे तिरेाहित्त हो चली हैं। नेत्रों से अश्रु की वर्षा होती है। आशा के प्याले में मानो किसी ने जहर घोल दिया हो और यह विशाक्त जीवन जीने के लिए फिर भी तिनके का आश्रय चाहता है। 'खिचड़ी' की भांति पानी में उबलता जीवन खिन्नता के बावजूद भी जीवन की कामना करता है–

'हांसी के कोरा म सुसकत हे जिनगानी ,उदासी के भोंभरा म खुरचत हे जिनगानी।
भूख के गीद ओंठ म अमागे, दुख के सीत आंखी म झपागे।
तम्भो ले जिए के खातिर, उछाह ह मन भर लदागे।
भुलिन ल खुंदीस अइसे जवानी, रिकोवत रहिगे आंखी ह पानी।
जहर महुरा धुरगे आसा म, धीरे–धीरे टूटत हे सांसा धानी।
खिचरी अस डबकत चुरत हे जिनगानी,उदासी के भोंभरा म खुरचत हे जिनगानी।।"[5]

अमीरों की दृष्टि में गरीबों का जीवन मात्र उनकी सेवा के लिए है। गरीबों को क्षुधा पूर्ति हेतु अन्न नहीं बल्कि लाठियों की मार मिलती है। अपने हाथों विवशता में कुटिया ढह जाती है और सारा घर अभावों का खंडहर बन जाता है। कार्य की तलाश में थके चरण मंजिल की ओर कदम बढ़ाने में असमर्थ हो जाते हैं। इन संपूर्ण स्थितियों को देखकर सूर्य खांसता हुआ प्रतीत होता है। अंधकार की सता कांटे की तरह चुभती है –

"लउठी हे खाए बर, कुरिया ओदराए बर, विगारी बर दउड़े बर हाथ मन।
सुरज हर खांसत हे कांटा कस गड़त हे, अंधियारी हांसत हे कांटा कस गड़त हवय।
अब अपने गांव मोर भईया, अऊ कतका दुरिहा हे।"[6]

प्रस्तुत कविता में कवि ने नेताओं के आचरण एवं व्यवहार की निकृष्टता पर प्रहार किया है। 'चारा जेती देखिन तेती थोथा अरमाईन 'का लक्ष्यार्थ है – जहां से नेताओ की स्वार्थ पूर्ति होती है, वहीं पर अपनी शक्ति लगाते हैं। 'देसो ल बेच खाइन का तात्पर्य है – देश का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। उक्त उदाहरण में लक्षणा के साथ ओज गुण निहित है–

"चारा जेती देखिन तेती थोथना ओरमाइन,
अपन, सुवारथ पीछू देसो ल बेच खाईन।।"[7]

जमींदार से पीड़ित कृषक श्रमिक का मन आहत हो उठता है। उसके स्वर कैंद होकर रह जाते हैं –

"ओकरे बनाये जमींदार मन, ओकरे सही तपत हवंय।
राजा तालुकदार गौंटिया, मन भी कूदे परत हवंय।
हमी ल लूटे बर, हमीं ल मारै बर, इन सब झन झुपट गइन।
बनिहार किसान कहां तक सहिबो काखर लंग हम गोहराइन।
जिन ला भाई बाप बनाइन, तउने मन हम ला खाइन।
उन दूनी ब्याज लगा के, भुईया तक सौंपाइन।
गाड़ी घोड़ा त लुखाइन, कुड़की डिंगरी लिलाम कर भांड़ा बर्तन बेचवाइन।
घर–घर ले किसान ला पहरा म, सुते वर बलवाथें।
बरसत पानी झड़ी सांत म, बपुरा मन ला कलपाथें।"[8]

स्वर्गीय कोदूराम दलित लिखते हैं कि अमीर दिन–प्रतिदिन अमीर और गरीब दिन–प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। जहां एक ओर साधारण जनता भूखों मरती है, वहीं दूसरी ओर पूंजीपतियों मेवा–मिष्ठान्न खाते हैं। देश की संपूर्ण पूंजी प्राप्त करने पर भी उनका पेट नहीं भरता। आम जनता कोल्हू के बैल की भांति श्रम कर रही है परंतु उसे अपने श्रम का थोड़ा भी भाग उपयोग के लिए नहीं दिया जाता –

"भूखन मरथीं हमन, जो ओमन माल मलीदा खाथें।
मरकी अऊ कुड़ेरा सांही, उनकर पेट बड़े हो जाथे।
हमर सिरागे रूजी–पूंजी, उंकर मन के भरगे थैला।
हमन लेड़गा कोंदा बने हवन, घाँनी अस बइला"।।[9]

श्री लखनलाल गुप्ता ने निर्धनता के फलस्वरूप देश की दयनीय स्थिति को अभिव्यक्त किया है। "धान का कटोरा" कहलाने वाला छत्तीसगढ़ देखते ही देखते कितना अधिक गरीब हो गया। भिखारियों की संख्या में वृद्धि हो गई उन्हें घास, चरौंटा, भाजी तक खाने नहीं मिलता। ग्रामीण कृषक मजदूर रोजगार की तलाश में गांव से पलायन कर रहे हैं जिससे गांव खाली हो गया है–

"ये धान के कटोरा मोर, कइसे कंगला बन गे।
जगह–जगह भिखमंगा बाढ़िन, चरौटा भाजी तक नइ बाचीस,
खाली होवथे गांव दिन–दिन, रोजी के तलाश म।"[10]

देश के कल्याण हेतु साम्यवाद आवश्यक है। साम्यवाद में अमीर–गरीब के आधार पर असमानता नहीं मिलती। सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है –

"नइ दिखे भलाई साम्यवाद बिन, ओहि बला सबझन कहिथे।
ओहि राज हमर देश म, लाने के लाइक रहिस।
मालिक नौकर ऊंच–नीच, धनवान गरीब नइ पाहव।
खाना कपड़ा घर इज्जत, राजा किसान एकेच पाहव।"[11]

छत्तीसगढ़ में साम्यवाद का स्वर प्रस्तुत कविता में द्रष्टव्य है–

"सामवाद के दूसर अरथ, सब होके रहो बरोबरिहा।
बनिहार किसान हुकुमत करथें, सबो ही गइन जंवरिहा।
छोटे मन ला उपर बढ़ाइन, अउ उपर ला करिन निहल।
बड़े उतरगे छोटे चढ़गे, मंझिला मन सब करे टहल।
एक बरोबर सब रहिंथे, छोटे–बड़े मिला के संघरा,
छय घंटा बुता करथें।।"[12]

सन्दर्भ –

1. भोजली त्रैमासिक पत्रिका (जनवरी 1971) पृष्ठ 1
2. कपिलनाथ कश्यप : व्यक्तित्व कृतित्व – डॉ0 विनय कुमार पाठक, पृष्ठ 25
3. अकादसी अउ अनचिन्हार–डॉ0 विनय कुमार पाठक, पृष्ठ 21
4. नदिया मरै पियास – भगवतीलाल सेन, पृष्ठ 12
5. लोकाक्षर (जून 1998) – श्री संतराम देशमुख, पृष्ठ 10
6. छत्तीसगढ़ी रचनाएँ – श्री मुकुंद कौशल – (नवभास्कर, 13 सितंबर 1989)
7. निजी काव्य संग्रह – श्री रामेश्वर वैष्णव, पृष्ठ 4
8. छत्तीसगढ़ी सुराज – श्री गिखरदास वैष्णव, पृष्ठ 65–66
9. छत्तीसगढ़ी साहित्य अउ साहित्यकार – डॉ. विनय कुमार पाठक, पृष्ठ 66
10. आरंग के कवि – संपादक, डॉ0 विनय कुमार पाठक, पृष्ठ 25
11. छत्तीसगढ़ी सुराज – श्री गिरिवरदास वैष्णव, पृष्ठ 9
12. छत्तीसगढ़ी सुराज – श्री गिरिवरदास वैष्णव, पृष्ठ 80

❑❑❑

ISSN - 2229-3620

SHODH SANCHAR BULLETIN

Vol. 6, Issue 23 Oct. - Dec. 2016

Page Nos. 46-47

BI-LINGUAL INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL

छत्तीसगढ़ी काव्य में प्रयोगवाद

❑ डॉ0 नीता ठाकुर*

शोध सारांश

छत्तीसगढ़ी काव्य में प्रगतिवाद मार्क्स प्रभावित न होकर शोषण और आर्थिक विषमता के अनन्तर उत्पन्न आक्रोश है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, असमानता, पूंजीपतियो के अत्याचार, अनिति के वातारवण में कृषकों व श्रमिकों का जीवनयापन दूभर होंने लगा। जमींदारों से पीड़ित कृषकों–श्रमिकों का आहत मन सहयोग के लिए आवाज देना चाहता था परन्तु रक्षक ही जब भक्षक बन बैठे तब सहयोग के लिए किसे पुकारा जायें? यह त्रासदी पूर्ण जीवन हीं नियति बन गया था। 'धान का कटोरा' कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में याचकों की संख्या बढ़नें लगी। ग्रामीण कृषक, मजदूर रोजगार की तालाश में गांव से पलायन करने लगे उनकी जर्मीन, घर–द्वार सभी जमीदार के हाथों नीलाम होंने लगे और वे आंखो में आंसू लिये जीवन की कामना करते थे। आंसू रूपी तेल में फटे चीथड़े की वर्तिका से जीवन–दीप जलाने पर विवश होंने लगे। ईमानदारी व धर्म पैसे में बिकने लगे। नेताओं के आचरण व्यवहार पर भी कवियों की दृष्टि गई है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रगतिवादी कवियों में श्री रंजनलाल पाठक, स्व. कपिलनाथ कश्यप, डा. विनय कुमार पाठक, श्री भगवती लाल सेन, श्री संतराम देशमुख, श्री मुकुंद कौशल, श्री रामेश्वर वैष्णव, श्री गिरिवरदास वैष्णव, श्री कोदूराम दलित, श्री लखनलाल गुप्ता प्रमुख हैं। इन कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से शोषण की मार सहन करने वाले कृषक–श्रमिकों की त्रासदी को प्रस्तुत करते हुए साम्यवाद के स्वर को भी सुदृढ़ किया है।

प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी ने जिस प्रकार प्राचीन उपमानों को जूठन और बासी कहकर आधुनिक भावबोध और युगिन संदर्भ को सार्थक ढंग से प्रस्तुत करने के लिये नये उपमानों और प्रतीको का अन्वेशण किया। उसी प्रकार डॉ0 विनय कुमार पाठक ने छत्तीसगढ़ी में मौलिकता की खोज कर मौलिक सांस्कृतिक उपमानों और प्रतीकों को प्रयुक्त किया तथा छत्तीगढ़ी काव्य को उन्नति के उच्च सोंपान पर प्रतिष्ठित करने के लिये अद्यावधि प्रयासरत हैं। उनके विचार सभी आंचलिक भाषा के सर्जकों के लिये मननीय हैं। डॉ0 पाठक ने नवीन उपमानों प्रतीकों का काव्य में प्रयोग कर नवीन मार्ग प्रशस्त किया हैं।

डॉ0 विनय कुमार पाठक ने 'अकादसी अउ अनचिन्हार' काव्य संग्रह में छत्तीसगढ़ी कविताओं को प्रथम बार प्रकाशित किया। इसके साथ ही उन्होंने 'भोजली' त्रैमासिकी एवं अन्य अनेक पत्र–पत्रिकाओं। काव्य संकलन में भूमिका व वक्तव्य लिखकर छत्तीसगढ़ी काव्य के मूलरूप को उदघाटित करने का प्रयास किया है। उनका यह कार्य अज्ञेय जी के 'तारसप्तक' सदृश छत्तीसगढ़ी काव्य का ऐतिहासिक दस्तावेज है। पं. द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र ने उनके इस युगांतकारी कार्य को देखकर युग प्रर्वतक निरूपित किया है। डॉ0 बिहारी लाल साहू के अनुसार – 'अकादसी छत्तीगढ़ी काव्य जगत के अनचिन्हें भावों को प्रसारित करने में सक्षम रही है' अस्तु हम उन गौरवमंडित भावों के जनक का स्वागत करते है।''1

डॉ0 पाठक के पूर्व स्थापित समग्र छत्तीगढ़ी साहित्यकारों मे छत्तीसगढ़ी संस्कृति और मानसिकता के अनुरूप छत्तीगढ़ी काव्य की स्वस्थ परंपरा मिलती है, किंतु संग्रमणकालीन स्थिति में डॉ0 पाठक ने जो महत् कार्य किया, वह उल्लेखनीय है। उनकी रचनाओं में मौलिकता निहीत है। प्रेम को बारात के सामान सुसज्जित एवं सप्तपदी के बंधन से युक्त होते हुए आत्मा अल्पना सदृश माना गया है –

''बारात कस संवरे हमर मया, भांवर के गांठ मे जुरे रहै।
मन के मंगरोहन मुस्कियात, अंतस के चउंक हर पुरे रहै।''2

प्रेम की अभिव्यक्ति के लिये डां0 पाठक द्वारा बासी व नमक तथा अंगाकार व तेल जैसे प्रयुक्त उपमान प्रतीक छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुरूप नवीन प्रयोग हैं –

''तोर मन बासी अउ मोर नन नून हे, तोर बिन गोई ये जिनगी सून हे।।
तोर मन अंगाकार अउ मोर मन तेल हे, तोर बिन गोई ये जिनगी जेल हे।।''3

*सहायक प्राध्यापक हिन्दी शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

छत्तीगढ़ी काव्य को आंचलिक उपमानों व प्रतीकों से निखारकर डॉ0 पाठक ने जहाँ उसके मौलिक स्वरुप को प्रस्तुत किया है, वहीं काव्यादर्श को प्रकट करते हुये छत्तीसगढ़ी को नया आकार दिया है। इनकी प्रेरणा से इधर छत्तीसगढ़ी काव्य में मौलिक उपमानों व प्रतीकों के प्रयोगों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उनकी रचनाएं मौलिक चिंतन की प्रतीक है। वरिष्ठ साहित्यकार तक उनसे प्रभावित हुए। नवोदित कवियों ने उन्हें अपना आदर्श ही माना है। डां0 पाठक से प्रभावित होकर अन्यान्य छत्तीसगढ़ी कवियो ने भी आंचलिक उपमानों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया है।

श्री हरि ठाकुर ने सर्वहारा वर्ग की पीड़ा को चावल के पकने की स्थिति सदृश स्वीकार करते हुये कहा है कि अभावग्रस्त होने के कारण निर्धन बिना मौत ही मर रहे हैं —

''हमर झोपड़ी वाका मन के, मरन हावै जी बिना मरन के।
भीतर—भीतर चुरत हवन जी, हम चांऊर जइसे अंधन के।''4

श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी मनुष्य के शरीर में स्थित घाव को कंडे पाथने के समान और अंकित गोदना को उस पर बैठने वाली मक्खियों के समान निरखते हैं —

''घाव—गोंदर के का गोठियाबो, छेना कस थोपाय हे।
भनन—भनन माछी मन अंग म, गोदना कस गोदाये हे।''5

श्री भगत सिंह सोनी ने देश की आबादी को फूलगोभी की तरह सघन और उस पर आरूढ़ बेल को नैराश्य अंधकार के समान निरूपित किया हैं —

''फूल गोभी जइसन आबादी वाला, मोर देश के कनिहा उप्पर चघगे हे।
अंधियार के नार।''6

श्री मुरारीलाल साव ने 'मोर गोहार' शीर्षक कविता में स्वयं को आलू एवं पत्नी को मछली का झोल माना हैं —

' आलू कस पोल—पोलहा मय, वो हवय मछरी के झोर।''7

दुखी हृदय चीत्कार कर उठता है। सुख को इतना रौंदा गया है कि वह पूर्णतया अस्त—व्यस्त हो गया है। 'गैरी माटी' मिट्टी में पानी डालकर अच्छी तरह से पैरों के सहारे दबाव दिया जाता है। कवि ने सुख की उपमा रौंदी गई मिट्टी से दी है, जो नवीन एवं मौलिक प्रयोग हैं —

''सुनत—सुनत कान के परदा मुंदागे, सुख ह गैरी माटी कस खुदागे।।''8

वेणी गेंदा फूल से सुसज्जित है। गौरवर्णीय हाथ—पैर पीले खेकसी की तरह दृष्टिगत हो रहे हैं। पके कुंदरू की तरह चिकने नाक और सुन्दर दुबली छरहरी काया की सुंदतरता अनायास ही मन को तड़पा रही है। खेकसी और कुंदरू के माध्यम से सौन्दर्य वर्णन नवीन प्रयोग है —

''मेड़री मारे गोंदा के फुल, मोर मन गे भूल, कर्राय कर्राय पीयर खेकसी कस हाथ गोड़
पके कुंदरू कस चिक्कन नाक, पतरेंगवा असन देह चुलक गे मोर मन गेहे।''9

नायिका के माथे की बिंदिया जोगनी अर्थात सितारे की भांति चमक रही है। नथनी, बिंदी, हार, अंगूठी, चूड़ी, पहुंची, कंकनी, विभिन्न आभूषणों से अलंकृत नायिका की छवि ऐसे दमक रही है जैसे पूजा की थाली में कपूर निर्मित आरती हो। झिलमिलाते दीपक की भांति नायिका की छवि दिशाओं को दीप्त कर रही है। छत्तीसगढ़ में धारण किये जाने वाले आभूषणों का अत्यंत सुन्दर वर्णन सौंदर्यशालिनी नायिका की छवि को संजीव कर उठता है —

''माथा के बिंदिया जोगनी बने हे, चमकत हवय भरपूर।
नथनी, टिकुली माला मुंदरी, चुड़ी, पहुंची, ऐंठी ककनी।
जुगुर—जुगुर बरत हावय, जइसे पूजा के कपूर।''10

जहाँ छत्तीसगढ़ी काव्य में नये प्रयोग की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई, वहीं लोकगीतों में निहित परंपरा और मौलिक सांस्कृतिक उपमानों व प्रतीकों के आधार पर छत्तीसगढ़ी कविता की आत्मा को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति का सूत्रपात हुआ। छत्तीसगढ़ के कवियो ने नवीन मौलिक सांस्कृतिक उपमानों और प्रतीकों के प्रयोग द्वारा छत्तीसगढ़ी काव्य को समृद्ध किया है।

सन्दर्भ —

1. अकादसी अउ अनचिन्हार — डॉ0 विनय कुमार पाठक, पृष्ठ 2
2. अकादसी अउ अनचिन्हार — डॉ0 विनय कुमार पाठक, पृष्ठ 12
3. छत्तीसगढ़ साहित्य के युग पुरूष — डॉ0 विनय कुमार पाठक, डॉ0 रूद्रदत्त तिवारी, पृष्ठ 16
4. छत्तीसगढ़ी साहित्य अऊ साहित्यकार — डॉ विनय कुमार पाठक, पृष्ठ 25
5. छत्तीसगढ़ी साहित्य अऊ साहित्यकार — डॉ0 विनय कुमार पाठक, पृष्ठ 25
6. रहंचुली — भगत सिंह सोनी, पृष्ठ 4
7. मिरचा—पाताल — संतराम साहू एवं मुरारीलाल साव, भूमिकातंर्गत, पृष्ठ 5
8. कउंआ लेगे कान ला — मेहतरराम साहू, पृष्ठ 31
9. कउंआ लेगे कान ला — मेहतरराम साहू, पृष्ठ 45
10. कउंआ लेगे कान ला — मेहतरराम साहू, पृष्ठ 47

An International, Registered & Referred Monthly Journal : Research Link - 151, Vol - XV (8), October - 2016, Page No. 66-67
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782
Since March 2002
Hindi Literature

छत्तीसगढ़ी काव्य में वस्त्राभूषण

प्रस्तुत शोधपत्र, छत्तीसगढ़ी काव्य में वस्त्राभूषण से सम्बंधित है। ढोला मारू छत्तीसगढ़ी खण्ड काव्य के प्रथम खण्ड में मारू के नखशिख वर्णन के साथ छत्तीसगढ़ी अलंकरण, जहां उसके सौन्दर्य को उद्दीप्त करता है, वहीं प्रकारांतर में आंचलिक पर्यावरण को भी प्रस्तुत करता है। नारी ह्दय की भावनाओं के प्रतीक अलंकरण हैं। विविध अलंकरणों से सुसज्जित छत्तीसगढ़ी नारी सौन्दर्य की सजीव प्रतिमा प्रतीत होती है। अलंकरणों का प्रचलन प्राचीनकाल से विद्यमान रहा है। प्रत्येक युग में स्वरुप परिवर्तित हुआ। उसके बाद भी जब यह नए-नए रुप में गढ़ी गई, तब और भी अधिक सुन्दर रुप में लोगों के सामने आई है। आज भी पारंपरिक आभूषणों का महत्व उतना ही है, जितना पहले था।

डॉ.नीता ठाकुर

छत्तीसगढ़ अलंकरणों की दृष्टि से संपन्न है। यहाँ विविध अलंकरण प्रचलित है, जिनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, पृथक पहचान है। छत्तीसगढ़ में प्रचलित अंलकरण इस प्रकार है – मौंगमोरी, पहुंची, तोड़ा, बिंदिया, बिछिया, सांटी, तरकी, सूता (सूतवा), मोहर, पुतरी, पैजन, खिनवा, चुरवा, मुंदरी, ककनी, सुर्रा, भंदई, बुलाक, आदि। इन अलकरणों का वर्णन काव्य में परिलक्षित होता है :

"सुतुवा कस चमकत हमर मया,
पैरी कस झुनुन–झुनन बोलय।" (1)

पुतरी और हार से कंचन काया सुशोभित है। केश राशि से बनी वेणी फुँदरे से सजी हुई है। पाँव का महावर पायल की धुन में नृत्य कर रहा है, मुस्करा रहा है,

"देखइया देखत रहय, गोजा भर एकर चूँदी।
सोनहा रूप मा चमके, पुतरी के संग माला मुदरी।।"
मुड़ गंथाए ले मइया, बेनी दिखथे सइघो नागिन।
डर के मारे पैजन बिचारी, संग मा फुँदरा के नाचीन।।
पाँव के माहुर कमु मुच–मुच करय।" (2)

पीली साड़ी संधारित नारी का गेंदा फूल से श्रृंगार अत्यंत मन भावन है–

"सुन ओ फुफु मुड़ गांथ दे, खोंच दे गोंदा के फूल।
सइंया मोर झुमरत आवय, दिखथे पागा पियरी लुगरा,
कर दे मोला तइयार।" (3)

आभूषण श्रृंगार का प्रतीक है। श्रृंगार सौन्दर्य को निखारता है, नयी आभा प्रदान करता है। इसका सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत है, मस्तक पर सिन्दूर, गले में मोतियों की माला, बाहों में बाजूबंद, कान में बाला, कमर में करधनी, पैरों में झंकृत पायल, हाथों में कंगन–चुड़ी से सुसज्जित छत्तीसगढ़ की नारी के मुख–सौन्दर्य को देखकर मानो चंद्रमा धरती पर उतर आता है। विविध अंजकरणों से सुसज्जित नारी सौन्दर्य सहज ही मन को आकृष्ट करता है,

"करले करले ओ सिंगार, गोरी आगे लेनहार।
माथे म सेन्दुर लगा ले, गर मोतियन के माला,
बांह म बाजूबंद सोहे, कान म पहिरे बाला।
कमर म करधनी पहिर के, हो जा रानी तइयार,
छन्नक–छन्नक पायल बाजय, हांथे म चमकय कंगना।
मुखड़ा देखत चंदा लजावय, तरई उतर आवय अंगना।।" (4)

टिकली, फुल्ली, तिलरी, खिनवा, चूड़ी, ऐंठी, करधन, पैरी, मुंदरी, बिछिया, हाथों की मेंहदी और पैरो में लगा हुआ महावर छत्तीसगढ़ की पहचान है। प्रस्तुत कविता में विवध अंलकरणों का अत्यंत खुबसूरती से वर्णन मिलता है, नायिका के मस्तक पर सुशोभित बिन्दी (टिकली) में सूर्य की चमक और नाक की फुल्ली में चांदनी की दयुति है। लुरकी, तिलरी, खिनवा कानों में धारण किए हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि सुवासपूर्ण मोंगरा पुष्प हों। हाथों में खनकती चूड़ी–ऐंठी घुंघरूओं की मधुर ध्वनि फूलों के रंग को स्वयं में समाहित किए हुए है। जहाँ पतली कमर में करधन सुशोभित है, वहीं पैर की पैरी सुमधुर घ्वनि झंकृत कर रही है। मुंदरी–बिछिया का बंधन मन को बांधकर उंगलियों की शोभा बढा रहा है। हाथों की मेंहदी और पैरों की महावर जिन्दगी में त्यौहार–सा रंग–उमंग भरती है,

"सुरूज के पीला तोर टिकली ए,
अँधियारी रात म तोर फुल्ली बिजली ए।
लुरकी, तिलरी अऊ खिनवा तोर कान के,
लागय फूले हे मोंगरा संग म दौनापान के।
घुंघरू के ढंग म फूल के रंग म,
हाथ म खनकय चूरी ऐंठी के संग म।

सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

पातर कनिहा ल थामे हावय करधन,
घुटुवा म पैरी आरो देवम छनन–छन।
मुंदरी बिंदिया के बंधना मा अरझाके,
मन ल कर डारे भुरभुरहा ईमान से।
मेंहदी हथौरी के, महउर पाँरी के,
जिनगी म रंग भरय तिहरहा ईमान से।"(5)

हाथों में ककनी, पैरों में पायल, गले में कंठी, नाग में फुल्ली, कानों में बाली, कमर में करधन, मांथे पर टिकली, मांग में सिन्दूर, जूड़े में फूल, पाँव में मेंहदी, फुँदरा से सुसज्जित नारी वर्णन अत्यंत मनमोहक है। गोदना भी श्रृंगार का एक प्रमुख हिस्सा है, जो छत्तीसगढ़ी काव्य में वर्णित है –

"हाथ म ककनी, पांव म पयरी, गर म कंठा पहिरे।
नाक म फुल्ली, कान म बारी, कनिहा म करधन पहिरे।
माथा म टिकली, मांग म सेन्दूरखोपा म फूल लगाये।
भुजा म गोदना, आँखी म काजर पॉव म मेंहदी रचाए,
फुँदरा पहिरे रंगदार।" (6)

जहाँ माथे की बिंदिया सूर्य चन्द्रमा की भाँति आलोक बिखेर रही है, वहीं कान का खिनवा दैदीप्यमान है। नाक का नकबेसर व गले की हँसली सौन्दर्य को द्विगुणित करता है। पीले वस्त्र से दमकती हुई देह सौन्दर्य के स्वर्ण भंडार की प्रतीति कराता है। कंचन काया में गुदा हुआ गोदना तथा मनमोहक सौन्दर्य मानव–हृदय को ऐसे वेधता है कि इस सौन्दर्य के वार से आहत मन बार–बार घायल होने को आतुर रहता है,

"माथा के टिकुली तोर चम–चम चमके,
कान के खिनवा तोर दमके।
नाके नकबेसर गला हंसुली जोड़,
कय रंग घात करय ठउके।
तोर रिग–बिग ले गोदना,
मोर हिरदय के अंगना म बिराजे।
पीयर लुगरा जेमा लाली किनारी,
रग–रग ले खुलय देह रंग म।"(7)

नीले, पीले, हरे, रेशमी परिधान और अंकरण से सुसज्जित श्रृंगार का वर्णन प्रस्तुत काव्य में है, जिसमें नथ, बाला की झिलमिलाती किरणें इंद्रधनुषी वस्त्रों के साथ मिलकर संपूर्ण परिवेश को प्रकाशित कर रही है। केश राशि को संवारकर ऐंठी हुई वेणी में लहराता फुंदरा मन मोहता है। छत्तीसगढ़ में प्रचलित वस्त्र अंलकरण से प्राकृतिक घनिष्ठता आभासित हो रही है। इन वस्त्र अंलकरणों से सुसज्जित नारियाँ श्रृंगार की सजीव मूर्ति दिखाई पड़ रही है,

"रेसमाही ढिग कोसलाई भंवराही कउनो,
पहिरे पीतांबर ककनाही पोतिया कउनो।
कउनो पहिरे सुवापंखी हरियर लुगरा,
छिटिया बुंदिया जाय रंग के कउनो पिंवरा।
बजनी पैरी कउनो पहिरे कउनो तोड़ा,
कमरपटा कनिहा मा कउनो करधन जोड़ा।
दुलरी तिलरी पुतरी करवा पहिरे कउनो,
सूता सोनहा कंठी मोहन माला कउनो।
बेसर फुल्ली सरजा बाला नथ कउनो झमकाये,
कोर गांथ के ऐंठन बेनी मा फुंदरा ओरमाये।"(8)

ठेठ छत्तीसगढ़ी भाब्दों का प्रयोग द्रष्टव्य है। जैसे– लुगरा, छिटिया, बुंदिया, फुंदरा, झमकाये।

ढोला मारू छत्तीसगढ़ी खंडकाव्य के प्रथम खंड में मारू के नखशिख वर्णन के साथ छत्तीसगढ़ी अलंकरण जहां उसके सौन्दर्य को उद्दीप्त करता है, वहीं प्रकारांतर में आंचलिक पर्यावरण को प्रस्तुत करता है। इस खंड में मारू की वयःसंधि का चित्रण अद्वितीय है। नायिका का विवाह बचपन में हो गया, परन्तु द्विरागमन न होने पर वयःसंधि में पहुँचकर तन–मन उसे त्रस्त करता है। वह दर्पण में अपना रूप निरखकर सलज्ज होती है। प्रीति विमुक्त कज्जल–सज्जित आँखें शोकग्रस्त है। कर्णाभूषण योग साधना में निमग्न है। कर्णाभूषण बाली "बारी" का बारह हाल हो गया है, अर्थात् वह हिल–हिलकर मन की चंचलता को प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन उसे थामने वाला प्रिय उससे विलग है। 'कर्ण बारी' अलंकरण भावनाओं को रोक पाने में असमर्थ है और गाल बजाकर काम–वासना के आवेग को संतृप्त कर रहा है। नासिका के आभूषण फूली को पैनी दृष्टि से निरखकर नायिका मानो आंखमिचौली करती है। नासिका व नेत्र के इस उलझन को मध्य स्थित कपोल सुलझाने का उपक्रम करता है,

"बिहाव बर होये हावय, गवन कब होही,
लगिन धराय लइका के, का गति होही ?
लड़की सगियान होगे, कइसे समहरत हे,
दरपन ल देख–देख, कइसे लजावत हे।।
आंखी के काजर हा कइसे मरत हे सोग,
कान के खिनवा बारी हा सुखम धर लिन जोग।।
बाली हा हाल के कर दीस बारा हाल,
कानं के बरजे नइ मानय उहू बजावत हे गाल।।
नाक के फूली हा आंखी ला आंखी मारत हे,
गाल इंकर गाल बजावत, झगरा ल टारत हे।।" (9)

लाल सिन्दूर कमर तक लटकती वेणी और हरी साड़ी से सजी–संवरी नारी का सौन्दर्य अनुपम परिलक्षित होता है,

"लाली हे तोर माथ के सेन्दूर, कारी हे तोर कारी चूंदी।
हरा हे तोर अंग सवांगा, नीला हे नैन के मूंदी।"(10)

नारी हृदय की भावनाओं का प्रतीक है – अलंकरण। विविध अलंकरणों से सुसज्जित छत्तीसगढ़ी नारी सौन्दर्य की सजीव प्रतिमा प्रतीत होती है। अलंकरणों का प्रचलन प्राचीनकाल से विद्यमान रहा है। प्रत्येक युग में स्वरूप परिवर्तित हुआ। उसके बाद भी जब यह नए–नए रूप में गढ़ी गई तब और भी अधिक सुन्दर रूप में लोगों के समक्ष आयी। आज भी पारंपरिक आभूषणो का महत्व उतना ही है, जितना पहले था।

<u>सन्दर्भ :</u>

(1) पाठक , डॉ0 विनय कुमार : अकादसी अऊ अनचिन्हार, पृष्ठ 11. (2) साहू श्री संतराम : ढोला मारू, पृष्ठ 1. (3) भूषण, केयूर : लहर, पृष्ठ 43. (4) वही। (5) पांडेय, निशिथ : पैडगरी, पृष्ठ 37. (6) देवांगन, पारसनाथ : रत्ना, पृष्ठ 32. (7) गढ़ेवाल, तीरथराम : तोला कोन रंग भाथे, पृष्ठ 18. (8) कश्यप, कपिलनाथ : श्री कथा, पृष्ठ 213. (9) पाठक , डॉ0 विनय कुमार : ढोला मारू, भूमिकांर्गत, पृष्ठ 3. (10) गढ़ेवाल, तीरथराम : तोला कोन रंग भाथे, पृष्ठ 35.

महसूस करें कि नये प्रतिमान नये आयामों के साथ प्रस्तुत किये जा सके।

उदाहरण:— मुक्तिबोध की नयी कविता

"अंधेरे के साथ प्रस्तुत है।

"अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे
उठाने ही होंगे।
तोड़ने होंगे ही मठ और गठसब।
पहुचना होगा दुर्गम पहाड़ो के उसपार
तब कहीं मिलेगी........
जिनमें कि प्रतिपल कांपता रहता
अरूण कमल एक।"

विवरणिका

१—कविता के नये प्रतिमान — डॉ. नामवर सिंह
२—कवि केदार नाथ सिंह — सं भारत यायवर
३—नयी कविता के साथ अध्याय — देवेश ठाकुर
४—तार सप्तक (द्वारा) — सं अज्ञेय
५—आत्म हत्या के विरूद्ध — श्री रघुवीर सहाय
६—माया दपर्ण — श्रीकान्त वर्मा
७—चांद का मुंह चेढा है — मुक्तिबोध
८— गीत फरोश — भवानी प्रसाद मिश्र
९—आरम्भ — जुलाई १९६८
१०—आलोचना — १९६८
११— हंस — अक्षर प्रकाशन

□□□

44

छत्तीसगढ़ी काव्य की प्रवृत्ति

डॉ. नीता ठाकुर
सहायक प्राध्यापक हिन्दी,
शासकीय नेहरू स्नातकत्तोतर महाविद्यालय, डोंगरगढ़
जिला—राजनांदगावं (छ.ग.)

****

मध्यप्रदेश का दक्षिण—पूर्वी भू—भाग तथा धान का कटोरा से विश्रुत—विख्यात छत्तीसगढ़ दक्षिण कोशल, महाकोशल, झारखंड, दण्डकाव्य, गोंडवाना आदि अभिधानों से अमिहित रहा है। इसकी संस्कृति प्राचीन और इतिहास गौरवशाली है। यहां का लोकसाहित्य संपन्न—समृद्ध है, जबकि शिष्ट साहित्य का इतिहास एक शताब्दी से अधिक का प्रमाणित है। यह अवधी की सहोदरा है। अवधी में जहां भक्ति का स्त्रोत है और तुलसी तथा जायसी से महिमा मंडित है, वहीं छतीसगढ़ी भारतेन्दु काल से उद्भूत और स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् प्राय: अधिक गतिमान है। छतीसगढी काव्य बीसवीं शताब्दी के विकास—क्रम को संजोये विविध प्रवृत्तियों के साथ युगानुकुल प्रवाहमान है।

छतीसगढी काव्य को समीक्षको ने स्वतंत्रता पूर्व और स्वातंत्रयोत्तर दो विभागो में विभाजित कर क्रमश: उनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला है। कुछ समीक्षक इसे हिन्दी के अनुकरण पर मूल्यांकित करते हैं। यह सच है कि छतीसगढी काव्य हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियो का अनुगामी है लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि उसकी परिस्थितियां कुछ भिन्न रही हैं। हिन्दी में जहां काव्य का इतिहास आदिकाल से प्रारंभ है। वहीं छतीसगढ़ी में एक शताब्दी की परंपरा प्रस्थित है। इसमें गद्य का इतिहास कुछ प्राचीन है जबकि काव्य का उद्‌गम बाद में हुआ है। बीसवीं शताब्दी का प्रारंभ अंग्रेजो के आतंक, अंधविश्वास के मायाजाल और रूढ़ि के मकड़—जाल की संश्लिष्टि से छतीसगढी समाज में दीनता—हीनता के फलस्वरूप उपजी संघर्ष—शक्ति की क्षमता तथा आत्मगौरव की भावना के

रूप में प्रतिफलित हुआ। आत्मबल का यह संचार मनुष्य को मनुष्य बने रहने और उसे छत्तीसगढ़ी तथा राष्ट्रीय–गौरव से ओत–प्रोत करने की दृष्टि से पनपा। इस तरह क्षेत्रीयता से राश्ट्रीयता की ओर उसकी प्रवृत्ति प्रमुख रूप से उजागर हुई। छतीसगढ़ी मनुज को उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि बिना छतीसगढ़िया हुए वह सही अर्थो में देश–प्रेमी अर्थात् राष्ट्रीयता से नहीं जुड़ पाएगा। क्षेत्रीयता के सोपान से वह राष्ट्रीय क्षितिज को स्पर्श करता है। छतीसगढ़ी मनुज ने यह भी अनुभव किया कि अंग्रेजों, सामंतो और अन्य प्रदेशों से आए, परदेशियों ने उनका भरपूर शोषण किया। इन लोगो ने छत्तीसगढ़ियों की भावनाओं के साथ छल किया। डां. विनय कुमार पाठक के अनुसार "सतत उपेक्षा, उत्पीड़न तथा शोषण से आक्रांत छत्तीसगढ़ आत्म दैन्य की कुंठा से ग्रसित रहा है। उसने लोगो पर उपकार किया तो उसे मुंह की खानी पड़ी। उसने लोगो पर विश्वास किया तो बदले में मिला विश्वासघात उसकी सहृदयता लोगों के लिए मूर्खता का पर्याय बनी। ।। १ ।।

स्वतंत्रता–पूर्व से लेकर छत्तीसगढ़ शोषण से उबर नहीं सका है। इसके खिलाफ क्रांति का उद्घोष पंडित लोचनप्रसाद पंडित से लेकर संतकवि पवन दीवान तक की काव्य रचनाओं में मिलता है। कवियों ने आंचलिक अभिव्यक्ति के माध्यम से जहां "जीयो और जीने दो" का नारा बुलंद किया है, वहीं राज्य की संकल्पना के लिए सतत संघर्श और आहवान् भी किया है। इस उपक्रम में दाऊ समचंद्र देशमुखकृत "चंदैनी गोंदा व कारी" का महत्व उल्लेखनीय है।।।२।।

डां. विमल कुमार पाठक के संपादन में बिलासपुर द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ी जागरण गीत अविस्मरणीय है, जिसमें हिन्दी के साथ छत्तीसगढी के प्रतिनिधि कवियों की छत्तीसगढ़ी जन–जागृति, आत्मगौरव और सम्मान के रक्षा विशयक गीत प्रकारांत में छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना का पर्यावरण प्रस्तुत करते दृष्टिगत होते है" ।।३।।

छत्तीसगढ़ को मातृभूमि और इसकी भाषा को छत्तीसगढ़ी मानकर इसके महात्म्य को उद्घाटित कर प्रकारांतर में गौरव व सम्मन को प्रतिष्ठित करना तथा दीनता–हीनता को दूर करना छत्तीसगढ़ी कवियों का प्रखर स्वर रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल–धवल इतिहास संस्कृति को प्रस्तुत करके आहवान परक छत्तीसगढ़ी कविताओं का प्रणयन भी प्रमुख प्रवृत्ति रही है। भारतीय संस्कृति की समन्वयात्मक प्रकृति ग्राम को क्षेत्र, क्षेत्र को प्रदेश और देश से जोड़ती है। छत्तीसगढ़ी कविताओं में यह प्रवृत्ति पग–पग पर परिलक्षित है। छत्तीसगढ़ी कवियों ने भारत माता की तरह छत्तीसगढ़ माता की संकल्पना किया है। पंडित मुकुटधर पांडेय से लेकर डां. नरेन्द्र वर्मा तक अन्यान्य छत्तीसगढ़ी कवियों ने एतद् विषयक छत्तीसगढ़ी काव्य का प्रणयन किया है। गांधी जी को अवतार मानकर उनके अलौकिक क्रिया–कलापों, विचारों, सिद्वांतो का निरूपण करते हुए छत्तीसगढ़ी कवियों ने महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को आत्मसात किया। महात्मा गांधी पर जहां मुक्तक काव्य, प्रलंब काव्य लिखे गये, वहीं श्री मदनलाल प्रजापति ने "गांधी गाथा" नामक खंडकाव्य लिखा।

आजादी के अनंतर राष्ट्रीयता का स्वर देश–प्रेम के रूप में परिवर्तित हुआ। जब जन–जन की उपेक्षा, कालाबाजार, भ्रष्टाचार, महंगाई आसमान छुने लगी और आम आदमी का जीवन दुभर होने लगा, तब प्रजातंत्र का दुरूप्रयोग करने वाले नेताओं शोषकों, सामंतो, साहूकारों, व्यापरियों के प्रति आक्रोश तथा देश की दुर्दशा का चित्रण राष्ट्रीयता का स्वर बन गया। छत्तीसगढ़ी कवियों ने राष्ट्रीयता के इस दायित्व का निर्वाह किया है तथा गांधी जी के सपनों के भारत को आदर्श मानकर उसे पूर्ण प्रतिष्ठित करने का संकल्प ग्रहण किया है।

छत्तीसगढ़ी काव्य के स्वतंत्रता–पूर्व की प्रवृत्ति भक्तिपरक है। इसका कारण संभवतः यह है कि छत्तीसगढ़ी कवियों ने अंग्रेजो के आतंक से भयभीत होकर प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र भक्तिपरक रचनाओं को लिखकर प्रकाशित करने का साहस नहीं जुटा रहे थे। ऐसे समय में उन्हें ईश्वर की शरण में जाना पड़ा। यही कारण है कि स्व. नरसिंहदास वैष्णव ने "शिवायन" छत्तीसगढ़ी प्रलंब काव्य की रचना किया। पंडित सुन्दरलाल शर्मा कृत लघु खंडकाव्य "दानलीला" में कृष्ण की लौकिक और प्रेम की भक्ति धारा बहाकर प्रकारांतर में दीन–हीन आत्मा को परमात्मा स्वरूप श्रीकृष्ण से शक्ति–पुंज प्राप्ति का संदेश मिलता है।

इसी तरह स्व. शिवदास पांडेय की "दानलीला" और अनेक इसी तर्ज पर लिखने वाले कवियों की रचनाओं में प्रेम व भक्ति का स्त्रोत मिलता है। स्व. जगन्नाथ प्रसाद "भानु" कृत "माता—सेवा" भक्ति की शक्ति को प्रकट करते हैं। स्व. लोचनप्रसाद पांडेय से लेकर अनेक मुक्तक काव्य के प्रणेताओं ने भी भक्तिपरक छत्तीसगढ़ी काव्य लिखे हैं।

छत्तीसगढ़ी काव्य संस्कृतिधर्मी है। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में संस्कृति जहां संपृक्त है, वही छत्तीसगढ़ी काव्य में भी इस परंपरा का निर्वाह मिलता हैं छत्तीसगढ़ी की मौलिक शब्द—संपदा भी सांस्कृतिक धरोहर की कथा कहते हैं। यहां की रीति—नीति, आचार—विचार, खान—पान, रहन—सहन, आवास—निवास, परिधान, मंड़ई—मेला धर्म, कला लोकमान्यताएं, लोक—विश्वास, पर्व, व्रत, उत्सव और समग्र संस्कारों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति प्रतिफलित है। यहां के उपमान और प्रतीक इसी दृष्टि से मौलिक है, जो भारतीय साहित्य को नयी दिशा देने में सक्षम—समर्थ है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति मुक्तक और प्रबंध काव्यों में गुंथकर प्रस्तुत हुई है। छत्तीसगढ़ी मुक्तक काव्य में सार्वदेशिक देवी—देवताओं के साथ आंचलिक देवी—देवताओं की अभ्यर्थना के साथ शैव, शाक्त व वैष्णव धर्मावलंबी तथा पुराण—सम्मत समग्र देवी—देवताओं के प्रति श्रद्धानत है। छत्तीसगढ़ी प्रबंध काव्यों के मंगलाचरण में सार्वदेशिक व आंचलिक देवी—देवताओं की स्तुति द्वारा सांस्कृतिक समन्वय तथा धार्मिक सद्भाव का उदाहरण प्रस्तुत करता है। छत्तीसगढ़ी काव्य जन—जन के मन में प्रतिष्ठित है। स्वतंत्रता—पूर्व और स्वतंत्रता—प्राप्ति के पश्चात् से आज तक के समाज का निरूपण छत्तीसगढ़ी काव्य में समादृत है।

छत्तीसगढ़ी काव्य समग्र रूढियों व परंपराओं को तोड़ने का प्रतिमान स्थापित कर प्रगतिशील तत्वों की ओर उन्मुख हुआ। पुरानी पीढ़ी पुराने ढर्रे पर चलने के लिए विवश थी लेकिन नयी पीढ़ी ने युग से कदम से कदम मिलाकर चलने की ठानी। जीवन—मूल्य को उन्होनें आधुनिक अर्थात् युगीन—संदर्भों में निरखा—परखा। यद्यपि स्वतंत्रता के पूर्व इसका बीजारोपण हो चुका था तथापि स्वतंत्रता के बाद इसका प्रतिफल उजागर हुआ। इसके अंकुर फुटे और कोपलें दिखाई देने लगी। हिन्दी में प्रगतिवाद के समानांतर यहां भी शोषकों व शोषितो के भेद की खाई को कम करने, आर्थिक विषमाता को दूर करने, सर्वहारा वर्ग के प्रति न्याय तथा सहानुभूति रखने का भाव उजागर हुआ। इस भाव को भी छत्तीसगढ़ी कवियों ने स्वर दिया।

छठें—सातवें दषक में काव्यांदोलन हुए जिसमें छत्तीसगढ़ी कविता की वापसी और मौलिकता की खोज पर पुनर्विचार हुआ। इस दृष्टि से डां. विनय कुमार पाठक की समीक्षा और मौलिक सांस्कृतिक उपमानों व प्रतीकों पर आधारित छत्तीसगढ़ी कविताओं ने एक आदर्श प्रतिमान दिया। इस आधार कुछ समीक्षको ने डॉ. पाठक को छत्तीसगढ़ी का अज्ञेय निरूपति किया है। उनके पथ का अनुसरण अनेक कवियों ने किया। "प्रयास प्रकाशन" के माध्यम से उनके अनेक काव्य—संग्रह भी प्रकाशित हुए है, जिनका महत्व ऐतिहासिक है। लोकछंद की प्रवृत्ति पर आधारित रचनाओं की शुरूआत पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी "विप्र" की रचनाओं में दृष्टिगत होता है, जिसे संक्रमण काल में विकास और प्रसार मिला। इससे जहां छत्तीसगढ़ी काव्य को मौलिक छंद मिले, वहीं लोकगीत—शिल्प विधि से नई पीढ़ी सुपरिचित हुई।

हिन्दी नयी कविता से अनुप्रमाणित छत्तीसगढ़ी नयी कविता की प्रवृत्ति भी उभरी। साठ—सत्तर के दशक में श्री नारायणलाल परमार, श्री नंदकिशोर तिवारी व डॉ. विनय कुमार पाठक की छत्तीसगढ़ी कविताओं में पहली बार मुक्त छंद के दर्षन हुए। इसके बाद नयी कविता लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी और अब तो अनेक संग्रह व कवि प्रतिष्ठित हो चुके हैं। इसमें समकालीन जीवन, युग—बोध और आज के यथार्थ का अंकन है। इसके बावजूद हिन्दी के छंदबद्ध काव्य व गीत—लेखन की प्रवृत्ति भी प्रचुर है।

"छत्तीसगढ़ी गद्य—पद्य दोनों में अनुवाद की प्रवृत्ति परिलक्षित है। श्री शिवशंकर शुक्ल कृत "दियना के अंजोर" उनके द्वारा लिखित "भामी का मंदिर" का अनुवाद है। रसियन लोक गाथाओं का हिन्दी से छत्तीसगढ़ी अनुवाद श्री अमीचंद अग्रवाल "राहगीर" ने किया। शेक्सपियर कृत "कॉमेडी ऑफ एरर्स" का छत्तीसगढ़ी अनुवाद सन् १९१८ में "पुरुझुरू" शीर्षक से श्री शुकलाल पांडेय द्वारा किया गया।"।।४।। "पंडित

Dr. Naushen Anjum

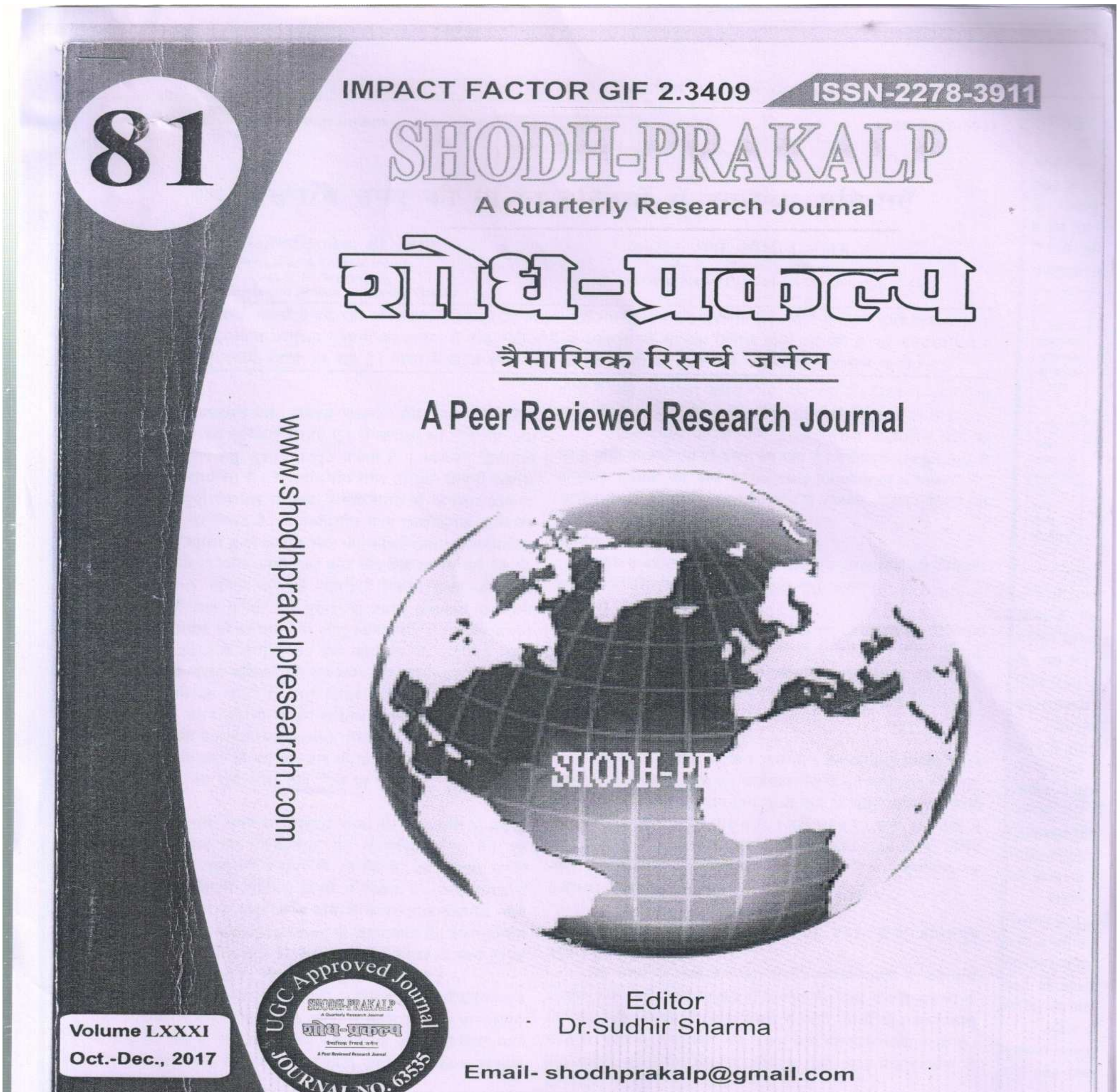

IMPACT FACTOR GIF 2.3409 U.G.C. NO. 63535

www.shodh-prakalpresearch.com

शोध-प्रकल्प
त्रैमासिक रिसर्च जर्नल

ISSN 2278-3911

राजनांदगाँव नगर की मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाएँ

डॉ. (श्रीमती) जेड. टी. खान
Professor & Former Head,
S.O.S. in Geography,
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur

डॉ. नौशीन अंजुम
Guest Lecturer
in Govt. Nehru PG College Dongargarh, (C.G.)

मलिन बस्तियाँ नगरों में बढ़ रही जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का परिणाम है। नगरों में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसके अनुरूप मकानों की संख्या में वृद्धि नहीं होने से आवास की समस्या जटिल होती जा रही है एवं आवासीय क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। विश्व में आज ऐसा कोई भी नगर नहीं है, जहाँ मलिन बस्तियाँ विद्यमान न हो।

Abstract

प्रस्तुत अध्ययन का उदेश्य राजनांदगाँव नगर की मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाएँ दशाएँ एव समस्याओं की विवेचना तथा उनके निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है । अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। राजनांदगाँव नगर $21^{0}50'$ उत्तरी अक्षांश एवं $81^{0}21'$ पूर्वी देशांतर के मध्य समुद्र सतह से लगभग 330.71 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। राजनांदगाँव नगर छत्तीसगढ़ राज्य का तीव्र गति से बढ़ता हुआ क्षेत्रीय स्तर का वाणिज्यिक एवं व्यापारिक केन्द्र है। राजनांदगाँव नगर का कुल क्षेत्रफल 76.15 वर्ग कि.मी. है नगर में 41 मलिन बस्तियाँ व्याप्त हैं जिनमें नगर की 27% जनसंख्या निवास करती है। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम (MMSSK) प्रदेश के 11 शहरों में लागू किया गया है। राजनांदगाँव में यह जून 2012 में लागू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से शहरी मलिन बस्तियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है, जिसे नगर के सभी 45 वार्डों में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत राजनांदगाँव नगर की दो मलिन बस्तियों–शंकरपुर व मोतीपुर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (UPHC) संचालित है। जिनमें उपयुक्त कर्मचारियों की कमी के कारण नगर के मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है।

प्रस्तावना

राजनांदगाँव नगर छत्तीसगढ़ राज्य का तीव्र गति से बढ़ता हुआ क्षेत्रीय स्तर का वाणिज्यिक एवं व्यापारिक केन्द्र है। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 70 कि.मी. एवं इस्पात नगरी भिलाई से 35 कि.मी. पश्चिम दिशा में स्थित है। छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र की सीमा के मध्य स्थित होने के कारण राजनांदगाँव नगर को छत्तीसगढ़ का "Gateway Town" भी कहा जाता है। राजनांदगाँव नगर $21^{0}50'$ उत्तरी अक्षांश एवं $81^{0}21'$ पूर्वी देशांतर के मध्य समुद्र सतह से लगभग 330.71 मीटर ऊँचाई पर स्थित है।

मलिन बस्तियाँ नगरों में बढ़ रही जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का परिणाम है। नगरों में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसके अनुरूप मकानों की संख्या में वृद्धि नहीं होने से आवास की समस्या जटिल होती जा रही है एवं आवासीय क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। विश्व में आज ऐसा कोई भी नगर नहीं है, जहाँ मलिन बस्तियाँ विद्यमान न हो।

"Slum" शब्द का उपयोग निम्न स्तरीय आवासीय क्षेत्रों के लिए 18वीं शताब्दी से ही होता आ रहा है। व्यवितक Dictionary के अनुसार "Slum" का अर्थ "The dirty locality of a town" है, अर्थात् नगरों के मलिन भाग के रूप में इसका अनुवाद किया जा सकता है।

अध्ययन का उदेश्य

मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य दशाएँ एव समस्याओं की विवेचना तथा उनके निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

आंकड़ों का संकलन

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक आंकड़े निम्न स्त्रोतों से प्राप्त किए गये हैं – नगर से संबंधित आंकड़े, नगर निगम, जिला सांख्यिकीय कार्यालय एवं नगर एवं ग्रामीण निकाय कार्यालय तथा स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े स्वास्थ्य कार्यालय से प्राप्त किये गये है।

स्वास्थ्य दशाएँ एवं सेवाएँ

मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम (MMSSK) प्रदेश के 11 शहरों में लागू किया गया है। राजनांदगाँव में यह जून 2012 में लागू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से शहरी मलिन बस्तियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है, जिसे नगर के सभी 45 वार्डों में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत राजनांदगाँव नगर की दो मलिन बस्तियों–शंकरपुर व मोतीपुर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (UPHC) संचालित है।

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श.प्रा. स्वा. केन्द्र शंकरपुर शंकरपुर

यह नगर के मध्य में स्थित पुरानी मलिन बस्ती है, जो वार्ड क्रमांक 7 में 63.1 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ गंदगी सड़कों के किनारे फैली मिलती है। इस बस्ती में सभी कार्यो में संलग्न लोग रहते हैं। यहाँ कुल परिवारों की संख्या 930 वह जनसंख्या 4482 है। इस मलिन बस्ती का विस्तार शीतला गली, बुद्ध विहार चौक से मोचीपारा, बजरंग चौक तथा स्कूल चौक तक है।

Received : 05 Dec, 2017 Reviewed 10 Dec, 2017 Accepted : 20 Dec, 2017

मोतीपुर रामनगर

वार्ड क्रमांक 5 में स्थित इन दोनों बस्तियों में कुल परिवारों की संख्या क्रमशः 298 व 451 तथा कुल जनसंख्या 3573 एवं लिंगानुपात 959 है। ये दोनों मलिन बस्तियाँ नगर के मध्यवर्ती भाग में विस्तृत है। मोतीपुर दो भागों में विभक्त है। एक भाग मोतीपुर 1 वार्ड क्रमांक 5 का हिस्सा है तथा मध्य से गुजरने वाली सड़क वार्ड की सीमा भी है। ये मलिन बस्तियाँ मुख्य रूप से आजाद चौक, शीतलापारा, गणेशपारा एवं सतनामी पारा तक विस्तृत है।

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	भवन का पता	भवनों में उपलब्ध मूलभूत आवश्यकता					रंग रोगन की आवश्यकता
		कमरों की संख्या	पानी	बिजली	शौचालय	मरम्मत की आवश्यकता है	
			हां / नहीं	हां / नहीं	हां / नहीं	हां / नहीं	हां / नहीं
श.प्रा. स्वा. केन्द्र शंकरपुर	सामुदायिक स्कूल भवन, शंकरपुर	11	हा	हां	हां	हां	हां
श.प्रा. स्वा. केन्द्र मोतीपुर	सामुदायिक भवन, मोतीपुर	4	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ	नहीं

शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित दो मलिन बस्तियों शंकरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व मोतीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जिनमें उपयुक्त कर्मचारियों की कमी के कारण नगर के मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। मोतीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक, सहायक चिकित्सक व लैब तकनीकि कार्यकर्ता के अभाव में मलिन बस्तिवासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

प्रधानमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राजनांदगाँव नगर में शंकरपुर स्वास्थ्य केन्द्र व मोतीपुर स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से जनवरी 2014 से अगस्त 2014 में समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर में कुपोषित बच्चों की जाँच व मलेरिया, डायरिया, पीलिया के मरीजों की जाँच के उपरांत उनका उपचार एवं मुत दवाईयाँ चिकित्सा शिविर के माध्यम से प्रदान की गई, किंतु इन आमजनों में चिकित्सकीय कर्मचारियों की कमी एवं बस्तीवासियों में जागरूकता की कमी के कारण पूर्णतः लाभ नहीं मिल पाया।

शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा 2 सितंबर 2014 से 30 सितंबर 2014 के बीच राजनांदगाँव नगर में शिशु संरक्षण माह जिसमें 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग वाले 180 बच्चों को लाभान्वित किया गया। इस कार्यक्रम द्वारा राजनांदगाँव नगर में अब तक 16 निःशुल्क स्वास्थ्य मेलों का आयोजन शहरी मलिन बस्तियों में किया गया, जिससे 6800 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

अप्रेल 2014 से अगस्त 2014 तक राजनांदगाँव नगर के शहरी स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवसों का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 200 बच्चों को बी.सी.जी., 62 बच्चों को ओ.पी.वी., 106 बच्चों को डी.पी.टी., 779 व्यक्तियों को हेपेटाइटिस 'बी', 653 बच्चों को मीजल्स तथा कुल 779 बच्चों को विटामिन 'ए' की दवा पिलाई गई।

शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 20 शहरी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के

पद स्वीकृत है जिनमें से वर्तमान में 20 शहरी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता चयनित एवं कार्यरत है। जिला राजनांदगांव के लिए 144 शहरी मितानिनों का चयन एवं उनका तृतीय चर्तुथ का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 20 शहरी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र प्रस्तावित है, जिसमें से 12 स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र प्रारंभ किए जा चुके है तथा 4 केन्द्र के लिए स्थल एवं भवन का चयन कर लिया गया है तथा उन भवनों का उन्नयन कार्य किया जा रहा है। 4 भवनों के लिए नगर निगम द्वारा बी.आर.जी.एफ. योजनांतर्गत नवीन भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम राजनांदगांव द्वारा अब तक 02 रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाकर 85 यूनिट रक्त संग्रहण जिला अस्पताल राजनांदगांव में किया जा चुका है। माह अप्रेल 2014 से अगस्त 2014 तक कुल 300 गर्भवती महिलाओं का पंजी–करण किया जाकर उनमें से 163 गर्भवती महिला का प्रसव पूर्व परीक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

शासकीय प्रयास

राजनांदगाँव नगर के अंतर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं को संचालित कर मलिन बस्तियों की समस्याओं एवं समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

केन्द्र शासन की योजनाएँ

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा देश के विकास एवं उन्नयन के लिए अनेक योजनाएँ संचालित किये गये हैं, जिनके तहत मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं, पर्यावरण सुधार व बस्तियों एवं निवासरत बाल आयु वर्ग की समस्याओं को हल करने के लिए अनेक प्रयास किए गये हैं।

राज्य शासन की योजनाएँ

मध्यप्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार एवं निर्मूलन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत अविभाजित मध्यप्रदेश हेतु अध्यादेश जारी किया गया एवं 1980–81 में इसकी स्थापना की गई। इस मण्डल का अविभाजित मध्यप्रदेश के नगरों की मलिन बस्तियों के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के विभाजन के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मलिन बस्ती के निर्मूलन एवं प्रमुख समस्याओं हेतु संचालित प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत शहरी निर्धन आवास योजना, नीला राशन कार्ड योजना एवं मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना, समेकित बाल विकास योजना प्रमुख हैं।

केन्द्र एवं राज्य शासन की संयुक्त योजनाएँ

मलिन बस्तियों के उत्थान हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन की सम्मिलित एवं एकी.त योजनाओं के अतिरिक्त लघु अवधि वाली योजनाएँ भी मलिन बस्तियों के सुधार के लिए क्रियान्वित की जा रही है, जिनका लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले

परिवारों को ही दिया जाता है। दिनांक 01 दिसंबर 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, महिला एवं बच्चों के विकास कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत प्रमुख हैं– मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, समेकित बाल विकास सेवा योजना, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, किशोरी शक्ति योजना, आयुश्मति योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, धनलक्ष्मी योजना, अशासकीय संस्थाओं को योगदान, सामुदायिक संगठन घटक, बचत एवं साख समूह कार्यक्रम संचालित है।

नगर में संचालित अन्य योजनाओं के अंतर्गत वाल्मिकी, अंबेडकर एवं अटल आवास योजना, निर्मल भारत अभियान, बाबा गुरू घासीदास उत्थान योजना, पं. दीनदयाल स्वालम्बन योजना, एकी.त झुग्गी एवं आवास विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक प्रसाधन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना, गंदी बस्तियों की सफाई एवं सुधार योजना, गंदीबस्ती पर्यावरण सुधार योजना, गंदी बस्ती उन्मूलन योजना, पट्टा प्रदाय योजना आदि प्रमुख हैं।

नगर की मलिन बस्तियों में अनेक योजनाएँ क्रियान्वित है, लेकिन हितग्राहियों की संख्या में कमी के कारण इसका पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। अतः ये निवासी जिन–जिन योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं, उन्हीं योजनाओं के प्रति उनमें जागरूकता उत्पन्न कर समस्याओं को दूर किया जा सकता है। स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक हैं,। समय–समय पर इन मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए तथा इनमे मलिन बस्तिवासियों को अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

BIBLIOGRAPHY

Abrams Charles: "Slum", in Slums and Urbanization, A.R. Desai and Devadas pillai (eds), Bombay, Popular Prakashan Pvt. Ltd. 1990, pp. 9-14.

Bharat Sewak Samaj: "Slum of old Delhi : A Report of the Socio-Economic Surve of the Slum Dewellers of old Delhi", 1958.

Desai, A.R. & S.D. Pillai : A Profile of an Indian Slum, Bombay, Popular Prakashan, 1972.

Khan, Z.T. : "Socio-Economic, Occupational Structure and Nutritional Lavel of Muslim Slums-dwellers in Raipur City", The Deccan Geographer, Pune Vol. 39, No.2, July-Dec. 2001.

Ramachandrudu, G. : Health Planning in India, New Delhi, A.P.H. Publishing Corporation 1997, PP 124-126.

Saxena, H. M. : "The Problem of slums in small Town - A Case Study of Sriganganager", in C.S., Yadav (ed.), Urban Dicline and Revitalization Concept Publishing Company, New Delhi 1987, PP. 253-258.

Sharma, Rajendra, K. : "Urban Planning and Slums", In Rajendra K. Sharma (ed.), Urban Sociology, New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors, 1997, pp. 280, 281.

Qualitative : 2012-13 in Chhattisgarh First Quarter Report, April-June 2012, Population Research Centre, H.S. Gour University, Sagar (M.P.)

Yadav, C.S. : Slum Urban Decline and Revitalization, New Delhi, Concept Publishing Company, 1987.

तिवारी, वी. के. : ''मध्यप्रदेश में नगरीकरण एवं मलिन बस्ती क्षेत्रों की समस्या'', उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, गोरखपुर, Vol.39 जून–दिसंबर, 2003.

राजशेखर, ए. : रायपुर नगर की मलिन बस्तियों : एक भौगोलिक अध्ययन, अप्रकाशित पी–एच.डी. शोध ग्रंथ, पं. र. शु. वि. वि., रायपुर

■■

क

1905 में
सबसे बड़ी रिय
है। जिसका अ
हाथी के सिर
प्रदेश में छोटा

शोध सारांश

प्रस्तुत शो
चर्चा की गयी है
बल्लभ भाई पटे
संघ में विलनीव
चांदमखार को
गया जिसका
नक्सली गतिवि
सीमावर्ती नवनि
सरकार का दवा
बढ़ाना शुरू किय
दस्तक जरूर हु
अपनी विचारधार
सूचनातंत्र, शासन
रणनीति कौशल
करने में सफलता

प्रस्तावना -
विस्फोटक रूप ले
स्थान प्रमुख है, व
अधिक शिकार ब
क्षेत्रों में रहने वा
असमर्थ रहे, इसका
इलाकों में शिक्षा,
अभाव रहा है, जि
विकास की मुख्य
समाज सघन वन

Received : 05 De

संविकास संदेश
Journal of Eco Development

ISSN 0975-5411

Journal Promotes

* Research in Development
* Interface between Environment and Development
* Linkages between Social and Physical Sciences
* Exchange of ideas between Development Professionals, Planners and Policy Makers
* Debates in all the sub Disciplines of Geography
* Interdisciplinary Research

Institute for Rural Eco-Development
234, Daudpur, Gorakhpur, U.P.-273001 (India)
Registration No. 1232/88-89

Voume : 23 No. I & II, Jan.-June 2015

Journal of Eco-Development, ISSN. 0975-5411 Vol.23, No. I & II, Jan.-June, 2015

संविकास संदेश
Journal of Eco-Development
ISSN. 0975-5411

राजनांदगाँव नगर (छत्तीसगढ़) की मलिन बस्तियों में बाल आयुवर्ग की पोषण दशाएँ

डॉ. ज़ेड. टी. खान* एवं नौशीन अंजुम**

Abstract : This paper is an attempt to measure nutritional status of children (1-14 year) of Shankarpur slum of Rajnandgaon city, Chhattisgarh .The study is based on primary data obtained by interview schedule. The data is analysed by the method of food survey, nutritional analysis and anthropometric study. The nutritional status has been calculated by Percent Departure method on the basis of height and weight of children. The observed frequencies are compared with the ICMR's recommended norms. It is observed that the consumption of calorie, calcium and vitamins are below the recommended norms while protein, fat and iron are above the recommended norms. 51.15 percent children are undernourished out of which 22.09% are normal, 17.44% are mild, 9.3% are moderate and 2.32% are severely under nourished.

प्रस्तावना– नगरीकरण एव नगरीय जनसंख्या में वृद्धि से एक प्रमुख समस्या,'मलिन बस्तियाँ' उभर कर सामने आई है। मलिन बस्ती आँग्ल भाषा के शब्द स्लम (SLUM) का हिन्दी रूपान्तरण है। सामान्यतः देखा जाए तो मलिन बस्तियों में मकान झुग्गी झोपड़ी के रूप में होते हैं ओर उनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, जहांएक परिवार एक कमरे के मकान में ही जीवन निर्वाह करते हैं। मुख्यतः यहां समाज के निम्न आय वर्गीय रिक्शा चालक, स्वच्छक, ग्रामीण क्षेत्रों से आये श्रमिक एवं दैनिक वेतन भोगी व्यक्ति निवास करते हैं। निम्न आर्थिक स्थिति एवं सुविधाओं के अभाव के कारण शराब, जुआ, चोरी, लड़ाई–झगड़े तथा अन्य सामाजिक बुराइयाँ यहां पनपती हैं। जिसका सबसे अधिक प्रभाव बाल आयुवर्ग के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर पड़ता है।

उद्देश्य– प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य राजनांद गाँव नगर की मलिन बस्ती में बाल आयु वर्ग की पोषण दशाओं का अध्ययन करना है।

आंकड़ों का संकलन एवं विधि तंत्र– प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों का संकलन राजनांदगाँव नगर की चयनित मलिन बस्ती शंकरपुर के परिवारों के मुखिया से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है, जिसमें 5 प्रतिशत परिवारों का चयन दैवनिदर्शन विधि द्वारा किया गया है। अध्ययन हेतु बाल आयु वर्ग के खान–पान एवं स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े प्राप्त किए गये हैं। आंकड़ो के सुनियोजित विश्लेषण हेतु आहार सर्वेक्षण विधि, पोषण विश्लेषण विधि एवं मानवमितीय अध्ययन विधि का उपयोग किया गया है। प्रत्येक आयु वर्ग के उम्र के अनुसार वजन (Weight for Age) का अध्ययन NCHS – Median Values (50th Percentile) Height and weight को आधार मानकर Percent Departure Method (Used by Academy of Pediatrics 1997) के आधार पर पोषण स्तर ज्ञात किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र– राजनांदगाँव नगर 21°50′ उत्तरी अक्षांश एवं 81°20′ पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह समुद्र तल से 330.71 मी. ऊँचाई पर स्थित है। राजनांदगाँव नगर का कुल क्षेत्रफल 76.15 वर्ग कि.मी. है नगर में 41 मलिन बस्तियाँ व्याप्त हैं

*प्रोफेसर एवं पूर्व विभागाध्यक्ष, भूगोल, पंडित रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर, छत्तीसगढ़
**शोध छात्रा, भूगोल, पंडित रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर, छत्तीसगढ़

जिनमें नगर की 2
है।चयनित मलिन ब
बस्ती है जहां औस
बाल आयु वर्ग की
आर्थिक वातावरण
पोषण संबंधी सम
सामने आया है।
पोषण स्तर– पो
विधि द्वारा यह पाय
के बाल आयु वर्ग
प्रतिदिन अनुशंसित
उपभोग में अन्य
–4-54%, तेल एवं
1 29% NINICMR H
मात्रा से कम है।
उपभोग 23.89%
प्रमुख कारण निक
एवं कम मूल्य में प्र
रूप से करमता, चौ
प्रकार की पत्तेदार
है।
अनुशांसि
अधिकता
प्रतिशत
स्रोत–
विश्लेषण विधि–
मात्रा के आधार
(खनिज) एवं विट
NIN, ICMR Hyderab
आधार पर Perce
किया गया है।
कैलोरी– सारणी

जिनमें नगर की 27% जनसंख्या निवास करती है।चयनित मलिन बस्ती नगर की एक वृहद् मलिन बस्ती है जहां औसतन 42.69 प्रतिशत जनसंख्या बाल आयु वर्ग की है। यहां के निम्न समाजिक आर्थिक वातावरण का प्रभाव बाल आयु वर्ग की पोषण संबंधी समस्याओं के रूप में उभर कर सामने आया है।

पोषण स्तर– पोषण स्तर ज्ञात करने की इस विधि द्वारा यह पाया गया है कि चयनित परिवारों के बाल आयु वर्ग में अनाज का औसत उपयोग प्रतिदिन अनुशंसित मात्रा से 0-36 % अधिक है। उपभोग में अन्य दाल–52%, मांस–मछली–अण्डे –4-54%, तेल एवं घी –27%, शक्कर –47% एवं दूध 29% NINICMR Hyderabad (1998) द्वारा अनुशंसित मात्रा से कम है। किन्तु हरी पत्तेदार सब्जियों का उपभोग 23.89% अधिक पाया गया है। जिसका प्रमुख कारण निकटवर्ती क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता एवं कम मूल्य में प्राप्ति है। अध्ययन क्षेत्र में मुख्य रूप से करमता, चौलाई, चरोटा, अमारी आदि इसी प्रकार की पत्तेदार सब्जियों का उपभोग अधिक है।

मलिन बस्ती में बाल आयु वर्ग में कैलोरी की उपलब्धता अनुशंसित मात्रा से–22.64% कम है, जिसका मुख्य कारण गरीबी है क्योंकि सबसे अधिक कार्बोज की प्राप्ति चावल द्वारा हो रही है तथा अन्य कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थों के उपभोग में कमी है।

प्रोटीन– प्रोटीन उत्तम स्वास्थ्य एवं कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है।प्रोटीन अनुशंसित मात्रा से 8.01% अधिक है जिसका कारण प्रोटीन युक्त पदार्थों का उपभोग जिसमें तालाब की छोटी सूखी मछली, सुअर का मांस एवं सोयाबीन की बड़ी तथा आंगन बाड़ी प्राप्त रेडी टू इट सोया पाउडर आदि है।

वसा– अध्ययन क्षेत्र में वसा की बाल आयु वर्ग में अनुशंसित मात्रा से औसतन 2.71% की अधिकता पाई गई जिसका प्रमुख कारण वसा युक्त पदार्थों का नगरीय क्षेत्र होने के कारण अधिक उपभोग है।

खनिज– खनिज शरीर के विकास के लिए आवश्यक है तथा शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षित रखता है। अस्थि, दांतों, रक्त, हार्मोन के निर्माण के लिए खनिज लवण आवश्यक है।

सारणी क्र. 1 : बाल आयुवर्गमेंभोज्य पदार्थोंकाउपभोगप्रतिरूप

	अनाज	दालें	सब्जियां	फल	मांस,मछली,अंडे	शक्कर	तेल	दूध
अनुशांसित मात्रा	278	48	113	50	44	40	29	230
अधिकता (+) अल्पता (-)	1	-25	27	-15	-2	-19	-8	-68
प्रतिशत	0.36	-52	23.89	-30	-4.54	-47	-27	-29

स्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण

विश्लेषण विधि– भोज्य पदार्थों की उपभोग की मात्रा के आधार पर कैलोरी प्रोटीन मिनरलस (खनिज) एवं विटामिन की अधिकता एवं कमी NIN, ICMR Hyderabad 1998 द्वारा प्रस्तावित मात्रा के आधार पर Percent Departure विधि द्वारा ज्ञात किया गया है।

कैलोरी– सारणी क्रमांक 2 से स्पष्ट है कि चयनित

कैल्सियम– कैल्सियम शरीर के लिए एक प्रमुख खनिज तत्व है जो अस्थियों को दृढ़ता प्रदान करता है। दूध, दही, पत्तेदार सब्जियाँ, सुखे मेवे कैल्शियम के प्रमुख स्रोत हैं किन्तु चयनित मलिन बस्ती में इन खाद्य पदार्थों की उपभोग मात्रा कम होने के कारण कैल्सियम की मात्रा अनुशंसित मात्रा से 23.5% कम है।

आयरन– भोजन में लौह तत्व का होना अति आवश्यक है क्यों कि इसके अभाव में शरीर रक्त अल्पता का शिकार हो जाता है यह मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियो, सोयाबीन, तिल, मांस, मछली, गुड़ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में अनुशंसित मात्रा से औसतन 4.46% आयरन की अधिकता पाई गई है क्योंकि शाक भाजी का उपभोग अनुशंसित मात्रा से अधिक पाया गया है जो आयरन के मुख्य स्रोत हैं।

विटामिन– विटामिन शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले भोज्य तत्व है कुछ विटामिन वसा में तथा कुछ जल में घुलनशील होते है।

विटामिन A विटामिन ए (कैरोटीन) वसा में घुलनशील है तथा यह मुख्य रूप से प्राणिज भोज्य पदार्थ जैसे –मांस, मछली, अण्डा, दूध में पाया जाता है। सब्जियों, गाजर, पपिता आदि में भी विटामिन ए पाया जाता है किन्तु इन भोज्य पदार्थो का उपभोग कम है जिसके कारण बाल आयु वर्ग में औसतन –47.7% विटामिन ए की अनुशंसित मात्रा से कमी पाई गई है।

विटामिन B जल में घुलनशील विटामिन B_1 (थाइमिन) की अध्ययन क्षेत्र में अनुशंसित मात्रा से –30.53% की कमी पाई गई जिसका प्रमुख कारण अरवा चावल का उपभोग एवं गेहूँ का कम मात्रा में उपभोग है।

विटामिन B शारीरिक वृद्धि एवं कोशिकाओं के निर्माण में सहायक विटामिन B_1 (राइबोफ्लेविन) का औसत उपभोग अनुशंसित मात्रा से 15% कम पाया गया है क्योंकि विटामिन B_2 के मुख्य स्रोत दूध, मांस–मछली का उपभोग बाल आयुवर्ग में अनुशंसित मात्रा से कम है।

विटामिन B प्राणीज पदार्थों एवं मुंगफली में पाये जाने वाले इस घुलनशील विटामिन B_3 (नियासिन) की बाल आयु वर्ग में अल्पता है यह अनुशंसित मात्रा से 21.72% कम है।

विटामिन C विटामिन सी (एस्कार्बिक अम्ल) मुख्य रूप से रसीले फलो, साग सब्जियों तथा नींबू के रस में पाया जाता है अध्ययन क्षेत्र में बाल आयुवर्ग में विटामिन सी के उपभोग की औसत मात्रा अनुशंसित मात्रा से 17.27% कम है जिसके कारण यहां बाल आयुवर्ग में त्वचा संबंधी समस्याएं पाई गई है। अध्ययन क्षेत्र में विटामिन सी की प्राप्ति पत्तेदार सब्जी टमाटर एवं मौसमी फलों से होती है किन्तु ग्रीष्म ऋतु में इसका उपभोग नगण्य पाया जाता है।

मानवमितीय अध्ययन विधि– बाल आयुवर्ग के भोजन में बढ़ती उम्र के साथ कैलोरी एवं अन्य पोषक तत्वों की उचित मात्रा में होना आवश्यक है। बाल आयुवर्ग में जो स्वास्थ्य संबंधी लक्षण पाये गये हैं वे कुपोषण एवं
भोजन में पोषक तत्वों की अल्पता से संबंधित है।

सारणी क्रं. 2 बाल आयु वर्ग में पोषण स्तर (प्रतिशत में)

कुपोषित				पोशित
सामान्य	न्यूनतम	मध्यम	अत्यधिक	पोषित
70- 88%	60 - 70%	50 - 60%	<50 %	>80 %
22.09	17.44	9.3	2.32	48.85

स्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण

मानवमितीय अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 48.43% बाल आयुवर्ग पोषित (Well Nourished) है जबकि 51.17% बाल आयुवर्ग कुपोषण से ग्रसित हैं। जिनमें से 22.09% कुपोषण के सामान्य स्तर (प्रथम डिग्री Normal) पर पाये गये, 17.44% न्यूनतम स्तर (द्वितीय डिग्री Mild), 9.30% बाल आयुवर्ग मध्यम (तृतीय डिग्री Moderate) स्तर एवं 2.32% बाल आयुवर्ग अत्यधिक कुपोषण (चतुर्थ डिग्री Severe) स्तर पर पाये गये हैं। पोषण की कमी मलिन बस्ती क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है जिससे सबसे अधिक बाल आयुवर्ग प्रभावित है।

निष्कर्ष –

अध्ययन से स्पष्ट है कि बाल आयुवर्ग में पोषक तत्वों कैलोरी वसा, कैल्सियम, विटामिन A,B_1,B_2,B_3 एवं विटामिन सी का उपभोग प्रतिरूप

अनुशंसित मात्रा
उपभोग प्रतिरूप
गया है। बाल अ
कमी के प्रभाव पा
कार्यक्षमता में क

Choudhari, S.

Gopalan C. R

Kumari, Kum

Khan Z.T. : (2

Khan Z.T. : (2

Rather, G.M. :

Tiwari, Anita

कानगो, मंगला

अनुशंसित मात्रा से कम है। भोज्य पदार्थो का उपभोग प्रतिरूप भी अनुशंसित मात्रा से कम पाया गया है। बाल आयु वर्ग में इन पोषक तत्वों की कमी के प्रभाव पाये गये हैं जैसे – भार में कमी, कार्यक्षमता में कमी, त्वचा संबंधी रोग, कमजोरी आदि। 51.17 प्रतिशत बाल आयुवर्ग कुपोषित है। बाल आयुवर्ग की पोषण समस्याओं का प्रमुख कारण अस्वास्थ्यकर वातावरण निम्न आर्थिक सामाजिक एवं आवासीय स्थिति है। पोषण की कमी के कारणों एवं प्रभाव के ज्ञान की कमी एवं जागरूकता का अभाव है।

References

Choudhari, S.R. : (2005) "Nutritional Status of the Tribal Population in the Satpura Region of Madhya Pradesh", Transactions Journal of the institute of Indian Geographers, Pune, Vol 27, No.2 pp 25-29

Gopalan C. Rama Sastri, B.V.,S.C.Balsubramaniam : (1984) Nutritive Value of Indian Foods, National Institute of Nutrition I.C.M.R. Hyderabad.

Kumari, Kumkum : (2007) "Differentials of Nutritional Status in School- Age Children and the Associated Factors, Health and Population Perspectives and Issues, Vol.30, No.4, Oct. Dec New Delhi, pp. 268-277.

Khan Z.T. : (2001) "Socio-Economic, Occupational Structure and Nutritional Level of Muslim Slums- dwellers in Raipur City", The Deccan Geographers, Pune Vol. 39, No. 2, July-Dec. pp. 50-59

Khan Z.T. : (2007) "Socio- Economic Status and Level of Nutrition in Slums of Raipur City", National Geographers, Vol. XL/1, No. 1-2 Jun-June, July – Dec, pp. 53-64

Rather, G.M. : (2013) "Level of Mal Nutrition in Pre School Children of Four Rural Communities in Bandipara and Gurez Tehsil", Geographical Review of India, Vol. 66, Kolkata, pp. 28-39

Tiwari, Anita : (2007) "Health and Nutritional Status Among School Children in Sidhi District (M.P.)", Unpublished Ph. D. Thesis, Dr. H.S. Gour University Sagar.

कानगो, मंगला : पोषण शास्त्र एवं पोषण स्तर, रिसर्च पब्लिकेशन नई दिल्ली

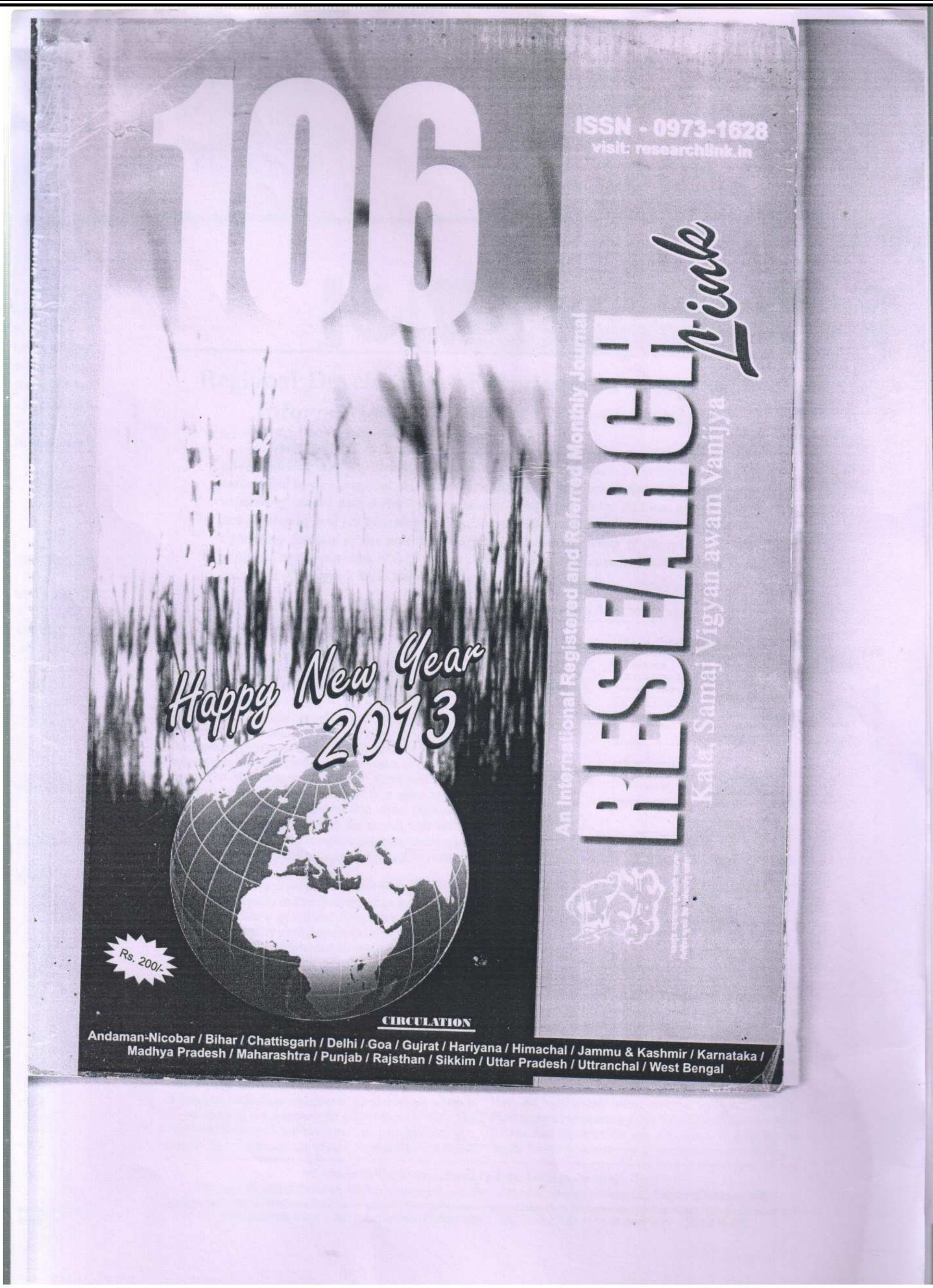
106
ISSN - 0973-1628
visit: researchlink.in
An International Registered and Referred Monthly Journal
RESEARCH Link
Kala, Samaj Vigyan awam Vanijya
Happy New Year 2013
Rs. 200/-
CIRCULATION
Andaman-Nicobar / Bihar / Chattisgarh / Delhi / Goa / Gujrat / Hariyana / Himachal / Jammu & Kashmir / Karnataka / Madhya Pradesh / Maharashtra / Punjab / Rajsthan / Sikkim / Uttar Pradesh / Uttranchal / West Bengal

रक्ष होता था। सभा
सामान्य के हित के
या अप्रत्यक्ष रूप में
भा और समिति ही
सेना और कोष पर
दिक कालीन सभा
और इनकी चुनाव
जा प्रतिनिधि शासक
क कालीन जनतंत्र

नैतिक विचार एवम्

जिक एवं राजनीतिक

व्यवस्था, पृ. 136.
18.

नीतिक विचार एवम्

पृ. 15.
शासन संस्थाएं और

नीतिक विचार एवम्

An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Geography**
Research Link - 106, Vol - XI (11), January - 2013, Page No. 95-96
RNI No. MPHIN-2002-7041, ISSN No.-0973-1628

Regional Development Planning and Geographical Information System : A Critical Analysis

Geographical Information system is a powerful tool that needs complete understanding and careful application. But more and more information is being maintained in Geographical information system (GIS) that are designed to accept large volumes of spatial data derived from a variety of sources. Today GIS has emerged as a fast developing tool for planning and decision-making. GIS has been called an enabling technology because of the potential it offers for the wide variety of disciplines. In this paper paper the concepts of GIS and its capabilities in development planning have been discussed.

***Keywords** : GIS, Regional Planning, Raster, vector.*

DR. DHARAM VEER GURJAR* & NAUSHEEN ANJUM**

Introduction :

A Geographical Information System (GIS) is a particular form of information system applied to geographical data and is mainly referred to as a system of hardware, software and procedures designed to support the capture management, manipulation, analysis modeling and display of spatially referenced data for solving, complex planning and management problems. Duker (1979) opines that GIS is a special case of information system where the data base consists of observations on spatially distributed features, activities, or events which are definable in space as points, lines or area. A GIS manipulates data about these points, lines and areas to retrieve data for queries and analyze. Further, GIS is a powerful computerized information system for spatial data referenced by the geographical co-ordinates. (Clark, 1986, P. 121).

Thus, GIS is a powerful tool meant for facilitating such integration of spatial and sectoral aspect an area within one system. It offers a consistent from work for analyzing geographical data by putting maps and other kinds of spatial information into digital form and allows us to manipulate and display geographical knowledge in new exciting ways. Goodchild (1988) states that GIS is best defined as a system, which uses a spatial data base to provide answers to queries of a geographical nature.

Data Structure in GIS :

The various components of GIS include GIS consists of geometric (spatial) and non-geometric (non-spatial) entities being location, shape, size and dimension of points, line, polygon and surface features and non-geometric being the description of the characteristics of these features, which is the structure of the data base for GIS (Martin, 1990). The functional models of data base structure presented in Fig. 1 clearly illustrate the sources of data, level of data inputs and the pattern of outputs from a GIS (Nagarajan, 2003, P. 148).

Functional Model of GIS System

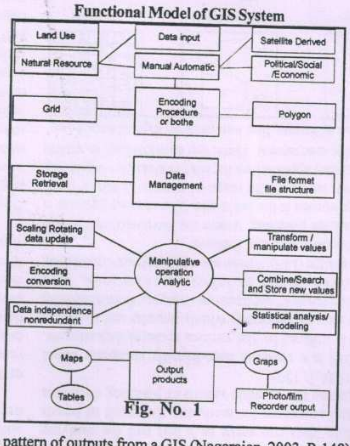

Fig. No. 1

One of the most persistent and pervasive buzzwords in the field of GIS is integration. Integration, in the GIS context, is the synthesis of spatial and non-spatial information within the framework of a coherent data model and a linkage between the different data sets. Location information of wells, village, sample location etc., is represented by points and streams, road, etc. by lines and lakes, reservoir etc. by area in GIS. Point feature represents a single location and they are zero-dimensional objects with only a position in space but no length. Linear feature is a set of connected order coordinates

**Lecturer in Geography, Sanju College, Losal, Sikar (Rajasthan)*
***Senior Research Scholar, SOS in Geography, Pt. Ravi Shankar Shukla University, Raipur (Chhattisgarh)*

representing the linear shape of a map object that may be too narrow to display as an area. It is also term as segments or Arcs which are one-dimensional spatial objects having a position in space and length. Area feature is a closed feature whose boundary encloses a homogeneous area (Fig. 2). They are termed as polygons and are two-dimensional spatial objects (Nagarajan, 2003, P. 155).

The data for GIS could be categorised as follows; presence/ absence, categorical, Ranked, Count and Continuous scale. A GIS must be able to handle and integrate these data sets to generate meaningful information for planning, resource management and decision making purposes, through well defined operations.

Main fields of GIS Application :

GIS should be thought more than means of coding, storing, and retrieving data about various aspects of the earth's surface, data can serve as a test bed for studying environmental processes for analysing the result of trends or of anticipating the possible results of planning decisions (Burrough, 1986, P. 130).

The GIS is a versatile user-friendly computer based tool, which is utilized by the various sectoral departments. Thus, GIS's are now becoming widely popular and are being used for a wide range of applications - ranging from analyzing transport through site suitability evaluations, land information system (LIS), Crime network analysis to modeling fire station location etc. and follows:

(i) Land use planning, where the development of land for various purposes is the main aim. The overlay process is used to obtain series of the maps of current status of land. This also includes applications for land evaluation - capability and suitability assessment. Here, the applications to assess

Presentation of Points, line and area on digital data base

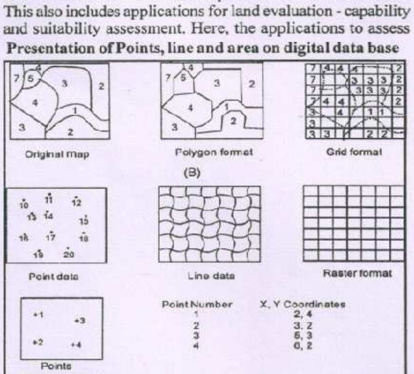

Fig. No.2

a set of land and soil data and determine the suitability of land for growing various crops; planning a particular land use, sitting of important structures like power plants etc.

(ii) **Agricultural Development :** Where the aim is to assess an areal unit for capability for agriculture so as to identify development needs in agricultural land. This has been gone where the village wise agricultural data has been integrated with land capability, ground water potential and land use to identify the shortful in agricultural development in each village.

(iii) Routing analysis for the proposed air port based on the evaluation of travel distances/shortest path and the travel time on the existing road network.

(iv) District /Tehsil/Village level planning with the aim of aiding planning process. GIS Techniques can be used for information on slopes, groundwater, prospects; land uses and soils for designing a composite land development unit map.

So, regional development planning is a complex process of decision-making based on information about the status of resources, socio-economic condition and institutional constraints. Reliability of data bases, both the spatial and non-spatial is the for crucial to the success of regional development planning. Remote sensing technology, which meets both the requirement of speed and reliability is an ideal total for generating spatial information data base.

Conclusion :

GIS provides a framework and various tools for integration and handling of spatial and attribute information together. While the existing tools have immense capabilities there is a wide gap between the availability of geographical data and range of integration method. This discussion has attempts to provide a better understanding of the concepts of GIS. However, it is not an exhaustive treatise on application modeling. The differences in cartographic modeling and geo-relations modeling have also been addressed to provide an insight into the wide range of modeling capabilities of raster and vector GIS. GIS has powerful tools to make a beautiful maps and displays. The analytical power of a GIS cannot improve unreliable data. In such cases one can end up discarding a lot of work and adding more data in a hurry. The computer can do fast processing after the data available.

References :

(1) Burrough P.A. 1986. Principles of Geographical Information System for Land Recourses Assessment. Oxford University Press, New York, pp. 129-132. (2) Clarke K.C. 1886. Advances in Geographic Information System: Computers, Environmental and Urban System. Wiley, Chichester, U.K., P. 121. (3) Ducker K.J. 1979. Land Resource Information System : A Review of Fifteen Year Experience, Geo Processing, Vol. 1, pp. 105-128. (4) Goodchild M.F. 1980. Fractals and the Accuracy of Geographical Measures Mat. Geo Processing, Vol. 12, pp. 85-98. (5) Martin D. 1990. Geographical Information System and Socio-Economic Analysis. Mackays of Chattam, U.K. (6) Nagarajan R. 2003. Drought-Assessment, Monitoring, Management and Resources Conservation. Capital Publishing Company, New Delhi, pp. 148-166. (7) Pradhan A.K., and Tripathi K. 1996. A Conceptual Framework of Spatial and Non-spatial Data bases for the Development of an Efficient Geographic Information System. National Information Centre, New Delhi.

ISSN : 2277-9892

चर्मण्वती
भूगोल शोध पत्रिका

CHARMANVATI : RESEARCH JOURNAL OF GEOGRAPHY

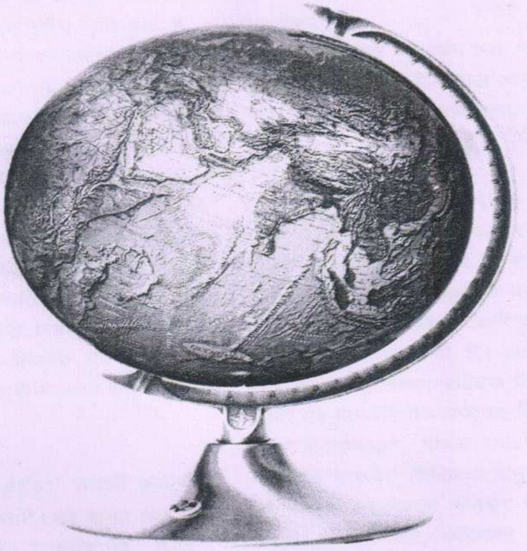

Vol. XVII *Year 2017*

चर्मण्वती भूगोल परिषद्, अम्बाह (मुरेना) म.प्र. - भारत

(Association of Charmanvati Geographers)

Office at - Department of Geography,
Ambah P.G. Autonomous College Ambah, Morena - 476 111 (M.P.) India.
('NAAC' Accredited 'B' grade)

Year 2017
Vol. XVII

ISSN : 2277-9892
Charmanvati
Research Journal of Geography

मलिन बस्तियों में बाल आयु वर्ग में पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं कुपोषण का स्तर

* श्रीमती जेड. टी. खान
** कु. नौशिन अंजुम

नगरीकरण को विकास का प्रतीक माना जा सकता है। नगरीकरण से जहाँ मानवीय सुविधाओं में वृद्धि हुई है वहीं नगरों में विभिन्न समस्याओं का भी जन्म हुआ है। नगरीय समस्याओं में प्रमुख समस्या आवास की है। नगरों में जनसंख्या वृद्धि एवं अप्रवास के कारण आवास की समस्या बढ़ रही है जिससे मलिन बस्तियों का जन्म होता जा रहा है। मलिन बस्ती आँग्ल भाशा के शब्द स्लम (SLUM) का हिन्दी रूपान्तरण है। सामान्यतः मलिन बस्तियों में मकान झुग्गी झोपड़ी के रूप में होते हैं ओर उनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, निम्न आर्थिक स्थिति एवं सुविधाओं के अभाव के कारण शराब, जुआ, चोरी, लड़ाई–झगड़े तथा अन्य सामाजिक बुराइयाँ यहां पनपती हैं। जिसका सबसे अधिक प्रभाव बाल आयुवर्ग के स्वास्थ्य एवं पोशण स्तर पर पड़ता है।

अध्ययन क्षेत्र

राजनांदगाँव नगर 21°50′ उत्तरी अक्षांश एवं 81°20′ पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह समुद्र तल से 330.71 मी. ऊँचाई पर स्थित है। राजनांदगाँव नगर का कुल क्षेत्रफल 76.15 वर्ग कि.मी. है नगर में व्याप्त मलिन बस्तियाँ जिनमें नगर की 27% जनसंख्या निवास करती है। चयनित मलिन बस्ती नगर की एक वृहद् मलिन बस्ती है।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य राजनांदगाँव नगर की मलिन बस्ती में बाल आयु वर्ग की पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं पोशण दशाओं का अध्ययन करना है।

विधि तंत्र

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों का संकलन राजनांदगाँव नगर की चयनित मलिन बस्ती गौरी नगर, रामनगर के परिवारों के मुखिया से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है, जिसमें 5 प्रतिशत परिवारों का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा किया गया है। आंकड़ो के सुनियोजित विश्लेशण हेतु आहार सर्वेक्षण विधि, पोशण विश्लेशण विधि एवं मानवमितीय अध्ययन विधि का उपयोग किया गया है।खानपान, पोषक तत्व एवं पोषण स्तर का अध्ययन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (1996) के मानक को आधार मानकर किया गया है। पोषक तत्वों की अल्पता/अधिकता जानने हेतु प्रतिशत अंतराल विधि का उपयोग किया गया है।

चयनित मलिन बस्ती

गौरी नगर

* डॉ. (श्रीमती) जेड. टी. खान, प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष, भूगोल अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
** डॉ. कु. नौशिन अन्जुम, अतिथि व्याख्याता, शा. नेहरू पी. जी. कॉलेज, डोंगरगढ़ (छ.ग.) – 491445

ये मलिन बस्तियाँ वार्ड क्रमांक 12 में स्थित है। गौरी नगर पुरानी मलिन बस्ती है। यहाँ का सकेन्द्रण बिखरा हुआ है तथा इससे लगे क्षेत्र में वाल्मिकी आवास एवं महादेव नगर मलिन बस्ती है, जो रेलवे लाइन के किनारे खुले क्षेत्र में विस्तृत है।

रामनगर

वार्ड क्रमांक 5 में स्थित है। ये मलिन बस्तियाँ नगर के मध्यवर्ती भाग में विस्तृत है। मोतीपुर दो भागों में विभक्त है। एक भाग मोतीपुर 1 वार्ड क्रमांक 5 का हिस्सा है तथा मध्य से गुजरने वाली सड़क वार्ड की सीमा भी है। ये मलिन बस्तियाँ मुख्य रूप से आजाद चौक, शीतलापारा, गणेशपारा एवं सतनामी पारा तक विस्तृत है।

पोषण स्तर

बाल आयु वर्ग के भोजन में उचित भोज्य पदार्थों की मात्रा एवं गुणवत्ता का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ्य बाल आयुवर्ग ही स्वस्थ समाज का निर्माता बनता है। मलिन बस्तियों में प्रायः निम्न आय वर्ग वाले लोग निवास करते हैं। आय का प्रभाव बाल आयुवर्ग के आहार उपभोग प्रतिरूप पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

पोषण संबंधी समस्त अध्ययन का आधार संतुलित आहार की मात्रा है। इस संदर्भ में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research) द्वारा बाल आयु वर्ग हेतु संतुलित आहार की आवश्यक मात्रा की भी अनुशंसा की गई है।

पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं पोषण दशाएँ

आहार सर्वेक्षण

आहार सर्वेक्षण में राजनांदगाँव नगर मलिन बस्तियों मे परिवारों के 1–14 वर्ष के बालक–बालिकाओं के खान–पान की आदतें, भोज्य पदार्थों के उपभोग की मात्रा, पोषण स्तर एवं प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने हेतु अनुसूची विधि का उपयोग किया गया है। अनुसूची के माध्यम से प्राप्त सर्वेक्षण द्वारा संग्रहित आंकड़ों से खान–पान की आदतों एवं भोज्य पदार्थों की प्राप्ति की गणना की गई है।

विश्लेषण विधि

1 – 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे की विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की मात्रा को विभिन्न पोषक तत्वों जैसे कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन आदि में परिवर्तित करने हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा प्रमाणित भोज्य पदार्थों के पोषक मूल्य के आधार पर किया गया है। पोषक तत्वों की अधिकता एवं अल्पता दर्शाने हेतु प्रतिशत अंतराल विधि का उपयोग किया गया है।

कैलोरी

कैलोरी ऊर्जा की वह मात्रा है, जो मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गये खाद्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होती है। पोषण स्तर को कैलोरी में व्यक्त करना अत्यंत सरल व सुविधाजनक होता है।

सारणी 1 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र राजनांदगाँव नगर की सर्वेक्षित मलिन बस्तियों में 1–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की दैनिक औसत कैलोरी उपभोग मात्रा 1453.83 है, जो अनुशंसित मात्रा से –21.63 प्रतिशत कम है। सर्वेक्षित मलिन बस्तियों में बाल आयु वर्ग का मुख्य भोजन चावल है तथा 70 प्रतिशत कैलोरी चावल से प्राप्त होती है। कम कैलोरी उपभोग इनके अल्प पोषण को इंगित करता है।

ISSN : 2277-9892
Charmanwati
Research Journal of Geography

सारणी 1

बाल आयु वर्ग में पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा से कमी/अधिकता

मलिन बस्तियाँ	आयु वर्ग (1 – 14 वर्ष)	कैलोरी	प्रोटीन (ग्राम)	वसा (ग्राम)	कैल्शियम (मिलिग्राम)	आयरन (मिलिग्राम)
	अनुशंसित मात्रा	1843	43.2	24.04	480	23.4
गौरी नगर	उपभोग प्रतिरूप	1444.32	42.28	27.35	292.26	27.06
	अधिकता(+) अल्पता (-) प्रतिशत	21.632	-2.129	13.768	-39.112	15.641
रामनगर	उपभोग प्रतिरूप	1463.35	41.35	23.07	317.84	25.05
	अधिकता(+) अल्पता (-) प्रतिशत	-20.599	-4.282	-4.035	-33.783	7.051
औसत	उपभोग प्रतिरूप	1453.83	41.815	25.21	305.05	26.055
	अधिकता(+) अल्पता (-)	-21.115	-3.206	4.866	-36.447	11.346

स्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण

प्रोटीन

उचित शारीरिक बनावट एवं सुरक्षा के लिए प्रोटीन एक आवश्यक एवं अनिवार्य पोषक तत्व है। सारणी 1 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र राजनांदगाँव नगर की मलिन बस्तियों में प्रतिदिन बाल आयु वर्ग (1–14 वर्ष) का औसत प्रोटीन उपभोग 41.81 ग्राम,, जो अनुशंसित मात्रा से, 3.206 प्रतिशत कम है।

वसा

वसा हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वसा से भोजन को स्वाद एवं शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। सारणी 1 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र की सर्वेक्षित मलिन बस्तियों में बाल आयु वर्ग (1–14 वर्ष) का प्रतिदिन औसत वसा उपभोग 25.21 ग्राम है, अध्ययन क्षेत्र में वसा की बाल आयु वर्ग में अनुशंसित मात्रा से औसतन 4.86% की अधिकता पाई गई जिसका प्रमुख कारण वसा युक्त पदार्थों का नगरीय क्षेत्र होने के कारण अधिक उपभोग है।

कैल्शियम

कैल्सियम अस्थियों को दृढ़ता प्रदान करता है। दूध, दही, पत्तेदार सब्जियाँ, सुखे मेवे कैल्शियम के प्रमुख स्रोत हैं किन्तु चयनित मलिन बस्ती में इन खाद्य पदार्थों की उपभोग मात्रा कम होने के कारण सर्वेक्षित मलिन बस्तियों के परिवारों में 1–14 वर्ष आयु वर्ग में दैनिक औसत कैल्शियम उपभोग मात्रा 305.05

ISSN : 2277-9892
Charmanwati
Research Journal of Geography

मिलिग्राम है, जो अनुशंसित मात्रा से –36.447 प्रतिशत कम है।

आयरन

भोजन में लौह तत्व का होना अति आवश्यक है क्यों कि इसके अभाव में शरीर रक्त अल्पता का शिकार हो जाता है यह मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियो, सोयाबीन, तिल, मांस, मछली, गुड़ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में अनुशंसित मात्रा से आयरन की अधिकता पाई गई है क्योंकि शाक भाजी का उपभोग अनुशंसित मात्रा से अधिक पाया गया है जो आयरन के मुख्य स्रोत हैं।

अध्ययन क्षेत्र की सर्वेक्षित मलिन बस्तियों के परिवारों में बाल आयु वर्ग (1–14 वर्ष) की प्रतिदिन औसत आयरन उपभोग मात्रा 26.05 मिलिग्राम, है, जो अनुशंसित मात्रा से 11.34 प्रतिशत अधिक है।

विटामिन– विटामिन शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले भोज्य तत्व है कुछ विटामिन वसा में तथा कुछ जल में घुलनशील होते है।

विटामिन A का उपभोग प्रतिरूप

विटामिन A की कमी से नेत्र, दांत व त्वचा में संक्रमण संबंधी रोग हो जाते हैं तथा शरीर की सामान्य वृद्धि भी रुक जाती है।

सारणी 02 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न आय वर्गों में बाल आयु वर्ग की विटामिन A की दैनिक औसत उपभोग मात्रा 997.06 माइक्रोग्राम है, जो अनुशंसित मात्रा से – 54.052 प्रतिशत कम है। सर्वेक्षित मलिन बस्तियों में बाल आयु वर्ग में कैरोटीन की मात्रा औसत अनुशंसित मात्रा से कम है, जिससे की इन सर्वेक्षित मलिन बस्तियों के बच्चों में नेत्र एवं त्वचा संबंधी रोग पाये गये हैं।

सारणी 2

बाल आयु वर्ग में पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा से कमी/अधिकता

मलिन बस्तियों	ICMR	विटामिन ए	बी 1	बी 2	बी 3	सी'
	अनुशंसित मात्रा	2170	0.93	1.1	12.2	40
गौरी नगर	औसत उपभोग	965.58	0.63	0.79	9.08	43.9
	अधिकता(+) अल्पता (-) प्रतिशत	-55.503	-32.258065	-28.1818182	-25.5738	9.75
रामनगर	औसत उपभोग	1028.54	0.6	0.67	9.31	43.25
	अधिकता(+) अल्पता (-) प्रतिशत	-52.601	-35.483	-39.090	-23.688	8.125
औसत	औसत उपभोग	997.06	0.615	0.73	9.195	43.575
	अधिकता(+) अल्पता (-) प्रतिशत	-54.052	-33.871	-33.636	-24.631	8.937

स्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण

ISSN : 2277-9892
Charmanwati
Research Journal of Geography

विटामिन B_1

आयु वर्ग के आहार में इस विटामिन की अनुशंसित मात्रा का होना आवश्यक है। अधिक कमी होने पर बेरी–बेरी रोग हो जाता है। सर्वेक्षित मलिन बस्तियों में बाल आयु वर्ग में थाइमिन का प्रतिदिन औसत उपभोग 0.615 मिलिग्राम है, जो अनुशंसित मात्रा से –33.871 प्रतिशत कम है।

विटामिन B_2 का उपभोग प्रतिरूप

जल में थाइमिन की अपेक्षा कम घुलनशील इस विटामिन का नाम राइबोफ्लेविन है।इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि अवरूद्ध होने लगती है। होंठों के किनारे की त्वचा फटने लगती है। होंठ सूख जाते हैं और उनमें दरारें आ जाती है तथा अध्ययन क्षेत्र में बाल आयु वर्ग में इसके लक्षण पाये गये हैं। राजनांदगाँव नगर की सर्वेक्षित मलिन बस्तियों में बाल आयु वर्ग का औसत विटामिन B_2 उपभोग प्रतिरूप औसत 0.73 मिलिग्राम है, जो अनुशंसित मात्रा से कम है। औसत –33.87 प्रतिशत राइबोफ्लेविन अनुशंसित मात्रा से कम है।

विटामिन B_3 का उपभोग प्रतिरूप

जल में घुलनशील इस विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन है। शरीर में स्नायुओं को सामान्य स्थिति में बनाये रखने के लिए भी विटामिन B_3 की निश्चित मात्रा का उपभोग किया जाना आवश्यक है। राजनांदगाँव नगर की सर्वेक्षित मलिन बस्तियों में बाल आयु वर्ग का प्रतिदिन औसत नियामिन उपभोग 9.19 मिलिग्राम है जो अनुशंसित मात्रा से –24.63 प्रतिशत कम है।

विटामिन 'सी' का उपभोग प्रतिरूप

विटामिन 'सी' को एस्कार्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। राजनांदगाँव नगर की सर्वेक्षित मलिन बस्तियों में बाल आयु वर्ग में प्रतिदिन विटामिन 'सी' की औसत उपभोग मात्रा 43.57 मिलिग्राम है, जो अनुशंसित मात्रा से 8.93 प्रतिशत अधिक है।

कुपोषण का स्तर

कुपोषण का अर्थ दोषपूर्ण पोषण है। ऐसी स्थिति में मुख्य रूप से आहार में दैनिक प्रस्तावित भोज्य पदार्थों की कम मात्रा या दोषपूर्ण पाचन व अवशेषों के कारण शरीर को सभी पर्याप्त पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो पाते हैं।

कुपोषण का स्तर का निर्धारण बालकों की आयु के लिए वजन के प्रतिशत आधार पर निम्नानुसार किया गया है :–

सारणी 03

बाल आयु वर्ग में पोषण स्तर (प्रतिशत में)

कुपोषित				पोषित
सामान्य	न्यूनतम	मध्यम	अत्यधिक	पोषित
70- 88%	60 - 70%	50 - 60%	< 50 %	> 80 %
29.28	5	6.43	-	59.28

स्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण

ISSN : 2277-9892
Charmanvati
Research Journal of Geography

राजनांदगाँव नगर की सर्वेक्षित मलिन बस्तियों में बाल आयु वर्ग का मानवमितीय अध्ययन "उम्र के लिए वजन" के आधार पर पोषण स्तर का विवरण दिया गया है, जिसके आधार पर राजनांदगाँव नगर की सर्वेक्षित मलिन बस्तियों में मे औसत रूप से 1–14 वर्ष के बाल आयु वर्ग में 59.28% पोषित हैं 40.72% कुपोषण से ग्रसित हैं। जिनमें से 29.28% कुपोषण के सामान्य स्तर (प्रथम डिग्री Normal) पर पाये गये, 5% न्यूनतम स्तर (द्वितीय डिग्री Mild), 6.43% बाल आयुवर्ग मध्यम (तृतीय डिग्री Moderate) स्तर पर पाये गये हैं। पोषण की कमी मलिन बस्ती क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है जिससे सबसे अधिक बाल आयुवर्ग प्रभावित है।

निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट है कि बाल आयुवर्ग में पोषक तत्वों कैलोरी वसा, कैल्सियम, विटामिन A,B_1, B_2, B_3 का उपभोग प्रतिरूप अनुशंसित मात्रा से कम है। भोज्य पदार्थो का उपभोग प्रतिरूप भी अनुशंसित मात्रा से कम पाया गया है। बाल आयु वर्ग में इन पोषक तत्वों की कमी के प्रभाव पाये गये हैं जैसे – भार में कमी, कार्यक्षमता में कमी, त्वचा संबंधी रोग, कमजोरी आदि। 40.72 प्रतिशत बाल आयुवर्ग कुपोशित है। बाल आयुवर्ग की पोषण समस्याओं का प्रमुख कारण अस्वास्थ्यकर वातावरण निम्न आर्थिक सामाजिक एवं आवासीय स्थिति है। पोषण की कमी के कारणों एवं प्रभाव के ज्ञान की कमी एवं जागरूकता का अभाव है। मलिन बस्तियाँ, जहाँ स्वयं ही समस्या का केन्द्र होती हैं, वहीं इसका सबसे अधिक प्रभाव बाल आयु वर्ग पर पड़ता है तथा निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति बाल आयु वर्ग के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को प्रभावित करती है। परिवार में खाद्य पदार्थों के नियोजन की जानकारी वितरित की जानी चाहिए, जिससे भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता का ज्ञान प्राप्त हो सके। मलिन बस्तियों में पोषक आहार का मुफ्त वितरण आवश्यक है। स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है, ताकि विशेष पोषक तत्वों की कमी को पहचाना जा सके।

सन्दर्भ

1. Anderson, C.R. 1971 Your guide to Health, Oriental watchman house, poona, India
2. Donlop, D.M. 1958 Edited textbook of medical treatment, E & S Livingstone ltd. London
3. Khan, Z.A. 1969 Nutrition Defficiency Disease and Environmental Factor in the central Ganga-Yamuna Doap Geographir, Vol. XVI
4. Misra, R.P. 1966 Medical geography of India, National Book trust, India.
5. Shiladhiya, R.R. 1992 Changing Patterns of Human Nutrition in Gwalior Division (M.P.) A study of geography of pealin in published Ph-D. Thus university Gwalior (M.P.)
6. सिंह, ए एवं सिलाधिया आर.आर. 1984 इकोलॉजी ऑफ पेचिस अलसर डिजीज इन मुरैना प्लेन, इण्डिया ए स्टुडी इन मेडीकल ज्योग्राफी इन आर्टिकल एप्पीअर्ड ज्योग्राफी डी–ला–सामिल, माउन्ट पेलियर, फ्रान्स

Dr. Medhavini Ture

अन्तरजाल पर साहित्य प्रेमियों की विश्राम स्थली
ISSN 2292-9754

साहित्य कुञ्ज

मुख पृष्ठ
02.05.2017

शोध प्रविधि का व्यावहारिक महत्व कालिदास के नाटकों के विशेष संदर्भ में

मेधाविनी तुरे

शोध (अनुसधान) एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमे कल्पना व तर्क का समावेश होता है, अर्थात् अनुसंधाता अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति व रुचि के कारण नवीन व प्राचीन उपकरणो का सहारा लेकर तथ्यों का सकलन करता है, और इस तरह अपनी कल्पना को मूर्त रूप देता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही शोध संभव है, मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, उसके जानने की तीव्र इच्छा ने ही नित नये अविष्कार को जन्म दिया है। वर्तमान समय मे देश-दुनिया के तमाम क्रियाकलाप तत्काल हो जाते है, यह शोध (खोज) का ही कमाल है। शोध का कोइ न कोई विषय व उद्देश्य होता है जिस तरह कोई भी कार्य के पीछे उद्देश्य व विषय होता है, उद्देश्य विहीन कार्य मे सफलता असंभव है। समस्या (विषय) एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है, किसी भी प्रकार के शोध की वास्तविक उपयोगिता तभी है जब वह व्यावहारिक रुप में उपयोग में आए उसका समाज को लाभ मिले। शोध या अनुसंधान को अग्रेजो मे रिसर्च कहते हैं, Re-search पुनः खोज। रिसर्च के लिए हिन्दी मे अनुसधान, अन्वेषण खोज, शोध आदि षब्द है। इस प्रकार अनुसंधान अनु का अर्थ-पीछे और संधान का अर्थ दिशा विशेष मे प्रवृत्त करना या होना अनुसधान का पूर्ण अर्थ किसी लक्ष्य को सामने रख दिशा विशेष मे आगे बढना।

शोध मे प्राप्त सामागी को शुद्ध करना उसका संस्कार-परिष्कार करना आता है। साहित्यिक विषयों मे अनुसंधान में विचार का अधिक महत्व होता है। मौलिकता अनुसंधान का प्राणतत्व होता है, कालिदास के रचनाओं मे उनकी मौलिकता स्पष्ट नजर आती है। अनुसंधान मे तत्वों के सम्बन्ध ज्ञान का महत्व होता है। शोध मे व्याख्या का भी बहुत महत्व है व्याख्या करने से विषय मे समाहित अर्थ स्पष्ट हो जाता है। शोध मे आख्यान व्याख्या का बहुत महत्व है। "आख्यान का अर्थ है व्याख्या करना स्पष्टीकरण करना, निहित अर्थ को विहित करना तथ्य अथवा तथ्यों के आख्यान का अर्थ है उनके पारस्परिक सम्बन्धो को व्यक्त करना। दूसरे शब्दों में तथ्यो को विचार मे परिणत करना नवोपलब्ध तथ्य का आख्यान पूर्वोपलब्ध तथ्य का पुनःराख्यान होता है। साधारणतः सभी प्रकार के अनुसंधान कार्य के लिए और विशेषतः साहित्यिक अनुसंधान कार्य के लिए आख्यान अथवा पुनराख्यान का अनिवार्य महत्व है क्योंकि तथ्य अपने आप में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वास्तविक महत्व तो उनके पारस्परिक सम्बन्ध ज्ञान है।"[1]

साहित्य का तात्पर्य स+ हित = अर्थात् सबका हित साहित्य वह है जिसमें सबकी भावनाएँ सबका हित समाहित हो इस प्रकार देखते हैं कि शोध प्रविधि के अंतर्गत साहित्य का समावेश या शोध प्रविधि का साहित्य से सामजस्य शोध के प्रत्येक चरण साहित्यकार की विधाओं मे स्पष्ट परिलक्षित होता है। कालिदास की नाट्यकृति में भी शोध के प्रत्येक चरण नज़र आते हैं जिनका एक अनुसधाता की तरह उन्होंने उसका उपयोग किया है। विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुन्तल आदि नाट्यकृतियों को उदाहरण के रूप में लिया जा रहा है। साहित्यकार का मुख्यध्येय होता है, कि वह अपनी कृतियों के माध्यम से समाज को श्रेयस्कर प्रदान करता है। "साहित्य के क्षेत्र मे तो यह बात और भी अधिक घटित होती है, क्योंकि साहित्य ज्ञान के सूक्ष्मतर माध्यमों मे से है। अतएव साहित्य के क्षेत्र में तो वस्तु अथवा तथ्य का स्वतंत्र महत्व और भी कम तथा ज्ञान अर्थात् विचार एवं भाव का महत्व और भी अधिक है। यहाँ तो अन्वेषण का भाव तथ्यात्मक न होकर विचारात्मक होना चाहिए आख्यान तो उसकी पहली आवश्यकता है। यह आख्यान जितना मूलवर्ती और सूक्ष्म गहन होगा, अनुसधान उतना ही मूल्यवान होगा।"[2]

"चित्ते निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा
रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता नु।
स्त्रीरत्न सृष्टि प्रतिभाति सा मे
धातुर्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः॥"[12]

महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपीयर कहा जाता है, कालिदास के नाटकों में प्रेम व प्रकृति चित्रण स्पष्ट रूप दृष्टिगोचर होता है। कालिदास ने अपनी कल्पनाशीलता से जनमानस को ऐसी अनुपम कृतियाँ उपहार स्वरूप प्रदान की है, जो संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर है। शोध की प्रवृत्ति प्रत्येक मानव में स्वाभाविक है, जब साहित्य का शोध से से सम्बन्ध होता है तो वह परिश्कार का रूप ले जाता है। निष्कर्षतः कालिदास साहित्य में शोध के प्रत्येक चरण भिन्न-भिन्न रूपों में दृष्टिगत होते है। एक साहित्यकार अपनी लेखनी से जो कुछ रचता है वह उनका शोध ही है। जैसे- अभिज्ञानशाकुन्तल में दुर्वासा की कल्पना कालिदास की मौलिकता है।

विश्व में कुछ सत्य या कटु सत्य विद्यमान है उन सत्यों को आधार बनाकर साहित्यिकों अथवा शोधकर्ता ने अनुसंधान का प्रयास किया। इस संदर्भ में महाकवि कालीदास श्रेष्ठ शोधकर्ता के रूप में अग्रणी है। यथा परस्पर विरोधी तत्वों का एक साथ होना मुश्किल है, किन्तु कहीं-कहीं पर चुम्बकत्व या चुम्बक का कार्य दो विरोधी तत्वों का समाहित कर लेता है। इसी प्रकार कालीदास जी का कथन विक्रमोवर्शीय के अंतिम श्लोक में दृष्टिगोचर होता है-

परस्पर विरोधिन्यों रेक पशय दुर्लभम्।
संगतम् श्री सरस्वत्यो इत्यादि॥

शोध के माध्यम से परस्पर विरोधी तत्वों के मध्य भी सम्बन्ध स्थापित होता है। वास्तव में कालिदास की कृतियों में दुष्यंत, शकुन्तला, पुरूरवा, उर्वशी, मालविका, अग्निमित्र आदि ने जीवन के उतार-चढ़ाव को व्यवहारिक रूप से आत्मसात कर संयम, ईमानदारी व संतुलन स्थापित किया तथा समस्याओं का समाधान कर अपने जीवन को बेहतर बनाया।

संदर्भ:-

1. नगेन्द्र डॉ., शोध और सिद्धांत, पृष्ठ 6, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस नई दिल्ली
2. वही पृष्ठ 7
3. वही पृष्ठ 8
4. साहू डॉ. रामदेव, संस्कृत का इतिहास, पृष्ठ 151, श्याम प्रकाशन जयपुर, द्वितीय संस्करण 2004
5. वही पृष्ठ 151
6. तिवारी डॉ. रामशंकर, महाकवि कालिदास, पृष्ठ 262, चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी, चतुर्थ संस्करण 1980
7. वही पृष्ठ 171
8. वही पृष्ठ 197
9. वही पृष्ठ 233
10. वही पृष्ठ 253
11. वही पृष्ठ 252
12. वही पृष्ठ 280

शोधार्थी
श्रीमती मेधाविनी तुरे
हिन्दी-विभाग
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

ISBN: 978-93-5279-278-8

स्व. प्रो. विवेकदत्त झा

शब्दाञ्जलि

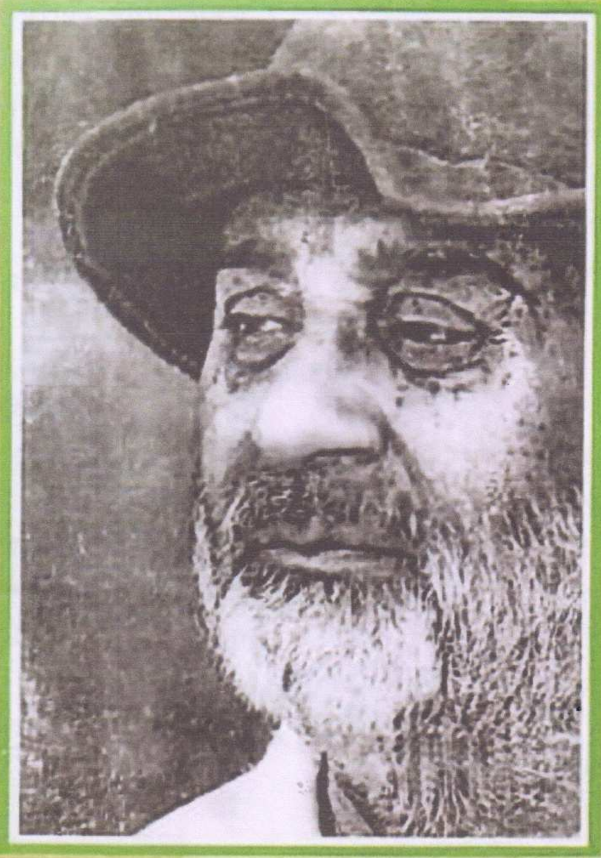

संपादक

डॉ. मंगलानंद झा

संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग छ.ग. शासन, रायपुर के वित्तीय सहयोग से प्रकाशित

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन दर्शन : 'कुटज' निबन्ध संग्रह का परिप्रेक्ष

श्रीमती मेधाविनी तुरे

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिसकी छाप उनकी रचनाधर्मिता में स्पष्ट परिलक्षित होती हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छोटे से गांव छपरा में सन् 1907 को इनका जन्म हुआं। हिन्दी साहित्य जगत में द्विवेदी जी मुख्यतः आलोचक, उपन्यासकार, निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित हुयें। इन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई व अपनी कृतियों के माध्यम से समाज को न केवल जीवन जीने की कला से परिचित कराया, अपितु मानवता का पाठ भी पढ़ाया।

द्विवेदीजी सही मायनों में संस्कृति के रक्षक रहें। उन्होंने न केवल अपने रचना–कर्म में अपितु समूचे जीवन व्यवहार में संस्कृति व संस्कारों को ही सर्वोपरि माना। द्विवेदीजी ने भारतीय संस्कृति व भारतीय इतिहास को विशेष स्थान देते हुये अपनी कृतियों को ऐसा रूप दिया है, जो पाठक–मन को सार्थकता के चरम सुख तक ले जाता हैं।

भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और निबंध ऐसी विधा है। जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वतंत्र रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता हैं। निबंध के माध्यम से व्यक्ति अपने स्वच्छंद विचार, स्वभाव, सहजता व मौलिकता को सरलतम रूप में अभिव्यक्त करता हैं। द्विवेजी के निबंधों की बेजोड़ व सहज भाषा–शैली ने उनकी रचनाधर्मिता को बेहद परिपक्व कर दिया हैं। इनके निबंध संग्रहों में अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, विचार और वितर्क, आलोकपर्व सभी निबन्ध संग्रहों में भारतीय संस्कृति व इतिहास का सुस्पष्ट बखान हैं।

निश्चय ही "पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ख्यातिप्राप्त निबंधकार हैं भावनाओं के वेग में बह जाते हैं, किन्तु उनकी शैली इतनी सक्षम है कि सामान्य अध्येता को भी बहुत दूर तक अपने साथ बहा ले जाते हैं।"

द्विवेदीजी ने प्रकृति को न केवल संवेदनशीलता के साथ सम्मिलित किया है, बल्कि इसे बहुत सार्थक तरीके से जीवन की मर्यादा और इसकी कला के साथ जोड़ा हैं। उन्होंने पुष्पों व वृक्षों के माध्यम से जीवन संदेश जैसे आत्मज्ञान, उपयोगिता, धर्म, आचरण को लेकर अपने निबंधों में कई सार्थक विचार रखे हैं, वहीं पुष्पों, वृक्षों व उत्सवों को मानवीय सत्ता से जोड़कर जीवन की सार्थकता को परिभाषित किया हैं। देवदारु, शिरीष के फूल, अशोक के फूल, कुटज आदि निबन्ध इसके सटीक उदाहरण हैं।

यथा रचनाकार ने देवदारू के माध्यम से परंपरावादी विचारधारा व विपरीत परिस्थिति में भी झूमते व मस्त रहने का संदेश दिया हैं। प्रत्येक व्यक्ति

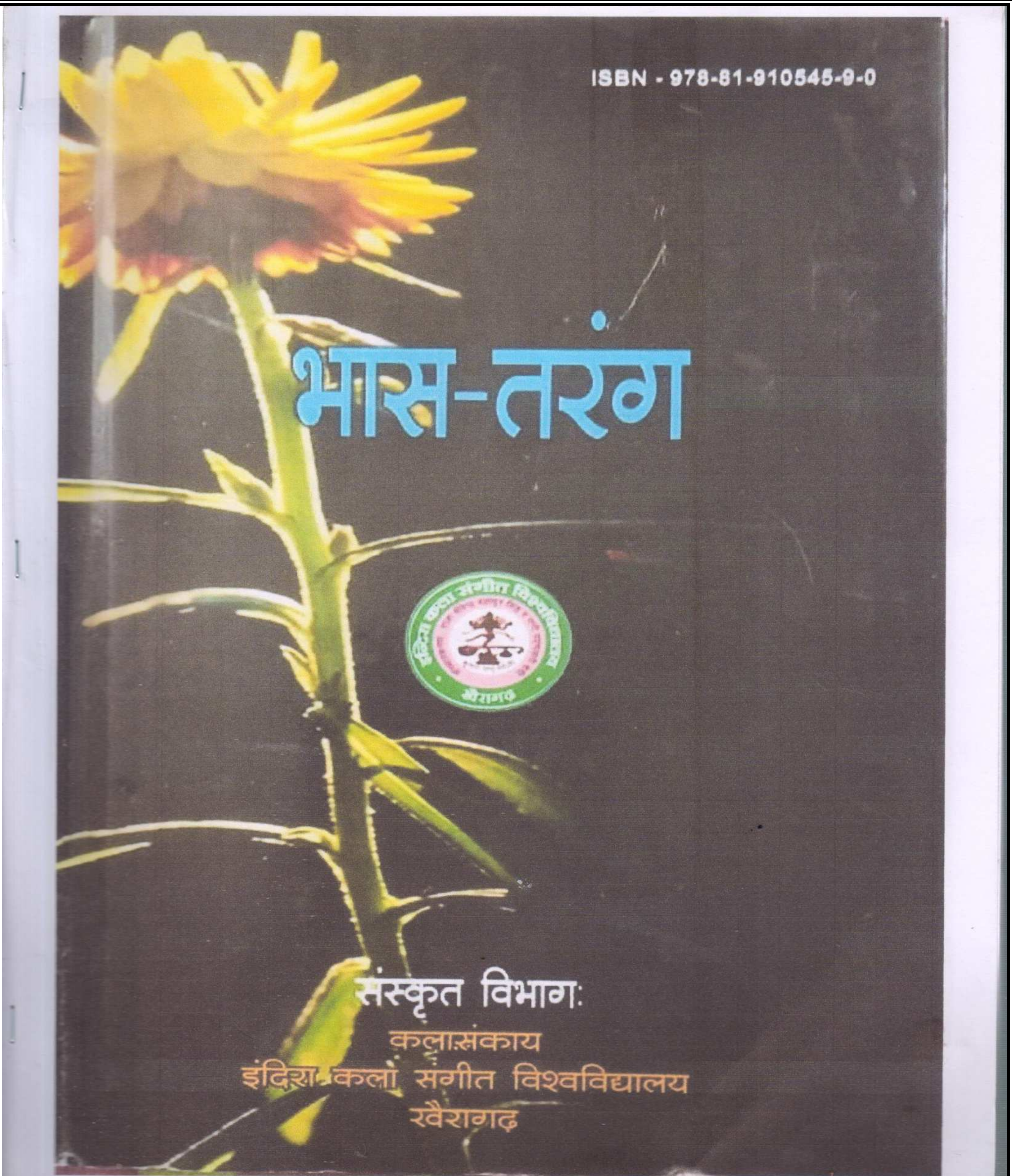
ISBN - 978-81-910545-9-0
भास-तरंग
संस्कृत विभागः
कलासंकाय
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय
खैरागढ़

भासकृत स्वप्नवासवदत्तम् नाटक में काव्यकला

श्रीमती मेधाविनी तुरे

काव्य–कला सृजन के कौशल से उपजती है। कवि अपने कौशल से काव्य की संरचना करता है, जिसमें न केवल कवि की कल्पना, बल्कि जीवन का यथार्थ भी विद्यमान रहता है। शब्दों के माध्यम से कवि अपने विचारों, भावनाओं को परिस्थितियों के अनुरूप अभिव्यक्त कर समाज को श्रेयस्कर प्रदान करने की कोशिश करता है।

नाटक में सभी कलाओं का संयोजन मिलता है, समस्त ललित कलाओं में काव्य–कला सर्वोत्तम है। नाटक मानव के सुख–दुःख व भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। नाटक में काव्य–कला का विशेष महत्व है, एवं नाटक में काव्य–कला रस, वस्तु, नेता इन तीन तत्वों के आधार पर नाटकों को पूर्ण स्वरूप प्रदान किया जाता है। नाटक में रस का महत्वपूर्ण स्थान है। रस काव्य की आत्मा है, नाटक भी दृश्य के अंतर्गत आने वाली विधा है जिसमें गीत, वाद्य और संगीत सभी कलाओं का रूप स्पष्टतया दिखाई देता है।

भासकृत कुल 13 नाटक है जिनके माध्यम से भास के व्यक्तित्व व कृतित्व का अनुशीलन किया गया है। भास के नाटकों को चार वर्गों में विभाजित किया गया है, (1) रामायण नाटक, (2) महाभारत नाटक, (3) उदयन नाटक, कल्पित नाटक। भास के नाटकों के नाम इस प्रकार है–दूतवाक्य, कर्णभार, दूतघटोत्कच, उरूभंगम, मध्यमव्यायोग, पंचरात्रं, अभिषेक, बालचरित, अविमारक, प्रतिमा, प्रतिज्ञायौगान्धरायण, स्वप्नवासवदत्तम् तथा चारूदत्त। भास के नाटक (काव्य) की कथावस्तु का मूलस्त्रोत, रामायण, महाभारत तथा प्राचीन अर्ध–ऐतिहासिक घटनाओं एवं दन्तकथाओं पर आश्रित है। स्वप्नवासवदत्तम् तथा प्रतिज्ञायौगान्धरायण ऐतिहासिक नाटक है। कालीदास के पूर्ववर्ती कवि भास संस्कृत नाटय परम्परा के प्रथम नाटककार कहलाये। महान नाटककार भास की रचनाओं में ललित कलाओं के समस्त रूप परिलक्षित होते है उन्होंने अपने कला कौशल से अपनी कृतियों में ऐसे नाट्य–भूमि का सृजन किया जिसमें पात्र, संवाद, चित्र, संगीत, वास्तु, अभिनेयता आदि के द्वारा सभी ललित कलाएं समाविष्ट हुई है। भास के कुल 13 नाटकों में 'स्वप्नवासवदत्तम्' श्रेष्ठ माना गया है। स्वप्नवासवदत्तम्, उदयन वासवदत्ता व पद्मावती के इर्द–गिर्द भ्रमण करती कृति है, इसमें महाकवि भास ने अपने नाट्य कुशलता से दोनों स्त्री पात्रों को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है, भास का नाटक 'स्वप्नवासवदत्तम्' रसानुभूति कराने में सफल रही है। स्वप्न का शृंगार अश्लीलता से अछूता एवं विशुद्ध प्रेम का प्रतीक है।

कला के वैभव से परिपूर्ण यह नाटक प्रेरणा देता है। एकता का प्रतीक है। यह विश्वबंधुत्व की वाणी को साकार करता है।

शोधार्थी
हिन्दी–विभाग
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय,
खैरागढ़

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

(1) शर्मा डॉ. श्यामयसंस्कृत के ऐतिहासिक नाटक: पृष्ठ 40 देवनागर प्रकाशन, जयपुर
(2) वही पृष्ठ 93
(3) वहीं पृष्ठ 154
(4) शर्मा आचार्य शेष राजय स्वप्नवासवदत्तम्: पृष्ठ 49 चौखंमा सुरभारती प्रकाशन : संस्करण 2012 वाराणसी
(5) शर्मा डॉ.श्यामयसंस्कृत के ऐतिहासिक नाटक: पृष्ठ 156 देवनागर प्रकाशन, जयपुर
(6) शर्मा आचार्य शेष राजय स्वप्नवासवदत्तम्: पृष्ठ 95 चौखंमा सुरभारती प्रकाशन : संस्करण 2012 वाराणसी
(7) सेठ शारदाय अलंकारो का स्वरूप विकास : पृष्ठ 129 विनय प्रकाशन संस्करण सन् 1990
(8) शर्मा डॉ. श्यामयसंस्कृत के ऐतिहासिक नाटक: पृष्ठ 154 देवनागर प्रकाशन, जयपुर
(9) शर्मा आचार्य शेष राजय स्वप्नवासवदत्तम्: पृष्ठ 101 चौखंमा सुरभारती प्रकाशन : संस्करण 2012 वाराणसी
(10) वही पृष्ठ 105
(11) सेठ शारदाय अलंकारो का स्वरूप विकास : पृष्ठ 127: विनय प्रकाशन संस्करण सन् 1990

–0–

Dr. Tarannum Ali

ISSN: 2394 5303 | Impact Factor 7.891 (IIJIF) | Printing Area® Peer Reviewed International Journal | April 2021 Issue 76, Vol 02 | 0184

42

किशोरावस्था में शिक्षण पोषण जीवन वृति से जुड़ी समस्याए

डॉ. तरन्नुम
विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान),
शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़,
जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

किशोरावस्था में शिक्षण पोषण जीवन वृति से जुड़ी समस्याएं

वर्तमान परिदृश्य में भारत दुनिया का सबसे संपन्न और विश्वसनीय देश बनने की ओर अग्रसर है भारत को संपन्न बनाने में भारत के किशोरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है यह किशोर आगे चलकर देश की आधारशिला बनते है किशोरावस्था में शिक्षण पोषण तथा जीवन वृति से जुड़ी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है मानव जीवन में किशोरावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है यह वह समय होता है जब मानव विकास सभी विकासात्मक क्षेत्रों में चरम सीमा प्राप्त करता है जैसे शारीरिक, मानसिक संवेगात्मक सामाजिक परिवर्तन की अवस्था में पोषण तथा शिक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिस तरह स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पोषण इस अवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अवस्था में शुरू हुए शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से व्यक्ति में जीवन वृति से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो शक्ति है इन समस्याओं से निपटने के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग कर लोगों में जागरूकता एवं सतर्कता फैला कर इसे सफल बनाया जा सकता है।

प्रस्तावना —

किशोरावस्था विकास की व्यवस्था है जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में आती है। सामान्य रूप से १० से १९ वर्ष तक का समय माना जाता है इसके आरंभ होने का या अंत होने का कोई निश्चित बिंदु नहीं होता परंतु इसे क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को वृद्धि की आयु भी कहा जाता है क्योंकि इस आयु में परिपक्वता की ओर [illegible] होता है जन्म के पश्चात [illegible] की तीव्रता किशोरावस्था में ही होती है। इस अवस्था में सर्वाधिक पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह अवस्था शिक्षा शिक्षण संबंधी होती है, जीवन वृति से जुड़ी समस्याओं की ओर किशोर अग्रसर होते है। भारत के अंतर्गत २५.३० करोड़ किशोर किशोरियां निवासरत है, जो कि समाज में बदलाव ला सकते है। किशोरावस्था पोषण एवं शिक्षण की दृष्टि से एक संवेदनशील समय होता है जिसमें समस्त किशोरों का शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक तथा सामाजिक चरम सीमा पर होता है, जिसमें शारीरिक एवं मानसिक विकास के कारण पौष्टिक आहार की मांग में वृद्धि होती है। किशोरावस्था में ग्रहण किए गए आहार संबंधी आचरण का शारीरिक एवं मानसिक विकास में आजीवन असर रहता है। भारत में किशोरों का एक बड़ा भाग ४० % लड़कियां और १८ % लड़के एनीमिया से पीड़ित है किशोरों में एनीमिया उनके विकास संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध शक्ति तथा ज्ञानात्मक विकास तथा शिक्षण संबंधी उत्पादकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है. पोषण संबंधित समस्या को दूर करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एम ओ एच एफ डब्ल्यू द्वारा साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड आपूर्ति के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में किशोरावस्था में एनीमिया का समाधान करने के लिए यूनिसेफ द्वारा आयरन एवं फोलिक एसिड (IFA) की साप्ताहिक आपूर्ति पर मार्गदर्शी की ओर कई चरणों वाली योजनाओं में वृद्धि के माध्यम से १३ वर्षों के प्रमाणिक अनुसंधान को आगे बढ़ाया। यूनिसेफ इंडिया भारत के १४ मुख्य राज्यों में जिसमें कुल मिलाकर भारत की ८८ % किशोरियों के लिए साप्ताहिक आपूर्ति कार्यक्रम लागू किया गया। पोषण अभियान २०१८–२० की राष्ट्रव्यापी शुरुआत से वर्ष २०१८ में किशोरों के पोषण के प्रति नई शक्ति

का संपादन हुआ।

शोध प्रविधि —

यह अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर किया गया है, पत्र—पत्रिकाओं शोध इंटरनेट समाचार पत्र के साथ—साथ सरकारी संस्था द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं एवं पुस्तकों से जानकारी एकत्र की गई है।

साहित्य की समीक्षा —

किशोरावस्था को विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार परिवर्तन की अवस्था कहा गया है यह परिवर्तन शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक संवेगात्मक तथा सामाजिक भी होती है अनुसंधान के लिए साहित्य की समीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है यह अनुसंधान के लिए ऐतिहासिक रूप रेखा के विकास को आधार प्रदान करता है और यह समस्या से संबंधित रूप में हुए अध्ययनों से अवगत कराता है।

सूजा कारकाडा २०११ ने किशोरियों मैं पोषण अध्ययन के कार को में १०० किशोरियों को चुना जिनकी आयु १२ से १५ वर्ष के बीच थी। प्राप्त परिणामों के आधार पर आरडीए से तुलना करने पर पाया कि उनका प्रोटीन आयरन व कैलरी का उपयोग कम था और हीमोग्लोबिन का स्तर ७.२ से ८.२ ग्राम/डीएल के बीच अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि किशोरियों में पोषण संबंधित एनीमिया एक मुख्य समस्या थी।

सिरदार एसएस व अन्य (२०१२) में उत्तर भारत के शिमला में किशोरियों पर एनीमिया की व्यापकता और गंभीरता को देखने के लिए अनुविभागीय अध्ययन किया इससे ८४० किशोरियों १०—१९ आयु वर्ग का चयन किया। इन्हें दो समूह में विभाजित किया गया। पूर्व किशोर अवस्था १० से १४ वर्ष उत्तर किशोरावस्था १५ से १९ वर्ष इनमें एनीमिया की व्यापकता को अलग—अलग देखा तो पाया कि ३४.६ % मृदु एनीमिया, ६.३ % मध्यम एनीमिया और केवल ०.२% गंभीर एनीमिया से ग्रसित थे। एनीमिया व्यापकता उत्तर किशोरावस्था में ६०% पूर्व किशोरावस्था में ३८.९ % तथा समग्र का प्रसार ४१.१ % था। जिसे आर एम व अन्य २०१३ में अपने पोषण अध्ययन से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जनजातीय समुदाय के जनजाति आश्रम स्कूल के ८ से १६ साल के आयु वर्ग के बच्चों के बीच ७०.५ % एनीमिया व्यापकता प्राप्त की एनीमिया व्यापकता लड़कों में ६५.१ % थी तथा लड़कियों में ८७.८ थी।

डॉक्टर डी एस बघेल एवं विवेक कुमार सिंह (२०१७) के अनुसार किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं की वास्तविक जीवन परिस्थितियों मो सकारात्मक और उत्तरदायी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए सटीक आयु उपयुक्त तथा सांस्कृतिक दृष्टि से संबंधित सूचना, स्वस्थ मनो वित्त तथा कौशल विकास करने में सक्षम बनकर उन्हें स{म बनाकर उनहें स्वस्थ बनाना है। प्रस्तुत शोध पत्र किशोरावस्था के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि में संबंधित है।

किशोरावस्था में पोषण —

किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। किशोरों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास इस अवस्था में होता है। इसी कारण उनके पोषण पर ध्यान दिया जाना विशेष आवश्यक होता है। इसी अवस्था में कैलोरी, प्रोटीन, लौह लवण, वसा, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन सी आदि की दैनिक आवश्यकता विभिन्न अवस्थाओं में अधिक होती है। किशोरों के विकास के लिए उनका उचित पोषण होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण संबंधित आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती है, बढ़ती आयु के अनुसार इन्हें पोषण मिलना आवश्यक होता है। उचित पोषण के अभाव में किशोरों की वृद्धि तथा विकास निश्चित रूप से प्रभावित होता है। अतः किशोरावस्था की पोषणिक आवश्यकता को निम्नांकित तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है।

किशोरावस्था में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित मात्रा

RDA SUMMARY OF EAR FOR INDIANS - 2020

पौष्टिक तत्व	किशोर		किशोरी	
	13-15 वर्ष	13-15 वर्ष	13-15 वर्ष	13-15 वर्ष
कैलोरी(k.cal)	2860	3320	2400	2500
प्रोटीन(gm)	34.7	45.1	36.4	55.5
वसा(gm)	50gm	40	35	35
कैल्शियम(mg)	800	850	800	850
लोहा(mg)	15	18	17	18
विटामिन(A)	430	480	420	400
राइबोफ्लेविन(mg)	2-2	2-5	1-9	1-9
नियासिन(mg)	16	19	13	14
फॉलिक एसिड(µg)	238	286	204	223
विटामिनB12(µg)	2	2	2	2
विटामिन(C)	60	69	55	57
जिंक(mg/d)	11	12	11	12
मैग्नेशियम(mg/d)	165	195	210	235
विटामिन(D)	400	400	400	400

किशोर अवस्था में उपरोक्त तालिका अनुसार पौष्टिक तत्व का समावेश कर किशोरावस्था में पोषण की प्राप्ति की जा सकती है।

किशोरावस्था में शिक्षण तथा जीवन वृत्ति से जुड़ी समस्या:

पूर्व किशोरावस्था में युवक तथा युवतियां स्कूल में दिए जाने वाले गृह कार्य उन पर लिए प्रतिबंध कैंटीन में मिलने वाला भोजन तथा जिस प्रकार से विद्यालय चलाया जा रहा है। इन सभी से उन्हें समस्याएं रहती है। उनके शिक्षक उन्हें किस प्रकार पढ़ा रहे हैं तथा उनमें प्रकियां, व समस्या निकालने और अपने शिक्षक से भी ज्यादा जानकारी होने के भ्रम से ग्रसित हो जाना लड़कियों की अपेक्षा यह समस्या लड़कों में ज्यादा रहती है, क्योंकि वह इसे अपने सम्मान का सूचक समझते हैं। इसकी अपेक्षा उत्तर किशोरावस्था के युवक व युवतियां वही विषय शिक्षण के लिए चुनते हैं। जिसमें उनकी रूचि होती है तथा भावी जीवन में उन्हें उच्च से उच्च रोजगार प्रदान कर सकता है। वह केवल उन्ही विषयों तथा शिक्षण क्षेत्र में रुचि रखते हैं, जो उन्हें अपनी पसंद के अनुसार नौकरी दिला सकते हैं। पूर्व किशोरावस्था की अपेक्षा उत्तर किशोरावस्था में किशोर अपने पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के इच्छुक होते हैं, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो या सामाजिक विकास का क्योंकि यह सब उनके भावी भविष्य की नींव होते हैं।

जब किशोर व्यवसाय में जाना चाहते हैं तो वह बहुत सी अवास्तविक अभिलाषाए लेकर आगे बढ़ते है, वह जल्दी ही पैसा और सम्मान तथा बहुत सा पैसा चाहते हैं, अगर इनमें से उनकी कोई भी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती तो वह मेहनत करने के स्थान पर व्यवसाय बदल लेना उचित समझते है, खासकर किशोर लड़कों में यह अलग ज्यादा होती है, जिसके चलते वह बहुत बार उच्च अधिकारी से मतभेद में फंस जाते हैं और नौकरी से हाथ धो बैठते हैं, यदि व्यवसाय किशोर की रूचि के अनुसार नहीं होता तो वह बिना अनुभव के कारण अनुसूचित निर्णय लेते हुए नौकरी छोड़ देते हैं, पर उत्तर किशोरावस्था तक युवक एवं युक्त जीवन यापन के लिए धन का मूल समझ जाते हैं, तथा अपने व्यवसाय में सामान्य बनाने की कोशिश करते हैं।

उपसंहार —

किशोरावस्था में शिक्षण पोषण जीवन वृति से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से सभी किशोरों के जीवन में आती है क्योंकि किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है तथा इस अवस्था में किशोरों में शारीरिक मानसिक संवेदनात्मक तथा सामाजिक परिवर्तन होते हैं तथा इनकी पौष्टिक आवश्यकताएं ही बढ़ जाती है, उसकी क्षण की कमी से किशोरों में कुपोषण अल्प पोषण तथा अधिकता में अति पोषण के लक्षण प्रकार होते हैं, वर्तमान में किशोर आयु वर्ग के लोगों में एनीमिया एक बहुत गंभीर समस्या है, पोषण की पर्याप्त मात्रा ग्रहण कर किशोरावस्था में प्रकट होने वाले विभिन्न रोगों के साथ—साथ मानसिक असंतुलन से भी बचाया जा सकता है, किशोरावस्था में शिक्षा शिक्षण एक महत्वपूर्ण पर है, जिसका उद्देश्य युवाओं की वास्तविक जीवन परिस्थितियों में सकारात्मक और उत्तरदाई ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए सक्षम बनकर समस्त बनाना हो।

किशोरावस्था शिक्षण पोषण जीवन वित्त से जुड़ी समस्याओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता पोषण की आवश्यकता के संदर्भ में उभरी समस्याओं उचित शिक्षा पोषण के माध्यम से दूर किया जा सकता है तथा भावी भविष्य में किशोरों के लाभ वृत्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:—

—विकासात्मक मनोविज्ञान रव्डॉ—महेश भार्गव, डॉ— निधि शर्मा
—आहार एवं पोषण विज्ञान डॉ— रीना खनूजा
—आहार विज्ञान एवं पोषण (डॉ— वृंदा सिंह)
—आहार विज्ञान (डॉ विपिन अग्रवाल)
- International Jaunral of Multidisciplinary Edaucation and Research 2017
- Shadhgangotri inflibnet:ån.in
- RDA Summary For EAR Indian's 2020

❑❑❑

Mental Retardation

Mental retardation is a universal problem. When a baby born with mental retarded in family, then the parents has to take specific responsibility. It is a very difficult to accept that there child is mentally retarded.

Mental rètardation is a condition diagnosed before age 18 that includes below – average general intellectual function, and a lack of the skills necessary for daily living mental retardation affects about 1-3% of the population there are many causes of mental retardation [illegible] for find a specific reason in only 25% of cases.

DEFINITION OF MENTAL RETARDATION

"Mental retardation is a disability features of significant limitation both is intellectual functioning and in adaptive behavior as expressed in conceptual, social, and practical adaptive skills. This disability originates before age eighteen.

Mental retardation is a stage of developmental problems, beginning in early childhood period, result in significant limitation of intellect or cognition and poor adaptation to the demands of life living.

Mental Retardation and its Concept

Mental retardation is a intellectual function [illegible] disability that first appears in children under the age of eighteen. it is defined as an intellectual functioning level [as measured by standard tests for intelligence quotient] that is well below average and significant limitations in daily living skills

Table 1.1 Levels of Mental Retardation

Class	IQ
[illegible]	Below 20
[illegible]	20-34
Moderate mental retardation	35-49
[illegible]	50-69
[illegible]	[illegible]

Table 1.1 clarify the of levels of retardation on the basis of functions and Intelligence Quotient of mentally retarded children. It is seen in [illegible] that which level of IQ shows type of mental retardation. If chances for learning are provided to mentally retardate according to IQs in suitable and favorable atmosphere, the children are expected to gain the learning ability for daily life.

CAUSES

Doctors can identify only specific causes of mental retardation in about a third of mild cases and two thirds of moderate to profound cases. There are three main specific causes given below :

1. Prenatal Causes(before birth) -: There are so many things can happen in period of developing infant during the prenatal period, that is the period of nine months priors to birth the prenatal causes are germen measles one of the more serious things that may happen during pregnancy that may have definite effect upon the infant development and particularly upon his brain, organic toxins, inadequate oxygen, nutritional problems, infections, circulatory failure, hypertensions, taking drug and alcohols in pregnancy period etc.

2. Perinatal Causes (at birth)-: There are some things can happen in the time of birth perinatal causes are batter understood than prenatal causes and prevention are applied. The perinatal causes are prematurity, problem during delivery, anoxia, insufficient oxygen (hypoxia) at the time of birth.

3. Postnatal causes (after birth)-: There are many things that might postnatal causes of mental retardation brain infection (such as meningitis and encephalitis), severe emotional neglect or abuse, severe head injury, malnutrition of the child, brain tumors, and their treatments, toxins (eg. Lead and mercury) called lead poisoning, encephalitis, meningitis (bacteria causes), demyelinating disease, leucodystrophies convulsive disorder, glandular dysfunctions, brain injury(Trauma), cranial anomalies, microcephaly, neurofibromatosis, interactional neoplasm (associated with gross brain disease) Down syndrome associated with chromosomal

abnormality

SYMPTOM

Continues' infant like behavior, decreased learning ability, failure to meet the intellectual development, inability to meet the educational demands, and lack of curiosity.

NEEDS OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION

Every family has their own basic needs. that need depends on same sources and for identifying that sources family member help to attain basic needs like, love, affection care. Affection is the foundation of life and family is the root. Other than these needs there are some conventional needs like physical safety, accommodation, food and shelter.

Mentally retarded children are different from normal children but they are some similar from them or therefore have all of the basic needs of their normally children. One of the first primary needs of the mentally retarded children is communication, acceptance, freedom to grow and develop needs of sibling, attention, acknowledgement of the feeling without guilt.

Review of Literature

According to Manish Gohel, Sidhhyartha Mukherjee & S.K. Chodhary (2011) studied that psychological impact on the parents of mentally retarded children. A cross sectional study of 100 parents of mentally retarded children was done. The result shows that the parents have enormous emotional problem and suffer from mental worries because of having mentally retarded child. Family intervention program needs to be focused on early building and strengthening the natural support systems for the parents.

Objectives

1. To examine the relationship between parental vocational status and fulfillment of needs among mental retarded children

2. To examine the relationship between parental vocational status and family adjustment among mental retarded children.

Hypotheses

1. The parental vocational status would emerge as predictor of fulfillment of needs among mental retarded children.

2. The parental vocational status would emerge as predictor of family adjustment among mental retarded children.

METHODOLOGY

SAMPLE ACCORDING TO PARENTAL VOCATION ON FULFILMENT OF NEEDS

Table no.1.2

GROUP	No.	%
Working	165	55
Non Working	135	45

This table indicates clearly that were working 165 and joint family 145 are present in the study to examine the relationship between parental vocation and fulfillment of need among mentally retarded children.

SAMPLE ACCORDING TO PARENTAL VOCATION ON FAMILY ADJUSTMENT

Table no.1.3

GROUP	No.	%
[illegible]	[illegible]	55
[illegible]	[illegible]	45

This table indicates clearly that were working 165 and nonworking 135 are present in the study to examine the relationship between parental vocation and family adjustment among mental retarded children.

Measures

Group test of general mental ability (Jalota,)

In this study level of mental retardation was measured by group test of general mental ability (Jalota,). This tool generated the level of I.Q and the mental age of the respondents. The tool has 100 questions and the difficulty level of the items is low. It is basically a speed test that checks the intelligence in terms of quick cognition and mental ability. Total time of 25 minutes is given to the respondents to solve the questions. The number of correct responses generated the total score which was further checked in the table given in the manual and I.Q was found out.

Coping Behavior Scale

In this study, fulfillment of need was measured by coping behavior scale (National Handicap Institute Secundrabad).

15 Item Family Adjustment Questionnaire

Family adjustment scale was measured by self developed 15 item family adjustment questionnaire. Responses are obtained on a 5 point like scale ranging from 1 to 5, it "ℤd ÆℙⅨ produced Minimum 15 and maximum 75 score. In the present sample the internal consistency (α) was .739 for 15 item family adjustment questionnaire.

Demographic Data sheet

In this study, parental education, type of family, gender and parental vocational status were recorded in demographic data sheet.

Statistical analyses procedure

All 300 cases were included for data calculation. Multiple regression models were used to examine the predicting effect of different predictor on criterion. SPSS version 22.0 was used for prediction analyses.

RESULT ACCORDING TO THE PREDICTING EFFECT OF PARENTAL VOCATION ON FULFILMENT OF NEEDS AND FAMILY ADJUSTMENT Table no.1.4

Group	No	Need	Family adjustment
Working	165	217**	261**
Nonworking	135		

**p<0.01

This table indicates clearly that were working parent 165 and nonworking parent 135 was negatively associated with fulfilment of need (.217,p<0.01). this shows that increasing parental vocational status of mentally retarded children reported high fulfilment of need and family adjustment was negatively associated with family adjustment(-.261, p<0.01) this shows that increasing parental vocational status of mentally retarded children reported less family adjustment.

Graph for the predicting effect of Parental Vocation on fulfilment of Need and Family Adjustment Graph

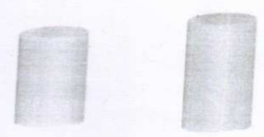

Conclusion

In Present study arrives at the sound judgment that there is sufficient empirical and statistical information indicating of the prediction effect of parental vocational status and level of mental retardation on fulfilment of need and family adjustment. Present research demonstrates thorough understanding of family adjustment and needs of mentally retarded children.

Reference

1. AgarwaAdesh & Pandey Anubhuti, "psychological studies" vol-43, 1998, pgno-1-2.

2. Airaksinen, E.M. Matilinen, R. Mononen, T., Mustonen, K. Partanen, J.,Jokela, V., & Halonen, P. (2000). Apopulation based study on epilepsy in mentally retarded children. Epilepsia. 41,

3. Akerstedt, T. (1987). Electroencephalography. Clinical Neurophysiology. 39.

4. Akerstedt, T. (1990). Phychological and psychophysiological effects of shift work. Scandinavian journal of work, Enviromental and Health, 16 (1).

5. Annaz, D., Hill, C.M., Ashworth, A., Holley, S., & Karmiloff Smith, M. (2011). A Characterization of sleep problems in children with Williams syndrome, Research in Developmen-

Ms. Pratibha Singh

प्रतिभा सिंह

UGC CARE Group I Journal

ISSN : 0975-7945

KALĀ

The Journal of Indian Art History Congress

Certificate of Publication

Certificate of publication for the article titled:

आय एवं रोजगार सृजन में छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की भूमिका का अध्ययन (राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)

Authored by

डॉ. के.एल. टाण्डेकर

शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

Volume No. 27 No. 1 : 2020 - 2021

in

KALA : Journal of Indian Art History Congress.

Editor:
Kala Journal

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
UGC
University Grants Commission
Approved Journal

ISSN : 0975-7945

आय एवं रोजगार सृजन में छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की भूमिका का अध्ययन (राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. के.एल. टाण्डेकर
शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

डॉ. राजेन्द्र कुमार शर्मा
सहायक प्राध्यापक वाणिज्य शा.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छुरिया, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

सुश्री प्रतिभा सिंग
अतिथि व्याख्यता वाणिज्य शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

शोध सारांश –
भारत ग्रामीणो का देश है, ग्रामीण क्षेत्रो में लोगो को रोजगार एवं आय सृजन के उद्देश्य से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई शासकीय योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है, इसी कड़ी में वर्तमान में भारत के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रो में लाखो की संख्या में ग्रामोद्यग के तहत लघु एवं कुटीर उद्योग चलाए जा रहे है नवगठित छ0ग0 प्रदेश में छ0ग0 खादी ग्रामोद्योग विभाग खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो एक विधिमान्य संस्था है जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार उपलब्ध कराने आय सृजन को ध्यान में रखते हुए खादी, रेशम, ऊनी वस्त्र तथा कुटीर लघु उद्योग को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने एवं लोगो को आत्मनिर्भरता का संचार तथा ग्राम स्वरोजगार की स्थापना एवं समन्व की भावना को बढ़ावा देना है प्रदेश में राजनांदगांव जिले में विभन्न योजनाओ के माध्यम से ग्रामोद्योग ईकाई की स्थापना के लिए 25 लाख की लागत की परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर ग्रामीण आय एवं रोजगार सृजन के सार्थक प्रयास किए जा रहे है।

प्रस्तावना –
भारत में देश की अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्वरूप में खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है, भारत की दो तिहाई जनसंख्या आज भी गांवो में निवास करती है जिनके जीवकोपार्जन का स्त्रोत कृषि ही है रोजगार की पर्याप्त एवं प्रबल संभावनाओं को विद्यमानता को देखते हुए भारत के ग्रामीण क्षेत्रो में परम्परागत कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास हेतु विभिन्न योजनाओ का संचालना किया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ गैर कृषि व्यवसाय तथा लघु एवं घरेलु उद्योगो की सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रही है तथा उनके पास कृषि जोतने हेतु उपलब्ध औजार रकबा गाड़ी तलाश रहती है अतः उन्हें रोजगार के अतिरिक्त अवसरो की निरंतर तलाश रहती है जिन्हें अपनाकर उनका जीवन स्तर ऊपर उठा सके इस वस्तु स्थिति में स्वभाविक तथा सर्वोपयुक्त विकल्प है ग्रामीण स्तर पर स्थापित किए जा सकने वाले छोटे छोटे उद्योग धंधे जो न केवल रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने में सक्षम है बल्कि गांवो से शहरो की ओर हो रहे पलायन को भी रोका जा सकता है।

प्राचीन काल में ये उद्योग अपनी सम्पूर्ण क्षमता के साथ संपादित की जाती थी तथा लोगों के एवं रोजगार का प्रमुख स्त्रोत भी रही है किन्तु गुलामी की जंजीरो ने इन उद्योगो की कमर तोड़ दी देश की सीमा को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले ये उद्योग अपने भविष्य की स्थायित्व के लिए चिंतित हो गए आर्थिक एवं सामाजिक के विकास को और अधिक गति देने के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए है तथा विकास कार्यकमों में निजी क्षेत्र की भागीदरी को प्रोत्साहित किया है संविधान के 73वे संशोधन के पश्चात् सर्वप्रथम इस संशोधन के उद्देश्य की पूर्ति करते हुए प्रदेश में सफलतापूर्वक पंचायत राज व्यवस्था कायम की पंचायत राज व्यवस्था प्रमुख रूप से ग्रामीण विकास के लिए की गई इस विकास की कड़ी में ग्रमीण रोजगार के लिए ग्रामोद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है इसके कियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने जनहित के प्रभावी एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिए है प्रदेश के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो के युवाओं को न केवल ग्रामोद्योग के प्रति आकर्षित किया बल्कि ग्रामोद्योग स्थापित कर इसका सफलता पूर्वक संचालन एवं विकास के लिए प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध दिखाई दे रही है।

खादी एवं ग्रामोद्योग की अवधारणा –
महात्मा गांधी ने कहा " ग्रामोद्योग की योजना के पीछे मेरी कल्पना तो यह है कि हमे रोजमर्रा की आवश्यकताएं गांव की बनी चीजो से पूरी करनी चाहिए हमसे गांव आत्मनिर्भर हो खुशहाल बनेंगे" उन्होने यह भी विचार दिया कि जब तक ग्रामीण भारत में भरपूर रोजगार के अवसर नहीं होगे तब तक संम्पूर्ण भारत के विकास की कल्पना अधूरी रहेगी। वास्तव में खादी ग्रामोद्योग आयोग गांधी जी की इसी विचारधारा की उत्पत्ति है इस आयोग के माध्यम से जहां ग्रामीण दस्तारो और शिल्पकारो को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है इसी अवधारणा के तहत् केन्द्र सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि ग्रामीणो को पर्याप्त रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए इस अवधारणा को साकार करने खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी ग्रामोद्योग बोर्ड विभिन्न प्रकार से ग्रामीण उद्योगो् को प्रोत्साहित करने हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

खादी का अर्थ है भारत में कपास, रेशम या ऊन के हाथकरधा सूत अथवा उनमें दो या सभी प्रकार के सूत के मिश्रण से जो भारत में हाथकरधा पर बुना गया कोई भी वस्त्र इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ग्रामोद्योग का अर्थ है ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र (जिसकी आबादी 20 हजार से अधिक न हो) में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या

कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिससे (संयत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में) निदेशित स्थायी पूंजी जो प्रति कारीगर या कर्मी 50 हजार रूपये से ज्यादा न हो भारत को लघु तथा कुटीर उद्योगो का जनक कहा जाता है खादी ग्रामोद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग का ही एक अंग है।

छ0ग0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड प्रदेश के समस्त जिलो में जिला मुख्यालय के माध्यम से ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए एवं गांवो की आर्थिक स्थिति को सुधारकर जीवन स्तर को उसके गांव में रोजगार साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय में खादी ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से कार्य को संचालित कर रहा है।

जिला राजनांदगांव जिसे अध्ययन का केन्द्र बिन्दु माना गया है में भी इस उद्योग की प्रबल संभावनाए विद्यमान है यहा खादी ग्रामोद्योग एवं लघु एवं कुटीर उद्योगो के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है किन्तु इस उद्योग के विकास की ओर कोई विशेष ध्यान नही दिया जा रहा है जबकि राजनांदगांव के साथ साथ पूरे छ0ग0 में यह उद्योग कृषि के पूरक उद्योग के रूप में विकसित हो सकता है फलस्वरूप रोजगार सृजन में उद्योग का व्यापक फैलान जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है तथा इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या श्रम पलायन का समाधान किया जा सकता है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य –

1. राजनांदगांव जिले के खादी ग्रामोद्योग के विकास की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करना
2. जिले में स्थापित खादी ग्रामोद्योग के रोजगार की विद्यमान स्थिति का मूल्यांकन करना
3. खादी ग्रामोद्योग के विकास के साथ रोजगारो के अवसरो की वृद्धि की संभावनाओ का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना
4. जन कल्याणकारी योजनाओ को आम जनता तक पहुंच का अध्ययन करना
5. ग्रामोद्योग द्वारा बिकी योग वस्तुओं का उत्पादन करने तथा राज्य स्तरीय अर्थव्यस्था के विकास पर होने वाले प्रभाव का परिक्षण करना

शोध परिकल्पना –

1. खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के कार्यकम सुचारू रूप से चल रहे है
2. जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के संचालन से ग्रामीण की आर्थिक सामाजिक व्यवहारिका में सुधार हुआ है
3. राजनांदगांव जिला वन बाहुल्य क्षेत्र है तथा आर्थिक विकास गरीबी के निवारण तथा रोजगार के अवसरो की वृद्धि ग्रामोद्योग के स्थापना से ही संभव है ।
4. जिले में ग्रामोद्योग की अपार संभावनाए है।

शोध प्रविधि –

आय एवं रोजगार सृजन में छ0ग0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की भूमिका राजनांदगांव जिले के संदर्भ में संबन्धित इस शोध प्रंबध में तथ्यो के स्पष्टीकरण विश्लेषण और निष्कर्ष के प्रतिपादन में प्राथमिक एवं द्वितियक दोनो प्रकार के संमको का उपयोग किया गया है तथ्यो के सुव्यवस्थित एवं द्वितियक संमको के साथ तथ्यो को अधिक स्पष्ट और निष्कर्ष की तथ्यात्मक प्रस्तुतीकरण मूलतः स्थानो पर प्राथमिक संमको व संदर्भ हेतु द्वितियक संमको का उपयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र एवं सीमाएं –

प्रस्तुत शोध में आय एवं रोजगार सृजन में छ0ग0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की भूमिका (राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में) का विश्लेषणनात्मक अध्ययन में राजनांदगांव जिले को लिया गया है चूंकि छ0ग0 के पश्चिम भाग में स्थित यह प्रदेश का बड़ा जिला है और इसके अंतर्गत कुल 9 विकासखण्ड राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, छुरिया, डोंगरगांव, चौकी, मोहला, और मानपुर आते है। प्रस्तुत शोध प्रंबध में अध्ययन राजनांदगांव जिले तक सीमित है किन्तु तथ्यो का स्पष्टीकरण एवं तुलनात्मक विवेचना हेतु भारत एवं छ0ग0 के आंकडो का भी सहारा लिया गया है इस अध्ययन विविचना को स्पष्ट करने हेतु द्वितियक संमको के साथ प्राथमिक संमको का भी उपयोग किया गया है। शोध के दौरान प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित कर संमको के एकत्रीकरण का कार्य किया है ताकि तथ्यों के छूटने की कम संभावनाए रहे।

राजनांदगांव जिले का परिचय –

छ0ग0 राज्य का पूर्वान्चल के नाम से विख्यात संस्कारधानी राजनांदगांव जिला 26 जनवरी 1973 को अस्तित्व में आया वर्तमान में यह जिला 20°50′ से 21°22′ तक उत्तरी अक्षांश व 80°26′ से 81°13′ पूर्वी देशान्तर के मध्य फैला है जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8022.55 वर्ग किलोमीटर है जो कि छ0ग0 एवं महाराष्ट्र के 8 जिलो की सीमा से लगा हुआ है जो कमशः कबीरधाम , बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, कांकेर, गढ़चिरोली, गोंदिया (महाराष्ट्र एवं बालाघाट मार्ग) प्रमुख है राजनांदगांव जिले की कुल जनसंख्या 1537133 है जिसमें 762855 पुरूष एवं 774276 महिलाए है एवं ग्रामीण जनसंख्या 1264621 है यह जिला 9 विकासखण्डो में विभाजित है जिले की 82 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करती है।

खादी ग्रामोद्योग बार्ड द्वारा जिले में औद्योगिक विकास एवं योजनाओ का कियान्वयन खादी ग्रामोद्योग आयोग छ0ग0 खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से आय एवं रोजगार सृजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है राजनांदगांव जिला छ0ग0 का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है-जिले में अधिकांश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लोग ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करते है ये लोग अपनी परम्परागत पैतृक व्यवसाय को ही अधिक महत्व देते है राजनांदगांव जिला में कृषि का एक फसली उत्पादन होने के कारण अधिकांश समय ग्रामीण जनसंख्या रोजगार की तलाश में पलायन को मजबूर होते है ऐसी स्थिति में छ0ग0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जिला के समस्त विकासखण्डो में शासन की विभिन्न योजनाओ का कियान्वयन कर ग्रामीणो की आर्थिक एवं सामाजिक

स्थिति सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड छ0ग0 शासन के निर्देशन पर जिले में विभिन्न उद्योगो की स्थापना कर ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे है।

1. **खनिज आधारित उद्योग** — कुटीर कुम्हारी उद्योग/चूना पत्थर चूनी और अन्य चूना उत्पाद/मंदिरो और भवनो के लिए पत्थर की कटाई पिसाई नक्काशी तथा खुदाई
2. **वन आधारित उद्योग** — हाथ कागज, कत्था निर्माण, गोंद और रेग्जिन निर्माण, लाख निर्माण, कुटीर दिया, सलाद उद्योग पटाखे और अगरबत्ती निर्माण
3. **कृषि आधारित उद्योग** — अनाज, दाल, मसाला, चटपटे मसाले, आदि का प्रशोधन पैंकिग और विभाजन, नूडल निर्माण विद्युत चलित आटा चक्की, दलिया निर्माण, चावल छिलका उतारने की छोटी इकाई
4. **रसायन आधारित उद्योग** — चर्म शोधन तथा खाल व त्वचा से संबधित अन्य सहायक उद्योग एवं कुटीर चर्म उद्योग कुटीर साबुन, रबड़ वस्तुओं का निर्माण।
5. **इंजीनियर और गैर परम्परागत ऊर्जा आधारित उद्योग** — बढ़ई, लौहरी, एल्युमिनियम के घरेलु बर्तनो का उत्पाद, गोबर और अन्य अपशिष्ट उत्पाद जैसे मृत पशु के मांस और मल आदि से खाद और मीथेन (गोबर) गैस का उत्पादन और उपयोग
6. **वस्त्र आधारित उद्योग** — लोक वस्त्र निर्माण, होजियरी सिलाई और सिली सिलाई पोशाक तैयार करना, छिंटाकारी खिलौना या गुड़िया निर्मित
7. **सेवा आधारित उद्योग** — धुलाई, नाई, नलसाकी, बिजली की वायरिंग और घरेलु इलेक्ट्रानिक्स उपकरणो की मरम्मत, डीजल पंप आदिर की मरम्मत

राजनांदगांव जिले में खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा स्थापित उद्योगो के आकड़े—

क0	उद्योग	वितरण राशि	अनुदान	रोजगार	राशि लाख रूपये अनुदान का प्रतिशत
1	खनिज उद्योग	210.83	72.05	336	4
2	वन आधारित उद्योग	94.61	26.735	225	1.5
3	कृषि आधारित उद्योग	177.08	88.309	303	5.11
4	रसायन आधारित उद्योग	94.27	31.9	141	1.8
5	अभियांत्रिकी एवं गैर परम्परागत आधारित उद्योग	224.13	66.87	230	3.87
6	वस्त्र आधारित उद्योग	294.04	117.85	1546	6.82
7	सेवा आधारित उद्योग	631.07	163.191	1182	9.45
स्त्रोत योग		1726.03	566.905	3963	32.55

स्त्रोत — खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राजनांदगांव एवं जिला व्यपार एवं उद्योग केन्द्र राजनांदगांव

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिले में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खनिज उद्योग में 210.83 लाख रू. वितरित किए गए तथा 336 व्यक्तियो को रोजगार उपलब्ध कराया गया एवं कुल वितरित राशि पर 4 प्रतिशत अनुदान है, इसी प्रकार वन आधारित उद्योग में वितररित राशि 94.61 लाख अनुदान 4 प्रतिशत तथा रोजगार 225 लोगो को उपलब्ध कराया गया, कृषि आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, अभियांत्रिकी एवं गैर परम्परागत उद्योग, वस्त्र आधारित उद्योग एवं सेवा उद्योग में कमशः 177.08 लाख 303 रोजगार, 94.27 लाख 141 रोजगार, 224.13 लाख 230 रोजगार 294.04 लाख 1546 रोजगार 631.07 लाख 1182 रोजगार एवं कुल राशि का कमांक 5.11, 1.8, 3.87, 6. 82, 9.42 प्रतिशत अनुदान के रूप में वितरित किया गया सबसे अधिक रोजगार सेवा उद्योग में किया गया है अध्ययन से पता चलता है कि उद्योग में रोजगार की संख्या में संतोषप्रद स्थिति देखने को मिलती है। अतः कहा जा सकता है कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जिले में स्थापित उद्योगो से रोजगार के अवसरो में बढ़ोतरी हुई है एवं हितग्राहियों का आर्थिक विकास संभव हुआ है।

सुझाव —

आय एवं रोजगार सृजन में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा किए जा रहे प्रयास से हितग्राहियो को उतना लाभ हो सका है जितनी की अपेक्ष की जाती है इस संबध में निम्न सुझाव आवश्यक होगा

1. ग्रामोद्योग की गुणवत्ता को विकास कौशल उन्नयन सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़कर उत्पाद को बाजारोन्मुखी बनाया जाए
2. ग्रामोद्योग के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कर प्रोत्साहित किया जाए
3. उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा मिल सके इसके लिए विपणन व्यवस्था की जाए
4. हितग्राहियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए जो व्यवहारिक हो इसके अलावा ऋण अनुदान/मार्जिन मनी की निश्चित समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए
5. विभाग को वितरित अनुदान वसूला, बकाया ऋण वर्गवार हितग्राहियो की संख्या का उचित रीति से सधारण किया जाना चाहिए
6. खादी ग्रामोद्योग के विकास हेतु इसके वित्तिय स्त्रोत को बढ़ाने भी आवश्यक होगा

निष्कर्ष –

निष्कर्ष रूप से हम कह सकते है कि राजनांदगांव जिले में हितग्राहियो के आय एवं रोजगार सृजन हेतु खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा लघु कुटीर एवं परम्परागत उद्योगो के माध्यम से रोजगार के अवसरो में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे है इससे कृषि पर निर्भरता कम होगी तथा पलायन को रोकने में मदद मिलेगी हितग्राहियों के विकास के नए अवसर प्राप्त हुए है जो हमारी परिकल्पना का स्पष्ट करता है लोगो के आर्थिक सामाजिक व्यवहारिक जीवन में भी बदलाव आया है यह बात सप्रमाण कहने की स्थिति में है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से न केवल जीवन स्तर में उत्थान ही संभव हुआ है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विकास की गति को भी बढ़ावा मिला है हितग्राहियों में ग्रामीण उद्योग स्थापना की भावना जगाकर उन्हे औद्योगीकरण की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य खादी ग्रामोद्योग का ही है इसके लिए इन्होने जो विभिन्न योजनाओ को लागू कर अपने कार्यकम को कियान्वित करने का प्रयास किया है वह सचमुच सराहनीय है।

संदर्भ सूची –

1. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका जिला राजनांदगांव
2. छत्तीसगढ़ में खादी ग्रामोद्योग का विकास एवं संभावनाए एक विश्लेषणात्मक अध्ययन शोध प्रबंध
3. भारत में ग्रामीण समाज – डॉ0डी0एस0 बघेल
4. खादी एवं विलेज इंण्डस्ट्रीज इन इकोनामिक डेवलपमेंट जगदानंद झा दीप एण्ड पब्लिकेशन नई दिल्ली
5. रिसर्च लिंक अप्रेल 2015
6. IJRRSS June 2018
7. भारत का ग्रामीण विकास जीवन एकता विविधता एवं अध्ययन निर्मल कुमार बोस 2013 रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली
8. छ0ग0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड शंकर नगर रायपुर
9. जिला प्रशासन खादी ग्रामोद्योग विभाग जिला पंचायत भवन राजनांदगांव (छ0ग0)
10. ग्रामोद्योग विभाग वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन 2015–16
11. सहकारी चिंतन एवं ग्रामीण विकास – अग्रवाल, गुप्ता, माथुर

MAH/MUL/ 03051/2012 ISSN :2319 9318

आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक शोध पत्रिका

विद्यावार्ता

April To June 2021
Issue 38, Vol-04

Date of Publication
01 May 2021

Editor
Dr. Bapu g. Gholap
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

विद्येविना मति गेली, मतीविना नीति गेली
नीतिविना गति गेली, गतिविना वित्त गेले
वित्तविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले

-महात्मा ज्योतीराव फुले

❖ विद्यावार्ता या आंतरविद्याशाखीय बहूभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मतांशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. न्यायक्षेत्र:बीड

"Printed by: **Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.** Published by **Ghodke Archana Rajendra** & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Bapu Ganpat**.

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com
All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

26) संत नरहरी सोनार आणि संत सेना न्हावी यांच्या अभंगातील भक्तियोग-तुलनात्मक अभ्यास
डॉ.वसंत रघुनाथ शेंडगे, जि.अहमदनगर ||113

27) कोविंड १९ दरम्यान नागरिकांनी आरोग्यवर्षकतेसाठी केलेल्या उपायांचा अभ्यास
किरण छगन वाळजे & डॉ. संजय चंद्रशेखर ||117

28) छत्रपती शिवरायांचे सोशल इंजिनिअरिंग
DR. Maya Wankhade, Dist. Amravati ||120

29) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : संविधानाची सद्यस्थितीतील उपयुक्तता
प्रा. डॉ. महेश मोटे, जि. उस्मानाबाद ||124

30) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटना:एक अभ्यास
प्रा.डॉ. श्यामसुंदर पंढरीनाथ वाघमारे, परभणी ||130

31) मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना: एक मूक सामाजिक क्रांति
अभिषेक आनन्द, कटिहार ||133

32) कथक नृत्य में ठुमरी प्रदर्शन
मंजरी बख्शी, खैरागढ़ (छ.ग.) ||137

33) ओस की बूँद : एक मुल्यांकन
प्राचार्य डॉ.विलास कांबळे, जि.लातूर ||140

34) म.प्र.के अध्ययन अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों के ...
हरिओम खटीक & डॉ.एन.के.नगाईच, ग्वालियर ||145

35) भोजपुरी लोकगीतों में परिवार
डॉ. राम पाण्डेय, महराजगंज ||148

36) मीडिया में अनुवाद की भूमिका
डॉ. ज़हीरूद्दिन रफियोद्दिन पठान, जि.नांदेड ||150

37) इक्कीसवी सदी के दलित साहित्य् में आक्रोश और विद्रोह
प्रा.डॉ. जगन्नाथ आबासो पाटील, जि. सांगली ||154

38) भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर वैश्विक मंदी का प्रभाव — एक अध्ययन
डॉ. के.एल.टाण्डेकर & सुश्री प्रतिभा सिंह, जिला — राजनांदगांव (छ.ग.) ||157

www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com

38

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर वैश्विक मंदी का प्रभाव — एक अध्ययन

डॉ. के.एल.टाण्डेकर
प्राचार्य,
शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़
जिला — राजनांदगांव (छ.ग.)

सुश्री प्रतिभा सिंह
अतिथि व्याख्याता — वाणिज्य,
शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़,
जिला — राजनांदगांव (छ.ग.)

****

शोष सारांश :—

अर्थव्यवस्था में सकल वैश्विकरण की निर्णायक छाप तभी पड़ सकती है जबकि इसके किसी एक कारक के लिहाज से दुनिया के सभी देश एक ही पक्ष में खड़े नजर आये, विकास की दौड़ में दुनिया के अलग—अलग देशो के विकास की रफ्तार अलग—अलग है। विकसित देश हमेशा फायदे में रहते है जिससे अलोचको को यह कहने का मौका मिलता है कि वैश्विकरण से लाभ होगा। दुनिया के अधिकांश देशो की अर्थव्यवस्था ऐसे वित्तीय संकट से जूझ रही है, नव उदार भूमंडलीकरण विश्व व्यापार संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी के दबाव के तहत भारत सरकार बैंकिंग में जिन नीतियों को अपनाती रही है उनका विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वैश्विक मंदी ने विश्व के अनेक देशो की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है किन्तु ऐसी विकट परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी का उतना प्रभाव नही पड़ा है क्योकि सरकार की मौद्रिक नीति एवं रिजर्व बैंक के फंड कैपिटल एडीक्वेसी नियम में भारतीय बैंको को वैश्विक मार से बचा लिया।

प्रस्तावना :—

विश्व आर्थिक संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर पड़ा है, वह गंभीर चिंतन का विषय है, वैश्विक मंदी के चलते औद्योगिक उत्पादन में कमी आयी है, कृषि उत्पादो की कीमते गिरी है और निर्यातोंन्मुखी इकाईयां तथा अन्य उद्योगो के बंद होने के चलते बड़े पैमाने पर रोजगार की हानि हुई है। पहले ही लाखो रोजगार छिन चुके है और अनुमान है कि आने वाले दौर में एक करोड़ से अधिक रोजगार समाप्त होने जा रहे है।

वित्तीय संकट के कारण अब विकसित देशो के लोग भी आशांकित और भयभित है, वस्तुऐं क्रय करने के पहले सोचते है, परिणाम स्वरूप विक्रय में कमी से देशो के निर्यात में कमी आयी है, आर्थिक संकट बेरोजगारी एवं मूल्यवृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, वर्ष २००० के दशक में सबसे पहला झटका २००८ की आर्थिक मंदी के रूप में आया लेकिन ये भी छिपा हुआ ही था। वर्ष २०१० में सब ठीक ठाक रहा, इसके बाद दरारे बढ़ने लगी इसमें शायद ही कोई संदेह हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है, लगभग सभी प्रमुख आर्थिक सूचकांक चिंताजनक हालात का संकेत दे रहे है, मसलन उद्योग क्षेत्र का सदाबहार ८.३ लाख करोड़ का वाहन उद्योग भयानक मंदी की चपेट में है, इसमें लगभग ३.२ करोड़ लोगो को रोजगार देने वाले क्षेत्र की हालत खस्ता है।

वैश्विक मंदी वर्तमान में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है, तमाम ग्लोबल एजेंसिया भी मान रही है कि दुनिया एक बड़ी मंदी की ओर जा रही है जिसका असर लंबी अवधि यानी दीर्घकालीन हो सकता है, हालाकि इस बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीद जगाने वाली [kcj- ¼IMF) आई.एम.एफ. से आई है, जिसके अनुसार २० देशो में सिर्फ भारत ही है, जिसकी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ पाजिटीव रहेगी। आर.बी.आई. गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताते हुए इसे

अंधकार में प्रकाश की ओर बताया तथा भारत इस महामारी के चलते आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सफल रहेगा।

अवधारणा :—

यकीनन किसी बडे वित्तीय संकट का उसकी पूरी व्यापकता के साथ पूर्वानुमान बड़ा कठिन है और सही समय पर उसे पहचान लेना उससे भी कठिन, अब अधिकांश अर्थशास्त्री यह स्वीकार करने लगे है कि भारत हाल के दौर में सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। २०१९ का अर्थशास्त्र नोबल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी का कहना है कि अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर में जा पहुंची है, मांग बडी समस्या बनी हुई है।

वैश्विक मंदी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की अवधि की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए आई. एम. एफ. ने अनेक कारको को ध्यान में रखकर यह कहा कि ३ प्रतिशत या उससे कम का वैश्विक आर्थिक विकास वैश्विक मंदी के समान है, वैश्विक मंदी तीन कालावधियों में विषमान रही है, सत्र १९९०—१९९३, १९९८ और २००१—२००२ अनौपचारिक रूप से राष्ट्रीय मंदी उत्पादकता में गिरावट की स्थिति है, १९७४ में जूलियस शिसकिन ने मंदी की पहचान के लिए कई व्यावहारिक नियमों को सुझाया जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन का मापदण्ड सकल घरेलु उत्पाद (GDP) में गिरावट प्रमुख है, यही परिणाम मंदी की अवधारणा बन गई है, वैश्विक मंदी को परिभाषित करना इसलिए भी ज्यादा मुश्किल है क्योकि विकासशील देशो से विकसित देशो की तुलना में अधिक GDP वृद्धि की अपेक्षा की जाती है, वैश्विक मंदी २००१ में ५ प्रतिशत से २००८ में ३.५ प्रतिशत तक घटने और २००९ में २ प्रतिशत से कुछ अधिक भी स्थिति अनुमानित रही। संजीव मेहता के शब्दो में उपभोक्ता सामग्रियो की वृद्धि दरे घटने की बड़ी वजह है ग्रामीण इलाको में वैश्विक मंदी का माहौल है जो शहरी इलाको से ज्यादा गहरा है कई अर्थशास्त्रियो का कहना है कि यह समय राजकोषिय घाटे की चिंता करने का नहीं है।

भारत की ताजा मंदी एक कठिन पहली बन रही है इसकी वजहे कुछ और है, पिछले छः—सात वर्षो में आपूर्ति के स्तर पर सब कुछ हुआ है जिसके कारण मांग को लगातार बढ़ते रहना चाहिए था, लेकिन देश में १४० करोड़ उपभोक्ताओं के बाजार की बुनियादी मांग टूट गई है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो ८.२ फीसदी रहती थी वह अब ५ फीसदी के नीचले स्तर पर पहुंच गई है, भारत का श्रम बाजार अविकसित है, वेतन, मजदूरी कम है, जी.डी.पी. के आकड़े के मुताबिक अर्थव्यवस्था में जितनी आय बनती है उसका केवल एक तिहाई वेतन और मजदूरी में जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर २०१९ की अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कहा कि २०१९—२० को पहली छमाही में आर्थिक गतिविधि उसके अपने अप्रेल २०१९ के अनुमानो से कमजोर रही है और निजी खपत और निवेश बढ़ने की उमीद भी नहीं है, फिलहाल अर्थव्यवस्था एवं रोजगार में वैश्विक मंदी के प्रभाव से स्थिति नाजुक बनी हुई है।

वैश्विक मंदी का रोजगार पर प्रभाव —

वैश्विक मंदी से रोजगांर क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ हैं। वर्ष २०१७—१८ के बीच भारत में कम से कम २.९ करोड़ रोजगार बनने चाहिए थे जो खेती, रोजगार, गहन उद्योगो से आने थे इस बीच नोटबंदी और जीएसटी ने मध्यम आकार एवं छोटे उद्योगो को समाप्त होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था जो असंगठित क्षेत्रो में ८५ प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराते रहे है।

भारत की जी.डी.पी. वृद्धि गिरकर ५ फिसदी तक पहुंच गई है, मैन्युफेक्चरिंग क्षेत्र की विकास दर घटकर ०.६ फीसदी रह गई है, बेरोजगारी ४५ साल के अपने उच्चतम बिन्दू पर है, कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योग जो भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार उपलब्ध कराने की रीढ़ माने जाते है, बुरी तरह प्रभावित हुए है। वैश्विक तौर पर अमेरिका में आर्थिक संकट का आना सबसे महत्वपूर्ण घटना है, धीरे—धीरे यह तेजी से पूरी दुनिया में छा रहा है, इसमें अनियंत्रित वित्तीय और आर्थिक तंत्र को पूरी तरह उजागर कर दिया गया है, इस मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है, इस संकट के चलते विश्व में लगभग २ करोड़ से

अधिक लोग अपना रोजगार खो चुके है, जबकि अगस्त में यही पर ७३००० रोजगार खो चुके है, आर्थिक विकास के करीब ५० वर्षो के बाद भी ३१. ७४ मिलियन प्रतिष्ठान बिना बिजली बिल के काम करते है, जो कुल प्रतिष्ठान का ७६ प्रतिशत है जबकि एकाउन्ट प्रतिष्ठानो में रोजगार ४६.५ मिलियन है वही ५४.४ मिलियन भाड़े के मजदूर है, इनमें ४१. ३ मिलियन पुरूष तथा ११.६ मिलियन महिलाएं और १.५ मिलियन बच्चें है, विनियोग के क्षेत्र में २२.५ मिलियन लोगो को रोजगार प्राप्त है, रोजगार पशु फार्मिंग में ९.१३ प्रतिशत लोग काम में लगे है, रोजगार का औसत आकार २००५ में २.४१ व्यक्ति था, अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा कम होती जा रही है। आर्थिक मंदी का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा है, भारत भी इससे अछूता नही रहा परंतु सर्व प्रथम गाज गिरती है इन देशो के कर्मचारियों पर जेड एयरवेज में १९०० कर्मियों को नौकरी से निकाला किन्तु प्रभावी विरोध के कारण पुनः ३० प्रतिशत से २० प्रतिशत तक कम वेतन पर वापस लिया। एयर इंडिया ने १५०० कर्मचारियों को ५ साल के अवैतनिक अवकाश पर भेजने की योजना बनाई, ब्रिटेन सरकार ने १०,००० कर्मचारियों को निकालने १०० अदालत बंद करने की घोषणा की, पैप्सी, कंपनी ने ३३०० कर्मचारी को बाहर का रास्ता दिखाया सॉफ्टवेयर कम्पनी सैप में १५०० कर्मचारी की छटनी की, हीरा कम्पनी को ६० दिन के लिए बंद कर दिया गया, खुलने पर ५० से ६० प्रतिशत की कटौती की योजना बनाई, आई. टी. और बी.पी.ओ. में कुल ९७५५२ लोग कार्यरत है पिछले वर्ष ११ प्रतिशत से १२ प्रतिशत वेतन वृद्धि हुई थी किन्तु इस वर्ष ७ से ८ प्रतिशत वेतन ही बढ़ाया जा सका, बड़ी कंपनियों ने ८० हजार से अधिक नौकरियां खत्म करने की घोषणा कर वैश्विक मंदी का अर्थव्यवस्था के प्रभाव को प्रगट कर दिया है, कैटर प्रिलर ने २०००० फाइजर ने दो चरणों में २६००० स्प्रिंट नेवस्टेल ने ८०००, होम डिपो ७०००, टेक्सास इंस्ट्रमेंट ३४००, आई.एन.जी ७०००, फिलिप्स ६००० को इस ३५०० डियर एण्ड कम्पनी ने ७००० नौकरिया खत्म करने की घोषणा कर चुके हैं।

मुम्बई स्टाक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक घटते घटते ९ हजार अंको से भी नीचे आ गया है, पेप्सिको, किंगफिशर, चोलामंडलम तथा टाय कंसकरेसी सर्विसेज ई.बे. रिलायंस रिटेल, टोयटा मोटर्स, फोर्ड वोल्वो, स्विस बैंक, यूबी.एस.एच. एक्स. बी.सी. होल्डिंग आदि भी रोजगार कम करने की योजना बना रहे है। रिलायंस रिटेल ने अपने १२०० कर्मचारियों को हटाने की घोषणा की है, भारत का डी.जी.पी. करीब २४ प्रतिशत गिरा है, और अगर जी – २० देशो को देखे तो यह गिरावट सबसे बड़ी है भारत में एक तरह से २०१९ के अंत तक तीसरी तिमाही से धीरे –धीरे गिरावट देखने को मिली है, केवल कृषि ही एकमात्र सेक्टर है जिसमें गिरावट नहीं आई, नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रख्यात अर्थशास्त्री अमत्य सेन ने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट से भारत पर घाटा और दीर्घकालीन समस्याएं आएगी जिसका परिणाम आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के रूप में दिखाई देगा मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी की चपेट में जेट कर्मचारी एयर इंडिया, टाटा मोटर्स, रिलांयस रिटेल आदि आए पूर्व सांसद तथा राजदूत गौरी शंकर राजहंस का कहना है कि भारत में बड़ी बड़ी कम्पनिया बड़ी बेरहमी से अपने अफसरो को नौकरी से निकाल रही है

पिछले पांच वर्षो के देश के मिजाज सर्वेक्षण से पता चलता है कि रोजगार के अवसरो में कमी लोगो की चिंताओ की सूची में लगातार सबसे ऊपर है, मौजूदा सर्वेक्षण में भी बेरोजगारी बड़ी चिंता बनी हुइ है, ३५ प्रतिशत लोगो ने इसे बड़ी चिंता का कारण माना है, कृषि संकट १६ प्रतिशत भ्रष्टाचार प्रतिशत मुल्य वृद्धि १० प्रतिशत अन्य कारण रहें है फिर भी ६६ प्रतिशत लोगो ने कहा कि बजट ने अर्थव्यवस्था के लिए एक विश्वसनीय योजनाओं की जिसने ४६ प्रतिशत का कहना है कि बजट नए रोजगार सृजन में सहायक होगा, जबकि देश में नौकरियो कि बहस जटिलता लिए हुए है, एक तरफ आंकड़े संकट बताते है, तो दूसरी ओर रोजगार सृजन में तेजी दिखाते है। नतीजे चाहे जो भी हो बेरोजगारी भारी चिंता का विषय बनी हुई हैं।

वैश्विक मंदी – समस्या एवं सुझाव –

लंबी खिंचती मंदी प्रतिस्पर्धा के लिए सबसे बड़ी सजा का ऐलान है, मंदी से लड़ने के तरीके

सीमित हैं, उद्योग सरकार से मदद की उम्मीद करते है, लेकिन जब सरकार के पास खर्च बढ़ाने या टैक्स घटाने के मौके नहीं (जैसा की अब है) होते तो उद्योगो के पास कीमत कम करने का आखिरी विकल्प बचता है, महंगाई रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर है, जी.एस.टी. कम हुआ है, मंदी तो आय न बढ़ने के कारण है लोगो के पास बचत नहीं है इसलिए खपत नहीं बढ़ रही है पिछले छः—सात वर्षो में भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा सिकुड़ गई है, विदेशी कम्पनियों के आक्रामक विलय, अधिग्रहण और कर्ज के कारण बड़े पैमाने पर कम्पनियां बंद हुई, नोटबंदी, जी.एस.टी. ने कई कम्पनियो को बंद करने पर मजबूर कर दिया इसका सीधा प्रभाव रोजगार पर पड़ा है।

वर्तमान स्थिति में इससे इंकार करना मुश्किल है कि मंदी का असर बढ़ता जा रहा है, अर्थव्यवस्था को इस गर्त से बाहर निकालने के लिए लंबी अवधि के ढांचागत और अल्पावधि दोनो तरह के ठोस कदम उठाने होंगे ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके सरकार भी इस स्थिति से उबरने के लिए कुछ रियायते एवं कारगार उपाय की घोषणा करने लगी है, आटो मोबाइल एवं रियल स्टेट एवं अहम वस्तुओं पर GST घटाकर खपत में बढ़ोत्तरी के लिए प्रोत्साहित किया, निवेश परियोजना में तेजी लायी जानी चाहिए, अप्रत्यक्ष कराधान, जमीन, श्रम और बाजार संबंधी ढांचागत सुधार करने का प्रयास होना चाहिए देश में खपत के विस्तार से बाजार में बढोतरी की व्यापक संभावनाए है, अल्पावधि में नगदी की समस्या दूर करने के साथ खपत को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में तेजी के उपाय पर ध्यान देना होगा मध्यम अवधि की विकास क्षमता को भी बढ़ाना होगा निवेश के जरिए हमें एक व्यापक वित्त आधारित प्रोत्साहन की आवश्यकता है, कर व्यवस्था में सुधार एक बड़ा कदम हो सकता है, सरकार को सोचना होगा कि क्या नौकरशाही ने वृद्धि में बाधा पहुंचाई है, निजी क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे बैंकिंग में न्यूफेक्चरिंग रियल स्टेट, आटो मोबाइल और कृषि जैसे क्षेत्रो में निवेश को बढ़ाने पर रियल स्टेट आटो मोबाइल और कृषि जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने पर ध्यान दे टेलीकॉम कम्पनीयों के लिए इसमें निवेश का व्यवहारिक विकल्प तलाश करे।

वर्तमान सरकार की रोजगार सृजन के क्षेत्र में क्या करना चाहिए इस पर १८ फीसदी लोगो का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का विस्तार होना चाहिए ३२ प्रतिशत का मानाना है कि सरकार को कर छूट के जरिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए, २० प्रतिशत ने स्टार्ट—अप को बढ़ावा देने का भी सुझाव सुझाव दिया है, सरकार भी अर्थव्यवस्था में सुस्ती को लेकर सतर्क है, रिपोर्टो से पता चलता है कि प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा जल्द की जा सकती है।

निष्कर्ष —

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते है कि वैश्विक मंदी की भयावय इसी तरह बना रहा तो विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, रोजगार के अवसर घटने से बेरोजगारी बढ़ेगी साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक संकट का राक्षस जनता एवं शासन वर्ग की नींद उड़ा देगा, युवा पीढ़ी गहरे तक प्रभावित हो सकती है, इस मंदी से निजात पाने के लिए ठोस कदम उठाने होगें, विशेषकर बैकिंग प्रणाली को ठोस बनाना होगा, रेपोर्टेट सी. आर. आर. कम कर तरलता में वृद्धि करना, शेयर बाजारो में स्थिरता टेक्स में छूट देकर सरकारी खर्चो में वृद्धि करना होगा, आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के तमाम नए अवसर मुहैया कराने होंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना की फंडिंग निवेश को बढ़ावा, ब्याज दरों में कमी के अतिरिक्त आर्थिक पैकेज जारी कर इस गंभीर समस्या से निजात दिलाई जा सकती है, कम्पनियों पर रियायते घरेलू उत्पाद को उत्प्रेरित करने तथा मांग व रोजगार बढ़ाने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश, व्यक्ति की आय व उपभोग में बढोतरी, खेती में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय रोजगार गांरटी कार्यक्रम का विस्तार, ढांचात्मक सुविधाओं में वृद्धि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार तथा वित्तिय उदारीकरण पर रोक लगाने जैसे ठोस उपाय पर विचार करना होगा।

संदर्भ सूची :—

१. योजना, नवम्बर—२००८
२. इंडिया टूडे — अगस्त — २००९
३. डाउन टू—अर्थ — जनवरी २०२०
४. इंडिया टूडे — अक्टूबर २०१९
५. इंडिया टूडे — सितम्बर २०१९
६. योजना, मई — १९९७
७. योजना — २००८

Mrs. Jyoti Sahu

MAH/MUL/ 03051/2012 ISSN :2319 9318

आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक शोध पत्रिका

विद्यावार्ता™

April To June 2021
Issue 38, Vol-03

Date of Publication
01 April 2021

Editor
Dr. Bapu g. Gholap
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

विद्येविना मति गेली, मतीविना नीति गेली
नीतिविना गति गेली, गतिविना वित्त गेले
वित्तविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले

-महात्मा ज्योतीराव फुले

❖ विद्यावार्ता या आंतरविद्याशाखीय बहूभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मतांशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. न्यायक्षेत्र:बीड .

"Printed by: **Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.** Published by **Ghodke Archana Rajendra** & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Bapu Ganpat**.

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com
All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

श्रीमति ज्योति साहू

SHODH CHETNA – YEAR-7 (JAN. TO JUN., 2021) VOL. 1&2
A Peer-Reviewed
International Reffered &
Multifocal Research Journal

ISSN : 2350-0441
SJIF - 4.076

SHODH CHETNA Year 2021 Vol. I PRAYAGRAJ

छत्तीसगढ़ में श्रम पलायन : कारण, समस्या एवं समाधान

□ डॉ. के.एल. टाण्डेकर*
□ श्रीमती ज्योति साहू**

शोध सारांश

पलायन विकास एवं विस्तार की चाहत में स्थानांतरण की स्वभाविक प्रक्रिया है, इससे विकास के साथ–साथ बढ़ता रोजगार एवं आय की परिकल्पना साकार होती है, पलायन से गांवों की दशा बदल रही है, वही अब गांवो में शहरी वातावरण की झलक दृष्टिगोचर हो रही है, तीव्र गति से पलायन के कारण सामाजिक विसंगतियों का जन्म हो रहा है, शिक्षा रोजगार एवं बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाकर पलायन की गति को कम किया जा सकता है, पलायन के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार के परिणाम स्वरुप उन पर ऋण का बोझ कम हुआ है फिर भी पलायन को रोकना सरकार पर निर्भर है।

प्रस्तावना :–

परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो पलायन मनुष्य की परिस्थिति जन्य आवश्यकता है, भले ही पलायन अल्पकालीन हो, दीर्घकालीन या जीवनपर्यन्त, पलायन के प्रायोजन व स्वरूप भी भिन्न–भिन्न होते हैं, एकल प्रवास परिवार सहित प्रवास अथवा सामूहिक प्रवास इसी तरह देश काल परिस्थिति घटित घटनाएं भी मनुष्य को पलायनवादी बना देती है, वर्तमान परिवेश में ज्यादातर लोग सामान्य तौर पर जीवकोपार्जन, रोजगार प्राप्त करने, जीवन को बेहतर बनाने या अन्य किसी उद्देश्य से पलायन करते है, वैश्विकरण के इस दौर में मनुष्यों का पलायनवादी होना वर्तमान शताब्दी की एक बड़ी विशेषता बन गई है, भारत में पलायन की प्रवृत्ति गांवों से नगरों की ओर रही है, वर्ष 1911 से वर्ष 1961 तक के जनसंख्या का पलायन शहरों की ओर बना हुआ है, स्वतंत्रता के बाद पलायन की प्रवृत्ति में और वृद्धि देखी गई, वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का 82.7 प्रतिशत भाग गांवो में रहता था जबकि सिर्फ 17.3 प्रतिशत भाग ही शहरों में निवास करता था , यदि 1961 से 1991 तक के 80 वर्षो मे देखे तो स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के बाद पलायन को अत्यंत प्रोत्साहन मिला है, वर्ष 1911 से 1941 तक कुल 30 वर्षों में पलायन सिर्फ 27 प्रतिशत की थी जबकि 50 वर्षों में (1951 से 2001 तक) करीब 13 प्रतिशत जनसंख्या गांव से शहरों की ओर स्थानांतरित हुई है, पलायन के अनेक कारण हो सकते है, इन कारणों में भारत में जो अधिक महत्वपूर्ण है, जनसंख्या में वृद्धि, कुटीर उद्योगों का पतन, भूमिहीन कृषक, ऋणग्रस्तता, तथा सामाजिक अयोग्यताएँ है।

* प्राचार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)
** अतिथि व्याख्याता, वाणिज्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, राजनांदगांव (छ.ग.)

39) जयप्रकाश नारायण और युवा राजनीति
डॉ० राजकुमार यादव, बाँदा (उ०प्र०) ||168

40) अकबर दरबार के प्रमुख चित्रकार
DR.SURENDRA SINGH YADAV, PRAYAGRAJ ||171

41) हरियाणा की लोक संस्कृति का धार्मिक पक्ष
रेखा यादव, जयपुर ||174

42) अनुसूचित जाति, अनु.जन. जाति वर्गो के आय एवं रोजगार सृजन में छत्तीसगढ़ ...
डॉ.के.एल. टाण्डेकर, डॉ. राजेन्द्र शर्मा & डॉ. श्रीमती ज्योति साहू ||179

43) Social Entrepreneurship in India – Opportunities and Challenges in the ...
Mr. Sachin Gangadhar Magar & Prof.Dr.S.N.Waghule, Dist-Beed (MS) ||184

44) मराठी रंगमंच : क्रमि विकास
प्रा. सुनिल बाबुराव काळे, जि. औरंगाबाद ||188

45) हरियाणवी लोकगीतों में महात्मा गांधी
श्री अमित कुमार, नई दिल्ली ||191

www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com

सर्वविदित है कि छ.ग. में मानव श्रम की स्थिति भी अच्छी है परंतु फिर भी छ.ग. में पलायन की समस्या वृहद रूप ले रही है, भेभव पूर्व सामाजिक व्यवस्था, ऋणग्रस्तता, प्राकृतिक प्रकोप, लघु एवं कुटी उद्योगो का पतन, शहरी आकर्षण ने छग के श्रमिको को पलायन हेतु प्रोत्साहित किया है, छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा ही राज्य है, जहां के श्रमिक देश के कोने–कोने में पाये जाते है, राज्य बनने के बाद इस क्षेत्र की बहुत सी विशेषताएं सामने आ रही है जिसमें श्रमिक पलायन की समस्या प्रमुख है, छ.ग. में श्रमिकों के पलायन का इतिहास कई दशकों पुराना है, प्रति वर्ष पलायन की प्रवृति राज्य के श्रमिकों की आदत बनते जा रही है।

अवधारणा :–

विश्व व्यापिकरण के युग में परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाओं क्रियाशील है, उनमें पलायन भी एक प्रमुख प्रक्रिया है, पलायन को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, साधारण बोलचाल की भाषा में श्रमिको का एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़े समय के लिए घूमने–फिरने जाना या अस्थायी रूप से बस जाना पलायन की श्रेणी में आता है, परंतु सैद्धांतिक रूप से किया गया स्थान परिवर्तन है, जनसंख्या का एक भाग अपने ग्रामीण जन्म स्थान को छोड़कर नगर में आकर रहने लग जाता है, प्रवास आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है, एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहा है, इसके पीछे क्या उसकी इच्छा होती है या अन्य बाते या परिस्थिति, प्रवास (पलायन) को प्रोत्साहित करने वाले बहुत से कारक है।

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः मौसमी पलायन की समस्या देखने को मिलती है, अध्ययन से स्पष्ट है कि 33.8 प्रतिशत लोग जनवरी–फरवरी माह में पलायन करते हैं, जबकि 18.4 प्रतिशत लोग मार्च अप्रैल में पलायन कर जाते हैं, स्पष्ट है कि जनवरी में अप्रैल की तुलना में अधिक पलायन होता है, शेष पलायनकर्ता वर्षभर आने–जाने के क्रम में लगे रहते है, अर्थात धीरे–धीरे पलायन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है किन्तु सार्वधिक पलायन जनवरी–अप्रैल माह के मध्य ही होता है, इन पालयनकर्ता श्रमिकों की वापसी जून–जुलाई माह में सर्वाधिक 54.2 प्रतिशत से अधिक रहती है, यह वह समय होता है जब कृषि कार्य प्रारंभ किया जाता है, स्पष्ट है कि छत्तीसगढ राज्य में वैसे तो पलायन की प्रवृति यहां मौसमी प्रकृति की है, कृषि कार्य समाप्ति के बाद लोग रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते है और कृषि प्रारंभ के समय वापस आ जाते है।

श्रम पलायन कारण : समस्या एवं समाधान

छ.ग. राज्य प्राकृतिक सम्पदा खनिज सम्पदा एवं वन सम्पदा से परिपूर्ण राज्य है, इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, मानव श्रम की स्थिति अच्छी है परंतु फिर भी यहां पलायन की समस्या विकराल रूप ले रही है, छ.ग. में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, सूखा, अधिक श्रम मूल्य की चाहत, भौतिकवादी जीवनशैली, आवागमन के सुविधाओं का विस्तार आधारभूत संरचना की कमी जनसंख्या पर कृषि का बढ़ता दबाव एवं भेदभाव पूर्व सामाजिक व्यवस्था, ऋणग्रस्तता, प्राकृतिक प्रकोप लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन एवं शहरी आकर्षण ने छ.ग. के श्रमिकों को पलायन हेतु प्रोत्साहित किया है। मूल निवास की विषय भौगोलिक परिस्थितियां अकाल व सूखे की स्थिति उन्हें पलायन करने के लिए बाध्य करती है।

छत्तीसगढ़ राज्य में श्रम पलायन की वास्तविक स्थिति टाइम्स आफ इंडिया में छग सरकार द्वारा अधिकारिक तौर पर प्राप्त आकडों के अनुसार पिछले (वर्ष 2012–15) तीन वर्षों में 95324 लोगों ने अन्य क्षेत्र में पलायन किया है, इसमें सर्वाधिक 29190 जांजगीर चांपा एवं सबसे कम (62) कोरबा जिलो से पलायन हुआ है, छ.ग. का प्रमुख व्यवसाय कृषि है, यहां की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जिसमें 25 प्रतिशत कृषि श्रमिक है और यही वर्ग पलायन से ज्यादा प्रभावित है, यहां के 37.46 लाख जिसमें से 55 प्रतिशत सीमांत कृषक परिवार में से 76

प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी के है, केवल 31 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, यहां की लगभग 53 प्रतिशत कास्त भूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण दूसरी फसल लेना संभव नहीं है, कृषि हेतु आवश्यक संरचना, बीज प्रक्रिया केन्द्र प्रशिक्षण केन्द्र, खाद एवं गोदाम की व्यवस्था अभी शुरूआती दौर में होने के कारण कृषक केवल कृषि से अपनी आजीविका नही चला पाते, इसलिए विवश होकर पलायन को मजबूर होते है, प्रदेश में खनिज संपदा का भंडार है, किन्तु खनिज संपदा से संबंधित उद्यागो में रोजगार संरचना ग्रामीणों के लिए उपयुक्त नही है, यहा पूंजी कौशल एवं आधारभूत संरचना के कमी के कारण पलायन बरकरार है।

छ.ग. सरकार की औद्योगिक नीति भी रोजगार के अवसर बढ़ाने में ज्यादा सार्थक सिद्ध नहीं हो पायी है, उद्योगों से अनेक प्रकार से उत्पादन होता है, उसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, समुचित उद्योग नीति एवं ग्रामीण श्रमिक के रोजगार को समन्वय स्थापित न होने के कारण भी यहां श्रमिक पलायन को मजबूर हो रहे है। प्रदेश के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन में विद्युत क्षेत्र तथा परिवहन एवं संचार माध्यमो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो सामान्य जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है किन्तु इन आधारभूत संरचना से भी ग्रामीण श्रमिको की स्थिति के सुधार नही हुआ, सत्र 2011 की जनगणना के अनुसार छग की जनसंख्या 253 मिलीयन है, यहां 76.76 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है, पिछले पांच दशको के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आयी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, स्वच्छता, जल व्यवस्था एवं रहन–सहन, चिकित्सा, ग्रामीण विकास हेतु अनेक योजनाएं संचालित है, प्रमुख रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, विहान (NRLM) , दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना संचालित है, किन्तु योजना के उद्देश्य की समझ न होने तथा जागरूकता के अभाव के कारण प्रदेश से पलायन निरंतर जारी है, छग में श्रमिको के पालयन का मुख्य कारण वर्षभर रोजगार का अभाव, अधिक मजदूरी की लालसा, कृषि भूमि का अभाव, एवं खेत का छोटा आकार, समुचित सिंचाई के साधनों का अभाव, कृषि पद्यति उपकरण तथा यंत्र जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, गरीबी, लघु व कुटीर उद्योगो का पतन एवं औद्योगिक नगरीकरण, व्यापार, व्यवसाय के प्रति अरूचि , अज्ञानता, एवं दूषित मानसिकता, ऋणग्रस्तता, सरकारी नीतियों, योजनाओं का पूर्व लाभ नही मिलना, मितव्ययिता का अभाव, अकाल तथा राजनीतिक संस्कृति की विकृतियां प्रमुख है। छ.ग. प्रदेश में श्रमिक पलायन की वर्षवार स्थिति निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया है –

तालिका

छ.ग. प्रदेश में श्रम पलायन के आंकड़े

क्र.	वर्ष	पलायन
1	1998-1999	209936
2	1999-2000	208909
3	2000-2001	565341
4	2001-2002	150093
5	2002-2003	114781
6	2003-2004	83743
7	2004-2005	65101
8	2005-2006	61941
9	2006-2007	55964
10	2007-2008	34326
11	2008-2009	31490

स्त्रोत – भारत में मानव प्रवास प्रवृतिया कारण व प्रभाव शोध स्मारिका 2009

समस्या / समाधान :–

पलायन की इस प्रकृति का सबसे बड़ा ऋणात्मक पक्ष है, प्रतिभा का तेजी पलायन हो रहा है, इसके अतिरिक्त शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ने के

कारण गंदी बस्तियों का जन्म होता जा रहा है एवं सामाजिक अपराधो में वृद्धि के साथ प्रशासन की समस्या भी बढ़ रही है, साथ ही पलायनवादी व्यक्ति बड़ी आशाएं और उम्मीद रहने के कारण उनके पूर्ण न होने पर मानसिक असंतोष बढ़ते जा रहा है, जीविकाविहिन मजदूर लाचार एवं मजबूर होकर अपने बाल–बच्चो तथा अपने आश्रितो के साथ जीविकोपार्जन के लिए पलायन करता है, पलायन का दौर उन्ही क्षेत्रो में सबसे अधिक हो रहा है, जो आधुनिक विकास के लाभ से वंचित है आधुनिक संचार प्रणाली से दूर जहां साक्षरता न्यूनतम है, घोर गरीबी की विवषता से अभिशप्त छत्तीसगढ़ के श्रमिक एक दूसरे क्षेत्रो में पलायन मानवीय त्रासदी की ऐसी गाथा है, जिस पर कभी सजींदगी के साथ चिंतन नहीं किया गया।

प्रवास आधुनिक भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, इस विशेषता के परिणाम अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म और विकास हुआ है, प्रवास के प्रमुख कारण है एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर क्यो जाता है, ऐसा करना उसकी इच्छा है या कुछ ऐसी समाजिक आर्थिक परिस्थितियां होती है, जिनसे विवश होकर ही व्यक्ति पलायन का रास्ता अपनाता है, पलायन से सामाजिक एवं सांस्कृतिक अलगाव का जन्म पारिवारिक विघटन, धार्मिक विघटन, नैतिक पतन, अस्थिर जीवन, गंदी बस्तियों का जन्म अपराधो में वृद्धि, मद्यपान, जुआखोरी जैसे अपराधो में वृद्धि, आर्थिक विघटन जैसे– चोरी, डकैती को प्रोत्साहन मिलता है, साथ ही निम्न स्वास्थ्य स्तर, मानसिक असंतोष में भी वृद्धि होती है।

समाधान/सुझाव :–

छ.ग. राज्य में पलायन की बढ़ती प्रवृति को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे है, किन्तु फिर भी यह समस्या यथावत बनी है, वरन निरंतर बढ़ रही है। छ.ग. राज्य से अन्य प्रदेशो में सरकार ने गम्भीरता से लिया है, समय समय पर इसके लिए कार्य योजनाएं बनाई जाती रही है, वर्तमान में राज्य के 28 जिलो में पलायन रोकने के लिए जो योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही है, उसके तहत् लाखो श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, केन्द्रीय सरकार द्वारा भी अलग अलग योजनाओं के संचालन हेतु करोड़ो रूपये छ.ग. शासन को उपलब्ध कराया जा रहा है, केन्द्र एवं राज्य सरकार के इन अथक प्रयत्नो के बाद भी श्रमिको का पलायन निरंतर जारी है।

छ.ग. सरकार द्वारा श्रम पलायन के समाधान के संबध में स्पष्ट रूप से कहा गया है, कि ग्रामीण जन जीवन का स्तर ऊँचा उठाने प्रयासरत है। जिसमें गरीब परिवारो को 100 से 150 दिन का रोजगार प्रध ानमंत्री सड़क योजना सिंचाई एवं पेयजल की योजना, महिला स्वयं–सहायता समूह, राष्ट्रीय कृषि उत्पाद को बिचौलियो के हाथो में न बेचकर सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय किया जा सके इसका उद्देश्य कृषि श्रमिको को सीधा लाभ पहुंचाना है, राज्य सरकार उत्पादित फसलो (धान) पर प्रति क्विंटल बोनस भी प्रदाय कर रही है।

शासकीय स्तर पर पलायन के व्यवहार का प्रभाव राजनीतिक दृष्टिकोण से निराकरण किया जाना आवश्यक है, राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक सावधानी से ऐसे प्रयास किया जाए जो अधिक से अधिक श्रमिको को अपने ही क्षेत्र में रहने के लिए प्रोत्साहित कर सके। सिंचाई व्यवस्था की अत्याधुनिक और नई तकनीक के विकास हेतु प्रयास किया जाना चाहिए, इस क्षेत्र में लघु और कुटीर उद्योगो की उपेक्षा हो रही है, छ.ग. शासन द्वारा उसे भी पुर्नस्थापित किया जाना चाहिए अध्ययन से यह बात सामने आई है कि सरकारी प्रयास अपर्याप्त है, सिर्फ घोषनाऐं और कागजी कार्य वाहिया पलायन को रोकने में अक्षम साबित हो रही है, सरकारी आंकड़े सही नहीं है स्थाई स्तर पर ग्राम पंचायतो को आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए यदि ग्राम स्तरो पर ही पंचायते कुछ कर सके तो श्रमिक बाहर नहीं जा सकता स्थानीय स्तर पर शासक के द्वारा निर्धारित मजदूरी अकार्य का कारण ना बने, वैसे प्रतिवर्ष पलायन की दरो में कमी आ रही है यह

स्तर आर्थिक सृदृढ़ता की ओर धीरे–धीरे बढ़ रहा है, फिर भी पलायन पर अधिक सक्रीय और ईमानदार शासकीय प्रयासो की आवश्यकता है।

छ.ग. राज्य में यदि पलायन की समस्या का निदान करना है तो यहां की कृषि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ बनाना होगा, कृषि को उन्नतिशील बनाना होगा क्योकि यहां के लोगो के जीवन यापन का एक मात्र आधार कृषि है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना होगा यद्यपि राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज का पर्याप्त मूल्य दिया जा रहा है, इसके बावजूद स्थायी हल तभी संभव है जब कृषि में सिंचाई यंत्रीकरण अच्छे बीज, खाद की उपलब्धता को सुनिश्चित कर पलायन को रोका जा सकता है, और स्थानीय मानव संसाधन का बेहतर उपयोग कर विकास को गति दी जा सकती है।

निष्कर्ष :–

निष्कर्ष रूप से हम कह सकते है कि छ.ग. राज्य ही नहीं वरन सम्पूर्ण देश में मजदूरों का पलायन एक प्रमुख समस्या है, श्रम पलायन रोकने तमाम योजनाऐ अनुपयोगी सिद्ध हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इस विषय पर गंभीरता पूर्णक विचार करना होगा श्रम पलायन से शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक परिवेश विकास में बाधा तथा तनावपूर्ण पारिवारिक जीवन को संतुलित कर ही हम विकास की कल्पना कर सकते है छ.ग. से श्रमिको का पलायन मानव मात्र का पलायन नहीं है अपितु छ.ग. के आर्थिक विकास की क्षमताओं का भी पलायन है, पलायन की इस प्रवृति को यदि समय रहते नहीं रोका गया तो आगामी वर्षो में इसके दुष्परिणाम छ.ग. राज्य की सामाजिक आर्थिक संरचना के साथ साथ आर्थिक विकास पर भी परिलक्षित होगा राज्य के विकास के लिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, विद्युत सभी क्षेत्रो में विकास को प्रयास करना होगा ताकि श्रम पलायन को रोका जा सके, स्पष्ट है कि छग सरकार ने भी श्रमिको के पलायन को रोकने हेतु सराहनीय प्रयास किया है, शासन ने योजनाएं नीतियां, कार्यक्रम बनाये एवं उनका भलि भांति पालन भी किया है, गांवो में शहरो की सुविधा मुहैया कराकर तथा जन समान्य के अनुकूल कार्यक्रमो को अपनाकर ही हम समता मूलक समाज स्थापित कर सकेंगे, जो पालयन को रोकने का मजबूत आधार होगा ।

संदर्भ सूची :–

1. ग्रामीण श्रमिको का पलायन कारण एवं निदान (Review of Research, Feb . 2018)
2. छ.ग. का आर्थिक सर्वेक्षण – 2016
3. भारतीय अर्थव्यवस्था–रूद्रवत सुंदरम
4. कुरूक्षेत्र फरवरी 2012, 2014

Mr. Vasudev Sahu

ISSN: 2394 5303 | Impact Factor 7.891(IIJIF) | Printing Area® Peer-Reviewed International Journal | May 2021 Issue-76, Vol-01 | 01

आंतरराष्ट्रीय बहुभाषिक शोध पत्रिका

प्रिंटिंग एरिया

Printing Area International Interdisciplinary Research Journal in Marathi, Hindi & English Languages

May 2021, Issue-76, Vol-01

Editor

Dr. Bapu g. Gholap

(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

"Printed by: **Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.** Published by **Ghodke Archana Rajendra** & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Bapu Ganpat.**

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.

At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed

Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295

harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

32

भारत में मानव प्रवास — प्रवृतिया, कारण व प्रभाव

डॉ.के.एल.टाण्डेकर
प्राचार्य,
शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़,
जिला — राजनांदगांव छ.ग.

श्री वासुदेव साहू
अतिथि व्याख्याता — वाणिज्य,
शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़,
जिला — राजनांदगांव छ.ग.

शोध सारांश :—

वर्तमान परिदृश्य में दुनिया के अधिकांश देशो में रोजगार सृजन एवं मानव प्रवास की प्रवृति सरकारो एवं आर्थिक योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं चिंता का विषय है, भारत भी इससे कोई अपवाद नहीं है, बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु योजनाएं एवं नीतियो के क्रियान्वयन के बारे में कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए जिससे कि रोजगार में वृद्धि की जा सके भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवो में निवास करती है, इसका मुख्य कारण गांवो से शहरो की ओर पलायन है, आदेश को विकसित देशो की श्रेणी में लाने के लिए गांवो में बुनियादी विकास मूल की आवश्यकता है, देश में ज्यादा कुरितियों को समूह नष्ट करना होगा तथा हर जगह शिक्षा की अलग जगानी होगी जनता में जनचेतना का उदय होगा तभी वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे आजादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था में सामुदायिक विकास तथा योजनाबद्ध विकास की अनेक योजनाओं से गांवो की हालात बेहतर बनाने और गांव वालो के लिए रोजगार के अवसर जुटाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता रहा है। ७३ वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज संस्थाओ को और अधिक मजबूत तथा अधिकार सम्पन्न बनाया गया है और ग्रामीण विकास में पंचायत की भूमिका काफी बढ़ गई है, इस प्रकार से गांव में षहरो जैसी बुनियादी जरूरत उपलब्ध करवाकर मानव प्रवास (पलायन) की पश्वृति को सुलभ साधनो से रोका जा सकता है।

प्रस्तावना :—

सृष्टि की रचना और पृथ्वी में मानव की उत्पत्ति के पश्चात् मनुष्यों की जीवन यात्रा प्रारम्भ हुई, अतीत में मनुष्य कबीले में रहा करते थे तथा भोजन की तलाश में यहां वहां विचरण करते थे यह स्वाभाविक भी था, इस युग में मनुष्यों का जीवन शिकारी एवं संग्रह ही जीवन था कालातंर में मनुष्य को अग्नि और धातु का ज्ञान हुआ और इन्होंने स्थायी जीवन यापन करना प्रारम्भ किया मानव सभयता के इसी विकासकाल से मनुष्यों ने कृषि पशुपालन और उद्योग धंधे करना प्रारम्भ किया।

प्रवास एक सामाजिक समस्या है, भारत में प्रवास ग्रामो से शहर की ओर जनसंख्या का पलायन हुआ गांवो से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन हुआ स्वतंत्रता के पश्चात् प्रवासी पृवृति में और वृद्धि हुई, १९५१ में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत १२.६२ था वह २००१ में बढ़कर २७.८ प्रतिशत हो गया १९७१ में जहां शहरों की संख्या २३५१ थी वहीं २००१ में बढ़कर ५१६१ हो गई, १० लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या २३५१ थी वहीं २००१ में बढ़कर ५१६१ हो गई, १० लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या ९ से बढ़कर ३५ हो गई, इस बढ़ते महानगरो की संख्या में मूल रूप से योगदान गांवो से पलायन करने वाली जनसंख्या का ही है।

प्रवास मानव समुदाय की मूलभूत प्रकृति है, प्राचीन समय से ही मनुष्य जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहा है, वर्तमान समय में भी ग्रामीण क्षेत्रो से कृषक वर्ग अपनी आजीविका हेतु वर्ष के कुछ माह दूसरे स्थान पर आय अर्जन हेतु जाता है, और कृषि कार्य के समय पुनः अपने स्थान

27) कविवर कुँवर नारायण के कविताओं में राजनीतिक जीवन
डॉ. गफार सिकंदर मोमीन ||138

28) साहित्य में प्रकृति
डॉ.दीप्ति गोस्वामी, रायपुर, छत्तीसगढ़ ||140

29) वायु प्रदूषण का मनुष्य के स्वस्थ्य पर प्रभाव
डॉ० मुहम्मद मुस्तकीम, कानपुर ||144

30) जातिवाद पर डॉ. भीम राव अम्बेदकर के विचार एक अवलोकन
राजीव रंजन, नवादा ||148

31) भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की समस्याएं और उसका समाधान
सुदर्शन सिंह, उन्नाव ||150

32) भारत में मानव प्रवास — प्रवृतिया, कारण व प्रभाव
डॉ.के.एल.टाण्डेकर & श्री वासुदेव साहू, जिला — राजनांदगांव छ.ग. ||155

33) स्त्री सरोकारों की कविता —कात्यायनी
डॉ. गौरी त्रिपाठी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ||159

34) भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व : चौधरी चरण सिंह ...
डॉ. विद्रेश कुमार, फलावदा (मेरठ) ||163

35) शिक्षकों की शैक्षणिक अभिवृत्ति एवं विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि एक अध्ययन
शिखा त्रिपाठी, satna mp ||165

36) वर्तमान विकास एवं राजनीति में भारत चीन साझेदारी
रमेश राम, अल्मोड़ा (उत्तराखंड) ||167

37) प्राकृतिक प्रबन्धन तन्त्र
डॉ० दीपशिखा, अलीगढ़ ||176

38) मीडिया की बदलती भाषा
डॉ.जयकृष्णन. जे., तिरुवनन्तपुरम ||180

39) मतदान व्यवहार का सैद्धान्तिक विश्लेषण
गौतम, झाँसी ||182

पर वापस आ जाता है, यह पूर्णतः अस्थायी प्रवास होती है।

विश्वव्यापीकरण के युग में परिवर्तन की अनेक प्रकियाएं क्रियाशील है उनमें प्रवास की एक मुख्य प्रकिया है, प्रवास को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए विकसित और विकासशील देशो के बीच सभी क्षेत्रो में संबध तेजी से बढ़ते जा रहे है, जिसके फलस्वरूप बाह्य प्रवास में तेजी आ रही है, प्रवास की इस प्रवृति का सबसे बड़ा ऋणात्मक पक्ष है कि प्रतिभा का तेजी से हो रहा पलायन है, शहरो में जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण गंदी बस्तियों का जन्म होता जा रहा है एवं सामाजिक अपराधो में वृद्धि के साथ प्रशासन की समस्या भी बढ़ रही है, साथ ही प्रवासी व्यक्ति की बढ़ी आशाएं और उम्मीदे रहने के कारण उनके पूर्ण न होने पर मानसिक असंतोष बढ़ते जा रहे है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भविष्यवाणी की जा रही है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष २०५० तक विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था होगी वर्ष १९८० के विकास हेतु जो प्रयास किए गए थे उसके सुखद परिणाम की अनुभूति भविष्य में होना संभव है। विश्व की दसवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने और कम क्षमता में चौथा स्थान होने के कारण भारत अप्रवासी भारतीयों के निवेश के संभावित स्थल के रूप में उभर कर आया है, यहां कुशल श्रमिको का भण्डार है भारत के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किफायती श्रमिक बड़े पैमाने पर उद्यमी और विविध उत्पादन क्षेत्र विषमान है।

अवधारणा :—

प्रवास एक जटिल किंतु आधारभूत सामाजिक प्रक्रिया है, जिसकी सरलतापूर्वक व्याख्या कर पाना संभव नहीं है, जटिल सामाजिक प्रक्रिया होने के साथ—साथ प्रवास में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लक्ष्य भी होते है, साथ ही यह जटिल सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जनांकिकी शब्द कोश के अनुसार देशान्तरण निवास स्थान को परिवर्तित करते हुए एक भौगोलिक इकाई से दुसरे भौगोलिक इकाई में विचरण का एक प्रकार है एजेनस्टे ने प्रवास को किसी व्यक्ति या समूह का एक समाज से दूसरे समाज की ओर भौतिक रूपातंरण माना है, इस स्थानांतरण में एक सामाजिक परिवेश को छोड़कर दूसरे सामाजिक परिवेश में प्रवेश करना होता है, प्रवास व्यक्ति अथवा समूह के एक भौगोलिक सीमा से दूसरे भौगोलिक सीमा में कुछ उद्देश्यो को लेकर गमन की प्रक्रिया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रीय प्रवास जहां तक ग्रामीण नगदी प्रवास का संबध है विकासशील देश के रूप में भारत में इसका विशेष महत्व है, भारत की कुछ जनसंख्या का ७२.२२ प्रतिशत भाग गांवो व संबधित कियाओं में संलग्न है, भारत में ग्रामीण प्रवास तीव्र औद्यौगीकरण व नगदीकरण वाले प्रांतो की ओर अधिक देखने को मिलता है, साथ ही उन प्रांतो में यह प्रक्रिया ज्यादा प्रभावशील है जो प्रांत अर्थिक रूप से पिछड़े हुए है, जहां अभी भी कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में देखी जा सकती है।

मूल निवास की विषय भौगोलिक परिस्थिति अकाल व सूखे की स्थिति उन्हें पलायन करने के लिए बाहय करती है, प्रति वर्श पलायन की पश्वृति श्रमिको की आदत बनते जा रही है, साधारण बोलचाल की भाषा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़े समय के लिए घूमने फिरने जाना या अस्थायी रूप से बस जाना प्रवास माना जाता है, परंतु सैद्धांतिक रूप से प्रवास का वास्तविक अर्थ स्थायी रूप से किया गया स्थान परिवर्तन है। आज एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहा है इसके पीछे क्या उसकी इच्छा होती है या अन्य बाते या परिस्थितिया? प्रवास को प्रोत्साहित या प्रभावित करने वाले बहुत से कारक है इन कारको में आर्थिक सामाजिक, धार्मिक मनोवैज्ञानिक राजनैतिक एवं शैक्षणिक महत्वपूर्ण है, प्रवास के परिणाम स्वरूप समाज को नहीं है एक ओर अनेक लाभ होते है, वहीं इसके प्रभाव से नगरो में अनेक नई समस्याओ का जन्म भी होता है।

मानव प्रवास—कारण, परिणाम एवं सामाधान:—

मानव स्वभाव से ही घुमंतू पश्वृति का रहा है मानव विकास का इतिहास इस बात का गवाह है कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर भ्रमण करता है, वह भूमि एवं साधनो की खोज हेतु महामारियो,

युद्ध, अत्याचार, भेद भाव, धर्मप्रचार तथा उन्नत जीवन की आशा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता रहा है, अन्य शब्दों में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को आता जाता रहता है। जिसके परिणाम स्वरूप उसका निवास स्थान बदल जाता है मानव प्रवास के प्रमुख कारण १ बेरोजगारी २ कम निजी अवसर ३ प्राकृतिक असुंतलन ४ राजनैतिक प्रभाव ५ भेदभाव प्रदूषण है, इसी प्रकार प्रवास के भी दो प्रकार माने जाते है १ आंतरिक प्रवास — एक राष्ट्र के लोगो का उसी राश्ट्र के अंदर किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना २ सुविधा की दृष्टि से आंतिरक प्रवासो को निम्नलिखित चार भागो में बांटा जा सका है १ गांवो से नगरो की ओर पलायन २ एक ग्राम से दूसरे ग्राम की ओर प्रवास ३ एक नगर से दूसरे नगर की ओर प्रवास ४ नगर से गांव की ओर प्रवास ५ अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास, सन् १९११ से २००१ तक की जनसंख्या के आंकड़ो के बाद के प्रमाण है, कि निरंतर ग्रामीण जनसंख्या का प्रवाह शहरो की ओर बना हुआ है। १९११ में भारत की जनसंख्या का ८९.७ प्रतिशत भाग गांवो में निवास करता था जबकि १०.३ प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती थी जो कि १९५१ में क्रमशः ८२.७ प्रतिशत था १७.३ प्रतिशत थी, वही २००१ में ७२.२ प्रतिशत एवं २७.८ प्रतिशत हो गई इसी प्रकार यदि भारत में प्रवासी पश्वृति के ९० वर्षो में १९११ से २००१ के आंकड़ो का विश्लेषण को तो स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के बाद प्रवासी पश्वृति को अत्यंत प्रोत्साहन मिला है, आधुनिक भारत की सबसे गम्भीर समस्या प्रवास है, इस समस्या के परिणाम स्वरूप अनेक समस्याओ का जन्म हुआ है अर्थात प्रवास के घातक परिणाम सामने आए है, जैसे प्रवसन, जनसंख्या में वृद्धि लघु एवं कुटीर उद्योगो का पतन, कृषको की भूमिहीनता एवं ऋणग्रस्तता, सामाजिक अयोग्यता, संयुक्त परिवार, पारिवारिक कलह, शिक्षा एवं रोजगार, बेरोजगारी, नगरो का आकर्षण तथा उन्नत जीवन की लालसा आदि प्रमुख है, प्रवास की पश्वृति के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक संघर्ष, आर्थिक एवं धार्मिक विघटन, पारिवारिक विघटन, नैतिक पतन कर्यक्षमता का ह्रास, बेरोजगारी का भय आदि अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

प्रवास से न केवल अंतर वैयक्तिक संबधो का ह्रास होता है बल्कि अलगाव की भावना भी बढ़ती है समाज में वर्ग भेद शिक्षा, स्वास्थ्य आवास की समस्या को भी बढ़ावा मिलता है, परिव्रजन से कही जनसंख्या का दबाव घटता है तो वही दूसरी ओर अनेक समस्याऐ उत्पन्न होती है, वर्तमान में निरंतर परिवर्तित हो रहे सामाजिक आर्थिक परिवेश के संदर्भ में भारत की ग्रामीण जनसंख्या को गांवो से नगरो एवं महानगरो की ओर पलायन की पश्वृति में अप्रत्यासित वृद्धि हुई है, जिसने न केवल जनसंख्या नियोजको एवं नीति निर्धारिको के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है अपितु क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक विकास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, ग्रामीण क्षेत्रो से जनसंख्या के अधिकाधिक पलायन से न केवल ग्रामीण क्षेत्रो की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, अपितु कालिक परिप्रेक्ष्य में पलायनकर्ताओ के गंतव्य स्थल की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है।

शहर की आबादी बढ़ते गांवो की उपेक्षा का परिणाम है ग्रामीण क्षेत्रो से पलायन से जहां गांव खाली हो रहे है वहीं कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है, गांवो में मजदूरो की समस्या भी बढ़ती जा रही है पलायन करने वाले नगरो से चर्चा करने पर उनका जवाब होता है कि अधिक अल्वअर्जित करने, रोजगार के अवसर उपलब्ध होने, शहरी आकर्षण का मनोरंजन के साधन की उपलब्धता के कारण करते है, साथ ही कुछ मानव प्रवास तो आदतन पलायनवादी है, शासन एवं प्रशासन के अनेको प्रयासो के बाद भी मानव प्रवास की पृवृति बढ़ती जा रही है, केन्द्र एवं राज्य सरकार की पलायन रोकने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाएं असफल ही साबित हो रही है, ऐसा भी कहा जा सकता है कि योजनाओ का सही कियान्वयन नहीं होने से इन योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है वर्तमान में उदाहरण स्वरूप सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना का संचालन किया जा रहा है जिसमें अरबो रूपये खर्च हो रहे है १०० दिनों के बजाए १५० दिन के रोजगार की गांरटी देने का प्रावधान किया गया है, इसके बाद भी मानव

प्रवास पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगाया जा सका है, मानव पलायन नियत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा भी स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दशको बाद से ही इस संदर्भ में अनेक योजनाओं का समय समय पर कियान्वयन किया है, जैसे भूमि सुधार कार्यक्रम (१९७८—७९) सूखा संभावना वाले क्षेत्र के लिए कार्यक्रम (१९७०), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (१९७७—७८) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (१९७८—७९) सीमांत कृषक एवं कृषि रमिक अभिकरण (१९७१) ग्रामीण रोजगार का केश कार्यक्रम काम के बदले अनाज योजना (१९८०) ग्रामीण भूमिहीन कृषको के लिए रोजगार गारंटी योजना (१९८३), ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (१९७९), ग्रामीण क्षेत्रो में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (१९८२) रोजगार गारंटी कार्यक्रम (१९७१—७२), जवाहर रोजगार योजना (१९९०) बेरोजगारो के लिए रूउसर ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (१९८६) शिक्षित बेरोजगार युवको को स्वरोजगार योजना १९८३ नवीन कल्याण कार्यक्रम योजना (१९९४—९५) जवाहर ग्राम स्वरोजगार योजना (१९९९) सुरक्षा योजना १९८३ नवीन कल्याण कार्यक्रम योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (२००१) प्रधानमंत्री ग्रामोद्यय योजना (२०००—०१) आदि स्पष्ट है कि देशांतरण पर नियंत्रण हेतु सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमो के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम वर्षभर चलाये जा रहे है।

सुझाव :—

रोजगार के दृष्टिकोण से पलायन का प्रभाव शहरी करण पर चुनौतियों के रूप में सामने आया है, क्या ग्रामीण क्षेत्र एवं बढ़ते हुए शहरीकरण राष्ट्र के आर्थिक विकास मे सहयोग कर सकेंगे, क्या व्यवसायिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन गरीबी, बेरोजगारी, के निदान का सहायक उपचार सिद्ध हो सकेंगे। अध्ययन के उक्त समाधान में गांवो को लक्ष्य बनाकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास को इंगित कर रहा है ताकि शहरो की ओर पलायन रूक सके, मानव प्रवास पर नियंत्रण करने की महति आवश्यकता है, सरकार को पलायन प्रवृति रोकने में गंभीरता पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाया जायें क्योकि मल भूत सुविधाओं की उपलब्धता पंचायतो के माध्यम से ही हो सकती है। सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पंचायत उचित तरीके से उपलब्ध करने में सक्षम है, लघु व कुटीर उद्योगो को पुन: जीवित किया जाना चाहिए। गांव में परम्परागत व्यवसाय को बढ़ावा देने योजनाओं का क्रियान्वयन हो तथा हस्तशिल्प कारीगरो को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो सकें। माइक्रो फाइनेंस संचार बिजली व्यवस्था को दुरूस्थ किया जाना चाहिए, ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी संगठनो की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ाना होगा ताकि पलायन जैसी समस्या को समाधान किया जा सके। हमारे देश की गामीण जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर घट रहा है, इसके पीछे मुख्य कारण गांवो से शहरो की ओर पलायन है, आज देश को विकसित देशो की श्रेणी में लाने के लिए गांवो में बुनियादी मूल आवश्यकताएं है, गांव में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी, देश में व्याप्त विभिन्न कुरूतियों को समूल नष्ट करना होगा तथा हर जगह शिक्षा की अलख जगानी होगी, शिक्षा के माध्यम से ही ग्रामीण जनता में जन चेतना का उदय होगा तथा वे विकास की मुख्यधारा से जुड सकेंगे।

निष्कर्ष :—

निष्कर्ष रूप से हम कह सकते है कि भारत गामो में बसता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, मानव प्रवास यथा स्थिति से असंतुष्ट मानव को स्वभाव होता है जहां जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है, वहां से लोग पलायन कर जाते है, इस प्रवृति से गांव कसे लगातार पलायन शहरो की ओर बढ़ रहा है, ग्रामीण कृषि मानव के जीवन का आधार है, कृषि का स्वरूप एक फसली ढाचे वाला है, वही ग्रामीण क्षेत्रो की बढ़ती जनसंख्या एवं आवश्यकताओ की वृद्धि ने ग्रामीण क्षेत्रो से श्रम पलायन की प्रवृति में निरंतर वृद्धि की है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय श्रम की अनुपलब्धता ने स्थानीय विकास को प्रभावित किया है, ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्यासेग तथा परम्परागत व्यवसायो का विकास नही होने से जीवन यापन करने

में निश्चित ही समस्या उत्पन्न हुई है। मानव प्रवास ने देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है, सरकार ने भी इस समस्या के निराकरण हेतु समय—समय पर निरंतर प्रयास किया है, पलायन से सिर्फ समस्याऐं ही नही बढ़ी है बल्कि पलायन करने से मानव की आर्थिक स्थिति में सुधार भी हुआ है। यह भी बात सामने आयी है कि पलायन करने वालो की आय पलायन नही करने वालो की तुलना में अधिक बढ़ी है, यह कहा जा सकता है कि मानव प्रवास प्रवृति ने आर्थिक स्थिति में सुधार भी किया है, फिर भलायन को रोकना आवश्यक है, इसके लिए सरकार को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, मानव प्रवास के परिणाम स्वरूप देश में जहां अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है वही दूसरी तरफ इससे अनेको—नेक प्रकार के लाभ भी उत्पन्न होते है, जो देश एवं समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। पलायन (मानव प्रवास) के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार के परिणाम स्वरूप उन पर ऋण का बोझ कम हुआ है, फिर भी पलायन को रोकना सरकार पर निर्भर है, अन्यथा यह सिलसिला चलता रहेगा।

संदर्भ सूची :—

१. ग्रामीण श्रमिको का पलायन कारण एवं निदान (Review Of Research Feb – 2018)
२. छ.ग. का आर्थिक सर्वेक्षण — २०१६
३. भारतीय अर्थव्यवस्था—रूद्रदत सुंदरम
४. कुरूक्षेत्र फरवरी २०१२, २०१४

□□□

33

स्त्री सरोकारों की कविता — कात्यायनी

डॉ. गौरी त्रिपाठी
एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

****

कात्यायनी समकालीन हिंदी कवियों की दुनिया में या ऐसे कहें कि समूची वामधारा की हिंदी कविता में एक अलग ही स्वर है। वे लगातार अपने समय की त्रासद विडंबनाओं से लड़ती हैं । वे हमेशा समाज के बीच संघर्ष करने को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताती हैं इनके पास स्मृतियां और कल्पनाएं जबरदस्त हैं जिसे वे बिंब विधानों को एक अलग तरीके की प्रतीक शैली में अभिव्यक्त करती हैं —

मौत की दया पर
जीने से बेहतर है ।
जिंदा रहने की ख्वाहिश के हाथों मारा जाना।(१)

यह कात्यायनी ही लिख सकती हैं। अपने समय की निर्मम आलोचना और प्रतिरोधों से इन की कविता मुसलसल तो हमेशा रहती है साथ ही प्रेम, दया, दुख,उदासी, स्त्री सवाल और रोजमर्रा की जिंदगी भी शामिल हैं। उनकी कविता की जमीन काफी उदार है उनके लिए कविता जीवन का अनिवार्य अंग है,वे कविता को स्थगित नहीं कर सकतीं—

तो फिर क्यों न स्थगित कर दी जाए
कविता कुछ समय के लिए?
पर कविता स्थगित कर देने के बाद भी
क्या गारंटी होगी जिंदा रहने की
कठिन से कठिन शर्तों पर भी
आदमी बने रहने की?
और यदि बने रहेंगे आदमी
तो कैसे छोड़ेंगे कविता लिखने की आदत?(२)

Mrs. Mamta Dewangan

October To December 2017
E-Journal, Volume IV, Issue XX
U.G.C. Journal no. 64728

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 4.710 (2016)

Naveen Shodh Sansar

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)

(U.G.C. Approved Journal)

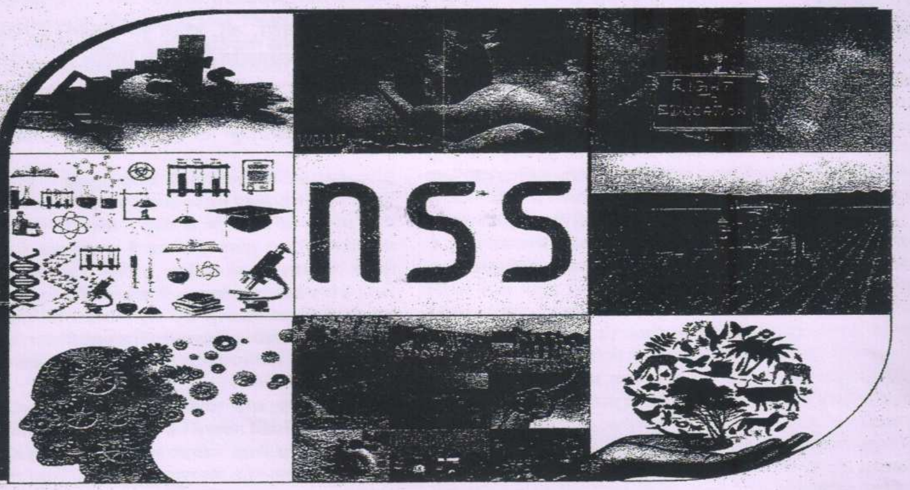

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com

223. ग्वालियर जिले का भौगोलिक पर्यावरण (डॉ. कौशलेन्द्र सिंह) 640
224. रासायनिक युद्ध ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में (डॉ. गिरीश शर्मा, डॉ. वीरेन्द्र कुमार शर्मा) 642
225. भारत में एकीकृत शिक्षा नीतियाँ और कार्यान्वयन (डॉ. अशोक कुमार त्यागी).. 645
226. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कार्यशील महिलाओं की दोहरी भूमिका : एक अध्ययन (मोनिका आमारे)...................... 650
227. उत्तर आधुनिकता का मानव जीवन पर प्रभाव (डॉ. अशोक कुमार त्यागी).. 652
228. धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम की होटल क्षिप्रा रेसिडेन्सी के आय - व्यय 655
का तुलनात्मक अध्ययन (वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक) (टीना यादव, डॉ. कृष्णकांत शर्मा)
229. उच्चतर माध्यमिक राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय शिक्षकों की संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन.................... 659
(श्रीमती विजय पाराशर)
230. लोकगीत : संरक्षण व नवीन प्रयोग (एक विवेचनात्मक अध्ययन) (लीना प्रकाश शाक्या, डॉ. रश्मि श्रीवास्तव)... 661
231. ग्रामीण आर्थिक विकास में खादी ग्रामोद्योग की भूमिका का अध्ययन (छ.ग. के राजनांदगांव जिले के विशेष 663
संदर्भ में) (डॉ. के.एल. टाण्डेकर, डॉ. राजेन्द्र कुमार शर्मा, सुश्री ममता देवांगन)

NSS Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) Oct. to Dec. 2017, E-Journal,Vol. IV, Issue XX

ग्रामीण आर्थिक विकास में खादी ग्रामोद्योग की भूमिका का अध्ययन (छ.ग. के राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ.के.एल. टाण्डेकर * डॉ. राजेन्द्र कुमार शर्मा ** सुश्री ममता देवांगन ***

शोध सारांश – 'भारत ग्रामों का देश है और ग्राम भारत की आत्मा' ग्रामों का विकास होगा तो राज्यो का विकास होगा तो देश का विकास होगा, देश के विकास में ही प्रत्येक मानव मात्र का विकास निहित है भारत की कुल जनसंख्या का 85 प्रतिशत भाग लगभग 5.89 लाख गावों में निवास करता है यही ग्रामीण जनता के यहां अर्थ तंत्र का मेरूदण्ड है इसलिए आवश्यकता है कि कृषि कार्य के साथ साथ अन्य ऐसे आर्थिक कार्य अपनाएं जाए जिनसे वहां रहने वाले लोग की आय बढ़ सके और वे उचित आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके भारत को लघु एवं कुटीर उद्योगो का जनक कहा जाता है खादी ग्रामोद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग का ही एक अंग है खादी ग्रामोद्योग का विकास भारत में ही नही वरन छ.ग. में भी होने लगा है, यहां खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से क्षेत्र के विकास करने के प्रयास किए जा रहे है गांधी जी के प्रयासो को साकार करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण आर्थिक विकास विशेषकर ग्रामीण जनता अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का विकास किया जा सके राजनांदगांव जिले में भी खादी ग्रामोद्योग की प्रबल संभावनाए विद्यमान है यहां पर्याप्त कच्चा माल लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है इस उद्योग के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था किन्तु वर्तमान में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड छ.ग. शासन के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमो के सफल क्रियान्वयन से इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, उद्योग का व्यापक फैलाव हो सका है जिले में लघु एवुं कुटीर उद्योग कृषि के पूरक उद्योग के रूप में विकसित कर क्षेत्र की प्रमुख समस्या श्रम पलायान का समाधान किया जा सकता है।

प्रस्तावना – ग्रामोद्योग की बात करने पर अनायस ही आंखो के सामने परम्परागत व्यवसाय में लगे लोगो की तस्वीर उभरने लगती है महात्मा गांधी के शब्दो 'ग्रामोद्योग की योजना के पीछे मेरी कल्पना तो यह है कि हमें रोजमर्रा की आवश्यकताएं गांव की बनी चीजों से पूरी करनी चाहिए इससे गांव आत्मनिर्भर होकर खुशाल बनेंगे' वास्तव में खादी और ग्रामोद्योग गांधी जी की इसी विचार धारा की उत्पत्ति है, आयोग के माध्यम से जहां ग्रामीणो, दस्तकारो और शिल्पकारो को रोजगार उपलब्ध काराया जाता है, तथा केन्द्र सरकार की कोशिश हमेशा से रही है कि ग्रामीणो को पर्याप्त रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाए इसके लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भी ग्रामीण उद्योगो को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही हैं।

खादी का अर्थ है भारत में कपास, रेशम या ऊन के हाथकरधा, सूत अथवा उनमें दो या सभी प्रकार के सूत के मिश्रण से जो भारत में हाथकरधा पर बुना गया कोई भी वस्त्र इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है वही खादी ग्रामोद्योग का अर्थ है ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रमीण क्षेत्र (जिसकी आबादी 20 हजार से अधिक न हो) में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमें (संयंत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में) निदेशित स्थायी पूंजी जो प्रति कारीगर या कर्मी 50 हजार रूपये से ज्यादा न हो। खादी ग्रामोद्योग विभाग के अधीन संचालित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड छ.ग. राज्य की आर्थिक वृद्धि के साथ समन्वित आर्थिक रूपातंरण को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है खादी ग्रामोद्योग आयोग ने देश में लाखो पारम्परिक कारीगरो लघु उधिमियो और बेरोजगार युवाओं को ग्रामीण स्तर पर दीर्घकालिक रोजगार के अवसर प्रदान करने प्रशंसनीय भूमिका निभाई है।

जिला राजनांदगांव जिसे अध्ययन का केन्द्र माना गया है में भी इस उद्योग् की प्रबंध संभावनाएं विद्यमान है राजनांदगांव जिला क्रषि भूमि एवं वन क्षेत्रो के द्वारा ही निर्मित हुई है यहां खादी ग्रामोद्योग एवं लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है किन्तु इस उद्योग के विकास की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है जबकि राजनांदगांव जिला के साथ – साथ पूरे छ.ग. में यह उद्योग कृषि के पूरक उद्योग के रूप में विकसित हो सकता है।

उद्देश्य – किसी भी शोध कार्य को सम्पन्न करने के लिए उसके उद्देश्य का निर्धारण आवश्यक है इस शोध कार्य के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. राजनांदगांव जिले में खादी ग्रामोद्योग के विकास तथा रोजगार श्रृजन में विद्यमान स्थिति का मूल्यांकन करना।
2. राजनांदगांव जिले में खादी ग्रामोद्योग विभाग के विकास एवं संभावनाओं के साथ योग्य वस्तुओ का उत्पादन करने राज्य स्तरीय अर्थव्यवस्था के विकास पर होने वाले प्रभावो का परीक्षण करना।
3. ग्रामीण जन समुदाय में आत्मनिर्भरता एवं मिलने वाले लाभ व आर्थिक सुदृढता का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना – प्रस्तुत शोध राजनांदगांव जिले के ग्रामीण आर्थिक विकास हेतु खादी ग्रामोद्योग विभाग के कार्यक्रमो का मूल्यांकन करने महत्वपूर्ण परिकल्पनाए निम्नानुसार है।

1. शोधकर्ता द्वारा यह प्रतीत हो है कि खादी ग्रामोद्योग विभाग के कार्यक्रम सुचारूरूप से चल रहे है।

* प्राचार्य, शासकीय डॉ. बाबा साहब ऑम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
*** अतिथि व्याख्याता (वाणिज्य) शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.) भारत

...ग की विभिन्न योजनाओ के क्रियान्वयन से ग्रामीणो की आर्थिक, ...ामाजिक, व्यवहारिक स्थिति में सुधार हुआ है।

जिले में ग्रामोद्योग की अपार संभावनाएं विद्यमान है।

राजनांदगांव जिला वन वाहुल्य क्षेत्र है तथा क्षेत्र के आर्थिक, विकास, गरीबी निवारण तथा रोजगार के अवसरो की वृद्धि ग्रामोधोग के स्थापना से ही संभव है।

शोध प्रविधि – छ.ग. खादी ग्रामोद्योग विभाग एवं छ.ग. ग्रामोधोग बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का ग्रामीण आर्थिक विकास में भूमिका का अध्ययन किया गया है इसके तहत प्राथमिक एवं द्वितियक संमको का प्रयोग किया गया है द्वितियक संमको के लिए खादी ग्रामोद्योग विभाग छ.ग. एवं जिला राजनांदगांव से प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन, जनगणना, प्रकाशन, सांख्यिकीय प्रकाशनो रोजगार संमको जिला योजना एवं सांख्यिकीय पुस्तिका के माध्यम से आंकड़ो को द्वितियक संमको के रूप में प्रयोग कर उनके सारणीयन विश्लेषण एवं सांख्यिकी विधियो के आधार पर प्रतिशत, विकास दर, पृवृत्तिमान जैसे विथियो का उपयोग किया गया है प्रश्नावली अनुसूचित और साक्षात्कार आदि के माध्यम से प्राथमिक आंकड़ो का संग्रहण भी किया गया है ताकि अध्ययन की गुणात्मकता सिद्ध हो सके।

अध्ययन क्षेत्र एवं सीमाएं – प्रस्तुत शोध में ग्रामीण आर्थिक विकास में खादी ग्रामोद्योग विकास का अध्ययन (राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में) राजनांदगांव जिलो को लिया गया है चूंकि छ.ग. राज्य के पश्चिम भाग में स्थिति प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है इसके अंतर्गत 09 विकासखण्ड राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, छुरिया, छुईखदान, डोंगरगांव, चौकि मोहला मानपुर आते है प्रस्तुत शोध प्रबंध में अध्ययन राजनांदगांव जिले तक सीमित है किंतु तथ्यो का स्पष्टीकरण एवं तुलनात्मक विवेचना हेतु भारत एवं छ.ग. के आंकड़ो का भी सहारा लिया गया है अध्ययन की विवेचना को स्पष्ट करने हेतु द्वितियक समंको के साथ प्राथमिक समंको का भी उपयोग किया गया है।

छ.ग. एवं राजनांदगांव जिले का भौगोलिक क्षेत्र एवं विस्तार – नवगठित छ.ग. राज्य देश का 26वां राज्य है जिसका निर्माण 01 नवम्बर 2000 को हुआ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान रखने वाला छ.ग. क्षेत्र 36गढ़ो का गढ़ राज्य का दर्जा प्राप्त कर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, भारत की कुल धरा का 4.14 प्रतिशत यह भाग 1 लाख 37 हजार 788 वर्ग कि.मी. में विस्तारित है 20 हजार 308 गांवो में 2 करोड़ से अधिक आबादी वाला यह क्षेत्र छ.ग. नवप्रांत अपनी अध्ययन सांस्कृतिक अस्मिता के ताने वाने से रच बसा है वही राजनांदगांव जिला 1973 में दुर्ग जिले से विभाजित होकर अस्तित्व में आया, यह जिला संभवतः मध्यप्रदेश में ही नहीं वरन सम्पूर्ण भारत में सर्वाधिक पिछड़ा एवं अविकसित जिले की श्रेणी में आता है, राजनांदगांव जिला 20°50' से 21°22' तक उत्तरी अक्षांश व 80°26' से 81°13' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है जो समुद्र सतह से 330.71 मीटर की ऊंचाई पर है इसका कुल क्षेत्रफल 8022.55 वर्ग किलोमीटर है इसकी उत्तर दक्षिण लम्बाई 177 कि.मी. तथा चौड़ाई 80 कि.मी. है, 2001 की जनगणना में कुल जनसंख्या 1283224 थी जो वर्ष 2011 की जनगणना से 20.25 प्रतिशत अधिक है सबसे अधिक जनसंख्या राजनांदगांव में तथा सबसे कम आदिवासी अंचल मोहला ब्लाक की है।

ग्रामीण आर्थिक विकास में खादी ग्रामोद्योग की भूमिका – खादी मात्र एक कपड़े का टुकड़ा ही नहीं हैं अपितु जीने का एक साधन है सन् 1918 में महात्मा गांधी ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाली जनता के लिए सहायता कार्यक्रम के रूप में अपना खादी आंदोलन शरू किया था, कढाई और बुनाई में आत्मनिर्भरता आई स्वशासन की एक विचारधारा का स्थान ले लिया है खादी ग्रामोद्योग विभाग छ.ग. शासन विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन छ.ग. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड प्रदेश के सभी 27 जिला मुख्यालयों के माध्यम से ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए एवं गांवो की आर्थिक स्थिति के स्तर को सुधारकर जीवन स्तर को उठाने गांव में रोजगार साधन उपलब्ध कराने के उद्देष्य से प्रत्येक जिला मुख्यालयों में खादी ग्रामोद्योग विभाग कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है राजनांदगांव जिला छ.ग. का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है, जिले में अधिकांश अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है ये लोग अपनी परम्परागत पैतृक व्यवसाय को ही अधिक महत्व देते है, राजनांदगांव जिले में कृषि का एक फसली उत्पादन होने के कारण अधिकांश समय ग्रामीण जनसंख्या रोजगार की तलाश में भटकते रहते है अधिकांश लोग पलायन की ओर उन्मुख हो रहे है खादी ग्रामीण उद्योग राजनांदगांव जिले में तहसील एवं विकासखण्डो में शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड छ.ग. शासन के निर्देशन पर जिले में स्थापित ग्रामोद्योग विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रो में निवासरत लोगो की जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे है।

1. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम –** प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना को वर्ष 2008–09 (सितम्बर 2008) के दौरान आरम्भ किया गया जिसे तत्कालीन तौर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जिला उद्योग केन्द्रो के माध्यम से प्रधानमंत्री सृजन क्रार्यक्रम एवं प्रधान मंत्री रोजगार योजना को एक साथ मिलाते हुए किया गया था ग्रामीण क्षेत्रो के साथ–साथ शहरी क्षेत्रो में सूक्ष्म उघमो की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरो का सृजन करने हेतु यह एक क्रेडिट सहबद्ध योजना है, इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग राष्ट्रीय स्तर पर नोडल अभिकरण है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को अधिक लाभान्वित श्रेणी क्षेत्र सामान्य श्रेणी के लाभार्थी द्वारा स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत परियोजना लागत पर सब्सिडी की दर 15 प्रतिशत शहरी एवं 25 प्रतिशत ग्रामीण तथा विशेष श्रेणी यथा अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, शारिरिक रूप से विकलांग पूर्वीवर्ती क्षेत्र पहाड़ी और सीमा वर्ती क्षेत्र आदि के लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत सब्सिडी दर शहर 25 प्रतिशत तथा ग्रामीण 35 प्रतिशत निश्चित की गई है।

2. **परिवार मूलक योजना –** यह योजना राज्य शासन द्वारा प्रायोजित योजना है इसके अंतर्गत रू. 1.00 लाख तक लागत की छोटी इकाईयां स्थापित कराई जाती है जो अनु.जाति, अनु.जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापक करने वाले हितग्राहियों को लाभान्वित कराया जाता है इसके तहत् 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 13500/– बतौर अनुदान प्रदान किया जाता है।

3. **कारीगर प्रशिक्षण योजना –** वर्तमान समय में देश के ग्रामीण क्षेत्रो के विकास हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे न केवल ग्रामीण बेरोजगारी एवं निर्धनता उन्मूलन हेतु व्यक्तियो को आर्थिक सहायता या रोजगार उपलब्ध कराया

ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 4.710 (2016) Oct. to Dec. 2017, E-Journal,Vol. IV, Issue XX

है बल्की ग्रामीण जनता को प्रशिक्षण एवं तकनीकि ज्ञान की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, कारीगर प्रशिक्षण के तहत् रोजगार हेतु प्रशिक्षण कर स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाता है कारीगर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की चयनित सूची तैयार करके उन्हें विभिन्न प्रकार से उद्यम लगाने हेतु आर्थिक सहायता के साथ ही साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती हैं। इस प्रकार परिवार मूलक योजना कारीगर प्रशिक्षण योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का तुलानात्मक विश्लेषण शोध प्रबंध में किया गया है।

राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना परिवार मूलक योजना कारीगरी प्रशिक्षण योजना परिवार मूलक योजना कारीगरी प्रशिक्षण योजना की वर्षवार स्थिति (वर्ष 2011 से वर्ष 2017 तक)-

तालिका 1 (निचे देखे)

तालिका 1 के आंकड़ो से स्पष्ट होता कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में वर्ष 2011 में वितरित राशि 127.57 लाख रूपये है जो वर्ष 2013 में कम रही लेकिन आने वाले वर्षो में क्रमशः वृद्धि हो रही है उसी प्रकार रोजगार में भी लगातार वृद्धि को दर्शाता है परिवार मूलक योजना में वितरित राशि 2011 में 12.96 लाख है जो आगे 2 वर्षो तक वृद्धि हो रही है रोजगार में भी वर्ष 2011 में 86 थी जो आगे वर्षो में बढ़ती हुई दर्ज की गई कारीगर प्रशिक्षित योजना में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रही वर्ष 2012 में रोजगार संख्या सबसे अधिक रही अतः कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध हुआ व उनके आर्थिक विकास में बढ़ोतरी हुई इसी प्रकार कहा जा सकता है कि राजनांदगांव जिले में खादी ग्रामोद्योग के परिवार मूलक योजनाओं का रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

समस्या - खादी ग्रामोद्योग बोर्ड छ.ग. द्वारा राजनांदगांव जिले में खादी ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना जिला उद्योग केन्द्र राजनांदगांव में किया गया है, अपने निरंतर प्रयास की ओर अग्रसर यह उद्योग अपनी उतनी प्रगति नहीं कर पाया है जितनी अपेक्षाए थी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या निम्न है :

1. क्षेत्र में व्यवसाय के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध न होना तथा अच्छी किस्म के कच्चे माल का न मिलना।
2. पूंजी की लागत अधिक होना।
3. इंजीनियर उद्योग के लिए लौह धातु एवं अलौह धातु संबधी कच्चे माल की अनुपलब्धता का होना।
4. वित्तिय साधनो का अभाव भी इन व्यवसायो के विकास में बाधा बना रहना।
5. कुशल प्रबंधन का अभाव शक्ति की अपर्याप्तता संरचनात्मक सुविधा की कमी सूचना एवं परामर्श का आभाव।
6. परम्परागत व्यवसाय में आधुनिकरण का अभाव।
7. उचित प्रशिक्षण न मिलने से कारिगरो द्वारा उत्पादन क्षमता एवं किस्म में सुधार न होना।
8. उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार की समस्या का होना।
9. ग्रामीण अशिक्षित व्यक्ति योजना के क्रियान्वयन की अपेक्षा मजदूरी करना या साहूकारो से ऋण लेना बेहतर समझते है।
10. ग्रामीणों में व्यवसायिक अवरोध की जानकारी व्यवसायिक कार्य के प्रति रूचि और व्यवसाय संचालक करने में आवश्यक ज्ञान का अभाव होना।

सुझाव :

1. खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा हितग्रहियों को दिए जाने वाले ऋण की राशि में वृद्धि करना चाहिए ताकि इच्छानुसार उद्योग स्थापित करने में रूचि बढ़ाई जा सके।
2. कच्चा माल की उपलब्ध सुनिश्चित होने से व्यवसाय प्रगति व विकास की ओर अग्रसर होगा।
3. कुशल प्रबंधन एवं प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
4. हितग्राहियों को योजनाओ की जानकारी उपलब्ध हो सके इस हेतु व्यापाक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए।
5. उत्पादक वस्तु के लिए बाजार की सुनिश्चिता।
6. परम्परागत विधियो के स्थान पर तर्क तकनीकि विधियो का उपयोग हेतु हितग्राहियो को जागरूकता लाना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत में ग्रामीण विकास- रामजी यादव
2. इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट
3. भारत का आर्थिक विकास- रामनारायण दुबे
4. कुरूक्षेत्र समाचार पत्र 2014
5. खादी ग्रामोद्योग विभाग जिला पंचायत भवन राजनांदगांव छ.ग.
6. छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड शंकर नगर रायपुर
7. वार्षिक प्रतिवेदन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
8. योजना पत्रिका
9. जिला सांख्यिकी पुस्तिका जिला राजनांदगांव
10. ग्रामोद्योग विकास वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन 2015-16
11. छ.ग. में खादी ग्रामोद्योग का विकास एवं संभावनाएं एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, शोध प्रबंध

वर्ष	योजना का नाम		रांशि लाख रूपये में				योग	
	प्रधानमंत्री योजना		परिवार मूलक वितरण योजना		कारीगर वितरण योजना		वितरण	योजना
2011	113.76	130	12.96	86	0.791	11	12.51	227
2012	223.23	195	31.35	89	2.262	23	265.84	307
2013	-	-	72.5	407	1.57	16	74	423
2014	207.8	195	70.56	267	1.533	15	279.89	477
2015	172.28	170	81.31	481	1.964	20	255.56	671
2016	147.66	155	104.1	572	1.48	15	253.2	742
2017	162.18	195	94.82	871	2.015	20	259.05	886

स्रोत - जिला व्यपार एवं उद्योग केन्द्र राजनांदगांव/खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला पंचायत राजनांदगांव

****

Mrs. Tulika Chakraborty

Volume III, Issue XXII
April 2018 E-Journal
U.G.C. Journal No. 64728

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 5.110 (2017)

Naveen Shodh Sansar

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)
(U.G.C. Approved Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com

215. मध्य गंगा बैराज के (जनपद बिजनौर में) पारिस्थितिकी व पर्यावरणीय प्रभाव (कु. दीपा, डॉ. भूदेव सिंह)........ 670
216. A Study on Current Scenario of Entrepreneurship in India (Dr. Rekha Lakhotia).......................... 672
217. 21वीं सदी की हिन्दी पत्रकारिता में भारतेंदु की प्रासंगिकता : एक मूल्यांकन (संकर्षण परिपूर्णन).................. 675
218. Indian Economy After Implementation Of GST-A Study (Dr. Rekha Lakhotia)................................ 678
219. Relation Between Patient and Doctor (Ramesh Kumar Shukla).. 681
220. Right to constitutional Remedies and Judicial Activism (RajPal Singh)..................................... 684
221. प्रदूषण समस्या-ग्वालियर जिले के संद्रर्भ में (डॉ. कौशलेन्द्र सिंह).. 687
222. रासायनिक शस्त्रास्त्रों के प्रभाव (डॉ. गिरीश शर्मा, डॉ. वीरेन्द्र कुमार शर्मा).. 689
223. A Hazard To Civilization: Cyber Terrorism (Surendra Singh, Prof. D.C. Upadhyay)...................... 692
224. Cyber Terrorism: A Critical Review (Surendra Singh, Prof. D.C. Upadhyay)................................ 695
225. भारत में महिला सशक्तिकरण-राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सहभागिता का एक अध्ययन 699
(डॉ. अशोक कुमार त्यागी)
226. Medical Negligence in Indian Penal Code 704
(Ramesh Kumar Shukla, Prof. (Dr.) Narendra Kumar Thapak)
227. Horizons of Judicial Activism (Rajpal Singh, Dr. Anushka Nayak)... 707
228. Higher Education and Administration (Dr. Ashok Kumar Tyagi)... 710
229. Personality Traits of B.Ed. Students : A Case Study (Ashish Kumar).. 714
230. Women Empowerment – Human Rights (Nidhi Bala)... 716
231. Cow Milk: Miraculous Complete Meal (Dr. Sumitra Meena).. 719
232. नेहरू एवं भारी उद्योग (डॉ. जोगेन्द्र सिंह).. 721
233. मलिन बस्तियों में स्वच्छता उन्नयन के सामाजिक-आर्थिक पक्ष (भगवान दास पाल)................................ 724
234. सैलानी टापू : मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के आर्थिक आय में सम्भावनाओं का एक नया आयाम............. 727
(टीना यादव, डॉ. कृष्णकांत शर्मा)
235. उज्जैन तहसील में ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख समस्याओं का भौगोलिक अध्ययन (रविराज सिंह गोरास्या)...... 729
236. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि में परंपरागत शिक्षण के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन........ 731
(डॉ. विजय पाराशर)
237. New Liberalism Policy of India - A Historical Study (Sachin Mujumdar)..................................... 733
238. ऋतुकालीन लोकगीत कजरी की 'अखाड़ा परम्परा' (पूर्वी उत्तर प्रदेश की कजरी के सन्दर्भ में)...................... 736
(लीना प्रकाश शाक्या, डॉ. नीतू गुप्ता)
239. Indian Scenario and Industrial Relation (Sachin Mujumdar).. 739
240. दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का विश्लेषणात्मक अध्ययन (गायत्री यादव, डॉ. कुसुम दीक्षित)............ 743
241. भारत में दिव्यांगों हेतू संवैधनिक प्रावधान (गायत्री यादव, डॉ. कुसुम दीक्षित).. 745
242. मेवाड़ राज्य के सरदारगढ ठिकाने (डोडिया राजवंश) का ऐतिहासिक परिचयात्मक अध्ययन........................ 747
(डॉ. हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत)
243. भारतीय समाज में अंर्तजातीय विवाह अवधारणा - औचित्य एवं सामाजिक परिदृश्य.................................. 750
(डॉ.के.एल. टाण्डेकर, डॉ. राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्रीमती तूलिका चक्रवर्ती)

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April 2018 E-Journal, Vol. III

भारतीय समाज में अंर्तजातीय विवाह अवधारणा – औचित्य एवं सामाजिक परिदृश्य

डॉ.के.एल. टाण्डेकर * डॉ. राजेन्द्र कुमार शर्मा ** श्रीमती तूलिका चक्रवर्ती ***

प्रस्तावना – वैदिक काल में भारतीय समाज में कर्मव्यवस्था थी जिसे ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य शुद्र का नाम दिया गया था उन दिनों विवाह जातियों में जकड़ी व्यवस्था नहीं थी किन्तु कालांतर में भारतीय समाज की विडम्बना ये रही है कि कर्म आधारित व्यवस्था को जन्म से जोड़ दिया गया जन्म आधारित व्यवस्थाने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जिससे विभिन्न वर्गो के ऊँच नीच छोटे बड़े जातियों के समूह में विभाजित कर दिया और विवाह जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को समाज से जोड़ दिया भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आज भी विवाह केवल व्यक्तिगत ना होकर पारिवारिक व्यवस्था भी है, भारतीय समाज की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को देखे तो अलग अलग क्षेत्रों में भाषा, खान–पान, पहनावा, रहन सहन, पर्व त्यौहार, रीति रिवाज इत्यादि में बहुत अंतर है, मानसिक परिपक्कता के बिना मात्र शारिरिक आकर्षण के फलस्वरूप प्रेम/अन्र्तजातीय विवाह की बाते प्रारम्भिक रूप में तो महज गौंड लगती है बाद में अनेक परेशानिया उत्पन्न होने के कारण अन्र्तजातीय विवाह का अंत संबध विच्छेद या अलगाव पर समाप्त होता दिखाई देता है।

जाति प्रथा को अनेक समाजशास्त्रियों एवं विद्वानो ने विकास में बाधक तत्व माना है, और इसके निराकरण के लिए अनेक प्रयासो में एक सजग और कारगार प्रयास अन्र्तजातीय विवाह को माना है, इसलिए संविधान में अन्र्तजातीय विवाह संबधित अनुच्छेद और अनुबंध भी जोड़े गए साथ ही समय–समय पर कानून निर्माण एवं नीति निर्माण करके अन्र्तजातीय विवाह को प्राथमिकता दिया जाता रहा हैं, इसके पीछे उद्देश्य यही रहा है कि दोनो में जाति प्रथा का उन्मूलन जल्द से जल्द हो और देश विकास के शिखर तक पहुंचने का रास्ता निश्चित कर सके समाज में जातियों को पूर्वाग्रहो से समाप्त करने के लिए सरकार अन्र्तजातीय विवाह को बढावा दे रही है इसके लिए अन्र्तजातीय विवाह के प्रति लोगो की सोच बदल रही है।

अवधारणा – विवाह एक सामाजिक संस्था है इस संस्था का उद्भ मनुष्य समाज के साथ हुआ समय तथा काल के साथ चाहे इसका स्वरूप भिन्न रहा हो, परन्तु विवाह तो विवाह ही था और है, जनजाति समाज से लेकर आधुनिक समाज के बीच विवाह की संरचना तथा स्वरूप भिन्न रहे है परन्तु विवाह का आधार अपरिवर्तित रहा है, अन्र्तजातीय विवाह ऐसा विवाह है जो एक पुरूष तथा एक स्त्री को जो कि विभिन्न जाति समूहो के है जब वह परिवार नामक समिति का गठन करने के लिए एक सत्र में बंधते है तो वह विवाह अन्र्तजातीय विवाह कहलाता है।

समय–समय पर व्यवस्था में वर्ग परिवर्तन किए जा रहे है, जिससे की समाज में भेदभाव जाति बंधन को समाप्त किया जा सके भारतीय संविधान के अनुसार भारत का हर वयस्क नागरिक अपनी पंसद से विवाह करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन जाति और सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत समाज व्दारा इस तरह की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है यहां केवल जाति के अंदर विवाह करने का ही सिद्धान्त मान्य है, हालाकि अब पश्चिमीकरण और आधुनिकता से प्रभावित होकर वर्षो ये चली आ रही ऐसी सड़ी–गली मान्यताओ को हमारा युवा वर्ग चुनौती देने लगा है और अपनी इच्छा और पंसद से विवाह करने के अपने अधिकारो की मांग कर रहे है।

भारत में वर्तमान समाज के बदलते परिदृश्य मे मनुष्य के जीवन में अर्थवता उसके सामाजिक मानको से जुड़ी हुई है भारतीय समाज प्राचीन से अर्वाचीन की मात्रा में अनेक संघर्ष देते है, प्राचीन भारतीय समाज में कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था की शुरूवात हई परंतु कालांतर में यह वर्ण व्यवस्था कर्म से हटकर जाति में केन्द्रिंत हो गई। समाज में उच्च वर्ग और निम्नवर्ग दो अलग अलग धारणाऐं बन गई है और दोनो वर्गो के मध्य परस्पर संघर्ष आरम्भ हो गया है वर्तमान में स्वतंत्र भारत के 72 वर्ष की समय सीमा पूर्ण होने पर भी विभिन्न धर्मालंबियो व्दारा अधिनियम पारित कर विवाह शर्त उद्धेश्य निर्धारित कर दिए है जिसके फलस्वरूप अन्र्तजातीय विवाह को खासकर ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करने वाली 74.3 प्रतिशत लोग मान्यता प्राप्त करने से परहेज करते है ऐसे विवाह को समाज विरोधी संज्ञा प्रदान करते है वही दूसरी ओर पूंजीपति वर्ग अपने समकक्ष धनबल एवं एष्वर्यता के बल पर अन्र्तजातीय विवाह को बढ़ावा देते दिखाई पड़ रहे हैं।

विवाह सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण संख्या है विभिन्न समाजो में विवाह के रूप में चाहे कितनी भी विभिन्नताएं क्यो न हो लेकिन एक संस्था के रूप में विवाह सभी समाजो में अनिवार्य मानी जाती है क्योकि भारतीय समाज में परम्परागत विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है और धार्मिक नियम विधियां कुछ समस्याएं कुरीतियां एवं प्रथाऐं जन्म ले ली है और ले भी रही है जो समाज के विकास में विभिन्न प्रकार के धार्मिक अवरोध उत्पन्न कर रहा है भारतीय समाज में अन्र्तजातीय विवाह को एक दण्डनीय अपराध माना जाता है और विवाह करने वाले को घर परिवार और समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था कही कही प्रेम विवाह करने वाले को मौत के घाट उतार दिया जाता था, आज कुछ हद तक ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिल रही है लेकिन वर्तमान समय में समाज दकियानुसो परम्पराओं से बाहर

*प्राचार्य, शासकीय डॉ. बाबा साहब ऑम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
*** अतिथि व्याख्याता (कम्प्यूटर सांइस) शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़ जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) भारत

निकल रहा ही जिसके कारण समाज में काफी बदलाव आ रहा है क्योकि उनमें परम्परागत मूल्यो, आदर्शो और रूढ़ियो के प्रति मोह भंग हो रहा है।

भारतीय समाज अर्न्तजातीय विवाह का औचित्य – अर्न्तजातीय विवाह समाज के जाति भेद को कम करने मे मील का पत्थर साबित हो रहा है, अर्न्तजातीय विवाह ने एक तरफ धार्मिक कट्टरता पर कुठारा घाट किया है, वही दुसरी ओर समाज में सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरूआत भी की है समाज में व्याप्त कुरूतियां और असमानता समाज को खोखला कर रहीं है अर्न्तजातीय विवाह उन सब सामाजिक समस्याओं के खिलाफ एक सशक्त कदम है, जिसे सिर्फ सामाजिक धार्मिक और राष्ट्रीय एकता का परिचायक मानना ही संगत पूर्ण नहीं है क्योकि आज यह वैज्ञानिकता की कसौटी में भी खरा उतरा है अर्न्तजातीय विवाह से उत्पन्न संतान तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि की होती है तथा उनमें आनुवांशिक बीमारियों के होने की संभावनाएं की समाप्त हो जाती है इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अर्न्तजातीय विवाह का भारतीय समाज में औचित्य पूर्ण महत्व है।

भारतीय समाज में अर्न्तजातीय विवाह का औचित्य यानी एक जाति के युवक युवतियों का दूसरी जाति से विवाह करना सही है, एक शोध मुताबिक भारतीय समाज में मात्र 11 प्रतिशत शादियां ही अर्न्तजातीय होती है, जबकि 21 प्रतिशत शादियां जाति अंतर्गत की जाती है। अर्न्तजातीय विवाह की शुरूवात माया नगर मुम्बई से हुई जिसका कारण औद्योगिक नगरी और फिल्म इंडस्ट्रीज का होना है, सबसे ज्यादा 149 अर्न्तजातीय विवाह 1963 में बाम्बे में हुई, 1958 में एक सर्वे के मुताबिक अधिकांश माता पिता ने अपने बच्चों का अर्न्तजातीय विवाह करने की इच्छा जाहिर की आंकड़ों के मुताबिक भारत के होने वाली कुल अर्न्तजातीय विवाह में 96.5 प्रतिशत प्रेम विवाह होता है, भारत में ऑनर किलिंग का कारण भी है जिसके तहत् 97 प्रतिशत विवाह होना पाया गया गोवा में सबसे ज्यादा 20.69 प्रतिशत सिक्किम में 20 प्रतिशत पंजाब में 19 प्रतिशत तथा सबसे कम मेघालय व राजस्थान में है। छ0ग0 में 3.4 प्रतिशत जिसने मुस्लिम महिलाएं आगे है, भारत में मिडिल क्लास के 57 प्रतिशत लोग हाई क्लास के 66 प्रतिशत लोग अर्न्तजातीय विवाह की ओर आकर्षित हुए है।

शादियां विवाह जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, और विवाह करने के लिए आपकी इच्छा पंसद खुशी सब होना जरूरी है, शादी करने के लिए अपने मन के अनुसार जाति धर्म और रंग चुनने का भी पूरा अधिकार है, सोचिए कि लड़का लड़की अलग अलग धर्म को मानने वाले हो किन्तु दोंनो एक दुसरे से प्रेम करते है और शादी करना चाहते है तो इस प्रकार के विवाह को अर्न्तजातीय विवाह कहा जाता है, अंतर का अर्थ होता है भिन्नता अलग–अलग दो भिन्न जातियों के मध्य विवाह करना औचित्य पूर्ण प्रतीत हो रहा है विभिन्न कानूनों व्दारा भी अर्न्तजातीय विवाह को बढ़ावा मिला है। 1872 में विशेष विवाह अधिनियम पास हुआ और 1923 में इसमें संशोनधन किया जिसमें अर्न्तजातीय विवाह की वैधानिक अड़चने दूर हो गई और सभी धर्मो में अर्न्तजातीय विवाह वैध माने गए दहेज प्रथा ने भी अर्न्तजातीय विवाह को पुष्ट करने का कार्य किया है आज राष्ट्रीय एकता हेतु अर्न्तजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

बदलते सामाजिक परिवेश में शिक्षा का प्रसार सूचना प्रौद्योगिकी ने न केवल परिवार में पुरूषो को अर्न्तजातीय विवाह बल्कि परिवार की बेटियों का भी सुयोग्य वर तलाश में अर्न्तजातीय विवाह से परे एक नयी सोच की ओर अग्रसर किया है आज लोग अपने जाति से विवाह कर परिवारिक मूल्यो नैतिकता व परम्परा को बनाये रखने वाली घटिया सोच को पीछे कर श्रेष्ठ जीवनसाथी की तलाश में अर्न्तजातीय विवाह को एक महत्वपूर्ण पथ की तरह देखते है। ज्यादातर स्त्री पुरूष जाति बंधनो से परे अपने पंसद के लड़की व लड़के न केवल अपने प्रेम को विवाह की संज्ञा देने के लिए अर्न्तजातीय विवाह कर रहे सामाजिक भेदभाव व असामानता को दूर करते हुए व समाज में एकता व दूसरे जाति व समुदाय के प्रति समान की भावना को बढ़ा रहे, डॉ0जी0एस0 धुरिये ने अर्न्तजातीय के महत्व को बतलाते हुए लिखा है 'विभिन्न संबधो को दृढ करने की तथा राष्ट्रीयताओं के पोषण के लिए अर्न्तजातीय विवाह के व्दारा रक्त का एकीभाव एक प्रभावशाली साधन है।'

अर्न्तजातीय विवाह एवं सामाजिक परिदृश्य – समाज में मान्यता न मिलने पर तथा एक व्यवस्थित ढांचा न मिलने के बाद भी आज अर्न्तजातीय विवाह पहले की अपेक्षा अधिक हो रहे है तथा इसके विरोध की गहनता भी घट रही है, शिक्षा, दूर संचार माध्यमों की सुविधा व आवागमन की सुविधा से सम्पर्क सुविधा ने इस क्षेत्र का प्रसार अधिक किया है, तथा इस प्रकार की वैवाहिक नातेदारी को बनाने में सहायता प्रदान की है आधुनिक युग में शिक्षा की विधि तथा समझने के तरीके में नवीनीकरण हुआ है। आज आधुनिकरण व अद्योगिकरण के इस दौर में नए समाज का समाजीकरण हुआ है, जो पुराने लोकाचार प्रथाओ से बाहर आकर नूतन उन्नति की ओर परिवार के रूप में उभर रहा है, जो नित्य नयापन चाहता है नए सांस्कृतिक आयाम तथा परसंस्कृति को देखने व परखने की जिज्ञासा तथा भेदभाव रहित जन्य में विश्वास करने वालो का एक तबका उभर कर सामने आ रहा है जो अर्न्तजातीय विवाह का पक्षधर है। मानवता तथा लहू के रंग पर विश्वास करता है जहां जाति–जाति की हीनभावना सांस नहीं ले पाती वहां अर्न्तजातीय विवाह के पुष्प पल्लवित तथा पुष्पित होते है, इसके लिए स्वच्छ मन का वातावरण तथा प्रेम की खुशबू से उद्यान सींचने वाले माली ही इसके उत्तराधिकारी होते है, समाज में जाति के अधार पर होने वाले भेदभाव और विभाजन को दूर करने में अर्न्तजातीय विवाह की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ही धीरे धीरे जातिगतपूर्वाग्रह कम होते जाएगें।

अर्न्तजातीय विवाह ने विगत कुछ वर्षो से लोगो के मन में बदलाव लाया है, आज देश के विभिन्न शहरो में 40 से 50 प्रतिशत लोगो ने अर्न्तजातीय विवाह को अपना लिया है और अपने इच्छा के अनुसार विवाह भी अलग अलग जातियों के बीच करने लगे है, बहुत से माता पिता भी स्वयं अपने बच्चों का अर्न्तजातीय विवाह करवा रहे है, ताकि उनके बच्चों को सुयोग्य जीवन साथी मिल सके अर्न्तजातीय विवाह अब किसी वर्ग विशेष तक सीमित न रहकर सभी वर्गो व जातियों पर अपना विशेष प्रभाव डाल रहा है, आज हमारा समाज लड़के लड़की को समान रूप से देखता है, ऐसे में अर्न्तजातीय विवाह करने वाले माता पिता/अभिभावक की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है हलांकि कुछ जातियों में लिंग भेद की समस्या आज भी रूकावट की दीवार बन कर खड़ी नजर आती है महिलाऐं समाज का एक ऐसा पहलू है जिसके बिना समाज का संचालक असंभव है अर्न्तजातीय विवाह दो तीन दशको में समाजिक स्तर पर अधिकाधिक स्वीकार्य होते जा रहे है, परिणामस्वरूप नए सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का सृजन हुआ है। अर्न्तजातीय विवाह समाज और लोक संस्कृति को समन्वित और परिवार्जित करने के साथ साथ दो पृथक समुदायो के बीच सेतु की भूमिका निभाते है जिससे स्थानीय एवं क्षत्रीय परिवेश से हटकर एक विस्तृत स्वरूप 'वसुदेव कुटुबंकम' के भाव प्रफुलित होते है।

अर्न्तजातीय विवाह के लाभ – वर्तमान समय में अर्न्तजातीय विवाह का

प्रचलन शहरीकरण के चलते निरंतर बढ़ रहा है क्योकि ज्यादा से ज्यादा युवा महिला पुरूष जाति के बंधन से परे अपनी पंसद से शादी करना चाहते है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे राष्ट्रीय मान्यता प्रदान कर दी है इससे अर्न्तजातीय विवाह के कई लाभ है जिनको ध्यान में रखकर समाज की सोच में भी बदलाव आ रहा है।

1. **जातिवाद का भेदभाव दूर होना–** अर्न्तजातीय विवाह से समाज में समाज में व्याप्त असमानता, स्पृश्यता, जातिवाद का भेदभाव समाप्त होता है, तथा समाज में समरसता का वातावरण निर्मित होता है जो राष्ट्रहित एवं समाजहित में है वैवाहिक संबध इस प्रकार की समस्या को दूर करने में अर्न्तजातीय विवाह सार्थक सिद्ध हो रहे है, जहां सामाजिक सौहद्रता का माहौल बना है वही जीवन की कुठाओं से बाहर निकलकर लोग सुख और प्रसन्नता का अनुभव कर रहें है

2. **बौद्धिक उपलब्धि –** रक्त संबधियो से विवाह करने पर कुछ जैनेटिक बीमारिया उत्पन्न होती है अर्न्तजातीय विवाह के व्दारा इन परेशानियों से काफी हद तक बचा जा सकता है, सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि अर्न्तजातीय विवाह से उत्पन्न संतानो का बौद्धिक स्तर अधिक उँचा होता है।

3. **अन्धविश्वास तथा पाखण्ड का अंत –** अर्न्तजातीय विवाह समाज में व्याप्त कुरितियों जैसे पाखण्ड अन्धविश्वास जातिवाद, दहेज प्रथा आदि कुरूतियों को मिटाने के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहे है

4. **दूसरे धर्म तथा समाज की इज्जत बढ़ेगी –** अपने जाति के साथ साथ दूसरे जाति व धर्म के प्रति दोनों के मन में सदभाव उत्पन्न होंगे दूसरे धर्म के प्रति समान व आदर भाव बढ़ेगा जब हम दूसरे धर्मो की अच्छाइयों को ग्रहण करेंगें तब उनके प्रति हमारे मन में इज्जत बढ़ेगी।

5. **जीवनसाथी के चुनाव में व्यापकता –** अर्न्तजातीय विवाह सुयोग्य जीवन साथी के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्याकिं एक ही धर्म व जाति के छोटे से दायरे से बाहर आकर व्यापकता से जीवन साथी चुनने से संकीर्ण विचार धाराओ से मुक्ति मिलती है ही तथा विवाहो की समस्याओं से उसको जो कठिनाईयां होती है उससे वह परे हो जाता है।

6. **पर्दाप्रथा की समाप्ति –** अर्न्तजातीय विवाह के आपसी मेज जोल से पर्दा प्रथा की समाप्ति होती है यह प्रथा सांस्कृतिक अवरोध का कार्य करता है, धार्मिक आंचल में विशेषकर मुस्लिम समुदाय में इसका विशेष महत्व है पंरतु इसको कुछ अथ समुदायो में भी विभिन्न प्रकार से स्वीकार किया जाता है अर्न्तजातीय विवाह को प्राथमिकता देकर आधुनिक समाज में एक नवीन संरचना का निर्माण करेगा।

7. **लोग जागरूक होंगे तथा उनके मन में बदलाव आयेगा –** अर्न्तजातीय विवाह ने इन कुछ वर्षो में लोगो के मन में बदलाव लाया है आज लगभग भारत के शहरों में अधिकाशं लोग इसे अपना रहे है उनके सोच में भी बदलाव आ रहा है।

8. **दहेज प्रथा की समाप्ति –** अर्न्तजातीय विवाह दो ह्दय को एक सूत्र में बांधने वाला बंधन है, जहां केवल भावो और प्राकृतिक विचारो का पुंज होता है और माया मोह से दूर लालच तथा आर्थिक कुंठाओ से ग्रसित लोगो के लिए एक सीख है।

9. **बाल विवाह पर प्रतिबंध –** हमारे देश में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रो में अधिक देखने को मिलता है, इसे परम्पराओं और प्रथाओ एवं धर्म की संज्ञा भी दी जाती है किन्तु वर्तमान में इस कुंठित विचारधारा से बाहर निकलकर अर्न्तजातीय विवाह जैसी विचारधारा को स्वीकार किया जा रहा है यह नई स्थापना बाल विवाह पर अंकुश लगाता है

अर्न्तजातीय विवाह की समता वनस्पति जगत में होने वाले Cross Pollination से की जा सकती है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रजाति अधिक श्रेष्ठ व पुष्ट होती है, अत: जैविक दृष्टि से स्वास्थ्य एवं अधिक संतति की उत्पत्ति में अर्न्तजातीय विवाह सहायक होता है परन्तु वनस्पति जगत की यह श्रेष्ठ उपलब्धि पशुओं में नहीं है यह एक विचारणीय प्रश्न है।

निष्कर्ष – निष्कर्ष रूप से हम कह सकते है कि अर्न्तजातीय विवाह दो भिन्न व्यक्तियों के बीच होता है, अपनत्व तथा समान का भाव ही हर विवाह की सफलता की कूंजी है भविष्य में जैविक लाभ सुखी परिवार अमन और शान्ति के लिए तथा बदलते नए विश्व में दृढ़ता से अपना स्थान बनाने के लिए हमें अर्न्तजातीय विवाह की सराहना करते हुए इसे अपनाने के लिए सामाजिक परिदृश्य में परिवर्तित लाना एवं अपनाना होगा अर्न्तजातीय विवाह संबंधो में जहां सकारात्मक परिणाम है वही नकारात्मक प्रतिफल सामाजिक विरोध बहिष्कार के रूप में देखने को मिलते है यदि परिवार की ऐसे विवाह में रजामंदी नहीं होती है तब परिवार समुदायो के मध्य वैमनस्यता और असहिष्णुता की स्थिति का निर्माण होते देर नहीं लगती, परिवेश तनावयुक्त हो जाता है। मानवीय संवेदनाओं, कोमल भावनाओं पर कुठारघात करते हुए पाश्विक भाव को पनपने का अवसर निर्मित होता है, सामाजिक स्वीकारर्यता के अभाव में ऐसे विवाह संबध विकसित होने के पूर्व ही अवसाद ग्रस्त हो जाते है। अत: युवाओं को चाहिए कि अर्न्तजातीय विवाह परिवार की रजामंदी से ही करे जिससे उनका भविष्य उज्जवल एवं सुख शांति से भरा हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय समाज में अर्न्तजातीय विवाह का औचित्य एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण – शोध संगोष्ठी शोध सारांश स्मारिका 2018
2. भारतीय राजपत्र
3. अर्न्तजातीय विवाह आलेख–इंटरनैट

****

Dr. Yeshukriti Hajare

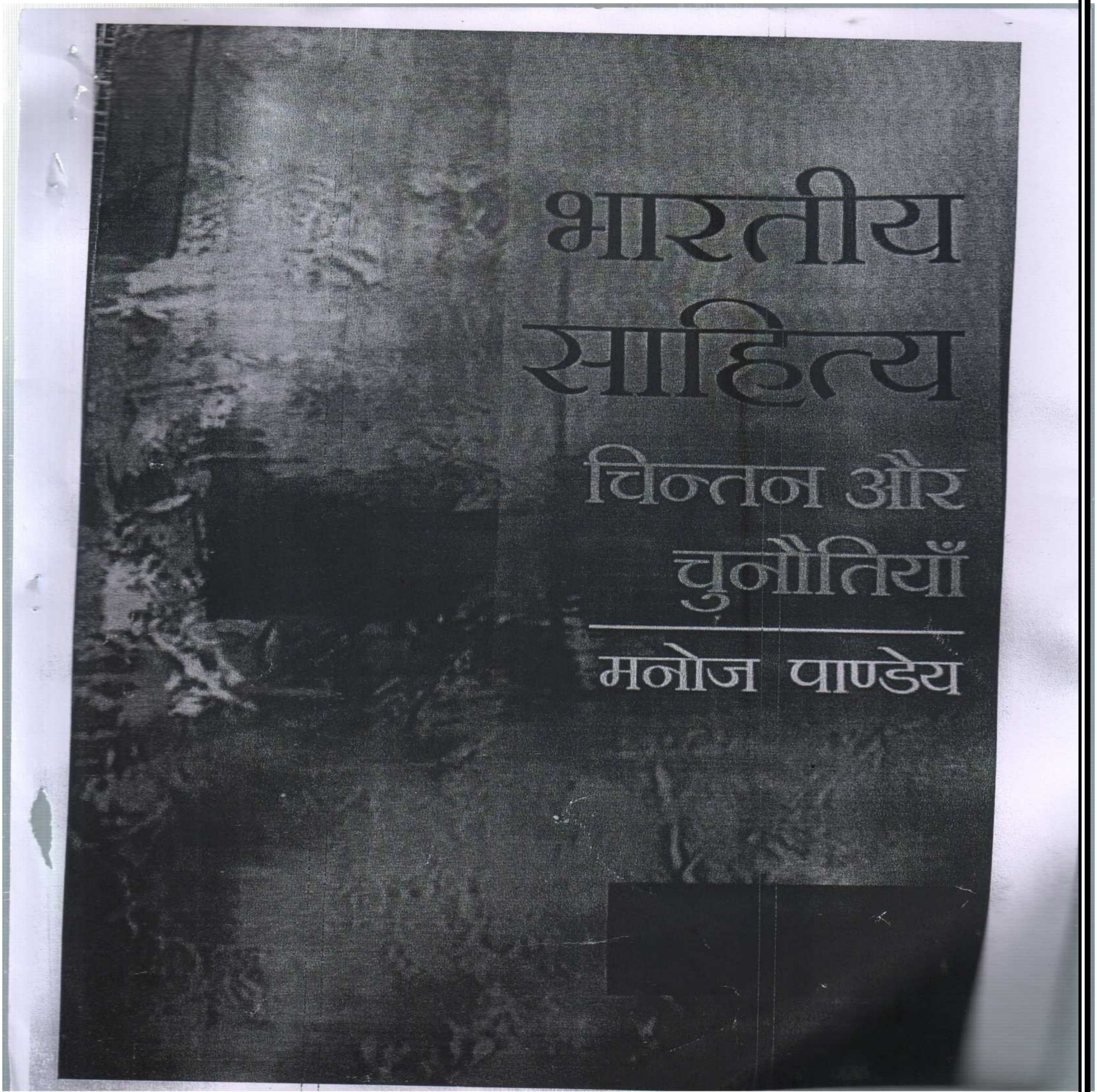

भारतीय के सन्दर्भ में : हिन्दी और मराठी के श्रृंगार काल का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. येशुक्रिती हजारे

भारतीय साहित्य वैदिक काल से आरंभ होता है। ऋग्वेद इस साहित्य का प्राचीनतम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। वैदिक कालीन भारतीय साहित्य में ऋग्वेद के साथ-साथ अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का वर्णन करने वाले विविध ब्राम्हण ग्रंथो और उपनिषदों का स्थान है। इस युग के प्रारंभ में पाली, प्राकृत आदि मध्यकालीनल भारतीय आर्य भाषाओं के साहित्य का निर्माण हुआ है। इस काल के साहित्य में बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन से सम्बन्धित साहित्य विशेष महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश इस काल की अन्तिम भाषा है। विविध अपभ्रंशों में शौरसेनी अपभ्रंष और महाराष्ट्री अपभ्रंश में जिस साहित्य का निर्माण हुआ वह अधिक मूल्यवान है। इनमें से शौरसेनी अपभ्रंश के साहित्य को सर्वाधिक सत्ता उत्तर पूर्व और पश्चिमी भारत पूर्व तथा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश का साहित्य महाराष्ट्र में स्थापित था।

हिन्दी रीति श्रृंगार का अध्ययन करते समय यह अनुभव होता है कि कुछ प्रवृत्तियाँ मराठी के श्रृंगारी काव्य में हमें स्पष्ट रूप से नजर आती है। जो हिन्दी तथा मराठी के रीति श्रृंगार साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन में भारतीय साहित्य की प्रवृत्तियों को समझने में उपकारक, उपयोगी तथा लाभप्रद है। राष्ट्रभाषा हिन्दी और मराठी दोनों साहित्य भाषा-भगिनी है। दोनों भाषाओं के मध्यकाल साहित्य में देश, काल, और वातावरण के अनुसार कुछ विभिन्नताएँ प्रचलित है, फिर भी दोनों की मध्ययुगीन काव्यधाराओं में अद्भुत समानताएँ पायी जाती है। भारतीय साहित्य मूल रूप से एक ही सम्बन्ध सूत्र में बाँधा जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। इस तथ्य में बाबू श्यामसुन्दरजी का कथन है कि—

13. वैदिक कालीन ग्राम्य-जीवन 100

विजय कुमार

14. अरुण कमल के काव्य संग्रह 'नये इलाके में' आधुनिकता बोध (भारतीय संस्कृति के संदर्भ में) 104

प्रीति शर्मा

15. मंगलेश डबराल का काव्य-संग्रह 'नए युग में शत्रु' : एक विवेचन (मूल्य के संदर्भ में) 109

सुगंधी गुप्ता

16. वेदोक्त शिक्षणाभ्यास प्रक्रिया 115

डॉ. विनीता पांडेय

17. भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म का स्वरूप 124

डॉ॰ विशाल भारद्वाज

18. भारतीय संस्कृति के संदर्भ में राहुल सांकृत्यायन कृत 'हिमाचल' यात्रावृत्त का वैशिष्ट्य 129

श्वेता शर्मा

डॉ. सुनीता शर्मा

19. भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य : एक विवेचन 136

श्री आमलपुरे सूर्यकांत विश्वनाथ

20. भारतीय संस्कृति शिक्षा का केंद्र - एक मंदिर 143

डॉ. हरिओम शर्मा

21. भारतीय संस्कृति में कर्म एवं पुनर्जन्म 145

डॉ. रीना कुमारी

22. भारतीय आदिवासी समाज में संस्कृति का महत्त्व (विशेष संदर्भ : आदिवासी हिंदी कविता) 151

अनीश कुमार

23. भारतीय संस्कृति के उन्नायक : महाकवि नाथूरामशंकर शर्मा 'शंकर' 162

डॉ. राजेश कुमार

24. संत-साहित्य की वैश्विक प्रासंगिकता 169

डॉ. सुनीता सिंह

25. छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कंवर जनजाति का अवदान 173

डॉ. येशुक्रिती हजारे

छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कंवर जनजाति का अवदान

डॉ. येशुक्रिती हजारे
अतिथि व्याख्याता हिंदी
शास.नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ, जिला राजनाँदगाँव (छ.ग.)
hajare.rajesh@gmail.com

भारत की संस्कृति बहुआयामी है। भारतीय संस्कृति को विश्व की पहली और महान संस्कृति के रूप में स्वीकार किया जाता है। 'विविधता में एकता' अर्थात् भारत एक विविधता पूर्ण देश है जहाँ अलग-अलग धर्मों के लोग अपनी संस्कृति व परंपरा में रहकर शांति पूर्ण रहना पसंद करते हैं। सभी धर्म के लोग सामाजिक रूप से स्वतंत्र हैं और उनके अपने रीति-रिवाज, भोजन, वस्त्र, कृषि, त्योहार, नृत्य देवी-देवता आदि होते हैं।

किसी भी देश की संस्कृति उस देश के धर्म, साहित्य, दर्शन, कला और राजनीति पर निर्भर होती है। भारत की संस्कृति अनेक तत्त्वों से मिलकर बनी हुई है। विश्व की कई प्राचीन संस्कृतियां समाप्त हो चुकी हैं लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी जीवंत है। विश्व में जनजातियों की वितरण की दृष्टियों से अनेक विशालतम राष्ट्र है इसी विशालता में से भारत में भी अनेक जनजातियाँ निवास करती है जो आज भी सभ्यता से काफी दूर हैं। भारतीय समाज विभिन्न प्रजातीय समूहों का संगम स्थल है। ये जनजातियाँ प्रायः शहरी सभ्यता से बहुत दूर घने जंगलों, पर्वतों, घाटियों एवं पठारी क्षेत्रों में रहते हैं।

भारत के हृदय स्थल पर छत्तीसगढ़ एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ और यह भारत का 26वाँ राज्य है। यहाँ भगवान श्री राम की कर्मभूमि रही है, जो संस्कृति, इतिहास, प्राचीन कला, पुरातत्व आदि की दृष्टि से संपन्न है। छत्तीसगढ़ी के अंचल में प्रसिद्ध त्योहार, मेला, मंडई, नृत्य, देवी-देवता आदि आते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति अपने-आपमें सर्वोपरि है। यहाँ कई जनजातियाँ निवास करती है। जिसमें से एक महत्त्वपूर्ण जनजाति कंवर जनजाति है जो गोंड़ जनजाति के बाद

दूसरी सबसे बडी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कंवर जनजाति की कुल संख्या 887477 है। इसका मुख्यतः फैलाव छत्तीसगढ़ के उत्तरी पर्वतीय व मैदानी भागों में बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद एवं राजनांदगाँव जिले में है। बिलासपुर संभाग में कंवर जनजाति सर्वाधिक रूप में मिलते हैं।

कंवर जनजाति की उत्पत्ति के संबंध ऐतिहासिक अभिलेख प्राप्त नहीं होते है। किंवदंतियों के आधार पर ही उनकी अपनी उत्त्पत्ति महाभारत के कौरव वंशी राजा धृतराष्ट्र से मिलता है। कुरुक्षेत्र में महासंग्राम के बाद शेष रह गए थे वे कौरव स्वयं को बचाने के प्रयोग में इधर-उधर जंगलों में प्राणो की रक्षा के लिए और जंगलों में ही अपना जीवन यावन करने लग गए थे। यही कौरव कुछ समय के बाद कंवर कहलाए इस प्रकार वे स्वयं को कुरूवंशी व चंद्रवंशी कहते है। कंवर की एक उपजाति तंवर जो छतरी भी कहलाते है जिनकी जमीदारियाँ बिलासपुर जिले में क्रमशः कोरबा, घुरी, चांपा, लाफा, उपरोड़ा और पेंड्रा थी। इस जनजाति के लोग गोंड, उराव, बिझंवार, मुंडा, भैना, नगेसिया आदि अन्य जातियों के साथ निवास करते है।

इनके घर मिट्टी के बने होते हैं, जिस पर देशी खपरैल या घास-पूस का छाजन होता है। घर में चार-पाँच कमरे जिसमें एक कमरा रसोई व पूजा के लिए निर्धारित होता है। रसोई से सटे हुए कमरे की दीवारों में खोड़िया (कोठी) होती है, जिसमें धान का भंडारण किया जाता है। दीवारों पर सफेद या पीली मिट्टी की पुताई की जाती है। जानवरों के लिए अलग से स्थान (कोठा) होता है।

मुख्य भोजन चावल और कोदो का भात, पेज, बासी, तिवड़ा, अरहर, मुर्गा, खरगोश, जंगली सूअर आदि का मांस खाते हैं। उत्सव व विशेष अवसरों पर महुआ का शराब पीते है। पुरुष वर्ग तम्बाखू व बीड़ी का उपयोग करते है। मुख्य व्यवसाय कृषि में धान, कोदो, तिल, अरहर, मूँग, उड़द आदि की फसले बोते हैं। सिंचाई के साधन अधिक न होने के कारण उत्पादन सामान्य ही होता है। जिनके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं वे सब्जी, गेहूँ, चना आदि फसले भी बोते हैं। वन के माध्यम से प्रमुख स्रोत प्राप्त होते हैं। जंगलों में महुआ तेंदुपत्ता, चार, गोंद, हर्रा आदि को एकत्रित कर बाजारों में बेचते हैं। खरगोश, कोटरी, चीतल, साँभर आदि का भी शिकार करते थे। वर्तमान में शिकार पर प्रतिबंध होने से शिकार नहीं करते है।

रीति-रिवाज ऐसी परंपराएँ या संस्कार है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी मानव जातियों में चले आए हैं। कंवर समाज के सामाजिक नियम राजपूत क्षत्रियों के समान मानते है। चेरवा कंवर, पैकरा कंवर, दूध कंवर आदि होते हैं। चेरवा कंवर को कंवर पुरुष व चेरो स्त्री से उत्पन्न माना जाता है। उनका निवास सरगुजा जिले में होता है। पैकरा कंवर के लिए कहा जाता है कि रतनपुर के हैहयवंशीय राजा के सेना में सेना होते

थे। दूध कंवर को कंवर जनजाति का क्रीम कहा जाता है।

उपजातियाँ विभिन्न गोत्रों में विभक्त किया गया है। मूल कंवर जनजाति में बिच्छी, बोकरा, चंवर, बिलवा, चीता, ढेकी, दर्पण, गोबरा, कोठी, खुमरां, सोन पाखर, डहरिया आदि गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र बहुविवाही होता है। जीव-जंतु पशु-पक्षी, वृक्ष-लता आदि प्राकृतिक वस्तुओं पर आधरित टोरम वंश चिह्न पाया जाता है। इन जनजाति की गर्भवती महिलाएँ प्रसव के दिन तक अपनी आर्थिक व पारिवारिक कार्य करती हैं प्रसव कराने वाली बुजुर्ग (महिला/दाई) जिसे सुईन कहा जाता है। प्रसव के बाद नवजात शिशु के नाल को काटकर जमीन में गड़ा दिया जाता है। प्रसूता को तीन दिन तक भोजन नहीं दिया जाता है। तीन दिन तक गुड, कसापानी, सोंठ तिल का लड्डू, नारियल का खोपरा हलका एवं सुपाच्य भोजन दिया जाता है। छठवे दिन में घर का शुद्धिकरण कुल देवी-देवता की पूजा करने के बाद रिश्तेदारों को खाना खिलाते हैं।

कंवर जनजाति के लिए पुरुष विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 16-18 वर्ष मानते है। विवाह की पहल लड़केवाले की तरफ से किया जाता है लेकिन निर्णय लड़की पर निर्भर होता है। रिश्ता तय होने के पश्चात लडके वाले लोग नई साड़ी, गुड़, कुछ रुपये व शराब लेकर लड़की के घर मंगनी के लिए जाते है। विवाह का रस्म मगरी, द्वारमाँगा, रोटी तोड़ना विवाह एवं गौना सहित पाँच चरणों में संपन्न होती है। वर पक्ष को सूक भरवा में चावल, चाँद, तेल, गुड़, हल्दी व कुछ नगद रुपये दिये जाते हैं। विवाह संस्कार बुजुर्ग के द्वारा संपन्न कराया जाता है। वर्तमान में कई परिवार ब्राह्मण बुलाने की प्रथा प्रारंभ कर दिये है। गुरावट (विनियम) और घरजमाई प्रथा का प्रचलन है। पैठू (घुसपैठ) और उठरियाँ (सहपलायन) को सामाजिक पंचायत द्वारा कुछ जुर्माना लेकर विवाह के रूप में उन्हें समाज में शामिल कर लिया जाता है। विधवा को चूड़ा पहनाने (पुनर्विवाह) की मान्यता दी गई है।

परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो शव को प्रायः जलाते हैं कभी-कभी दफनाया भी जाता है। तीसरे दिन 'तीज नवाहन' की रस्म करने के बाद परिवार रिश्तेदार व बिरादरी के लोग बाल, दाढ़ी व नाखून कटवाते हैं। घर की साफ, सफाई की जाती है नौवें दिन महिला और दसवें दिन पुरुष मश्तक का दशकर्म किया जाता है इस समय स्नान, तर्पण व पूजा करने के बाद मृत्यु भोजन किया जाता है। यदि परिवार में बच्चे की मृत्यु होती है तो उसे जमीन में दफना दिया जाता है और पाँचवें दिन बाद मृत्युभोज किया जाता है।

कंवर जनजाति की अपनी परंपरागत जाति पंचायत होती है। पंचायत के प्रमुख को गौटिया कहा जाता है और गाँव की पंचायत के अलावा आस-पास के सात-आठ गाँव को मिलाकर बनाया जाता है जिसे 'चक पंचायत' कहा जाता है।

यदि गाँव में कोई समस्या है जिसका निर्णय ग्राम पंचायत चक पंचायत में भेज दिया जाता है। कंवर समाज की सर्वोच्च पंचायत को 'सतगातिया पंचायत' कहा जाता है। इसका निर्णय सबके लिए सर्वमान्य होता है। इन पंचायतों में अन्य जाति के पुरुष या स्त्री के विवाह, वैवाहिक विवाद, अनैतिक संबंध व सामाजिक नियम तोड़ने आदि संबंधी मामले का निवारण किया जाता है।

इनके प्रमुख देवी-देवता 'दुल्हा देव', 'शिकार देव', 'बाहन देव','सर्वमंगला देवी', 'बुढ़वा रक्शा', 'बंजारी देवी' और 'मातिन' आदि हैं। इनके अलावा हिंदू देवी-देवता शिव, हनुमान, सरस्वती, दुर्गा, राम, कृष्ण, लक्ष्मी, नाग, भूमि, वृक्ष आदि की भी पूजा करते हैं। कंवर जनजाति में कुल देवी और कुल देवता को बकरा या मुर्गा की बलि दी जाती है।

प्रमुख त्योहार हरियाली, जन्ममाष्टमी, पोला, तीजा, नवाखानी, परमा, एकादशी, दुर्गा नवमी, दशहरा, दीवाली, होली आदि हैं। जादू-टोना और भूत-प्रेत पर अधिक विश्वास करते हैं। मंत्र-तंत्र का जानकर और ग्राम के देवी-देवता का पुजारी को बैगा कहा जाता है।

नृत्य कंवर जनजाति में 'करमा नृत्य', 'भोजली नृत्य', 'सुआ नृत्य', 'राम सप्ताह', रहस नृत्य आदि होता है। गाँव में रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है। स्त्रियों के लिए सुआ गीत, भोजली गीत और पुरुष-वर्ग के लिए सप्ताह गीत, फाग सेवा गीत आदि गाए जाते हैं।

निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जीवन प्रकृति प्रेम, कठोर परिश्रम व आनंद इन तत्त्वों से ओतप्रोत है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुआयामी है और यहाँ कंवर जनजाति की संस्कृति में सामाजिक व धार्मिक रीति-रिवाजों और मान्यताओं में परिचय से भिन्नता मान सकते हैं। सच कहे तो, किसी भी देश के लोग अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के द्वारा पहचाने जाते हैं। उसी प्रकार छ. ग. की संस्कृति में कंवर जनजाति की अपनी एक अलग पहचान है।

❏❏❏

अनेक पूजा पाठ, नृत्य, त्योहार, जन्म तथा विवाह जैसे संस्कारों से हम परिचय पाते हैं, साथ ही साथ इस पुस्तक से भारतीय संस्कृति को गहराई से समझ सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान के कुछ विशेष समुदाय के रीति-रिवाज, तथा वहां की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं इसके साथ उनकी कुछ सामाजिक समस्याओं को भी देखते हैं। इसके अतिरिक्त दलित चेतना, उनकी मूल समस्याएं, आधुनिक युग में किसानों की समस्याएं तथा पहाड़ी लोगों की संस्कृति तथा पहाड़ी लोगों के जीवन को बहुत नजदीक से जान सकते है।

लोक संस्कृति एवं जनजातियां को प्रकाशित करने की उत्सुकता मेरे अंदर बहुत पहले ही रही थी जो अब पूरी हुई। पुस्तक को प्रकाशित करने का मूल उद्देश्य यह जन-जन तक पहुंचे जिससे आम लोग अपनी भारतीय संस्कृति से रूबरू हो सके और अपनी आदि प्रजाति के बारे में और करीब से जान सके, उनके समस्याओं को समझ कर उसके निदान के लिए खड़े रहे तथा उनकी संस्कृति को जानकर उन्हें भारतीय समाज में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन प्रदान करें। मैं अपने सभी गुरुजनों, मित्रों, शुभचिंतकों का आभारी हूं, जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता रहा है। साथ ही अपने माता-पिता एवं दीदी को प्रणाम और हृदय से नमन करता हूं, जिन्होंने मेरी विषम परिस्थितियों में भी सभी प्रकार से सहायता की।

अंत में मेरे शोध निर्देशक डॉ. राम प्रवेश रजक जी का हृदय से आभारी हूं, पुस्तक को प्रकाशित करने में जिनका सार्थक मार्गदर्शन मुझे समय-समय पर मिलता रहा।

प्रीतम रजक

अनुक्रम

सम्पादकीय 5

1. लोक संस्कृति का विश्व पटल पर योगदा[illegible] 11
डॉ. गीता शर्मा

2. लोक संस्कृति व समाज में लोक-साहित्[illegible] 20
डॉ. आशा बिष्ट

3. 'भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के संवाहक [illegible] परंपराओं में वनस्पति एवं जैविकीय अध्ययन वैश्विक [illegible] में' 24
प्रो. सरोज वर्मा

4. भारतीय संस्कृति एवं समाज में लोकगीतों [illegible] लोकनाट्य का प्रभाव (बिहार के भिखारी ठाकुर एवं महेंद्र मिश्र [illegible] विशेष संदर्भ में) 30
चंपा कुमारी

5. वैश्विक समाज में राजस्थानी लोक-गीतों [illegible] योगदान 34
डॉ. विजय कुमार पटीर

6. राम, कृष्ण और कन्याएँ (वैश्विक परिप्रेक्ष्[illegible] 41
कुसुम त्रिवेदी

7. भारतीय साहित्य में अंतर्निहित जीवन-मूल्[illegible] 45
एस. कुमार गौर

8. भारतीय जीवन-मूल्य और विश्व 49
डॉ. जोगेंद्र सिंह बिसेन

9. छत्तीसगढ़ की बहुआयामी संस्कृति में उ[illegible] जनजाति 55
डॉ. वैशाली हजारे

10. मुंडा जनजाति समुदाय में पूर्वजों की पूजा [illegible] विधि एवं त्योहारों के संदर्भ में 62
माधुरी सामंत

लाभदायक सिद्ध होते हैं।

निष्कर्ष

अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं–

1) जगत् की सबसे प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति है।

2) भारतीय संस्कृति के भारतीय जीवनमूल्य विश्व के लिए अनमोल निधि हैं।

3) भारतीय संस्कृति मनुष्य को श्रेष्ठ मानती है। अतः मनुष्यता का निर्वाहन करना अपना दायित्व मानती है।

4) सभी के श्रेष्ठ तत्त्वों को भारतीयों ने अपनाने की बात कही जो एक महत्त्वपूर्ण जीवनमूल्य हैं।

5) सदाचार यह भारतीय जीवनमूल्य हैं।

6) भारतीय संस्कृति में नारी को नारायणी मान नारी को श्रेष्ठ माना गया है।

7) सर्व पंथ समभाव, अहिंसा परमो धर्मः, सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम्, एक सत् विप्रा बहुधा वदंति, सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः, त्याग, क्षमा, जैसे भारतीय जीवनमूल्य विश्व की दृष्टि से उपयोगी एवं लाभदायक हैं।

8) वैश्विक शांति के लिए भारतीय जीवनमूल्यों की आवश्यकता हैं।

संदर्भ

1. भारत-भारती-मैथिलीशरण गुप्त पृष्ठ 12
2. महाभारत-शांतिपर्व-276/120
3. ऋग्वेद-सूक्त नवासी, प्रथम मंत्र-प्रकाशक दयानंद संस्थान नई दिल्ली पृष्ठ क्र.113
4. मनुस्मृति-सं. राजवीर शास्त्री तृतीय अध्याय पृष्ठ 31
5. भारत-भारती मैथिलीशरण गुप्त पृष्ठ 16

छत्तीसगढ़ की बहुआयामी संस्कृति में उराँव जनजाति

डॉ. येशुक्रिती हजारे
अतिथि व्याख्याता हिंदी
शास.[illegible] स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़,
जिला राजनांदगाँव (छ.ग.)

वैश्विक दृष्टि से प्रत्येक देश की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक पर्यावरण एवं जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। यही भिन्नता मान[illegible] मानसिक पर्यावरण द्वारा निर्मित किसी भी संस्कृति की आधारशिला होती है। [illegible] संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है और इसलिए इसे [illegible] की सभी संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। भारत में विभिन्न धर्म, जातियाँ, [illegible] है, उतनी ही भिन्न उनकी परंपराएँ, वेश-भूषा, खान-पान एवं रीति-रिवाज हैं। इन्हीं [illegible] से भारत की संस्कृति का विश्लेषण करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृति [illegible] अनेकता में एकता है।

विश्व में भारतीय संस्कृति का स्थान [illegible] सर्वोच्च रहा है। अन्य देशों की संस्कृतियाँ समय के साथ बदलती हुई अपनी परंपराओं से दूर होती जा रही हैं किंतु भारत की संस्कृति प्रारंभ से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अब तक बनी हुई है। आज भी उतनी ही प्रभावशाली [illegible] संस्कृति का मूल केंद्र बिंदु उन सूक्ष्म संस्कारों में निहित विचारों में है जो एक [illegible] में ऐतिहासिक रूप से उनके संबद्ध मूल्यों सहित विवेचित होते रहे हैं। जिनके [illegible] ही लोग परस्पर संप्रेषण करते हैं, विचार करते हैं और जीवन के विषय में [illegible] अभिवृत्तियों और ज्ञान को दिशा देते हैं। इसलिए यह कह सकते हैं कि संस्कृति [illegible] व्यक्ति और समाज में निहित संस्कारों से है और उसका निवास उसके [illegible] में है। संस्कृति किसी भी देश के जाति समुदाय की आत्मा होती है। मानव संस्कृति का निर्माता है और संस्कृति ही मानव को मानव बनाती है।

भारत की संस्कृति अद्वितीय मानी [illegible] है। भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर वेद, पुराण, उपनिषदों में सर्वनि[illegible]

[illegible] और सर्वे भवंतु सुखिन; [illegible] विद्यमान है। इस पवित्र उद्देश्य का अर्थ उदार हृदयवाले लोगों की तो (संपूर्ण [illegible]) ही परिवार है और यहाँ सब सुखी हों, सभी रोगमुक्त रहें, सभी मंगलमय [illegible] के साक्षी बने और किसी को भी दुःख का भागी न बनना पड़े। ऐसी पवित्र [illegible] भारतवर्ष में सदैव प्राप्त होती हैं। भारत में विभिन्न संस्कृतियों के लोक प्रजा[illegible] निवास करती हैं, उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन [illegible] है। जिनमें अनेक अस्मिताएँ विद्यमान हैं, यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का अद्भुत [illegible] है। हमारे भारत में आदिवासी व आदिम जाति इत्यादि समुदाय में निवास क[illegible] हैं।

भारत के हृदय स्थल पर आस[illegible] छत्तीसगढ़ जो वनाच्छादित और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण राज्य है जो भगवान [illegible] की कर्मभूमि भी मानी जाती है, प्राचीन कला, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास आ[illegible] की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। यह राज्य एक जनजातीय बाहुल्य राज्य है। [illegible] के जनजातियों की अपनी विशिष्ट एवं अनोखी सांस्कृतिक परंपरा रही है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद [illegible] के अंतर्गत, सूचीबद्ध जनजातियों को अनुसूचित जनजातियाँ कहा गया है। [illegible] सूची में आने वाले 42 जनजातियाँ समूह बनाकर छत्तीसगढ़ में निवास करते [illegible] 2011 के जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ में निवासरत कुल 42 जनजातियों की [illegible] 78,22,902 है। छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या देश की कुल [illegible] का 6.2% जबकि प्रदेश की कुल जनसंख्या 30.6% है। जनजातियों [illegible] लिंगानुपात 1020 है जो छत्तीसगढ़ की जनजातीय समाज में स्त्रियों की समान[illegible] दर्शाता है। जनजातियों में साक्षरता का दर 50.11% है। छत्तीसगढ़ में पाई [illegible] वाली 42 जनजातियों में प्रमुख जनजाति गोंड, कँवर, बिंझवार, मुंडा, कमार, हल[illegible], उराँव आदि हैं।

उराँव छत्तीसगढ़ की प्रमुख जन[illegible] में से एक है। उराँव जनजाति की उत्पत्ति के ऐतिहासिक अभिलेख प्राप्त नहीं होते [illegible] स्वयं को पौराणिक राजा हरख/हरिश्चंद्र का वंशज मानते हैं और स्वयं को कुड़ु[illegible]) कहते हैं। उनकी प्रमुख बोली/भाषा भी कुडुख (कुरुख) ही है, जो द्रविड़ भा[illegible] से आती है। इस कारण इस भाषा में तमिल और कनारी (कन्नड़) भाषा [illegible] की बहुतायत है। प्राचीन द्रविड़ भाषा में कुड़ुख शब्द का प्रयोग मनुष्य से है। [illegible] वैज्ञानिकों के अनुसार यह जनजाति देश के दक्षिण भाग में पर्वतीय अंचल में [illegible] पूर्व निवास करती थी और जंगली जानवरों को मारकर, जंगली कंद-मूल [illegible] खाकर अपना जीवन-यापन किया करते थे। इनके पास पत्थर और लकड़ी के हथि[illegible] थे जिससे ये लोग शिकार तथा आत्मरक्षा के लिए लड़ाई करते थे। कुड़ुख पुरख[illegible] ही कालक्रम में खेती करना भी सीख लिया। आग पर नियंत्रण पाकर आग में [illegible] मांस को भूंजकर खाने की विधि खोजा।

दूसरे समूहों को भी इससे अवगत कराया। नियत समय के पश्चात उनके पूर्वज शाहाबाद (भोजपुर) क्षेत्र में रहने लगे थे। आर्यों ने उन पर दबाव दिया, अंत में शाहबाद छोड़ना पड़ा। कुछ समय बाद रोहतास के पठारी भाग में आश्रय लिए फिर छोटा नागपुर की ओर बढ़ गए। मुगलों के आक्रमण पश्चात रोहतास छोड़ते समय इनके दो दल में बँटवारा हो गया। एक दल गंगा के तटवर्ती भाग से होते हुए राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में पहुँचा। दूसरा दल कोयल नदी के तटवर्ती मैदानों से होते हुए पलामू (बिहार क्षेत्र में पहुँचे पलामू से होते हुए उत्तर पूर्वी राँची में पहुँचे। छोटा नागपुर के कुछ लोकसमूहों ने छत्तीसगढ़ के जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्रों में रहना प्रारंभ कर दिया। उराँव की प्रमुख उपजाति कुडास, धनका, धाँगड आदि होते हैं।

टोटेमवादी (गणचिह्न) कुल/वंश/गोत्र : इनमें टोटेमवाद पाया जाता है। यह उनकी विशिष्टता को अभिव्यक्त करता है। उराँव जनजाति के लोग प्राकृतिक शक्तियों पर अत्यधिक विश्वास रखते है। जीव-जंतु, पशु-पक्षी, वृक्ष-लता, खनिज आदि के नाम के आधार पर (गणचिह्न) टोटेम से स्वयं को समूहबद्ध करके एकत्रित कर लिया और अपने गोत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। इन गोत्र विशेष टोटेम का आदर किया जाता है, तथा वे संबंधित जीव-जंतु, वस्तु विशेष को किसी भी तरह से नष्ट नहीं करते। तथापि उनके किसी भी पूर्वज का टोटेम के रूप में कोई धार्मिक पूजा नहीं होती। इनके लगभग 8गोत्र हैं। (क) पशु गोत्र –अड़ो-बैल। अल्ला–कुत्ता। बंडो–जंगली बिल्ली। बरवा–जंगली कुत्ता। चिड़रा–गिलहरी। चिगालो (सिकरा) गीदड़। एड़गो–चूहा। गाड़ी–मामुली बंदर। हलमान–हनुमान। खोया–जंगली कुत्ता। लकड़ा–बाघ। ओस्साखेत–मुत्ता। रूंडा–लोमड़ी। ति(तिग्गा)–एक प्रकार का बंदर। तिर्की–छोटा चूहा आदि। (ख) पक्षी गोत्र–बकुला–बगला। ढेचुआ–ढेचूवा। गड़वा–सारस। गेडे–बतक। गिधी। खाखा–कौवा। केरकेट्टा–एक पक्षी विशेष। कोकरो–मुर्गा। ओरगोड़ा–बाज। तिरकुवार–तिथियों पक्षी। टोप्पो या तंग टोप्पो–पक्षी विशेष। (ग) मछली एवं जलचर गोत्र–गोडो-मंगर। खलको–एक मछली विशेष। किन्दुवर–एक मछली विशेष। लिंडा–एक लंबी मछली। मिंज–एक मछली विशेष। साल–एक मछली विशेष। तिड़ो–एक मछली विशेष आदि। (घ) उभयचर गोत्र– खेत्ता–नाग साप। (ङ) वनस्पती गोत्र-बखला–बल्कल, एक प्रकार कि घास। कंदा–सक्करकंद। बाड़ा–बरगद। कैथी भाजी–एक तरकारी पौधा। कुंडली (कुंदरू) तरकारी पौधा। [illegible]–एक गाछ। खेस–धान। किन्दो–खजूर। कूजुर–एक फलः लता। बासा–एक गाछ। मुंजनी–एक लता। पूतरी–एक गाछ। केओंद–एक फल। पुसर–कुसूम आदि। पिंता–पीपल। (च) खनिज वस्तु–पन्ना–लोहा। बंक–नमक। (छ) स्थान गोत्र–[illegible]। जूब्बी–दलदलभूमी। (ज) खंडित गोत्र–अमडी–चावल शोखा। किसपोट्टा सुअर की अंतड़ी आदि। किसी भी गोत्र विशेष समूह के सदस्य स्वयं को [illegible]

एवं सोहराई गीत आदि हैं। बाजों में मुख्यत [illegible], टेस्का, गुगुच आदि होते हैं।

अखरा/मेला/जखरा–जनजातीय संस्कृति में अखरा का एक खास महत्व है। यह स्थान ग्राम के मध्य में होता है, इसका संबंध हिंदी के अखाड़ा से नहीं है। यह जगह एक साथ गाँव के संयुक्त मनोरंजन [illegible] के रूप में पहचानी जाती है और यहीं पंचों द्वारा पंचायत-स्थली भी बनाई जाती है।

जाति पंचायत-पद्दा पंचायत : [illegible] समूह बनाकर ग्राम में रहते है उसे पद्दा कहते हैं, प्रत्येक ग्राम की स्वतंत्र [illegible] व्यवस्था होती है। ग्राम के प्रमुख को महतो कहते हैं। सामाजिक नियमों के [illegible] पर ग्राम के पंचों द्वारा ग्राम अखाड़े में बैठक में विचार किया जाता है, इस प्रकार के कार्य में महतो और पाहन उनका निर्देश करते हैं। पंचायत में जातिगत समस्या, अनैतिक संबंध, वैवाहिक विवाद, संपत्ति का बँटवारा आदि का निपटारा कराया जाता है। परहा पंचायत-यह पंचायत अंतर ग्राम संगठन/परहा पंचायत से भी उल्लेखित है, महत्वानुसार इनके क्रमशः दीवान ग्राम, पानरे ग्राम, कोटवार ग्राम और शेष सब प्रजाग्राम होते हैं। अनेक ग्राम मिलकर परहा बनता है। जिसके प्रमुख को परहाराजा कहते हैं, परहा संगठन में कोटवारी, परभरवा, दीवान आदि पदाधिकारी भी होते हैं। यहीं ग्रामों के विवादों पर फैसला होता है। परहा संगठन अपने सदस्य ग्रामों की मानवीय, प्राकृतिक तथा दैवी शक्तियों से सुरक्षा का प्रबंध करता है। साथ-साथ मेला, जात्राओं और सामूहिक शिकार का भी आयोजन करता है। जातीय लड़ाइयों में परहा के सदस्य एक-दूसरे की सहायता करते हैं।

युवागृह–उराँव जनजाति में युवागृह को धुमकुड़िया कहते हैं। यह प्रायः ग्राम के बाहर बना हुआ होता है। कुड़ूख भाषा में लड़कों के इकाई को एड़पा एवं इसके मुखिया को धाँगर महतो कहते हैं, जो समुदाय का बड़ा बुजुर्ग होता है। लड़कियों के इकाई को पेल्लो एड़पा एवं इसकी मुखिया को बड़किन धंगारिन कहते हैं, यह प्रायः कोई बुजुर्ग विधवा होती है। यहाँ सदस्यों को धार्मिक परंपरा, रीति-रिवाज, आध्यात्मिक विधि अनुष्ठान, सामाजिक एवं व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। इसमें सदस्यों के आयुवर्ग के अनुसार मुलतः 3 वर्ग होते हैं–1 ला आयु वर्ग- 13 वर्ष से कम का -जिसे पूना जोरंवार। 2. रा आयु वर्ग- 13 से 18 वर्ष का- जिसे मयजुरिया जोरंवार। 3 रा. आयु वर्ग- 18 वर्ष से अधिक का-जिसे धांगर कहते हैं।

विवाह–जनजाति अनेक बहिर्विवाह [illegible] कुलों में अलग किया जाता है। सबसे प्रचलित बूंदे विवाह : वधू ढूंढ़ने का कार्य लड़के के पिता द्वारा की जाती है। वधू मूल्य देना एक प्रचलित रिवाज है। विवाह का प्रस्ताव लड़केवालों की ओर से लड़कीवालों को दिया जाता है। वर पक्ष वधू के पिता को सुक भरना (वधू मूल्य) के

रूप में चावल, दाल, शराब, बकरा, साड़ी आदि देते हैं। विवाह की उम्र लड़कों कि 21 से 24 वर्ष तथा लड़कियों की 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है। विवाह की रस्म जाति के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के देखरेख में संपन्न होता है। ईसाई उराँव में शादी के पूर्व 3 से 7 दिन तक चर्च में शिक्षा दी जाती है। विवाह प्रथा के अंतर्गत-ढुकू (घुसपैठ) विवाह, बंदवा विवाह, विधवा, त्यागता का पुनर्विवाह को भी सामाजिक मान्यता प्राप्त है।

जन्म संस्कार–उराँव जनजाति की गर्भवंती महिलाएँ प्रसव के दिन तक अपनी आर्थिक व पारिवारिक कार्य करती हैं। प्रसव घर पर बुजुर्ग स्त्रियों की देखरेख में किया जाता है। बच्चे का नाड़ा (नाल) छुरी को आग में तपाकर काटते हैं जो प्रसूता को उनके माता-पिता द्वारा दी गई होती है। बच्चे का नाड़ा (नाल) घर में ही गाड़ देते हैं। प्रसव के बाद प्रसूत को सोंठ, पीपर, अजवाइन, गुड़, घी, नारियल आदि से तैयार लड्डू खिलाते हैं। छठे दिन छट्ठी का आयोजन किया जाता है। आयोजन में आए हुए रिश्तेदारों को बीड़ी, हड़िया आदि से स्वागत किया जाता है। प्रसूति तथा नवजात शिशु को नहलाकर नए कपड़े पहनाते हैं। माता एवं नवजात शिशु सूर्य का प्रणाम कर मेहमानों से आशीर्वाद लेते हैं।

मृत्यु संस्कार–जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उड़द के साथ पकाया हुआ चावल उस मृतक के मुँह में रख दिया जाता है और मृत व्यक्ति की पत्नी, महान माता और बड़े भाई की पत्नी द्वारा शव पर तेल लगाया जाता है। शव को श्मशान ले जाया जाता है और शव को उत्तर-दक्षिण इस प्रकार रखा जाता है कि सिर उत्तर दिशा की ओर रखकर शव को दफनाते हैं। मृत्यु के तीन दिन गुजर जाने के बाद 'तीखी नहावन' हेतु रिश्तेदारों को बुलाकर सभी रिश्तेदार स्नान करते हैं। पूरे घर की साफ-सफाई की जाती है। ईसाई उराँव में मृत्यु के समय पादरी को बुलाया जाता है। आत्मा की शांति प्रार्थना तथा पापों के प्रायश्चित कराया जाता है। इसे अंतमिलन संस्कार कहा जाता है।

निष्कर्ष रूप से हमें यह कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जीवन प्रकृति प्रेम, कठोर परिश्रम व आनंद–इन तत्त्वों से ओत-प्रोत है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुआयामी है और यहाँ उराँव जनजाति की संस्कृति सामाजिक व धार्मिक रीति-रिवाजों और मान्यताओं के परिचय से भिन्न मान सकते हैं। सच कहें तो, किसी भी देश के लोग अपने विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के द्वारा पहचाने जाते हैं। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति में उराँव जनजाति ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उराँव जनजाति में ईसाई मिशनरी ने शिक्षण का काफी प्रचार-प्रसार किया जाता रहा है। आज सबसे ज्यादा शिक्षित लोग इसी जाति में हैं। जो विभिन्न [illegible] में उच्च पदों पर कार्यरत हैं।

परिवार के, एक ही पूर्वज के वंशज मानते हैं। अतः वे एक ही गोत्र के अंतर्गत विवाह नहीं करते जो उनके द्वारा कौटुम्बिक-व्यभिचार माना जाता है और इस कारण वे अंतर-गोत्र/बहिर्विवाह किंतु एक जाति में ही विवाह का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार टोटेम गोत्र प्रणाली एवं गोत्र नियम के माध्यम से गोत्र समुदाय में अंतर्गत एकता की प्रबलता निर्माण होती है।

धार्मिक प्रथाएँ एवं पूजन विधियाँ–उराँव लोग प्रकृतिपूजक होते है। इसमें पालकंसना अनुष्ठान : यह एक सबसे महत्त्वपूर्ण कुडूख अनुष्ठान है, कुडूख लोग अध्यात्म एवं विश्वास में केवल दो शक्तियों को ही मानते है। वह है धरमें एवं धरमें सवंग अर्थात ईश्वर और ईश्वरीय शक्तियाँ पालकंसना अनुष्ठान केवल इनकी ही पूजा होती है। अपारंपरिक धर्म में सर्वोच्च ईश्वर धर्मेश की उपासना, पूर्वजों की पूजा, अनगिनत अभिरक्षक देवताओं तथा आत्माओं की आराधना शामिल है। समय-समय पर ऋतुनुसार इनके विभिन्न पर्व एवं उत्सवों मे मौसमानुकूल नृत्य संगीत गीतों द्वारा प्रचलित आध्यात्मिक अनुष्ठानों एवं अवधारणा से टोटम (चिह्न) का पूजन, स्मरण कर आवाहन करते हैं। अभिरक्षक देवी-देवता–इनके प्रमुख देवता धर्मेश (सूर्य) हैं। ग्राम में 'सरना' देवता का वास होता है, अन्य देवी-देवताओं में अंधेरी पाटा, पाटराजा, चंडी, मल्हदेव (महादेव), पारबताई (पार्वती), कमार दुल्हादेव, छोटी माई, बड़ी माई आदि हैं। अपने वंश या गोत्र चिन्ह, नदी, पर्वत, नाग आदि को भी देवी-देवता मानते हैं। पूजा-अर्चना में 'टोटेमवादी' कर्नकांड शामिल होते हैं। गाँव के बड़े-बुजुर्ग लोग जादू-टोना, भूत-प्रेत पर अधिक विश्वास करते हैं, मंत्र-तंत्र व देवी-देवता के पुजारी को पाहन कहा जाता है।

अधिवास एवं जीवन-शैली–इनके घर मिट्टी के बने होते हैं जिस पर लकड़ी और खपरैल की छत होती है। पुताई हिंदू उराँव काली मिट्टी से तथा ईसाई उराँव चूने से करते हैं। घर के अंदर को प्रतिदिन गोबर व मिट्टी से लिपने का कार्य किया जाता है। दो-तीन कमरे होते हैं चारों तरफ बरामदा होता है जिसे परछी कहा जाता है। बड़े घर कमरे में अनाज की कोठी और देवी-देवता का स्थान होता है। रसोई घर परछी के सामने में रखा जाता है। घर में मिट्टी, काँसे, पीतल, एलुमिनियम व स्टील के वर्तन, चूल्हा, ढेकी, चक्की, मसूल, ओढ़ने-बिछाने तथा पहनने के कपड़े, कृषि के उपकरण, मछली पकड़ने के जाल, वाद्ययंत्र में (माँदल का मृदंग) आदि होते हैं।

उराँव लोग स्वभाव से बहुत सरल, मिलनसार, हृष्ट-पुष्ट, गठीले, तंदुरुस्त द्रविड़ नाक-नक्शवाले होते हैं। इनके बाल घुँघराले होते हैं, पुरुष छोटे बाल, महिलाएं बालों का जुड़ा या वेणी बनाती हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, उत्सवों के समय अपने गीतों तथा नृत्यों के माध्यम से अपना उल्लास भाभी, साली, साले, बहनोई, चचेरी बहन आदि के साथ हँसी-ठिठोली करना पसंद करते हैं। दाँतों की सफाई नीम,

करंजी, हर्रा के दातुन से करते हैं और प्रतिदिन [illegible] करते हैं।

वस्त्र एवं आभूषण–पुरुष पारंपरिक पोशा[illegible] है, और छोटी धोती और अंगरखा पहनते हैं। महिलाएँ लुगड़ा-पोलका पह[illegible] हैं। इनमें पीतल के आभूषण और मोतियों की माला बहुत लोकप्रिय है।

खानपान–मुख्य भोजन चावल, प्याज, कोदो [illegible] व पेज आदि का प्रयोग करते हैं। इसके साथ उड़द, कुलथी की दाल, [illegible] सब्जी खाते हैं और मांसाहार में मुर्गा, मछली, बकरा, खरगोश आदि [illegible] और चावल से बनी मदिरा हँड़िया/कोसमा का सेवन करते हैं।

आर्थिक स्रोत–कृषि मजदूरी, वनोपज से [illegible] करते हैं। कृषि से पहाड़ी ढलान पर कोदो, प्याज, साठी धान मूँग, कुल्थी, उ[illegible] आदि तथा नीचे सेरहा भूमि में अच्छे किस्म का धान बोते हैं। खेतों में म[illegible] करते हैं, जंगल में तेंदूपत्ता, महुआ, गुठली, साल, बीज, लाख, कोसा, धवई, [illegible], शहद आदि एकत्रित करके बेचते हैं। गाँव में शिक्षित युवक-युवतियाँ [illegible] नौकरी करते हैं।

पर्व/त्योहार–आदिवासी प्रकृतिपूजक होते [illegible] प्रकृति उनका परिवेश भी है, आलंबन भी, उद्दीपन भी। प्रकृति से वे अन्न, औ[illegible] ग्रहण करते ही हैं। शृंगार के उपकरण और त्योहार भी लेते हैं मानो प्रकृति [illegible] जातियों की सहचरी बनी हुई है। उनके नृत्य-संगीत, गृहसज्जा, मनोरंजन, [illegible] को सँवारने का काम भी प्रकृति ही है। स्वाभाविक है उनके त्योहार भी [illegible] हों। समय-समय पर ऋतु अनुसार इनके विभिन्न पर्व एवं उत्सवों में [illegible] नृत्य, गीत-संगीत द्वारा मुख्यतः खद्दी, युड़िया, खड़िया, पनाड़ी, अशाड़ी, [illegible] जैसे कार्यों पर उल्लास मनाते हैं। पूजा और त्योहार [illegible] अनुष्ठान हैं। [illegible] त्योहार प्रमुखता से मनाते है। प्रमुख त्योहार–करमा [illegible] पर्व है यह भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। करमा वृक्ष की यह मान्यता है, कि उसमें कर्म देवता का निवास होता है। सरहुल पर्व : यह [illegible] पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। साल वनों में साल [illegible] के पुष्प खिलने लगते हैं, तब तक वसंत की विदाई का समय आ जाता है और ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो जाती है। जनी शिकार : यह त्योहार उराँवों के बीच बारह वर्षों में एक बार मनाया जाता है। इसमे महिलायें पुरुषों का वेश धारण कर शिकार पर जाती हैं। [illegible] पूजन अपने परंपरागत विधि से मनाते हैं। इसके अतिरिक्त [illegible] आदि पर्व भी मनाते हैं।

प्रमुख नृत्य, गीत और बाजे–फग्गुआ और सरहुल, करमा, [illegible] जापी, जतरा, लूझसे (झूमैर), चिर्दी (जेठ जतरा), डोमकच, जदुर तथा [illegible] लोकप्रिय नृत्य आदि होते हैं। लोकगीतों में करमा गीत, सरहुल गीत, [illegible]

Mr. Aeolal Meshram

डॉ॰ बी॰ आर॰ आम्बेडकर : हाशिए से मुक्ति तक

संपादक
डॉ॰ विमल कुमार लहरी
सहायक प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

RELIANCE
रिलाइंस पब्लिशिंग हाउस
नई दिल्ली—110008

डॉ० बी. आर. आम्बेडकर : हाशिए से मुक्ति तक

by Dr. Vimal Kumar Lahari (Editor)

Copyright- Authors
Editions- Ist ***2018***
I.S.B.N. 978-81-7510-247-7
International Price : US$ 40
Indian Price. ***Rs. 495/-***

Published by
Reliance Publishing House
6/1 South Patel Nagar, New Delhi-110008
Phone : *011-25708428*
Email : *rphbook@gmail.com*
www.indianbookindustry.com

Composed by: **Elegant Printographics,** *Delhi-110085*

Cover Design by : **Gita Enterprises**

Disclaimer

The views expressed by the authors are their own. The editors and publishers do not own any legal responsibility or liability for the views of the authors any omission or in advertent errors.

All rights reserved. No part of this book covered by the copyrights hereon may be reproduced or copied in any form or by any means-graphic, elecronic, or mechanical, including photocopying, taping or information sotrage ebook and retrieval systems-without written permission of the publisher and author.

Printed In India.

Published by **Mrs Durgesh Bhatia for Reliance Publishing House**, New Delhi, and *Printed at* **Anvi** Composers, New Delhi

7. डॉ० भीमराव अम्बेडकर – बौद्ध धर्म 133
– ऐवलाल मेश्राम, ज्ञान सिंह

8. वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अम्बेडकर के सामाजिक न्याय : एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य 149
– प्रियंका कुमारी

9. डॉ० भीम राव अम्बेडकर की विचारधारा : राजनैतिक संदर्भ में 161
– डॉ० रत्न सौरभ

10. डॉ० बी० आर० अम्बेडकर : बौद्ध धर्म 177
– डॉ० डेविड मुर्मू
– डॉ० उमेश कुमार गुप्ता

11. बाबा साहब का सामाजिक अवदान 187
– चेतराम गर्ग

12. डॉ० अम्बेडकर का सामाजिक क्रान्ति के जनक के रूप में मूल्यांकन 217
– डॉ० ताबिन्दा सुल्ताना

13. डॉ० बाबासाहब आंबेडकर का शैक्षणिक योगदान 229
– डॉ० किशोर उत्तमराव राऊत

डॉ० भीमराव अम्बेडकर – बौद्ध धर्म

ऐवलाल मेश्राम,
अतिथि व्याख्याता, इतिहास विभाग
शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़
ज्ञान सिंह,
अतिथि व्याख्याता, अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़

डॉ० भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व को बौद्ध धर्म संबंधी विकास के तीन प्रमुख आयास है – पहले उसमें रूचि, दूसरी आकर्षण और तीसरी आत्मसात करना। बुद्ध की जीवन पर लिखी श्री केलुस्कर द्वारा प्रदत्त पुस्तक ने उनके इन आयामों के प्रस्थान बिन्दु का काम किया। तदनुरूप डॉ० अम्बेडकर के विचारों, लेखों तथा भाषणों में भगवान बुद्ध और उनके धम्म सन्दर्भ, बिम्ब और प्रतीक क्रमशः गहन होते चले गये। उनके द्वारा 1936 में बम्बई के महार परिषद् की सभा में, बुद्ध के "अत्त दीप भवः" उपदेश का आवाहन करना, 1948 में बहुचर्चित पुस्तक "अछूत कौन और कैसे?" ये पुर्णकालीन अछूतों का पैत्रिक धर्म, बौद्ध धम्म निरूपित करना, दादर स्थित अपने मकान का नामकरण बौद्ध प्रतिक स्वरूप, "राजगृह" रखा। सिद्धार्थ कॉलेज बम्बई और मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद की शैक्षिक संस्थाओं के नाम, बौद्ध नाम रखा। अपने अखबार का नाम "प्रबुद्ध–भारत" रखना, धर्मान्तरण के पूर्व श्रीलंका तथा बर्मा में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलनों में शमिल होना, ये सभी तथ्य इस बात के स्पष्ट सूचक है कि उनका झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति न सिर्फ काफी पहले से था, बल्कि या दिनों–दिन प्रगाढ़ होता चला गया, 14 अक्टुबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुआईयों

के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, "भगवान बौद्ध और उनका धम्म" की रचना बौद्ध धर्म के प्रति उनकी अंतिम प्रयास थी।

बौद्ध धर्म से प्रारभिक परिचय

आधुनिक मनु एवं दलितों के मसीहा कहे जाने वाले डॉ० अम्बेडकर का सामाजिक चिंतन, दलित विमर्श का एक कालजयी उपागम है। डॉ० अम्बेडकर की जीवन पृष्ठभूमि निर्धनता से राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा बनने तक की सम्पूर्ण यात्रा में निहित है। 14 अप्रैल 1891 ई. में महू छावनी के महार कुल में जन्में ये अपने माता पिता के 14 वें पुत्र रत्न थें।[1]

"चौदह अप्रैल को पैदा हुए, चौदहवीं संतान को, भगवान से कुछ कम नही, पर महान इंसान थें"

सामाजिक आर्थिक अवरोधों के पाश्चत् 1907 में डॉ० अम्बेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण होते है। उस समय यह केवल राम जी सकपाल के लिए ही नही अछुत वर्ग के लिए गर्व की बात थी।[2] डॉ० अम्बेडकर के मैट्रिक उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में सत्य शोध समाज के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसकी जाने माने समाज सुधारक श्री सीता राम केशव बोले ने अध्यक्षता की, इस अवसर पर मराठी प्रसिद्ध विद्वान गुरूवर कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर भी उपस्थित थे। केलुस्कर ने अपना खुद का लिखा हुआ "बुद्ध चरित्र" मराठी सहित्य भीम राव को उपहार के स्वरूप में दिया। "बुद्ध चरित्र" ग्रंथ भीमराव को उपहार स्वरूप देकर केलुस्कर ने भीमराव को समाज में फैली हुई, ऊँच–नीच के खिलाफ जागृत होने का अनजाने में आवहन किया।[3] डॉ० अम्बेडकर ने उस पुस्तक मनोयोग से पढ़ा और वे गौतम बुद्ध एवं उनके सिद्धान्तों से बहुत

प्रभावित हुए।[4] इस पुस्तक में सर्व प्रथम डॉ० अम्बेडकर के मन मस्तिक में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों के बीज बोये।[5]

हिन्दू धर्म में सुधार का प्रयास

सन् 1919 में डॉ० अम्बेडकर कोल्हापुर नरेश साहू छत्रपति महाराज के सम्पर्क में आए इसके साथ उन्होनें कोल्हापुर नरेश के आर्थिक सहयोग से 1920 में "मुक नायक" समाचार पत्र निकालना आरम्भं किया। मुक नायक के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा था कि भारत असमानताओं का देश हैं, दलित वर्ग को स्थाई दास्ता, गरीबी और अज्ञानता से मुक्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करने होंगे।[6]

डॉ० अम्बेडकर ने मानव इतिहास का वैदिक युग से 19 वीं सदी तक वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अछूतपन संसार में सिर्फ भारत में ही है और कहीं नहीं। अछूतपन जाति व्यवस्था की उपज है। अतः वे अछूतोद्धार आन्दोलन में जूट गये। दलित सेवा उनके जीवन का मिशन बन गया।[7]

डॉ० अम्बेडकर ने भारतीय दलितो के पक्ष को समाज के सामने रखने हेतु बम्बई में बहिष्कृत हितकारणी सभा की स्थापना किया। मार्च 1927 को चॉवदार तालाब से पानी लेने के लिए दलितो के अधिकार प्राप्ति हेतु महार सत्याग्रह किया। महार सम्मेलन में मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से चलाया। 1929–30 को काला राम मंदिर में दलितो के प्रवेश का अधिकार प्राप्त करने नासिक में सत्याग्रह किया।[8] महार का चवदार तालाब, मनुस्मृति का दहन, कालाराम मन्दिर सत्यागह, डॉ० अम्बेडकर के आंरम्भिक लड़ाई की ये तीन महत्वपूर्ण सीढ़ियाँ हैं। "मुक नायक" और बहिष्कृत भारत के लेख उनके तेजस्वी शब्दों को व्यक्त कर रहे थे। उनके शब्द शास्त्र का

43. **रामगोपाल आजाद**, डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर की महत्वपुर्ण भाषण एवं लेख, समता प्रकाशन नागपुर पृ.क्रं 135.
44. **सुर्य नारायण रणसुठभे**, डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा. लि. दरियागंज नई दिल्ली पृ. क्रं 59.
45. **हरदान हर्ष**, डॉ० भीमराव अम्बेडकर :– जीवनदर्शन, पंचशील प्रकाशन जयपुर पृ.क्रं 105.
47. **प्रभाकर वैद**, डॉ० अम्बेडकर, आड़ि त्यांचा धम्म, पृ.क्रं 99.
48. **प्रभाकर वैद**, डॉ० अम्बेडकर, आड़ि त्यांचा धम्म, पृ.क्रं 106.
49. **हरदान हर्ष**, डॉ० भीमराव अम्बेडकर :– जीवनदर्शन, पंचशील प्रकाशन जयपुर पृ.क्रं 105–106.
50. **रामगोपाल आजाद**, डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर की महत्वपुर्ण भाषण एवं लेख, समता प्रकाशन नागपुर पृ.क्रं 138.
51. **भदन्त आनंद कौसलयायन**, यदि बाबा न होते, बुद्ध भूमि प्रकाशन, कमठी रोड नागपुर, पृ. क्रं 112.
52. **रामगोपाल आजाद**, डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर की महत्वपुर्ण भाषण एवं लेख, समता प्रकाशन नागपुर पृ.क्रं 162.
53. **सुर्य नारायण रणसुठभे**, डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा. लि. दरियागंज नई दिल्ली पृ. क्रं 83.
54. डॉ० भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, पीपुल्स ऐजुकेशन सोसयटी आंनद भवन मुम्बई पृ.क्रं 10.
55. **भदन्त आनंद कौसलयायन**, यदि बाबा न होते, बुद्ध भूमि प्रकाशन, कमठी रोड नागपुर, पृ. क्रं 111.
56. डॉ० भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, पीपुल्स ऐजुकेशन सोसयटी आंनद भवन मुम्बई पृ.क्रं 3,6, 7.

Dr. Yeshukriti Hazare

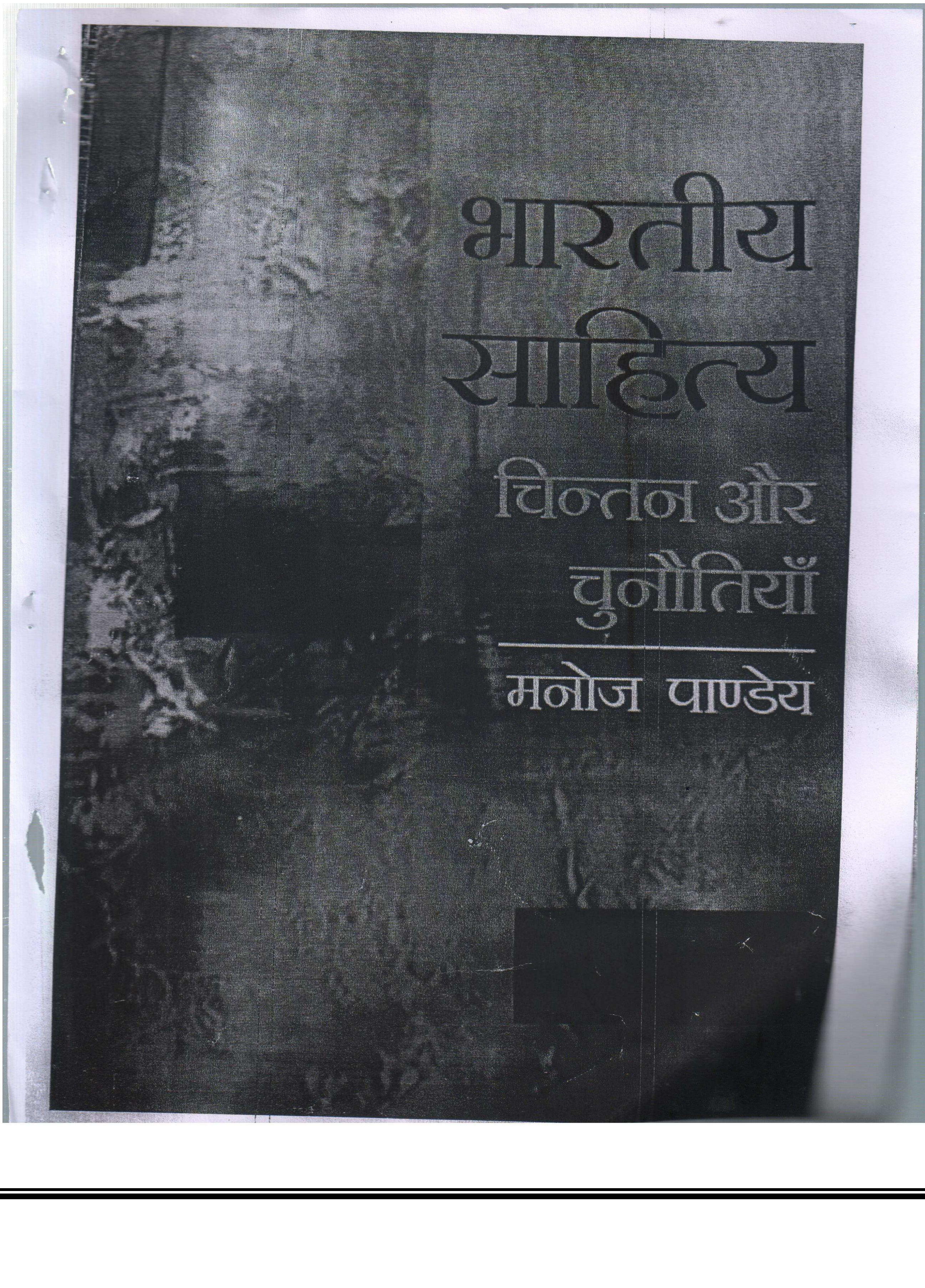

भारतीय के सन्दर्भ में : हिन्दी और मराठी के श्रृंगार काल का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. येशुक्रिती हजारे

भारतीय साहित्य वैदिक काल से आरंभ होता है। ऋग्वेद इस साहित्य का प्राचीनतम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। वैदिक कालीन भारतीय साहित्य में ऋग्वेद के साथ-साथ अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का वर्णन करने वाले विविध ब्राम्हण ग्रंथो और उपनिषदों का स्थान है। इस युग के प्रारंभ में पाली, प्राकृत आदि मध्यकालीनल भारतीय आर्य भाषाओं के साहित्य का निर्माण हुआ है। इस काल के साहित्य में बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन से सम्बन्धित साहित्य विशेष महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश इस काल की अन्तिम भाषा है। विविध अपभ्रंशों में शौरसेनी अपभ्रंष और महाराष्ट्री अपभ्रंश में जिस साहित्य का निर्माण हुआ वह अधिक मूल्यवान है। इनमें से शौरसेनी अपभ्रंश के साहित्य को सर्वाधिक सत्ता उत्तर पूर्व और पश्चिमी भारत पूर्व तथा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश का साहित्य महाराष्ट्र में स्थापित था।

हिन्दी रीति श्रृंगार का अध्ययन करते समय यह अनुभव होता है कि कुछ प्रवृत्तियाँ मराठी के श्रृंगारी काव्य में हमें स्पष्ट रूप से नजर आती है। जो हिन्दी तथा मराठी के रीति श्रृंगार साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन में भारतीय साहित्य की प्रवृत्तियों को समझने में उपकारक, उपयोगी तथा लाभप्रद है। राष्ट्रभाषा हिन्दी और मराठी दोनों साहित्य भाषा-भगिनी है। दोनों भाषाओं के मध्यकाल साहित्य में देश, काल, और वातावरण के अनुसार कुछ विभिन्नताएँ प्रचलित है, फिर भी दोनों की मध्ययुगीन काव्यधाराओं में अद्भुत समानताएँ पायी जाती है। भारतीय साहित्य मूल रूप से एक ही सम्बन्ध सूत्र में बाँधा जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। इस तथ्य में बाबू श्यामसुन्दरजी का कथन है कि–

13. वैदिक कालीन ग्राम्य-जीवन 100
विजय कुमार
14. अरुण कमल के काव्य संग्रह 'नये इलाके में' आधुनिकता बोध (भारतीय संस्कृति के संदर्भ में) 104
प्रीति शर्मा
15. मंगलेश डबराल का काव्य-संग्रह 'नए युग में शत्रु' : एक विवेचन (मूल्य के संदर्भ में) 109
सुगंधी गुप्ता
16. वेदोक्त शिक्षणाभ्यास प्रक्रिया 115
डॉ. विनीता पांडेय
17. भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म का स्वरूप 124
डॉ॰ विशाल भारद्वाज
18. भारतीय संस्कृति के संदर्भ में राहुल सांकृत्यायन कृत 'हिमाचल' यात्रावृत्त का वैशिष्ट्य 129
श्वेता शर्मा
डॉ. सुनीता शर्मा
19. भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य : एक विवेचन 136
श्री आमलपुरे सूर्यकांत विश्वनाथ
20. भारतीय संस्कृति शिक्षा का केंद्र - एक मंदिर 143
डॉ. हरिओम शर्मा
21. भारतीय संस्कृति में कर्म एवं पुनर्जन्म 145
डॉ. रीना कुमारी
22. भारतीय आदिवासी समाज में संस्कृति का महत्त्व (विशेष संदर्भ : आदिवासी हिंदी कविता) 151
अनीश कुमार
23. भारतीय संस्कृति के उन्नायक : महाकवि नाथूरामशंकर शर्मा 'शंकर' 162
डॉ. राजेश कुमार
24. संत-साहित्य की वैश्विक प्रासंगिकता 169
डॉ. सुनीता सिंह
25. छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कंवर जनजाति का अवदान 173
डॉ. येशुक्रिती हजारे

दूसरी सबसे बडी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कंवर जनजाति की कुल संख्या 887477 है। इसका मुख्यतः फैलाव छत्तीसगढ़ के उत्तरी पर्वतीय व मैदानी भागों में बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद एवं राजनांदगाँव जिले में है। बिलासपुर संभाग में कंवर जनजाति सर्वाधिक रूप में मिलते हैं।

कंवर जनजाति की उत्पत्ति के संबंध ऐतिहासिक अभिलेख प्राप्त नहीं होते है। किंवदंतियों के आधार पर ही उनकी अपनी उत्पत्ति महाभारत के कौरव वंशी राजा धृतराष्ट्र से मिलता है। कुरुक्षेत्र में महासंग्राम के बाद शेष रह गए थे वे कौरव स्वयं को बचाने के प्रयोग में इधर-उधर जंगलों में प्राणो की रक्षा के लिए और जंगलों में ही अपना जीवन यावन करने लग गए थे। यही कौरव कुछ समय के बाद कंवर कहलाए इस प्रकार वे स्वयं को कुरुवंशी व चंद्रवंशी कहते है। कंवर की एक उपजाति तंवर जो छतरी भी कहलाते है जिनकी जमीदारियाँ बिलासपुर जिले में क्रमशः कोरबा, धुरी, चांपा, लाफा, उपरोड़ा और पेंड्रा थी। इस जनजाति के लोग गोंड, उराव, बिझंवार, भुंडा, भैना, नगेसिया आदि अन्य जातियों के साथ निवास करते है।

इनके घर मिट्टी के बने होते हैं, जिस पर देशी खपरैल या घास-पूस का छाजन होता है। घर में चार-पाँच कमरे जिसमें एक कमरा रसोई व पूजा के लिए निर्धारित होता है। रसोई से सटे हुए कमरे की दीवारों में खोड़िया (कोठी) होती है, जिसमें धान का भंडारण किया जाता है। दीवारों पर सफेद या पीली मिट्टी की पुताई की जाती है। जानवरों के लिए अलग से स्थान (कोठा) होता है।

मुख्य भोजन चावल और कोदो का भात, पेज, बासी, तिवड़ा, अरहर, मुर्गा, खरगोश, जंगली सूअर आदि का मांस खाते हैं। उत्सव व विशेष अवसरों पर महुआ का शराब पीते है। पुरुष वर्ग तम्बाखू व बीड़ी का उपयोग करते है। मुख्य व्यवसाय कृषि में धान, कोदो, तिल, अरहर, मूँग, उड़द आदि की फसले बोते हैं। सिंचाई के साधन अधिक न होने के कारण उत्पादन सामान्य ही होता है। जिनके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं वे सब्जी, गेहूँ, चना आदि फसले भी बोते हैं। वन के माध्यम से प्रमुख स्रोत प्राप्त होते हैं। जंगलों में महुआ तेंदुपत्ता, चार, गोंद, हर्रा आदि को एकत्रित कर बाजारों में बेचते हैं। खरगोश, कोटरी, चीतल, साँभर आदि का भी शिकार करते थे। वर्तमान में शिकार पर प्रतिबंध होने से शिकार नहीं करते है।

रीति-रिवाज ऐसी परंपराएँ या संस्कार है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी मानव जातियों में चले आए हैं। कंवर समाज के सामाजिक नियम राजपूत क्षत्रियों के समान मानते है। चेरवा कंवर, पैकरा कंवर, दूध कंवर आदि होते हैं। चेरवा कंवर को कंवर पुरुष व चेरो स्त्री से उत्पन्न माना जाता है। उनका निवास सरगुजा जिले में होता है। पैकरा कंवर के लिए कहा जाता है कि रतनपुर के हैहयवंशीय राजा के सेना में सेना होते

लाभदायक सिद्ध होते हैं।

निष्कर्ष

अतः निष्कर्ष रूम में हम कह सकते हैं–

1) जगत् की सबसे प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति है।

2) भारतीय संस्कृति के भारतीय जीवनमूल्य विश्व के लिए अनमोल निधि हैं।

3) भारतीय संस्कृति मनुष्य को श्रेष्ठ मानती है। अतः मनुष्यता का निर्वाहन करना अपना दायित्व मानती है।

4) सभी के श्रेष्ठ तत्त्वों को भारतीयों ने अपनाने की बात कही जो एक महत्त्वपूर्ण जीवनमूल्य हैं।

5) सदाचार यह भारतीय जीवनमूल्य हैं।

6) भारतीय संस्कृति में नारी को नारायणी मान नारी को श्रेष्ठ माना गया है।

7) सर्व पंथ समभाव, अहिंसा परमो धर्मः, सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम्, एक सत् विप्रा बहुधा वदंति, सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः, त्याग, क्षमा, जैसे भारतीय जीवनमूल्य विश्व की दृष्टि से उपयोगी एवं लाभदायक हैं।

8) वैश्विक शांति के लिए भारतीय जीवनमूल्यों की आवश्यकता हैं।

संदर्भ

1. भारत-भारती-मैथिलीशरण गुप्त पृष्ठ 12
2. महाभारत-शांतिपर्व-276/120
3. ऋग्वेद-सूक्त नवासी, प्रथम मंत्र-प्रकाशक दयानंद संस्थान नई दिल्ली पृष्ठ क्र.113
4. मनुस्मृति-सं. राजवीर शास्त्री तृतीय अध्याय पृष्ठ 31
5. भारत-भारती मैथिलीशरण गुप्त पृष्ठ 16

छत्तीसगढ़ की बहुआयामी संस्कृति में उराँव जनजाति

डॉ. येशुक्रिती हजारे

अतिथि व्याख्याता हिंदी

शास.नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़,

जिला राजनाँदगाँव (छ.ग.)

वैश्विक दृष्टि से प्रत्येक देश की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक पर्यावरण एवं जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। यही भिन्नता मान[illegible] मानसिक पर्यावरण द्वारा निर्मित किसी भी संस्कृति की आधारशिला होती है। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है और इसलिए इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। भारत में विभिन्न धर्म, जातियाँ, [illegible] हैं, उतनी ही भिन्न उनकी परंपराएँ, वेश-भूषा, खान-पान एवं रीति-रिवाज हैं। इन्हीं [illegible] से भारत की संस्कृति का विश्लेषण करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृति अनेकता में एकता है।

विश्व में भारतीय संस्कृति का स्थान [illegible] सर्वोच्च रहा है। अन्य देशों की संस्कृतियाँ समय के साथ बदलती हुई अपनी परंपराओं से दूर होती जा रही हैं किंतु भारत की संस्कृति प्रारंभ से ही अपने [illegible] अस्तित्व के साथ अब तक बनी हुई है। आज भी उतनी ही प्रभावशाली [illegible] संस्कृति का मूल केंद्र बिंदु उन सूक्ष्म संस्कारों में निहित विचारों में है जो एक [illegible] में ऐतिहासिक रूप से उनके संबद्ध मूल्यों सहित विवेचित होते रहे हैं। जिनके [illegible] ही लोग परस्पर संप्रेषण करते हैं, विचार करते हैं और जीवन के विषय में अपनी अभिवृत्तियों और ज्ञान को दिशा देते हैं। इसलिए यह कह सकते हैं कि संस्कृति [illegible] व्यक्ति और समाज में निहित संस्कारों से है और उसका निवास उसके मन में है। संस्कृति किसी भी देश के जाति समुदाय की आत्मा होती है। मानव संस्कृति का निर्माता है और संस्कृति ही मानव को मानव बनाती है।

भारत की संस्कृति अद्वितीय मानी गई है। भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर वेद, पुराण, उपनिषदों में सर्वनि[illegible] भाव उदारचरितानां तु वसुधैव

Principal,
Govt. Nehru P. G. College
DONGARGARH
Distt. Rajnandgaon (C.G)